लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र / Fifth Session]

[खंड 18 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. 18 contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

विषय-सूची/Contents

अंक 2, मंगलवार, 23 जुलाई, 1968/1 श्रावण, 1890 (शक)
No. 2, Tuesday, July 23, 1968/Sravana 1, 1890 (Saka)

	सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	Member Sworn	
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
	तारांकित प्रश्न संख्या		
	S. Q. Nos. **विषय**	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
31.	बिहार को कोयला तथा लौह अयस्क के सम्बन्ध में रायल्टी का भुगतान	Royalty Payment on Coal and Iron Ore to Bihar	223-224
32.	खुले माल डिब्बों में ले जाये जाने वाले गेहूं को क्षति	Damage to Wheat Carried in Open Wagons.	225—29
33.	लौह अयस्कों का विकास	Iron Ore Development]	229—232
34.	आल इंडिया रेलवे मैन्स फैडरेशन की हड़ताल	Strike by All India Railwaymen's Federation.	232—237
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
35.	संयुक्त अरब गणराज्य से व्यापार प्रतिनिधि मण्डल	Trade Delegation from UAR . . .	238
36.	रेल दुर्घटनायें	Railway Accidents	238—240
37.	कूपर एलन कारखाना	Cooper Allen Unit	240-241
38.	जूतों का निर्यात	Export of Shoes . . .	241
39.	रेल दुर्घटनायें	Railway Accidents	242
40.	छोटी कार का निर्माण	Manufacture of Small Car . . .	242-243
41.	औद्योगिक प्रगति की गति	Pace of Industrial Progress . . .	243
42.	रानीगुण्टा स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Ranigunta	243-244
43.	रेलवे को सप्लाई किये जाने वाले कोयले के मूल्यों में वृद्धि	Revision of prices of coal supplied to Railways.	244

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

तारांकित प्रश्न संख्या

S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
44.	निगमित क्षेत्र को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Corporate Sector	244
45.	हैवी इंजीनियरी प्लान्ट राँची	Heavy Engineering Plant, Ranchi . .	245
46.	टायरों की कमी	Dearth of Tyres	245-246
47.	नेफा में कोबाल्ट अयस्क	Cobalt Ores in NEFA . . .	246
48.	कोयले के दाम	Prices of Coal	246–247
49.	रेलवे बोर्ड में आई० सी० एस० अफसर	I.C.S. Officers in Railway Board . .	247
50.	अलौह धातु उद्योग में संकट	Crisis in Non-Ferrous Industry. . .	247-248
51.	मैसर्स अमीचन्द प्यारे लाल	Messrs. Aminchand Pyarelal . . .	248
52.	कपड़े पर से नियंत्रण हटाना	Decontrol of cloth	249
53.	रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन	Reorganisation of Railway Board . .	249
54.	भारत बैरल का नाम काली सूची में लिखा जाना	Blacklisting of M/s. Bharat Barrels . .	249-250
55.	अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड	Ashoka Paper Mills Ltd. . . .	250
56.	इस्पात का आयात	Import of Steel	250-251
57.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पटरी पर बम विस्फोट	Bomb Explosion on Railway Track in North-east Frontier Railway . . .	251
58.	कूपर एलन कारखाना	Cooper Allen Unit . . .	252
59.	औद्योगिक लाइसेंस नीति	Industrial Licensing Policy . . .	252-253
60.	रूस को माल डिब्बों का निर्यात	Export of Wagons to USSR . . .	253-254

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

296.	मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Manganese Ore . .	254-255
297.	काली सूची में रखे गये आयातकर्त्ता	Blacklisted importers	255
298.	राज्य व्यापार निगम बम्बई	State Trading Corporation, Bombay. .	255-256
299.	बकरी की खाल का निर्यात	Export of Raw Goat Skins . .	257-258
300.	कुप्पम रेल दुर्घटना	Kuppam Train Accident	258
301.	यवतमाल जिले में नई रेलवे लाइन	New Railway Line in Yeotmal District .	258-259

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
302.	भोज्य तेल का निर्यात	Export of Edible Oils	259
303.	सिलन्डरों का आयात	Import of Cylinders	259-260
304.	औद्योगिक माल के लिये रेल भाड़ा	Railway Freight on Industrial Goods	260
305.	व्यापार करार	Trade Agreements	260
307.	मद्रास से जनता एक्सप्रेस गाड़ी का देर से चलना	Late running of Janata Express from Madras	261
308.	टिकटों पर स्टेशनों का नाम छापा जाना	Printing of names of Stations on Tickets	261
309.	रेलवे के रियायती टिकट	Railway Concession Tickets	261-262
310.	उद्योगों से लाइसेन्स की अनिवार्यता हटाना	Removal of Licences from Industries	262
311.	नैनी में टेलीफोन तथा ट्रैक्टर कारखाना	Telephone and Tractor Factory, at Naini	262-263
312.	छोटे पैमाने के रबड़ उत्पादक	Small Scale Rubber Cultivators	263
313.	बर्मा में कपड़ा मिलें	Textile Mills in Burma	263-264
314.	पालघाट पर सूक्ष्म यंत्र कारखाना	Precision Instrument Factory at Palghat	264
315.	कपड़ा उद्योग में संकट	Crisis in Textile Industry	264-265
316.	भारती मिल्ज पाँडिचेरी	Bharathi Mills, Pondicherry	265
317.	कपड़े के उत्पादन का कम किया जाना	Cut in Textile Production	266
318.	पोलैण्ड को रेल माल डिब्बों का निर्यात	Export of Rail Wagons to Poland	266-267
319.	कृषि वस्तुओं का निर्यात	Export of Agricultural Commodities	267
320.	कपड़ा उद्योग की समस्यायें	Problems of Textiles Industry	268
321.	जूतों के निर्यात में कमी	Decline in Export of Shoes	268
322.	बिजली के पम्प	Electric Pump	269
323.	ट्रैक रिकार्डिंग कार	Track Recording Car	269
325.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हड़ताल	Strike in Durgapur Steel plant	270
326.	निवेश बोर्ड	Investment Board	270

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
327.	औद्योगिक विकास में मन्दी	Recession in Industrial Development . .	271
328.	पटसन उद्योग को सहायता	Assistance to Jute Industry . . .	271-272
329.	फैजाबाद डिवीजन का औद्योगीकरण	Industrialisation of Faizabad Division .	272
330.	हवाई चुम्बकीय तत्वों का सर्वेक्षण	Aeromagnetic Survey	272-273
331.	रूस से विमानों की खरीद	Purchases of Aircrafts from USSR .	273
333.	जस्ते की खानें	Zinc Mines	273-274
334.	चीनी मिलों की स्थापना	Setting up of Sugar Mills	274-275
335.	कपड़े के कारखाने के लिये मशीनरी	Textile Machinery . .	275
336.	हावड़ा के निकट रेल दुर्घटना	Accident near Howrah	275-276
337.	गोरखपुर छावनी स्टेशन पर दो रेलगाड़ियों की टक्कर	Collision at Gorakhpur Cantt. Station	276
338.	गुल्माखोला और सिवोक स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी का पटरी से उतरना	Derailment between Gulmakhola and Sivok Stations	276
339.	एगमोर स्टेशन के पास बिजली की रेलगाड़ी और बिजली के इंजन की टक्कर	Collision between Electric Train and Electric Engine near Egmore Station . .	277
340.	पंजाब तथा हरियाणा राज्यों से अनाज का उठाया जाना	Lifting of Foodgrains from Punjab and Haryana States	277
341.	छोटी कार परियोजना	Small Car Project . . .	277-278
342.	उड़ीसा में खादी उद्योग	Khadi Industry in Orissa . . .	278
343.	सोयाबीन के तेल का आयात	Import of Soyabean Oil	278-279
344.	उड़ीसा में फैक्टरियों की स्थापना	Establishment of Factories in Orissa . .	279
345.	पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना	Industrial Licences in West Bengal . . .	279-280
346.	सीमेंट	Cement	280
347.	उद्योगों का विकास	Development of Industries . . .	280

अ० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
348.	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings in Uttar Pradesh .	281
349.	रेलवे सुरक्षा विशेष दल	Railway Security Special Force . .	281
350.	रेलवे के पदों का विज्ञापन	Advertisement of Posts in Railways . .	281
351.	उत्तर प्रदेश में कारखाने	Factories in Uttar Pradesh: . . .	281
352.	व्यापार और आर्थिक सहयोग के बारे में भारत और श्रीलंका का करार	Indo-Ceylon Agreement on Trade and Economic Cooperation	282
353.	बीकानेर-मारवाड़ 95 अप मेल रेलगाड़ी	Bikaner-Marwar 95-UP Mail . . .	282-283
354.	कारों के निर्माण के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	Tariff Commission Report on Car manufacture	283
355.	कपड़ा उद्योग	Textile Industry	283-284
356.	मुखर्जी आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Mukherjee Commission	284
357.	माइनिंग और एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर	Mining and Allied Machinery Corporation, Durgapur	284-285
358.	भारत–रूस व्यापार	Indo-Soviet Trade	285
359.	इस्पात की रेलों का निर्यात	Export of Steel Rails	285
360.	व्यापार संतुलन	Balance of Trade	285-286
361.	मलयेशिया में भारतीय परियोजनाएं	Indian Projects in Malaysia . . .	286
362.	भारत में प्लास्टिक उद्योग	Plastic Industry in India	287
363.	फियेट और अम्बेसेडर कारें	Fiat and Ambassador Cars . . .	288
364.	भारत–पाकिस्तान चाय सार्थ संघ	Indo-Pakistan Tea Consortium . . .	289
365.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings . . .	289
367.	समवायों द्वारा राजनैतिक दलों को दान	Donations by Companies to Political Parties	289-290
369.	बम्बई से अमृतसर तक चलने वाली फ्रंटियर मेल के साथ वातानुकूलित डिब्बों का लगाया जाना	Running of ACC with Frontier Mail from Bombay to Amritsar . .	

अ० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
370.	रेलवे दुर्घटनायें	Railway Accidents	290-291
371.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	British India Corporation	291-292
372.	हिन्द गल्वेनाइजिंग कम्पनी	Indian Galvanising Co.	292-293
373.	मैसर्स हिन्द गल्वनाइजिंग द्वारा ड्रमों की खरीद	Purchase of Drums by M/s. Hind Galvanising	293-294
374.	स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी	Standard Drum and Barrel Manufacturing Co.	294
375.	कोच अटेन्डेन्ट्स	Coach Attendants	295
376.	तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ियां	High Speed Trains	295
377.	व्यापार सम्बन्धी प्रतिबन्ध	Trade Restrictions	295-296
378.	लोहे का निर्यात	Export of Iron	296
379.	कल्याणी कताई मिल्स	Kalyani Spinning Mills	297
380.	रेलवे कर्मचारियों के विकलांग बच्चों को सुविधाएं	Facilities to handicapped children of Railway Employees	297
381.	चाय बोर्ड द्वारा माल गोदामों को अधिकार में लिया जाना	Taking over of Warehouses by Tea Board .	297-298
382.	गया के निकट मालगाड़ी का रोका जाना	Stopping of goods train near Gaya .	298
383.	बहुमार्गीय सूक्ष्म तरंग रेडियो दूर संचार व्यवस्था	Multi-channel Microwave Radio Telecommunications net work	299-300
384.	अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भारत का भाग लेना	India's participation in International Fairs .	300
385.	मद्रास में रेडियो सक्रिय भण्डार	Radio Active deposits in Madras . .	300-301
386.	पटसन की बोरियां	Jute Bags	301
387.	अनाज की ढुलाई के लिये इन्डेन्ट किये गये माल डिब्बे	Wagons indented for pavement Foodgrains.	301-302
388.	कपड़ा निगम द्वारा संकटग्रस्त मिलों को अधिकार में लेना	Taking over of sick textile Mills . .	302
389.	कपड़े का विनियंत्रण	Decontrol of Cloth	303

अ० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
390.	उड़ीसा में तांबे के निक्षेप	Deposits of Copper in Orissa . . .	303
391.	मांढर और सूवाखार में सीमेंट के कारखाने	Cement Factories at Mandhar and Suwakhara	304
392.	व्यापार सलाहकार परिषद्	Advisory Douncil on Trade . . .	304-305
393.	सरकार समिति का प्रतिवेदन	Sarkar Committee Report . . .	305
394.	रेलवे कर्मचारियों को रियायतें	Concessions to Railway Employees . .	305
395.	ऐनकों के लिये औजारों का निर्माण	Manufacture of Tools for spectacles . .	305
396.	निकल का आयात	Import of Nickel	306
397.	डाल्ली राजहारा तथा दांतेवाड़ा के बीच रेलवे लाइन	Rail Link between Dalli Rajhara and Danewara	306-307
398.	कोयले के मूल्य में वृद्धि	Increase in the prices of coal . . .	307
400.	भारत और रूस के बीच व्यापार	Indo Soviet Trade	307-308
401.	महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड भावनगर	Mahalaxmi Textile Mills Ltd., Bhavanagar .	308
402.	पश्चिम रेलवे में रेलवे परियोजनायें	Railway Projects on Western Railway .	309
403.	बगराड और भिलाडी स्टेशनों के बीच रेल सम्पर्क	Rail Link between Wagrod and Bhilad Stations	309
404.	जस्ता चढ़ी लोहे की नालीदार तथा सादी चादरें	GCI Sheets and Galvanised Plain sheets .	310
405.	अम्बलीयासन बीजापुर सेक्शन पर एक अतिरिक्त रेलगाड़ी का चलाया जाना	Introduction of additional Trains Ambbian Vijapur Section	310
406.	सोनाई रेलवे स्टेशन	Sonai Railway Station	311
407.	माण्डुआहीड/वाराणसी स्टेशनों पर चोरियां	Thefts at Manduadih Varanasi Stations .	311
408.	वरहान और एटा स्टेशनों के बीच रेल लाइन बिछाना	Laying of Railway line between Barhan and Etah Stations	312
409.	निर्यात नीति	Export Policy	312
410.	खनिज पदार्थों पर रायल्टी	Royalty on Minerals	312-313

अ० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
411.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	British India Corporation . . .	313
412.	रेलवे की भोजन व्यवस्था	Catering Arrangements in Railways . .	313-314
413.	इण्डियन आयरन के शेयरों में बेनामी सौदे	Benami Transattions in Indian Iron Shares	314
414.	समाजवादी देशो के साथ व्यापार समझौते	Trade Agreement with Socialist countries	314-315
415.	अन्य कम्पनी के अंश खरीदने के लिये धन का उपयोग	Utilisation of Funds to purchase stores of another Company	315
416.	मिल में बने हुए और हथ-करघे के कपड़े का उत्पादन	Production of Textile and Handloom Cloth	315-316
417.	रेशम का आयात	Import of Silk	316
418.	कलाई की घड़ियां	Wrist Watches	317
419.	दक्षिण पूर्व रेलवे में निम्न राजपत्रित सेवाओं में पदो का भरा जाना	Filling up of Posts in Lower Gazetted Service on South Eastern Railway . .	317-318
420.	व्यापार प्रतिनिधि मंडल	Trade Delegations	318
421.	एकाधिकार जांच समिति	Monopoly Enquiry Committee .	318-319
422.	कपड़ा उत्पादन	Cloth Production	319
423.	कागज पर से नियंत्रण हटाना	Decontrol of Paper	319
424.	मैसर्स कूपर एलन कम्पनी, कानपुर	M/s. Cooper Allen Company, Kanpur .	319
425.	उत्सुत पट्टी (आर्टीजियन बैल्ट) में खनिज पदार्थ निकालना	Exploration of the Artesian Belt. . .	320
426.	इस्पात पर से नियंत्रण हटाना तथा इस्पात के मूल्य	Price and Decontrol of Steel . . .	321
427.	अनाज ले जाने के लिये माल डिब्बों का दिया जाना	Allotment of Wagons for carrying Food-grains	321
428.	इस्पात के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Steel	321-322
429.	जापान को इस्पात प्रतिनिधिमण्डल	Steel Delegation to Japan . . .	322
430.	रायसीना पब्लिकेशन्स तथा यना टेड पैब्लिकेशन्स लिमिटेड	Raisina Publications and United Publications Limited	322

अ० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
431.	रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक	Casual Labourers in Railways . .	323
432.	नियेली लिगनाइट निगम	Neyveli Lignite Corporation . . .	323-324
433.	अखबारी कागज़	Newsprint	324
434.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant	324
435.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग पर रिपोर्ट	Report on Khadi and Village Industries Commission	325-326
436.	काफी के मूल्य	Prices of Coffee . . .	326
437.	कपड़े के टुकड़े	Textile Cut pieces	326
438.	स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters	327
439.	सूती कपड़े पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Cotton Textiles . .	327
440.	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation .	328
441.	कोयले के दामों में वृद्धि	Rise in Coal Prices	329
442.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर	Mining and Allied Machinery Corporation, Durgapur	329
443.	प्रतापखाता और चौतरा स्टेशनों के बीच गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment between Pratapkhata and Choutra Stations	330
444.	कम्पनियों के निदेशकों को पारिश्रमिक	Remunerations to Company Directors .	330-331
445.	रेलव का खोया-पाया विभाग	Lost Property office in Railways . .	331
446.	रेलवे कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा मकानों का निर्माण	Construction of houses by Railway Employees and Officers	331-332
447.	माल की बुकिंग	Booking of goods	332
448.	रेलवे के विरुद्ध दावों का निपटारा	Settlement of claims on Railways .	332
450.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के विरुद्ध आरोप	Charges against British India Corporation .	333
451.	संयुक्त अरब गणराज्य के साथ व्यापार करार	Trade agreement with UAR . .	333
452.	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi .	334
453.	माल डिब्बों का निर्यात	Export of Wagons	334-335

अ०प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
454.	लक्कीसराय स्टेशन पर हुई दुर्घटना के बारे में जांच	Inquiry into accident at Luckeesarai . .	335
455.	कपड़ा मिलें	Textile Mills	336
456.	कांडला गांधीधाम पर नमक उठाने के लिये मालडिब्बे	Wagons for Lifting Salt at Kandla Gandhidham	336-337
457.	कच्छ जिले में रेलों का विस्तार	Expansion of Railway Network in Kutch District	337-338
458.	मोटर गाड़ियों का आयात	Import of Motor Vehicles . . .	338
459.	पूर्वी तथा पूर्वोत्तर रेलवे के जोनल क्षेत्रों का तबादला	Transfer of Zonal Areas of Eastern and N.E. Railways	338
460.	बोकारो स्टील लिमिटेड और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का एकीकरण	Amalgamation of Bokaro Steel Ltd. and Hindustan Steel Ltd. . . .	339
461.	ढोलों का निर्माण	Manufactur of Barrel	339-340
462.	ढोल बनाने वाले कारखाने	Barrel Manufacturing Units . .	340
463.	कारों के निर्माण	Manufacturer of Cars . . .	340-341
464.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन	British India Corporation . . .	341
465.	भारत का निर्यात	India's Export	342
466.	भारत का अफगानिस्तान के साथ व्यापार	India's Trade with Afghanistan . .	342-343
467.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Limited . .	343
468.	कोठागुडम से हुसैन सागर और विजयवाड़ा बिजली घरों को कोयला ले जाने वाले मालडिब्बे	Coal carrying wagons from Kothagudem to Hussainsagar and Vijayawada power Houses	343-344
469.	कताई मिलों के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Spinning Mills .	344
470.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Limited . . .	345
471.	कालीकट में लौह अयस्क का सर्वेक्षण	Survey of Iron Ore in Calicut . . .	345
472.	मोटर टायरों की चोर-बाजारी	Black Marketing of Motor Tyres . .	345-346

अ० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
473.	30 डाउन दिल्ली-लखनऊ मेल रेलगाड़ी को उलटने का प्रयास	Attempt to overturn 30 D own Delhi Lucknow Mail	346
474.	आयात नीति	Import Policy	346
475.	रूई के मूल्य	Prices of Cotton	346-347
476.	मैसूर, महाराष्ट्र और आन्ध्र में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates to Mysore, Maharashtra and Andhra	347
477.	रेशम का आयात	Import of Silk	347-348
478.	मानापुर और कोप्पल के बीच रेलवे स्टेशन को खोला जाना	Opening of a Railway Station between Bhanapur and Koppal	348
479.	पूर्वी रेलवे के गाड़ी के साथ जाने वाले कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by running staff of Eastern Railway	348
480.	दानापुर मुगलसराय तथा झाझा के संचल कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Running Staff of Danapur Mughalsarai and Jhajha	348-349
481.	पूर्वोत्तर रेलवे के कुछ भागों का पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में तबादला	Transfer of Portions of N.E. Railway to Northeast Frontier Railway	349
482.	निर्यात लक्ष्य	Export Targets	349-350
483.	भागलपुर में रेशम की मिल	Silk Mills in Bhagalpur	350
484.	तकुए	Spindles	350-351
487.	निर्यात आयात व्यापार	Export Import Trade	351
488.	प्रशुल्क आयोग	Tariff Commission	351-352
489.	फिरोजपुर और लुधियाना के बीच रेलवे यातायात का रुक जाना	Hold up of Railway Traffic between Ferozpur and Ludhiana	352
490.	उत्तर रेलवे पर अनाज का डिब्बों में भरना तथा उतारना	Loading and Unloading of Grains on Northern Railway	352-353
491.	बिहार में ताँबा, सीसा और जस्ते का निक्षेप	Deposits of Copper, Lead and Zinc in Bihar	353
492.	कोयये के भण्डार	Stocks of Coal	354

U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
493.	डीजल इंजनों में प्रयुक्त किये जाने वाले डीजल तेल की सीटेन संख्या	Cetane Number of Diesel Oil consumed by Diesel Locomotives	354-355
494.	दक्षिण वियतनाम को निर्यात	Exports to South Vietnam	355-356
495.	माल डिब्बों का निर्यात	Export of Wagons	356
496.	सरकारी क्षेत्र में जूतों का कारखाना	Shoe Factory in Public Sector	356-357
497.	कमर्शियल क्लर्क	Commercial Clerks	357
498.	रेलवे में ठेके के आधार पर काम करने वाले मजदूर	Labourers working on contract basis in Railways	357
499.	खाद्यान्नों की ढुलाई के लिये माल डिब्बों का न मिलना	Non-availability of wagons for carrying food-grains	357-358
500.	छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास	Development of small scale Industries	358
501.	मुरे फाटक पर उपरि पुल का निर्माण	Construction of Overhead Bridge at Murray Crossing	359
502.	रूरा में एक्सप्रेस गाड़ियों का रुकना	Stoppage of express trains at Roora	359
503.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant	359-360
504.	चौथी पंचवर्षीय योजना में कोयले का उत्पादन	Coal production during Fourth Five Year Plan	360-361
505.	केरल में नारियल जटा उद्योग	Coir Industry in Kerala	361-362
506.	रायलसीमा मिल्स लिमिटेड	Rayalaseema Mills, Ltd.	362-363
507.	स्कूटरों के स्तर में गिरावट	Deteriorating quality of Scooters	363-364
508.	अजमेर तथा चित्तौड़ जंक्शनों पर गाड़ियों का ठीक मेल न होना	Misconnection of trains at Ajmer and Chittor Junctions	364
509.	दिल्ली से हावड़ा तक कैपिटल एक्सप्रैस गाड़ी चलाना	Running of Capital Express from Delhi to Howrah	364-365
510.	अमरीका को निर्यात	Exports to USA	365
511.	कपास और पटसन खरीदने के लिये निगम	Corporation to purchase cotton and Jute	365

U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
512.	आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां	Handloom weavers cooperative societies in Andhra Pradesh . . .	366
513.	श्रीलंका द्वारा चाय का निर्यात	Exports of Tea by Ceylon . . .	366
514.	कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills	366-367
515.	रेलवे चिकित्सा सेवा के डाक्टर	Doctors of Railways Medical Service .	367
516.	रूरकेला में पाइप बनाने का कारखाना	Pipe Plant at Rourkela	367
517.	पूर्वोत्तर रेलवे पर भोजन व्यवस्था तथा विक्रेता योजना	Catering and vending Scheme on N.E. Railway	267
518.	पूर्वोत्तर रेलवे में क्षेत्रीय योजना	Zonal Scheme on N.E. Railway .	368
519.	गैर-सरकारी वित्तीय कम्पनियों के विरुद्ध मुकदमे	Case against Financial Private Companies	368
520.	दिल्ली तथा नई दिल्ली स्टेशनों पर रेलगाड़ियों का देर से पहुंचना	Late arrival of trains at Delhi and New Delhi Stations	358-369
521.	कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills	369
522.	दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में भारतीय शिष्टमंडल का दौरा	Visit of Indian Delegation to South-East Asian Countries	369-370
523.	कागज उद्योग	Paper Industry.	370
524.	कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Textile Industry . .	371
525.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant . .	372
526.	लोहे की नालीदार चादरें	Corrugated Iron Sheets	373-374
527.	रेलगाड़ियों तथा रेलवे जलपान गृहों में भोजन व्यवस्था	Catering in Trains and Railway Restaurants	374-375
528.	तिरुपति स्टेशन के निकट टक्कर	Collision near Tirupati Station . .	375
529.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन मिल्स, कानपुर	British India Corporation Mills, Kanpur .	375-376

U.S.Q.Nos.		SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
530.	रेलवे लाइन के ऊपर से बिजली (पावर) पारेषण लाइन से जाना	Crossing of Power Transmission Line over Railway Line	376
531.	बांदा जंक्शन पर पैदल चलने वालों के लिये उपरि पुल तथा प्लेटफार्म का निर्माण	Construction of Foot Overbridge and Platform on Banda Junction . . .	377
532.	थाईलैण्ड से पटसन का आयात	Imports of Jute from Thailand . .	377
533.	रेलों को सप्लाई किये गये कोयले के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of coal supplied to Railways	378
534.	रेलवे सम्पत्ति की चोरी	Theft of Railway Property . . .	378
535.	रेलवे के जाली टिकटों का पकड़ा जाना	Recovery of Bogus Railway Tickets .	378-379
536.	रेलवे में चोरी के मामले	Theft cases in Railways	379
537.	घेराओ के कारण गाड़ियों का विलम्ब से चलना	Late running of Trains due to Gheraos .	379
538.	राऊ और राजेन्द्रनगर स्टेशनों पर घेराओ	Gherao at Rao and Rajendranagar Stations	379
539.	इस्पात की दुर्लभ किस्में	Scarce Categories of Steel . . .	380
540.	उत्तर बिहार में औद्योगिक संस्थान	Industrial Establishment in North Bihar .	380
541.	रेलवे भोजन व्यवस्था तथा यात्री सुविधाओं सम्बन्धी समिति	Committee on Railway Catering and Passenger amenities	380-381
542.	रेशम करघों को ऊन करघों में बदलना	Conversion of silk looms into wollen Looms	381
543.	दक्षिण मध्य रेलवे जोन	South Central Railway Zone . .	381-382
544.	माल डिब्बा निर्माण उद्योग	Wagon Manufacturing Industry . .	382
545.	चाय बोर्ड	Tea Board	382-383
546.	आयात नीति	Import Policy	383
547.	पटसन की वस्तुओं की उत्पादन में कमी	Cut in the production of Jute products .	383
548.	विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration . . .	384

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
549.	बिड़ला उद्योगों के सम्बन्ध में जांच आयोग	Enquiry Commission on Birla Industries .	384
550.	कच्चे माल का वितरण	Distribution of raw materials . . .	384
551.	कन्टेनर फ्रेट सर्विस	Container service	385
552.	बिड़ला कम्पनियां	Birla companies	385
553.	फायरमैनों की हड़ताल	Strike by Firemen	385-387
554.	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन, कानपुर	British India Corporation, Kanpur .	386
555.	मैसूर स्टोनवेयर, पाइप एण्ड पाटरीज लिमिटेड बंगलौर	Mysore stoneware Pipe and Potteries	386
556.	मध्य प्रदेश में कच्चा रेशमी कपड़ा उद्योग	Raw Silk Industries in Madhya Pradesh .	386-387
557.	मैसर्स हिन्द ऊल कम्पनी	M/s. Hind at Co.	387-388
558.	कोरबा एल्युमीनियम कारखाना	Korba Aluminium	388
559.	भारत एल्यूमीनियम कम्पनी की कोयना परियोजना	Koyna Project of Bharat Aluminium .	388-389
560.	रेलवे मानार्थ पास	Railway Complimentary Passes	389
561.	विगों का निर्यात	Export of Wigs	389-390
562.	नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियो के लिये आरक्षण	Representation of Scheduled castes and Scheduled Tribes in Services . .	390
564.	उत्पादन लागत अधिक होने का निर्यात पर प्रभाव	Impact of High Production costs on Exports	390
565.	कोयले के उत्पादन में कमी	Fall in coal production	391
566.	फरुखाबाद दिल्ली सवारी गाड़ी में यात्रियों का लूटा जाना	Looting of Passengers in Farukhabad Delhi Passenger Train	391-392
567.	खनिज उत्पादन में गिरावट	Fall on Mineral Production . .	392
569.	उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त करना	Exemption of Industries from Licensing .	393
570.	व्यापार शिष्ट मण्डल	Trade Delegations	394

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
571.	सीमेंट के मूल्यों में विषमता	Disparity in prices of cement . . .	394
572.	अहमदाबाद से दिल्ली के लिये सीधी गाड़ी	Direct train from Ahmedabad to Delhi .	394-395
573.	जस्ता, गंधक का तेजाब और सीसे का उत्पादन	Production of Zinc, sulphuric Acid and Lead.	395
574.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Ltd.	395-395
575.	ट्रैक्टरों के मूल्य	Prices of Tractors	396
576.	लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore	396
577.	कुप्पम रेल दुर्घटना की जांच	Enquiry into Kuppam Railway Accident .	396-397
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	397
पुलिस द्वारा दिल्ली में रूसी सूचना केन्द्र के समक्ष प्रदर्शनकारियों पर अश्रु गैस का छोड़ा जाना		Tear gassing of demonstrators at Soviet Information Centre in Delhi . .	397--399
सभा का कार्य		Business of the House . .	399-400
सभा पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table	400--403
संसदीय समितियां		Parliamentary Committees . . .	403
कार्य का सारांश		Summary of Work	403
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 1968		Central Industrial Security Force Bill, 1968	403
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में		As Passed by Rajya Sabha . .	403
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति		President's Assent to Bills . . .	403-404
अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1968		Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill . .	404
विचार करने का प्रस्ताव		Motion to consider	404
श्री कंवरलाल गुप्त		Shri Kanwar Lal Gupta . . .	404
श्री श्रद्धाकर सूपकार		Shri Sradhakar Supakar . . .	404
श्री दत्तात्रेय कुंटे		Shri Dattatraya Kunte . .	405
श्री रणधीर सिंह		Shri Randhir Singh . .	405
श्री एस० एम० जोशी		Shri S. M. Joshi .	407
श्री दी० चं० शर्मा		Shri D. C. Sharma	407
श्री प्रकाशवीर शास्त्री		Shri Prakash Vir Shastri . . .	407a

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee . . .	407a
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham . .	407a
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	407b
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavtar Shastri . . .	407b
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya . . .	407b
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganath Rao	407c
खंड 2 से 4 और 1	Clause 2 to 4 and 1	407d 407g
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended . .	407f
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganath Rao . .	407g
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi . .	407g
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	407g
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta . .	407g
श्री सरजू पाण्डे	Shri Sarjoo Pandey .	407g
श्री जार्ज फरनेन्डीज़	Shri George Fernandes . . .	407g
सीमा सुरक्षा बल विधेयक, 1968	Border Security Force Bill, 1968 . .	407h
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	407h
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan . . .	407h
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	407j
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka . . .	407k
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	407l
श्री बलराज मधोक	Shri Balraj Madhok . . .	407n
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . .	407o
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh .	407q
श्री जार्ज फरनेन्डीज़	Shri George Fernandes .	407r
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee . . .	408
उन्नीसवां प्रतिवेदन	Nineteenth Report . . .	408

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 23 जुलाई, 1968 श्रावण, 1890 (शक)

Tuesday, July 23, 1968/ Sravana 1, 1890 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER in the chair]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

MEMBER SWORN

श्री बि० प्र० मंडल (माधीपुरा—बिहार)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बिहार को कोयला तथा लौह अयस्क के सम्बन्ध में रायल्टी का भुगतान

*31. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1968 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में बिहार के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि बिहार को कोयला तथा लौह अयस्क के सम्बन्ध में दी जाने वाली रायल्टी की राशि में वृद्धि की जाये;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) बिहार को इस समय कुल कितनी रायल्टी दी जाती है और बिहार में देश के कुल कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ निकलते हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) और (ख). बैठक में उठाया गया प्रश्न सामान्य प्रकृति का था। कोयले और लौह-अयस्क को छोड़ कर मुख्य खनिजों पर

1744(ai)LS—1.

स्वामिस्व की दरें अभी हाल ही में बढ़ायी गयी हैं। कोयले और लौह-अयस्क के विषय में स्वामिस्व का परिशोधन अभी विचारधीन है ।

(ग) 1966 वर्ष के दौरान, बिहार का स्वामिस्व से उपार्जन 5,33,35,165 रुपये था। बिहार में निकलने वाले महत्वपूर्ण खनिज, देश में कुल निकलने वाले खनिजों की विभिन्न प्रतिशतताओं का निरूपण करते हैं। तथापि, 1966 वर्ष के दौरान 38 प्रतिशत भाग की तुलना में 1967 के दौरान भारत में उत्पादित मुख्य खनिजों के कुल मूल्य में बिहार का भाग 37 प्रतिशत था।

Shri Shiva Chandra Jha: Mr. Speaker, Bihar is being neglected at every step. You know Bihar is such a state in India which is full of Gold as well as the man-power. Inspite of this Bihar is backward and undeveloped. It is due to the carelessness and indifference of the Central Government. The minerals of Bihar are sent outside without utilizing them and even are exported. The people of Bihar are not getting any benefit from it. The available industries are located in the corner of Bihar. Bihar is backward and undeveloped in respect of industrialization. Coal and iron are the backbone of state's economy, these are in abudance in Bihar. But the people are not getting any benefit from it. In this context I want to know from the honourable Minister how much Coal and iron are found in Bihar in terms of Percentage and the terms of Absolute. Out of this, how much is utilized in Bihar, and in other parts of India, and how much is exported outside India.

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines, and Metals (Shri P.C. Sethi): As far as the income of royalty is concerned, in Bihar State it is more than in any other States. Taking into consideration the demand for the increase in the royalty of Minerals, from Bihar and other States, the royalty has been increased. It is difficult to give break-up of minerals produced in Bihar and being used in other States. It also not possible that minerals produced in one State may be utilized only the that State and may not be sent anywhere. Taking this into consideration if the entire quantity of coal is utilized in Bihar alone where will the rest of India go.

Shri Shiva Chandra Jha: Taking this into consideration that the minerals of Bihar may be utilized in the whole of India and not only in Bihar, I want to ask how much Gross and Net Profit are earned yearly by the Proprietor of coal and iron's mines. With this view that the whole of the country may be benefited from this profit. Whether the Government is going to nationalize the coal and iron's mines. If so, when, if not then why not?

Shri P. C. Sethi: As far as the coal is concerned, out of 6.79 laks tonnes 3.13 lakhs tonnes are produced in Bihar. There is no proposal of Nationalisation of Coal before the Government.

Shri Shiva Chandra Jha: Why not the Government go deep into this matter. They are encouraging the profiteering.

श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही : पिछले कई वर्षों से कई राज्य सरकारों ने विभिन्न अयस्कों के रायल्टी दरों के संशोधन करने को कहा है। मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने राज्य सरकारों को लौह अयस्क मैंगनीज अयस्क और विभिन्न अयस्कों के रायल्टी दरों को बढ़ाने देने का निर्णय किया है ।

श्री प्र० च० सेठी: कोयले और लौह अयस्क को छोड़कर बाकी सब अयस्कों के रायल्टी दरों को बढ़ा दिया गया है, कोयले और लौह अयस्क के रायल्टी दरों को बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है, हाल ही में कोयला सलाहकार परिषद् ने निर्णय लिया है कि कोयले की रायल्टी दर टन भार के आधार में होना चाहिए। रायल्टी में वृद्धि का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री रा० की० अमीन : इस सत्य को देखते हुए की कोयला और अशोधित तेल एक दूसरे से सम्बन्धित हैं, और रायल्टी का प्रश्न दोनों पर लागू होता है तो क्या मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन ले सकता हूं कि जब कोयले की रायल्टी के प्रश्न पर पुनर्विचार करते समय अशोधित तेल के रायल्टी के प्रश्न पर भी पुनर्विचार होगा ।

श्री प्र० च० सेठी : जहाँ तक अशोधित तेल की रायल्टी का प्रश्न है मैं इसके बारे में कुछ कह सकने में असमर्थ हूं । कोयले की रायल्टी के सम्बन्ध में निश्चय ही समूचे मामले और श्रीनगर में हुई मंत्रयों की बैठक में लिए हुए निर्णय कि रायल्टी की दरों को लेकर कोई हिंसात्मक उपद्रव नहीं होंगें, पर विचार करेंगे ।

Shri Yamuma Prasad Mandal: Whether it is fact that the Bihar Government has requested to the Central Government several times before the N.D.C. meeting that keeping in view of her poverty, a high powered Committee for increasng the royalty of minerals may be appointed to go into that question may be reconsidered.

Shri P. C. Sethi: A Decasta Committee was set up to consider the question of Royalty. Keeping in view her recommendations the question has been considered and the Royalty rates have been increased. According to section 9(3) there cannot be increment more than twenty per cent in the present Royalty rates. It is the reomendation of Decasta Committee that the section providing twenty per cent may be removed. The Government is also considering on it.

Damage to Wheat carried in open Wagons.

*32. **Shri Atal Bihari Vajpayee:**
Shri Sharda Nand:
Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Onkar Singh:
Shri Narain Swarup Sharma:
Shri Ramavtar Sharma:
Shri O. P. Tyagi:
Shri C. K. Bhattacharyya:
Shri S. S. Kothari:
Shri Eswara Reddy:
Shri Deven Sen:
Shri Shiv Kumar Shastri:
Dr. Surya Prakash Puri:
Shri K. Halder:
Shri Tridib Kumar Chaudhury:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the wheat which was sent to West Bengal by the Food Corporation of India recently has been spoiled due to rains;

(b) if so, the extent of the loss suffered as a result thereof;

(c) the names of the employees and officers responsible for this loss and the action taken against them so far;

(d) whether it is also a fact that the Food Corporation of India had requisitioned closed wagons for the transportation of this wheat whereas open wagons were provided;

(e) whether it is also a fact that some of the open wagons were not even covered with Tarpaulin for protecting the wheat from rains; and

(f) if so, the reasons therefor?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष): (क) भारत के खाद्य निगम द्वारा पश्चिम बंगाल के स्टेशनों को हाल के महीनों में रेल द्वारा भेजे गये गेहूं का थोड़ा सा भाग बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था ।

(ख) लगभग 900 मीटरिक टन ।

(ग) किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया ।

(घ) मानसून के शुरू होने से पहले गेहूं भेजने के उद्देश्य से खाद्य निगम पंजाब और हरियाणा से गेहूं परिवहन के लिए बन्द और खुले माल डिब्बों का उपयोग करने पर सहमत हो गया था। अतः बन्द माल डिब्बों की माँग के बदले सीमित संख्या में खुले माल डिब्बे सप्लाई किये गये थे।

(ङ) सूखे मौसम में लादे गये माल डिब्बों में से कुछ का तिरपालों से नहीं ढका गया था।

(च) भारी मात्रा में ढोये जाने वाले गेहूं को ध्यान में रखते हुए कुछ खुले माल डिब्बों का उपयोग करना अनिवार्य था। कई गंतव्य स्टेशनों पर मजदूरों की भारी कमी के कारण माल उतारने में देरी हुई और इसलिए माल डिब्बों और तिरपालों के फेरों की गत बुरी तरह से धीमी हो गयी। इन परिस्थितियों में बिलकुल अस्थायी आधार पर अतिरिक्त अपाती उपाय के रूप में कुछ खुले माल डिब्बों में बिना तिरपालों के अनाज भेजा गया था।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Mr. Speaker, the Honourable Minister has just said that the quantity of 900 tonnes is small. I cannot understand, how he says this. I want to know whether it is not correct that the Railway Board has instructed that those items which can be spoiled in Monsoon, should not be sent in open wagons, and, if necessary, these may be covered with tarpaulin. If this has been instructed then why it was not carried out. Will the Railway Minister lay a copy of that instruction on the table of the House in which he has made this relaxation that the foodgrains may be sent in open wagons.

श्री परिमल घोष : रेलवे के सामने एक बड़ी समस्या यह है कि माल से लदे डिब्बे ऐसे स्थानों में अधिक देर तक रुक जाते हैं जहाँ माल को नहीं उतारना होता है और जिसकी वजह से खाली डिब्बों को वापिस समय पर नहीं लाया जा सकता है।

श्री रंगा : क्या वहाँ कभी हड़ताल भी हुई है।

श्री परिमल घोष : मैं इस विषय पर आ रहा हूं, प्रश्न यह है कि इतना अधिक समय क्यों लिया गया। भारतीय खाद्य निगम के सामने यह सूचना लाई गई थी, इस अत्यधिक देर का कारण यह था कि वहाँ मजदूरों की बहुत कमी थी जिसकी वजह से माल समय पर नहीं उतारा जा सका।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या मजदूरों की कमी थी ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कहाँ ?

श्री परिमल घोष : जहाँ कि माल उतारना है।

Shri Kanwar Lal Gupta: There are nine and an half crores of people who are unemployed.

मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं।

श्री परिमल घोष : मैं एक उदाहरण दे सकता हूं पूर्वी रेलवे में 1800 मालगाड़ियाँ बहुत अधिक समय तक रुकी रहीं, चूंकि हमें पंजाब और हरियाणा से गेहूं ले जाना था और वहाँ पर्याप्त भंडार की सहूलियत भी नहीं थी ? अतएव रेलवे के सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वह तिरपाल के बिना खुले माल डिब्बे दे क्योंकि जो तिरपाल भेजे गए थे वे समय पर वापिस नहीं आये। बिना तिरपाल के माल-डिब्बे भेजने का यह एक मुख्य कारण था।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Mr. Speaker, it is not clear from the reply that why there had been shortage of labours for unloading. Whether the honourable minister mean that the labour shortage was in Calcutta. Whether the Government cannot employ temporary labour on daily Wages. On the one hand it is said that there is unemployment in the country, the People are moving without work and on the other hand Government wants to have this excuse that labour could not be available for unloading.

The second thing I want to know that the honourable minister has said that there was shortage of tarpaulins for covering the open wagons, for these are not received back. Whether it is an example of the efficiency of Railways that the tarpaulins once used are not received back. Whether the Railway Ministry does not keep with herself so many tarpaulins that if there is necesscity to send goods in the open wagon then these may be covered with tarpaulins.

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): इस वर्ष पिछले वर्षों के तुलना में पंजाब से खाद्यान्नों का जाना बहुत ही अधिक रहा । गत वर्ष मई-जून के दौरान 2 से 2.5 लाख टन प्रति मास अनाज गया, इस वर्ष मई के महीने में 2.23 या 2.25 लाख टन की तलना में यह 5.97 लाख टन था, और जून में यह 7 लाख टन था, पंजाब से अनेक भागों में इतनी अधिक मात्रा में अनाजों क जाने से ढुलाई सम्बन्धी कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई थी । खाद्य निगम और खाद्य मंत्रालय द्वारा बंगाल में खाद्यान्न भेजने का कार्य संशयप्रद रहा, मौनसून के आ जाने से कुछ मामलों में हमें अपने कार्यक्रमों में तेजी करनी पड़ी इसलिए इतनी अधिक मात्रा में खाद्यान्नों के आने-ले जाने के लिए विशेष गाड़ियाँ चलानी पड़ी, अतएव हमें कुछ खुले माल डिब्बों में खाद्यान्न लदाना पड़ा । 30,000 माल डिब्बों में करीब 3,000 के ऐसे माल डिब्बे थे, आपतकालीन समय में थोड़ा खतरा लेना आवश्यक हो जाता है नहीं तो खाद्यान्न भंडारों में पड़ा रहता और वहाँ से नहीं ले जाया जाता, अतएव इस इकट्ठे हुए खाद्यान्नों को वितरण स्थानों में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इसको ले जाने की व्यवस्था करनी पड़ी, इसलिए कई बार तिरपाल नहीं मिल सका, बहुत कम प्रतिशत खाद्यान्न बिना तिरपाल के ले जाया गया और भीग जाने के कारण नुकसान 12 लाख टन की कुल मात्रा में से 900 टन ही हुआ, मैं नहीं समझता कि इसमें रेलवे का कार्य संतोषप्रद नहीं रहा ।

श्री रंगा : यह रेलवे की निन्दाजनक कार्य स्थिति है ।

Shri Narain Swarup Sharma: I have great sympathy with the honourable minister. The God does not take pity on ministers. For, there is an untimely drought in the Country. If there is rain then He does not see that wagons are running uncovered and there is no provision for tarpaulins and labours. But it is my right to know whether the honourable minister is responsible for all these happenings or we should hold the God responsible for it. If you are responsible for it then what steps have been taken so that these things may not happen in future.

श्री चे० मु० पुनाचा : हम यह पूरी कोशिश करेंगे कि प्राथमिकता प्राप्त मदों को जहां जितनी माँग है वहाँ उनको भेजा जा सके । इस दौरान में हमें इस खाद्यान्न की बढ़ी हुई मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के साथ सामान्य यातायात का भी प्रबन्ध करना है । हमने अपनी पूरी कोशिश की है और आगे भी ऐसा करते रहेंगे । मैं समझता हूं कि रेलवे की आलोचना करने के बदले उसे इस कुशलता-स्तर के साथ यातायात का प्रबन्ध करने के लिए बधाई देना चाहिए।

Shri Ram Avtar Sharma: Just now the honourable minister has said about West Bengal. I want to know whether any damage has occured in other parts due to uncovered wagons and rains, just as it happened in the Government Godowns near Kanpur where the wheat was so spoiled that it sput out. Besides West Bengal how much wheat have been spoiled in all other places.

श्री चे० मु० पुनाचा : इस वर्ष के दौरान सारे भारत में करीब 1,900 टन से अधिक खाद्यान्न भीगने के कारण खराब हुआ है । केवल बंगाल में ही यह 900 टन के करीब था, रेलवे मुख्यत: परिवहन के लिए जिम्मेवार है । निर्धारित लक्ष्यों में माल के उतराने और चढ़ाने के लिए वे पूरी तरह से जिम्मेवार नहीं है माल के शोधन का कार्य दूसरी संस्थाओं का है । कोई कारण से अगर देरी होती है तो इसके लिए रेलवे प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं होगी ।

Shri Om Prakash Tyagi: Mr. Speaker, while replying the hon. Minister has tried to explain that the wheat was loaded in open wagons, but as the labours were not available so it could not be unloaded and thus spoiled. But I want to tell you for your kind information that loaded wheats were moved in open wagons in 534, 514, 732, 532 and 512 Down Trains only in a day and it moved in wet conditions the whole way. The foodgrains were spoiled on this account. You cannot escape from your responsibility in the name of shortage of labour. I want to know whether the Corporation had compelled you to move it is the open wagon or when there is a shortage of foodgrains, then way the railway moved the foodgrains in the open wagon at her own risk. Whether the Food Coroporation compelled you to move it in tho open wagon. Why you have taken thisr esponsibility.

श्री चें० मु० पुनाचा : जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मानसून के आरम्भ होने से पूर्व ही भंडार को खाली करने के लिए खुले माल डिब्बों को प्रयोग में लाने की आवश्यकता हुई। दुर्भाग्यवश मानसून कुछ पहले ही आ गया। अतः मार्ग में बारिश हो गई परन्तु जो बचा लिया गया उनको बरबाद नहीं होने दिया गया, खाद्य निगम ने उन्हें उतारने, सुखाने और फिर भंडार में रखने के लिए विशेष प्रयत्न किया। उन्होंने मार्ग में भिगे हुए अनाज को नष्ट न होने देने के लिए सब कुछ किया

Shri Om Prakash Tyagi: Mr. Speaker, my question has not been asnswered. Did you get the foodgrains loaded in the open wagon or the Corporation has compelled you ? There the foodgrains was kept in safe. Why did you taka the is risk.

Shri Sheo Narain : Ask the Corporation.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न यह है कि क्या खाद्य निगम के आदेश पर खुले माल डिब्बे प्रयोग में लाये गये अथवा रेलवे ने खतरा लेकर इसको खुले माल डिब्बों में भेजा।

श्री चे० मु० पुनाचा : इनडेन्ट बन्द माल डिब्बे के लिए था, जब हमने कहा कि बन्द माल डब्बे शीघ्र उपलब्ध नहीं हैं तो उन्होंने कुछ मात्रा खुले डिब्बों में भेजना स्वीकार कर लिया।

श्री गंगा : तो दोनों दोषी थे।

श्री चपला कान्त भट्टाचार्य : वर्षा के कारण बरबाद होने के अतिरिक्त समाचार पत्रों में यह भी समाचार आया है कि जब गेहूं को खुले डिब्बों में ले जाया गया था तो बड़ी मात्रा में चोरी होने से भी बड़ी हानि हुई है। क्या रेलवे मंत्री को मालूम है कि चोरी से हुई हानि कितनी की हुई है अगर है तो चोरी में हुई हानि का मूल्य कितना है।

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं इस प्रश्न के लिए पूर्व सूचना चाहूं। अगर माननीय सदस्य यह सूचना चाहते हैं तो मैं उनको निश्चय ही आँकड़ों को इकट्ठा करके दूंगा।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मुझे कहते हुए दुःख होता है कि कहानी यहीं नहीं समाप्त होती है। मुझे सूचना मिली है कि जो गेहूं उग आया था और कुछ मामले में खराब हो गया था, उनको अब आटे की मियों में पिसने के लिए दिया जा रहा है ताकि उन्हें मनुष्य के खाने के लिए राशन की दुकानों में भेजा जाय।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि रेलवे मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में आटे के मिलों को इन खराब गेहूं को पीसने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मैं समय आने पर यह मामला खाद्य मंत्री के सामने उठाऊंगा।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : रेलवे मंत्री उन अधिकारियों को इन दोनों के लिए क्यों नहीं उत्तरदायी ठहराते हैं जिसकी वजह से इतना अधिक नुकसान हुआ है ।

श्री चे० मु० पुनाचा : कोई दोषी नहीं है ।

Shri Deven Sen: I want to draw the attention of Honourable Minister to the (D) Part of the question in which it is written that Food Corporation had the requisition of covered wagons. But the Honourable Minister has said in his reply that they had the requisition of both closed and open wagons. I want to know the fact. Secondly whether some responsible officer of Railway or Food Corporation is at the Station at the time of wheat loading so that he may see whether the tarpaulins have been used or not. Thirdly this year Haryana has Produced wheat in large scale. I want to know whether there is a big godown of Railway or Food Corporation where there the wheat may be kept. I have come to know that still 30 thousand wheat is destroying.

श्री चे० मु० पुनाचा : जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि भारतीय खाद्य निगम ने बन्द डिब्बों की मांग की थी, जब उन्हें बताया गया कि 15,000—19,000 टन गेहूं प्रति दिन ले जाने के लिये बन्द डिब्बे उपलब्ध नहीं हैं तो वे खुले डिब्बों को प्रयोग मे लाने के लिये सहमत हो गये । भारतीय खाद्य निगम और रेलवे के अधिकारी माल के लदान का निरीक्षण करने के लिये हर लदान स्थान में उपस्थित थे ।

अध्यक्ष महोदय : अनेक सदस्य एक साथ ही खड़े हो जाते हैं । मैं उसी क्रम से सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा जिस क्रम मे नाम प्रश्न सूची में लिखे हैं ।

Shri Shiv Kumar Shastri: The damage of foodgrains due to rains on them is not a new feature. Thousand tons of foodgrains was destroyed last year and such questions were asked at that time also. Some body should be held responsible for it and they should be penalized in order to compensate the loss. May I know whether the Government are taking such steps?

श्री चे० मु० पुनाचा : यदि क्षति किसी व्यक्ति विशेष की गलती के कारण हुई है तो उसके विरुद्ध अवश्य ही कार्यवाही की जायेगी और यदि किसी मामले मे किसी को भी दोषी न ठहराया जा सका तो कार्यवाही किसके विरुद्ध की जाये ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

\+ **लौह-अयस्कों का विकास**

*33. **श्री एस्पोस :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री अनिरुद्धन :

क्या इस्पात, खान और धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लौह-अयस्कों के विकास में सहयोग के लिये अमरीकी और जापानी कम्पनियों के साथ बातचीत पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसा सहयोग मांगने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को ऐसे सहयोग के लिये किसी अन्य देश से भी कोई पेशकश प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा उस पेशकश का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी): (क) और (ख) सम्भवत: यह प्रश्न मैसूर राज्य में कुद्रेमुख के सम्बन्ध में है। सरकार ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा अमरीका की मैसर्ज़ मारकोना कारपोरेशन और तीन जापानी कम्पनियों, अर्थात (1) मित्सूई एण्ड कम्पनी लिमिटेड; (2) ओकुरा ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड और (3) निशो कम्पनी लिमिटेड के तकनीकी सहयोग और वित्तीय साझेदारी के साथ मैसूर में कुद्रेमुख लौह-अयस्क निक्षेपों पर 45 लाख रुपये तक की लागत से सम्भाव्यता अध्ययन और प्रायोगिक संयंत्र जांच किये जाने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। स्वीकृति कुछ प्रतिबन्धों के अधीन है जिनको पूरा करने के लिये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम विदेशी सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहा है।

(ग) क्योंकि देश में निम्न श्रेणी के मेगनेटाईट-क्वार्टिज ईट लौह-अयस्क के विदोहन के प्रयत्न प्रथम बार किये जा रहे हैं, अत: यह आवश्यक होगा कि प्रायोगिक संयंत्र जांचों, धातुकार्मिक आधार सामग्री के अर्थ—निर्धारण, खान तथा संयंत्र के डिज़ाईन, अयस्क की परिवहन प्रणाली और इसके परिष्करण आदि के लिए देश में उपलब्ध जानकारी की विदेशी विशेषज्ञता द्वारा अनपूर्ति की जाये। इस प्रकार की प्रायोजना को हाथ में लेने के लिये विदेशी सहयोग अनिवार्य है।

(घ) जी, नहीं। प्रारम्भ मे केनेडा की ऐन्टीपोड एक्सपलोरेशन कम्पनी ने कुछ रुचि दिखलाई थी जो बाद में कार्य में परिणत न हुई।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस्थोस : सरकार द्वारा लौह-अयस्क उद्योग के विकास हेतु विदेशों से सहायता लेने का कारण हमारी तकनीकी अयोग्यता है अथवा कोई अन्य बात ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : यह मेगनेटाइट अयस्क है जिसमें 30 प्रतिशत लौह-मात्रा है। इसमें परिष्करण की एक नई प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। दूसरे यह भी विचारना है कि इस अयस्क को क्वार्टिजाइट के रूप में पाइरिट्स को ढोया जाये अथवा ठोस टुकड़ों (कन्सेन्ट्रेट्स) के रूप में। चूंकि इस प्रकार का तकनीकी ज्ञान इस देश मे अभी तक उपलब्ध नहीं है इसलिये विदेशों से सहायता ली जा रही है।

श्री एस्थोस : क्या केरल राज्य में कालीकट जैसे स्थानों पर लौह-निक्षेप मिले हैं ? क्या केरल सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि इन स्थानों से लौह-अयस्क निकाला जाये और वहां एक इस्पात का कारखाना स्थापित किया जाये।

श्री प्र० चं० सेठी : यह भूल प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : हमारे सामने एक और समस्या है। अधिक प्रतिशतता वाला लौह-अयस्क जापान आदि अन्य देशों को निर्यात कर दिया जाता है और इससे निम्न-ग्रेड के अयस्क का विदोहन करने वालों के सामने एक समस्या उपस्थित हो गई है। यह लौह अयस्क लोगों के पास

जमा होता जा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिये क्या सरकार परिष्करण की इस प्रक्रिया को आन्ध्र प्रदेश में भी चालू करेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस सम्बन्ध में प्रयोगात्मक अध्ययन किये जा रहे हैं और यदि हमें सफलता मिली तो ऐसे भी स्थानों पर इस प्रकार से परिष्करण किया जायेगा।

श्री क० लक्कप्पा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैसूर राज्य में खनिज निक्षेपों की प्रचुरता है क्या भारत सरकार का इरादा मैसूर राज्य में इस्पात कारखाना स्थापित करने का है। क्या मंत्री महोदय सभा इसका में आश्वासन देंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इस सम्बन्ध में प्रयोगात्मक अध्ययन कर रहे हैं यदि वे अध्ययन लाभप्रद रहे तो हम अवश्य ही ऐसा करेंगे ?

Shri Sitaram Kesari: Sir, May I know the quantity of iron ores exported from Bihar to Japan?

श्री प्र० चं० सेठी : परन्तु यह प्रश्न तो मैसूर राज्य से प्राप्त लौह अयस्क के सम्बन्ध म है ।

श्री नायनार : क्या यह सच है कि हम बड़ी मात्रा में लौह अयस्क जापान को भेज रहे है, जिसमें हमें हानि हो रही है और देश के इस्पात कारखानों–भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर के कारखानों—में हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं ? क्या सरकार केरल में एक इस्पात का कारखाना स्थापित करेगी और लौह अयस्क अधिक मात्रा में प्राप्त करने का यत्न करेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : हमारे देश में लौह अयस्क का कुल उत्पादन 3 करोड़ टन है जिसमें से जापान को 1 करोड़ 40 लाख टन लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। अपने देश के इस्पात कारखानों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। यह ठीक है कि निर्यात में हमें कुछ घाटा होता है परन्तु उससे दुर्लभ विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। दूसरे, चूंकि हमारे यहां लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसलिये उसका अधिक मात्रा में निर्यात करना ही होगा।

श्री अ० श्रीधरन : क्या सरकार ने स्वयं ही यह मान लिया है कि जापान के अतिरिक्त और कोई देश इसमें सहयोग नहीं देगा या उसने अन्य देशों से भी इस बारे में सम्पर्क स्थापित किया है ? क्या यह सच है कि शुरू शुरू में एक कनाडा की फर्म ने इस सम्बन्ध में रुचि ली थी, परन्तु वह बाद में मुकर गई ?

श्री प्र० चं० सेठी : प्रारम्भ में कनाडा की एन्टीपोड्स कम्पनी ने रुचि ली थी, परन्तु बाद में उसने उतनी रुचि नहीं ली। बाद में हमने मारकोना कम्पनी से बातचीत की और उससे सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसमें 25 प्रतिशत हिस्से अमरीका की मारकोना कम्पनी के हैं और 24 प्रतिशत हिस्से तीन जापानी कम्पनियों के। वे मेगनेटाइट अयस्क के उत्पादन और उसके निर्यात के विषय के विशेषज्ञ हैं।

Shri Maharaj Singh Bharati: Is it a fact that our Government are collaborating because of the foreign exchange crisis rather than the necessity of know-how?

Shri P. C. Sethi: Government of India own 51% of its shares while 49% of shares are owned by foreign firms. It is a fact that we will get foreign exchange along with the know-how out of such a collaboration.

श्री नम्बियार : क्या यह सच है कि मद्रास राज्य के सलेम स्थान से प्राप्त और अलौह अयस्क में लौह-मात्रा सर्वाधिक है। सलेम में इस्पात कारखाना स्थापित करने का मामला दीर्घ काल से अधर में लटका हुआ है। क्या सरकार इस बारे सलेम में इस्पात कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में गम्भीर रूप से सोच रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : मूल प्रश्न का सम्बन्ध मैसूर की लौह अयस्क परियोजना से है।

+ **आल इंडिया रेलवेमेंस फैडरेशन की हड़ताल**

34. **श्री नम्बियार :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री नायनार :
श्री अगाड़ी :
श्री सीताराम केसरी :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया रेलवेमैन्स फैडरेशन द्वारा 11 सितम्बर, 1968 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने के निर्णय की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या क्या हैं; और

(ग) विवाद को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी हां।

(ख) फेडरेशन की मांगें एक प्रस्ताव में दी गयी हैं जिसे फेडरेशन की जनरल कौंसिल ने मई, 1968 के अन्त में हरिद्वार में आयोजित एक बैठक में पास किया था। फेडरेशन द्वारा उस प्रस्ताव में रखी गयी 27 मांगों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

आल इंडिया रेलवेमेन्स फैडरेशन द्वारा हड़ताल प्रस्ताव में शामिल की गई मांगों की सूची :

1. निर्वाह व्यय में जो वृद्धि हुई है उसके प्रभाव का पूरा-पूरा निराकरण और कीमतों की वृद्धि रोकने के लिए उपयुक्त और स्वीकार्य उपाय अपनाना।
2. आवश्यकता के अनुरूप न्यूनतम वेतन देना।
3. नैमित्तिक श्रम और 'संविदा श्रम' प्रणालियों को समाप्त करना।
4. आर्थिक सहायता प्राप्त अनाज की दूकानें खोलना।
5. महंगाई भत्ते का वेतन में मिलाया जाना।

6. 'आटोमेशन' के सभी साधनों का वापस लिया जाना ।

7. 50 वर्ष की आयु पर या 25 साल की सेवा पूरी कर लेने पर रेल कर्मचारियों को सेवा निवृत्त करने के सम्बन्ध में सरकार के प्रस्तावों को वापस लेना ।

8. ट्रेड यूनियन एक्ट और भारत के संविधान के अन्तर्गत प्रत्यास्थापन या ट्रेड यूनियन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार, सताये गये रेल कर्मचारियों को फिर से बहाल करना और लिलुआ, गाजियाबाद, मांटूगा कारखानों और टिनेवेल्लि लोको शेड के कर्मचारियों के सेवा-विच्छेद को माफ करना ।

9. चतुर्थ श्रेणी के अकुशल कर्मचारियों को तरक्की का अवसर नहीं मिलता । इसे दूर करने के लिए चतुर्थ श्रेणी के अकुशल कर्मचारियों को, जिन्होंने दस साल सेवा कर ली है तरक्की दी जाये और कुशल वेतनक्रमों में तरक्की देने के उद्देश्य से अर्ध-कुशल कोटियों का पुनर्वर्गीकरण करके बेसिक ट्रेड्समैन और अर्ध-कुशल कर्मचारियों को कुशल कोटियों में तरक्की दी जाय, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को तरक्की देने के लिए एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति और 1949 के आर्टिजन क्लासिफिकेशन एवार्ड की समीक्षा करने के लिए एक नया न्यायाधिकरण नियुक्त करने की आवश्यकता ।

10. कारखानों, लोको शेड, कैरेज और वैगन डिपो, छपाई, बिजली, सिगनल और दूर-संचार, यातायात, इंजीनियरिंग, वाणिज्य और अन्य चालू लाइन स्थापनाओं के कैडर में 50 प्रतिशत पदों का ग्रेड बढ़ाने की व्यवस्था की जाये ताकि स्वर्गीय प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू के आश्वासनों के अनुरूप वेतनमान के मामले में वे सचिवालय कर्मचारियों के समान हो जायें ।

11. चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के सभी कर्मचारियों को नैमित्तिक छुट्टी और समान संख्या में सवेतन अवकाश देना और जब इस तरह के अवकाश के दिनों में कर्मचारियों को काम पर बुलाया जाये तो उनके लिए अतिरिक्त मजदूरी की व्यवस्था ।

12. खर्च में कमी करने के उद्देश्य से अपनाये गये एक पक्षीय उपायों को वापस लेना जिनमें भर्ती और कैडर की खाली जगहों को भरने पर लगाया गया प्रतिबन्ध भी शामिल है ।

13. काम पर आने के समय हस्ताक्षर करने से लेकर काम से वापस जाने के समय हस्ताक्षर करने तक रनिंग कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी की व्यवस्था की जाये ।

14. लोको शेड, कैरज और वैगन डिपो/इंजीनियरिंग वर्कशाप, सिनगल वर्कशाप, कारशेड, टी० एल० शेड आदि में फैक्ट्री एक्ट की व्यवस्था को अमल में लाना; लोको शेड में इस समय जिनको 12 घन्टे की शिफ्ट ड्यूटी दी जाती है, उनका 8 घंटे निरन्तर में पुनर्वर्गीकरण किया जाये और निर्धारित 8 घन्टे से ऊपर काम के लिए समयोपरि भत्ते की व्यवस्था की जाये ।

15. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के समान सेवा-निवृत्ति पास की व्यवस्था ।

16. रनिंग भत्ते की दर और आर० ए० आर० एस० नियमों का पुनरीक्षण ।

17. डाक्टरी परीक्षा में अयोग्य घोषित हो जाने पर रनिंग कर्मचारियों सहित सभी कोटियों के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पदोन्नति सरणि की रक्षा ।

18. सभी अस्थायी पदों को स्थायी बनाना और एक साल की सेवा अथवा एक साल स्थानापन्न सेवा पूरी कर लेने पर सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर देना ।

19. पांच साल के लिए सभी विभागों की मध्यवर्ती कोटियों में सीधी भर्ती और अपरेंटिसों की भर्ती को पूर्णत: रोक दी जाये । दूसरी श्रेणी तक उच्चतर ग्रेड के सभी पद वरिष्ठता के आधार पर नीचे के कर्मचारियों को तरक्की देकर भरे जायें ।

20. आल इण्डिया रेलवेमेन्स फेडरेशन और रेलवे बोर्ड के बीच जिन मुद्दों पर असहमति है और जिनका उल्लेख स्थायी वार्तातन्त्र की कार्रवाइयों में किया गया है, ऐसे सभी मुद्दों पर निर्णय के लिए तुरन्त न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जाये जिसकी स्थायी वार्तातन्त्र में व्यवस्था है ।

21. सीमा क्षेत्र-भत्ते का दिया जाना ।

22. तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी 10 साल से अधिक समय से एक ही ग्रेड में काम कर रहे हैं उन्हें अगले उच्चतर ग्रेडों में जहां कहीं आवश्यक हो, निर्धारित प्रतिशतों के उपरान्त भी अधिवर्षी पद कायम करके तरक्की दे दी जाये ।

23. जो कर्मचारी चलती गाड़ियों में ड्यूटी पर लगाये जाते हैं जैसे टिकट जांचने वाले कर्मचारी, परिचर, सभी टैक्निशियन आदि, उन्हें सभी प्रयोजनों के लिए रनिंग कर्मचारियों के समान माना जाये ।

24. जैसा कि द्वितीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी, कार्यालय कर्मचारियों के लिए शनिवार के दिन केवल आधे दिन काम करने की व्यवस्था की जाये अथवा विकल्प में अन्तरे शनिवार को पूरा अवकाश दिया जाये ।

25. वर्दियों के मान और उनकी शैलियां को पूर्ववत् कर दी जायें ।

26. बदली हुई स्थितियों के अनुरूप काम के घन्टों से सम्बन्धित विनियमों पर फिर विचार करने और उनमें सुधार के उद्देश्य से सिफारिश करने के लिए संयुक्त समिति की नियुक्ति ।

27. रेल कर्मचारियों के जिन विभिन्न कैडरों में एकपक्षीय परिवर्तन कर दिया गया है, उनकी कार्यकारी संख्या के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ववत् कर दिया जाये ।

(ग) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

श्री नम्बियार : हालांकि अखिल भारतीय रेलवे मैन्स फेडरेशन ने धूर्ततापूर्ण ढंग से रेलवे बोर्ड के साथ यह समझौता कर लिया था कि रनिंग स्टाफ और फायरमैन 14 घंटे काम करेंगे फिर भी क्या सरकार इन 27 मांगों पर विचार करते समय अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारियों की इस मांग पर भी विचार करेगी कि ड्राइवरों तथा फायरमैनों के काम के घंटे घटाकर 8 घंटे कर दिये जायें, ताकि रेलवें में होने वाली सामान्य हड़ताल को रोका जा सके ?

श्री परिमल घोष : इन 27 मांगों में कुछ तो ऐसी मांगें हैं जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों की मांगों से मेल खाती हैं अत: उन पर अलग से विचार नहीं किया जायेगा । परन्तु काम के घंटे कम

करने जैसी अन्य मांगों पर विचार किया जा रहा है। कर्मचारी संघों के साथ एक बैठक इस महीने की 11 तारीख को हो चुकी है तथा दूसरी 25 तारीख को होने वाली है। उन में इन सब बातों पर विचार किया जायेगा। 11 जुलाई को हुई बैठक में काम के घंटे कम करने के प्रश्न पर विचार विमर्श हुआ था। फिलहाल यह तय किया गया कि काम के घंटे 14 घंटे तक ही सीमित रखे जायें। इसी विषय पर आगे भी विचार होगा।

श्री नम्बियार : समझौते की शर्तों के अनुसार, जिस मामले पर फैडरेशन और श्रमिक संगठन में मतभेद हो, उसे न्यायाधिकरण को सौंपा जाना चाहिये। क्या सरकार इस मामले को न्यायाधिकरण के समक्ष पेश करेगी, यदि इस पर सरकार स्वयं सहमत नहीं होती ?

श्री परिमल घोष : दो संगठित फैडरेशनों के साथ इन विषयों पर चर्चा की जा रही है। उन के साथ इस बात पर समझौता हो गया है कि जिस मामले पर रेलवे मंत्रालय और फैडरेशन में मतभेद होगा, वह मामला तदर्थ पंचाट के लिये भेज दिया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : रेलवे कर्मचारियों के आधा भूखे रहने की स्थिति में रेलवे-संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो सकता इसीलिये उस में अधिक दुर्घटनायें होती हैं जिस में जन-धन की हानि होती है। इन परिस्थितियों में क्या सरकार जीवन-निर्वाह के खर्च के अनुरूप मंहगाई भत्ता देगी, वेतन संरचना में परिवर्तन करेगी और रेलवे कर्मचारियों के लिये एक पृथक मजूरी बोर्ड नियुक्त करेगी ?

श्री परिमल घोष : माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई दो बातों का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों से भी है। अतः उन पर अलग से निर्णय नहीं किया जा सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न पूछने से पहले मैं आप का ध्यान प्रश्नों की अंग्रेजी और हिन्दी की सूची में लिखे नामों की सूची में विद्यमान असंगति की ओर दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अंग्रेजी की अनुसूची का अनुसरण कीजिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने बताया है कि कुछ मांगे केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों की मांगों के समान ही हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी सरकार को हड़ताल करने की धमकी दी है, यदि मंहगाई भत्ते और न्यूनतम वेतन सम्बन्धी उन की मांगों को पंच-निर्णय के लिये नहीं सौंपा जाता। यदि इन बातचीतों का कोई परिणाम नहीं निकलता तो क्या रेलवे मंत्रालय या रेलवे बोर्ड रेलवे के कर्मचारियों की विशिष्ट शिकायतों पर अलग से विचार करेगी ?

श्री परिमल घोष : उन में अभी बातचीत चल रही है : और इस विषय पर विचार किया जा रहा है। ऐसे परिकल्पित प्रश्नों के उत्तर देना सम्भव नहीं है।

Shri Beni Shankar Sharma: May I know whether it is a fact that 27,000 Station Masters and Asstt. Station Masters have decided to perform their duty on 'work to rule' basis? Why do Government hesitate in at onece accepting such demands as the withdrawal of all means of automation and reducing the hours of duty, etc. which do not involve financial expenditure.

श्री परिमल घोष : इन बातों पर विचार किया जा रहा है और जिन बातों पर फैसला न हो सकेगा उन्हें तदर्थ पंचनिर्णय के लिये सौंप दिया जायेगा।

श्री नायनार : क्या रेलवे कर्मचारियों को भत्ता जीवन-निर्वाह-खर्च के अनुरूप दिया जायेगा ?

श्री परिमल घोष : इस का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से भी है इसलिये इस का निर्णय उसी स्तर पर किया जायेगा ।

Shri Sita Ram Kesari: I want an assurance from the Minister to the effect that if negotiations fail, the points of difference will be referred to some tribunal.

श्री परिमल घोष : मैं पहले ही कह चुका हूं कि जिन बातों पर समझौता होगा उन्हें लागू किया जायेगा और जिन पर समझौता नहीं हो सकेगा, उन्हें न्यायाधिकरण को सौंप दिया जायेगा ।

Shri Ramavtar Shastri: Besides the Railwaymen's Federation there are one dozen unrecognized workers' Unions in Railways. So, may I know whether the Minister will invite the representatives of those unrecognized Unions also to the negotiation table so that such a permanent solution may be found out, as will satisfy all the Unions of Workers.?

श्री परिमल घोष : मान्यता प्राप्त तथा अमान्य श्रमिक संघों द्वारा की सब मांगें समान हैं। जिस मांगों की सूची पर विचार किया जा रहा है, उस में वे सभी मांगें सम्मिलित हैं । अतः उन से अलग से बात करने की कोई तुक नहीं है ।

डा० मैत्रेयी बसु : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन बातों को मंत्री ने विचाराधीन बताया है, क्या उन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है अथवा निश्चेष्ट रूप से, क्योंकि सक्रिय विचार करने का अर्थ है दो वर्ष का समय तथा निश्चेष्ट रूप से विचार करने से तात्पर्य है 10 वर्ष का समय ।

अध्यक्ष महोदय : अत्याधिक सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : सितम्बर, में होने वाली हड़ताल न केवल रेलवे कर्मचारियों द्वारा की जायेगी बल्कि उसे $3\frac{1}{2}$ लाख प्रतिरक्षा कर्मचारियों तथा 27 लाख केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा 15 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त है । दूसरे, अब संयुक्त परामर्श मशीनरी भी समाप्त हो चुकी है । ऐसी स्थिति में क्या माननीय मंत्री ने वित्त मंत्री को यह सलाह दी है कि वह इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन बुलायें और हड़ताल को बातचीत के आधार पर टालें ?

श्री परिमल घोष : संयुक्त परामर्श समिति अभी तक अस्तित्व में है और इस विषय पर उस की शीघ्र ही बैठक होने वाली है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री स्तर पर इस सम्बन्ध में कोई विचार विमर्श हुआ है ।

श्री परिमल घोष : जी, नहीं । अभी तक ऐसी अवस्था उत्पन्न नहीं हुई है ।

श्री शिवा जी राव शं० देशमुख: क्या रेलवे में मैनेजर से ले कर फायरमैन तक का वेतन गाड़ियों के ठीक समय पर चलने से सम्बद्ध किया जायेगा । जितनी गाड़ियां देर से चलें उसी अनुपात में उन का वेतन मान कम कर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इस का वे क्या उत्तर देंगे । पहले तो वह कहेंगे कि गाड़ियां ठीक समय पर नहीं चलती और फिर कहेंगे कि इस व्यवस्था में सुधार किया जायेगा ।

श्री लोबो प्रभु : क्या इन 27 प्रस्तावों के आर्थिक पहलू पर भी विचार किया गया है ? क्या यह उचित होगा कि 13 लाख रेलवे कर्मचारियों के वेतन आदि को, 1 करोड़ 60 लाख लोगों पर भार

डाल कर बढ़ाया जाये जो रेलवे का उपयोग करते हैं, या 60 लाख सरकारी कर्मचारियों को शेष जनता पर कर भार बढ़ा कर सुविधा दी जाये ?

श्री परिमल घोष : संयुक्त परामर्शदात्री समिति में ऐसी बात पर गहन विचार किया जा रहा है ।

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या रेलवे संघ के सम्पूर्ण भारत में काम करने वाले वाणिज्यक क्लर्कों की विभागीय पदोन्नति के अवसर और बढ़े हुए काम के अनुपात में उन की संख्या बढ़ाये जाने सम्बन्धी मांगों पर भी विचार किया है ?

श्री परिमल घोष : यह प्रश्न भी विचाराधीन है ।

श्रीमती इन्द्रपाल चौधरी : रेलवे की विद्युतीकरण परियोजनाओं के समाप्त होने पर भारी संख्या में कारीगर बेकार हो जायेंगे । उन्हें अन्य परियोजनाओं में काम देने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

श्री परिमल घोष : यह समस्या नैयेक्तिक कर्मचारियों की है । वस्तुत: रेलवे के समक्ष यह समस्या है ।

Shri S. M. Joshi: There is a clause of arbitration in the agreement of J.C.M. May I know the reason why Government is not going to implement the same now?

रेलवे मंत्री श्री चे० मु० पुनाचा : जिस मूल प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं, वह रेलवे कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त फेडरेशनों द्वारा की गई मांगों से सम्बद्ध है । उन मांगों में से कुछ मांगें तो ऐसी हैं जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों की मांगों से मिलती जुलती हैं और ऐसी मांगों पर उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है । जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है ; इस सम्बन्ध में हम ने इस महीने की 11 तारीख को बातचीत की थी और विचार विमर्श का दूसरा दौर 25 तारीख को चलेगा । हम यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन मांगों को किस हद तक माना जा सकता है । इस सम्बन्ध में निर्णय हो जाने के पश्चात् अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी । । अन्य बातों के सम्बन्ध में सीधा उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

श्री नाथ पाई : क्या यह सच है क विभिन्न स्तरों पर जो बातचीत चल रही थी वह सरकार के कठोर रुख के कारण अवरुद्ध हो गई है ? रेलवे कर्मचारियों की उचित मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है । क्योंकि ये ही वे व्यक्ति हैं जो वस्तुत: रेलवे व्यवस्था को बनाये हुए हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मेरे विचार से श्री नाथपाई ने कोई बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न नहीं किया है । वास्तव में गाड़ियों का चलना रेलवे कर्मचारियों पर ही निर्भर होता है । इसीलिये हम उनके साथ समझौता करने के लिये बातचीत कर रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

संयुक्त अरब गणराज्य से व्यापार प्रतिनिधि मण्डल

†35. **श्री अंडुवेजियान :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में संयुक्त अरब गणराज्य से एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा हुई और दोनों देशों के बीच व्यापार के बढ़ने की क्या कहां तक सम्भावना है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत, संयुक्त अरब गणराज्य और युगोस्लाविया के बीच गत अप्रैल में आर्थिक सहयोग के बारे में एक त्रिदेशीय करार हुआ था;

(घ) क्या दोनों सरकारें इस बारे में सहमत हैं कि उसे क्रियान्वित करने में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे क्रियान्वित करने के लिये किन उपायों की सिफारिश की गई है ?

वाणिज्य मंत्री श्री दिनेश सिंह : (क) जी, हां ।

(ख) सं० अ० गणराज्य तथा भारतीय प्रतिनिधि-मंडलों ने 1968–69 के लिये भारत सं० अ० गणराज्य व्यापार करार को अन्तिम रूप दिया । इस में दोनों देशों के बीच लगभग 64 करोड़ रु० के व्यापार--विनिमय की व्यवस्था है । दोनों देशों के बीच और अधिक घनिष्ठ औद्योगिक सहयोग पर भी बातचीत की गई ।

(ग) व्यापार-विस्तार तथा आर्थिक सहयोग सम्बन्धी भारत-सं० अ० गणराज्य - यूगोस्लाविया करार पर दिसम्बर, 1967 में हस्ताक्षर किये गये थे और वह 1 अप्रैल, 1968 से लागू हो गया ।

(घ) और (ङ) तीनों देशों के माल के लिये एक-दूसरे के बाजारों में व्यापारिक स्थिति में सुधार करने में सुनिश्चित परिणाम निकले हैं । औद्योगिक सहयोग के निमित्त ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिये अब उपाय किये जा रहे हैं ।

रेल दुर्घटनायें

*36. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात का पता लगाने के लिये पश्चात् कि "गाड़ी निकास" सम्बन्धी नियमों का पालन करने में रेलवे परिचालन कर्मचारियों की ढील ढाल के कारण रेल दुर्घटनायें होती रहती हैं सरकार ने

(एक) "गाड़ी निकास" सम्बन्धी नियमों का पालन करने में कर्मचारियों को उत्साहित करने (दो) दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने तथा (तीन) गलती करने वाले कर्मचारियों को दंड देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) कुछ संसद्-सदस्यों की एक विशेष बैठक में जो 8 जुलाई, 1968 को होनी थी क्या कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया था; और

(ग) क्या यह सच है कि दुर्घटनायें असंतुष्ट रेलवे कर्मचारियों द्वारा जानबूझ कर कराई जाती हैं ?

विवरण

(क) (1) संरक्षा अभियान जिसका विषय प्रमुखत: शैक्षणिक है और भी तेज कर दिया गया है ताकि कर्मचारियों को न केवल निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का ज्ञान हो बल्कि उन्हें क्रियान्वित करने और यथावत उनका पालन करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता से अवगत कराया जाये। संरक्षा संगठन उपलब्ध श्रव्य-दृश्य माध्यम का विस्तृत उपयोग करने के अलावा परिचालक कोटियो में अलग-अलग व्यक्तियों के आधार पर कर्मचारियों को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए सम्पर्क स्थापित करता है। निरीक्षणों, अचानक निरीक्षणों और स्थान विशेष पर जांच के कामों को तेज कर दिया गया है ताकि कर्मचारी केवल नियमानुसार काम करें और जल्दबाजी के तरीके न अपनायें। पूर्ण रूप से प्रारम्भिक प्रशिक्षण के अलावा कर्मचारियों को आवधिक रूप से पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे विभिन्न नियमों की पृष्ठभूमि और उनका पालन न करने से उनसे होने वाले खतरों को समझते हैं।

(2) और (3) भारतीय रेल अधिनियम में ही दण्डात्मक और जांच पड़ताल दोनों तरह के पर्याप्त सांविधिक उपबन्ध हैं। भारतीय रेल अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत दुर्घटनाओं के होने पर रेलवे संरक्षा के अपर आयुक्त जो कि अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत रेलों के निरीक्षक नियुक्त किये जाते हैं, और मजिस्ट्रेटों, पुलिस और रेलवे अधिकारियों को अधिसूचित किया जाता है। दुर्घटनाओं के प्रकार के अनुसार उनसे सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा सभी दुर्घटनाओं की जांच की जाती है ताकि उनके कारण निश्चित किये जायें और उसी तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए उपचारात्मक उपाय किये जायें। दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी ठहराये गये व्यक्तियों को दण्ड देने के अलावा दुर्घटनाओं की जांच के मुख्य उद्देश्यों में एक यह है कि किसी विशेष दुर्घटना के तात्कालिक और पूर्ववर्ती दोनों ही कारणों को देखा जाये ताकि उसी ढंग की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक उपाय किये जा सकें जिनके सम्बन्ध में जांच की रिपोर्टों की परीक्षा की जाती है और जिस सीमा तक आवश्यक समझा जाता है क्रियान्वित कया जाता है। इसके अलावा दुर्घटनाओं के रूझान की लगातार समीक्षा की जाती है और जैसा आवश्यक हो, आवश्यक निरोधक उपाय शुरू किये जाते हैं। प्रारम्भिक अन्तर्पाश से लेकर स्वचालित ट्रेन कन्ट्रोल तक के तकनीकी उपकरण रेल

चलाने के उपयोग में लाये जा रहे हैं (यातायात के घनत्व गौर गति और धन उपलब्ध होने पर निर्भर है) ताकि कर्मचारियों को कर्तव्यपालन और उनकी खराबियों से बचने में सहायता मिले। अपराधी कर्मचारियों को न केवल दण्ड दिया जाता है बल्कि जो कर्मचारी दुर्घटनाएं रोकने में विशेष सतर्कता और चैतन्यता दिखलाते हैं उन्हें उचित पुरस्कार भी दिया जाता है। अनुशासन और अपील प्रक्रिया के सम्बन्ध में वैधानिक उपबन्धों के अन्तर्गत कर्मचारियों को तुरन्त और निवारक दण्ड देने का पूरा प्रयास किया जाता है।

(ख) जो बैठक 8 जुलाई, को होनी थी वास्तव में वह बैठक 20 जुलाई को हुई। इस बैठक में अन्य मामलों के साथ साथ गाड़ियों की दुर्घटनाओं के कारण के रूप में कर्मचारियों से होने वाली गलतियों की समस्या को सुलझाने के लिए की जाने वाली कार्यवाई पर भी प्रारम्भिक विचार विमर्श हुआ। रेल कर्मचारियों में अनुशासन की जरूरत काम और आराम के घंटों से सम्बन्धित नियम, यूनियनों की गतिविधियों जैसे विभिन्न मददों पर विचार-विमर्श हुआ। इस विषय पर नोट के परिपत्रित किये जाने के बाद यह विनिश्चय किया गया कि दूसरी बैठक बुलायी जाय जिस में पूर्ण रूप से विचार-विमर्श किया जा सके।

(ग) जी नहीं।

कूपर एलन कारखाना

*37. **श्री गणेश घोष :** **श्री चक्रपाणि :**
श्री अब्राहम : **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के प्रबन्धक कूपर एलन कारखाने को बेचने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कूपर एलन कारखाने किस कम्पनी को बेचे जा रहे हैं तथा किन शर्तों पर ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद : (क) और (ग) 28 जून, 1968 को की गई ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन की गत वार्षिक साधारण बैठक में, हिस्सेदारियों ने, कम्पनी की कूपर एलन ब्रांच तथा नार्थ वैस्ट टैनरी ब्रांच को वर्तमान सम्बद्ध से कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत समाविष्ट होने के लिये, "कूपर एलन एण्ड नार्थ वेस्ट टैनरी लिमिटेड" नाम तथा शैली के अन्तर्गत, एक प्रस्तावित कम्पनी में बदलने अथवा बेचने का अनुमोदन करते व साथ साथ यह शर्तें लगाते हुये एक संकल्प पारित किया था, कि :—

(क) कम्पनी की कूपर एलन ब्रांच तथा नार्थ वैस्ट टैनरी ब्रांच से सम्बन्धित, अचर परिसम्पत्ति, फरनीचर, गाड़ियां आदि का नई कम्पनी को (पंजीकृत होने को प्रस्तावित) बिक्री अथवा अन्तरण पर इन दोनों ऊपर कथित उपक्रमों से सम्बन्धित कर्मचारियों तथा कामगारों कर्मचारी वृन्द के मिलियन तथा धारणा अथवा नौकरी के सम्बन्ध में, नई कम्पनी द्वारा देयता को ग्रहण करने पर, विचार किया जायेगा।

(ख) उपरोक्त दोनों उपक्रमों से सम्बन्धित, प्रक्रिया में लगा माल, स्टोर्स, तथा फालतू पुर्जों की अथवा अन्तिम बिक्री अथवा अन्तरण के आंशिक प्रतिफल की पूर्ति के लिये, (जिनका मूल्य लेखा निरीक्षकों द्वारा, जैसा कि समझौते में दिया गया है निर्धारित किया जायेगा) नई कम्पनी, कम्पनी को, 10 रु० प्रति शेयर के 2,50,000 इक्विटी शेयर, (कुछ समय के लिये इसकी पूर्ण अभिदत्त पूंजी) सममूल्य पर एकत्रित नई कम्पनी की पूंजी से पूर्ण प्रदत्त, नियत करेगी।

(ख) जैसा कि दिनांक 25 मई, 1968 की निदेशकों की रिपोर्ट में कहा गया है कूपर एलन ब्रांच, तथा नार्थ वैस्ट टैनरी ब्रांच द्वारा उठाई गई लगातार हानियों की दृष्टि से, तथा उस प्रभाव की दृष्टि से, जो इन हानियों के कारण सम्पूर्ण ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के ऊपर पड़ा, निदेशकों ने निर्णय किया कि यह ब्रांचें अपने वर्तमान रूप में नहीं चलाई जा सकतीं।

जूतों का निर्यात

*39. **श्री एस० पी० राममूर्ति :**
श्री धीरेन्द्र गाथ देव : -
श्री कृ० मा० कौसिक :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में (वर्षवार) रुपये में भुगतान वाले देशों को कुल कितने जूतों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि भारत सरकार द्वारा निर्यात किये जाने वाले जूतों की कम कीमत के लिये देश में चमड़े के जूतों का निर्माण करने वाले अलाभप्रद छोटे कारखाने उत्तरदायी हैं ;

(ग) क्या हमारा निर्यात धीरे-धीरे कम होता जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या जूतों के निर्यात को बढ़ाने के लिये राज्य व्यापार निगम ने कोई प्रयत्न किये हैं ताकि हमारी विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि हो सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) (जोड़ो के आंकड़े लाख में)

1963–64	5.91
1964–65	5.71
1965–66	6.03
1966–67	12.61
1967–68	12 30

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) राज्य व्यापार निगम विदेश में विभिन्न स्थानों को जिनमें रुपये में भुगतान वाले देश भी शामिल हैं, जूतों का निर्यात् करने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील हैं।

रेल दुर्घटनायें

*39. **श्री रा० कृ० सिंह :** **श्री रवि राय :**
श्री हेमराज : **श्री श्रीधरन :**
श्री श० न० माइती : **श्री व० वा० राजू :**
श्री स० कुण्डू : **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री काशी नाथ पाण्डेय :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल : **श्री नाथू राम अहिरवार :**

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून 1968 तक की अवधि में क्षेत्र-वार कितनी दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) कितने व्यक्ति मारे गये और कितने व्यक्ति घायल हुए और उक्त अवधि में इनसे कितनी रेलवे सम्पत्ति की क्षति हुई;

(ग) 1966 और 1967 की उसी अवधि में कितनी दुर्घटनायें हुईं, कितने व्यक्त मारे गये और कितने घायल हुए तथा इसके फलस्वरूप रेलवे सम्पत्ति को कितनी क्षति हुई; और

(घ) क्या इस बात को देखते हुए दुर्घटनायें जल्दी जल्दी हो रही हैं, सरकार का विचार जांच निकाय से यह कहने का है कि इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निरोधात्मक उपायों के बारे में अन्तरिम प्रतिवेदन पेश करें ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। (पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी 1367/68)

(घ) भाग (क) से (ग) में जिस विवरण का जिक्र है उसमें बतायी गयी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक नहीं समझा जाता ।

छोटी कार का निर्माण

*40. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**
श्री म० ला० सोंधी : **श्री नारायण रेड्डी :**
श्री वासुदेवन नायर : **श्री जुगल मंडल :**
श्री देवराव पाटिल : **श्री मु० न० नाधनूर :**
श्री नन्दकुमार सोमानी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में छोटी कार का निर्माण आरम्भ करने सम्बन्धी प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर इस बीच विचार कर लिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस विषय पर कोई निर्णय किया है;

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार कब तक इस विषय पर निर्णय कर लेगी;

(घ) कारों का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य क्या होगा तथा कार का मूल्य क्या होगा; और

(ङ) क्या यह परियोजना सरकारी क्षेत्र में होगी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) अभी, नहीं ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में छोटी कार परियोजना के लिए साधनों की उपलब्धि का सुनिश्चय योजना आयोग से किया जा रहा है । आयोग के विचार प्राप्त हो जाने पर प्रस्ताव के अन्य पहलुओं पर विचार किया जायगा । इस अवस्था में यह बता सकना कठिन है कि इस पर कब तक निर्णय कर लिया जायगा ।

(घ) और (ङ). इन पहलुओं पर परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय कर लेने के पश्चात् विचार किया जायगा ।

Pace of Industrial Progress

*41. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state.

(a) whether it is a fact that the pace of Industrial Progress in the country during 1966 was 2.6 percent and in 1967 it came down to 1.4 percent;

(b) the percentage thereof during 1968 so far; and

(c) the steps taken by Government to improve the situation?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed): (a) Yes Sir, The pace of industrial progress is usually indicated by the Index of Industrial Production. The General Index of Industrial Production, with 1956 as the base, shows that the growth rate during 1966 was 2.4 per cent which came down to 1.5 per cent in 1967.

(b) According to the new series of index of industrial production with 1960 as the base, 4.2 per cent overall increase is noticed during the quarter ending March, 1968 over the 1967 level.

(c) Government have taken several steps which would improve the performance of industries. Important among these are advance placement of orders on private firms by the public sector, particularly by the Railways; selective credit measures for reviving home demand, especially for engineering products; relaxation of controls on industry; and renewed emphasis on export promotion.

रानीगुण्टा स्टेशन पर दुर्घटना

*42. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री प० गोपालन :**
[श्री रा० रा० सिंह देव :] **श्री न० कु० सांघी :**
[श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 मई, 1968 को रानीगुण्टा रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर एक गम्भीर दुर्घटना हुई थी और इसके फलस्वरूप कई व्यक्ति मारे गये थे और कई व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(ग) रेलवे सम्पत्ति को कुल कितनी क्षति हुई थी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की विधिक जांच की है । उनके अन्तिम निष्कर्ष के अनुसार दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती से हुई ।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 1,06,500 रुपये की क्षति होने का अनुमान है ।

रेलवे को सप्लाई किये जाने वाले कोयले के मूल्यों में वृद्धि

*43. **श्री यशपाल सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी कोयला खान मालिकों ने फिर धमकी दी है कि यदि कोयले के मूल्य नहीं बढ़ाये जाते तो वे रेलवे को कोयले की सप्लाई बन्द कर देंगे ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन खान मालिकों की चुनौती का सामना करने के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

निगमित क्षेत्र को वित्तीय सहायता

*44. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1965–66 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन, इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया और इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया द्वारा निगमित क्षेत्र को दी गयी वित्तीय सहायता के लगभग पांचवें भाग को 9 व्यापार ग्रहों ने एकत्र कर रखा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है जिससे वित्तीय निकायों से सहायता एकाधिकार गृहों में एकत्र न हो सके ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हैवी इंजीनियरी प्लांट, रांची

*45. **श्री विश्वनाथ मेनन :**

श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची के अधिकारियों ने रूसी विशेषज्ञों के दल द्वारा हैवी इंजीनियरिंग प्लान्ट, रांची के सम्बन्ध में दी गई रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक पहलू पर अधिकारियों द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं ;

(ग) उन सिफारिशों पर क्या निर्णय किये गये हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है और इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें सोवियत विशेषज्ञ दल द्वारा की गई सफिारिशों और उन पर अब तक की गई कार्रवाई दिखाई गई है । (पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1368 68)

(घ) प्रश्न ही नही उठता ।

Dearth of Tyres

*46. **Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to dearth of tyres in the country, tyres are not selling n the open market;

(b) if so, the action taken for remedying the situation;

(c) whether tyre manufacturers have submitted any scheme to Government in this regard; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) : (a) Some complaints have been received about the non-availability of certain categories of automobile tyres at reasonable prices.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

The following steps have been taken to increase the availability of tyres:—

(1) A number of meetings were held with the tyre manufacturers wherein they have been advised to step up the production of tyres to the maximum possible extent. They have also been assured of Government's assistance in respect of import of tyre moulds and other balancing equipment for the purpose. Some of the tyre units have already received licences for the import of such equipment.

(2) Scooter and tractor manufcturers have been permitted to import scooter tyres and tubes to cover their requirements for about three months production.

(3) The automobile tyres and tubes industry has been removed from the banned list with a view to encouraging the establishment of further capacity for the manufacture of tyres and tubes. Steps are now being taken to approve additional capacity shortly.

(4) There was a prolonged strike for about 10 months during 1967-68 in the Firestone Factory at Bombay, which account for nearly 25% of the total tyre production in the country, resulting in acute shortage of various types of tyres and tubes. The company has resumed normal production from April this year and it is esxpected that this will considerably ease the position.

(c) and (d). No, Sir. The tyre industry has indicated its willingness to meet the tyre requirements of Vehicle manufacturers during 1968 to the full extent except certain categories of scooter, truck and tractor tyres, in respect of which it may be necessary to meet the shortages by imports.

नेफा में कोबाल्ट अयस्क

*47. **श्री समर गुह :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेफा के इलाकों में कोबाल्ट अयस्क का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो किस किस्म का और कितना अयस्क मिला है ;

(ग) क्या मैटालिक कोबाल्ट निकालने के लिये कोबाल्ट अयस्क का विदोहन किया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो नेफा के इलाके में कोबाल्ट अयस्क के मिल जाने के परिणाम स्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी; और

(ङ) इस क्षेत्र में कोबाल्ट अयस्क निकलाने का काम कब और किस प्रकार शुरू किया जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। सुबानसिरि जिले में पोटिन गांव के निकट कोबाल्ट अयस्क खनिजों का पता लगा है।

(ख) खनिजों की प्रकृति और यात्रा का निर्माण करने के लिये, भारतीय भुविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा 1968–69 वर्ष के दौरान अन्वेषण किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) से (ङ). इस समय प्रश्न नहीं उठता।

कोयले के दाम

*48. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री वि० कु० मोडक :
श्री भगवान दास :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों के मालिक रेलवे और अन्य थोक उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले कोयले के लिये ऊंचे दाम मांग रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) रेलवे विभाग ने चुनी हुई श्रेणियों के कोयलों के लिये 2 रुपये प्रति मैट्रिक टन तथा श्रेणी एक के कोयलों के लिये 1 रुपया प्रति मैट्रिक टन की मूल्य वृद्धियां मान ली हैं। इस्पात संयंत्रों, कोयला धावनशालाओं और कोकरीज़ को दिये जा रहे कोकिंग कोयले के संबंध में 1.75 रुपये प्रति मैट्रिक टन की मूल्य-वृद्धि मान ली गई है। इसके अतिरिक्त 0.75 रुपये प्रति मैट्रिक टन प्रतिचयन की विधि का आपस में सन्तोषजनक रूप से समाधान हो जाने पर देय होंगे।

रेलवे बोर्ड में आई० सी० एस० अफसर

*49. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे दुर्घटनायें बहुत होने के कारण उन्होंने रेलवे प्रशासन में सुधार करने का प्रयत्न किया है और सुझाव दिया है कि रेलवे बोर्ड में आई० सी० एस० अफसर उच्च पदों पर नियुक्त किए जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में उन्हें कितनी सफलता मिली है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अलौहधातु उद्योग में संकट

*50. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलौह धातु उद्योग, जो लगभग पूर्णतः आयातित सामग्री पर निर्भर है, की 50 प्रतिशत से अधिक क्षमता बेकार पड़ी है और उसे गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) 1965-66 से प्रत्येक वर्ष में कितनी क्षमता बेकार रही और ऐसे प्रत्येक वर्ष में उस उद्योग की क्षमता के लिये कितना नियतन किया गया; और

(घ) अलौह-धातु उद्योग की स्थापित क्षमता कम से कम इस वर्ष के दौरान पूर्णतः उपयोग में आ सके इसे सुनिश्चत करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). प्राकृत अलौह धातुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में आयतित कच्चे माल की कमी के कारण कोई बेकार क्षमता या संकट नहीं है। तथापि अलौह सैमीज़ और मिश्रित धातुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में कुछ बेकार क्षमता है क्योंकि वह मुख्यतः तांबा, जस्ता, सीसा, कलई और निकल आदि

आयातित प्राकृत धातुओं पर आधारित है। यह उद्योग 'गैर-प्राथमिकता" क्षेत्र में है और विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति के कारण "गैर-प्राथमिकता" क्षेत्र की अलौह-धातुओं सहित आयातित कच्चे माल की आवश्यकताओं की पूर्णतया पूर्ति करना संभव नहीं हो सका है ।

(ग) अलौह धातु सैमीज़ और मिश्रित धातुओं के उत्पादन करने वाले एककों के विषय में 1965-66 से लगाकर बेकार क्षमता के पक्के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

तथापि, महानिदेशालय, तकनीकी विकास, में पंजीकृत एककों के बारे में कच्चे तौर पर यह अनुमान लगाया है कि इन वर्षों में बेकार क्षमता लगभग 60 प्रतिशत थी । "गैर-प्राथमिकता" क्षेत्र के एंककों को अलौह धातुओं के आयात के लिये नियत की गई विदेशी मुद्रा के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं । उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है ।

1965-66 वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा की स्थिति अत्यन्त गम्भीर थी और प्राथमिकता और गैर-प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के द्वारा अलौह धातुओं के आयात के लिये केवल 4.52 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई थी । गैर-प्राथमिकता उद्योगों के लिए ब्रोट-आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । 1966-67 वर्ष के दौरान, महानिदेशालय, तकनीकी विकास, में पंजीकृत अलौह सैमीज़ उत्पादकों के लिये 10.52 करोड़ रुपये नियत किये गये थे । लघु उद्योग क्षेत्र के अलौह सैमीज़ उत्पादकों को दी गई राशि के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं । 1967-68 वर्ष के दौरान गैर-प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 10.26 करोड़ रुपये की राशि खनिज तथा धातु व्यापार निगम को सौंपी गई थी ।

(घ) विदेशी मुद्रा की लगातार कठिन स्थिति के कारण अलौह धात सैमीज़ और मिश्रित धातु उद्योगों में अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करना कठिन है । तथापि इन एककों को इस बात की अनुमति दे दी गई है कि वे अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अधिकतर उपयोग की दृष्टि से जहां कहीं सम्भव हो, अपने उत्पादन में विभिन्नता ला सकते हैं ।

मैसर्स अमीचन्द प्यारे लाल

*51. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स अमीचन्द प्यारे लाल ने अपने मामले जांच के सुपुर्द किये जाने के बाद नई फर्मों की स्थापना कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा स्थापित फर्मों के नाम क्या हैं; और

(ग) मैसर्स अमीचन्द प्यारे लाल को नयी फर्में स्थापित करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

कपड़े पर से नियन्त्रण हटाना

*52. श्री य० अ० प्रसाद :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री प० गोपालन :
श्री न० कु० सांघी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा उद्योग ने कपड़े पर से पूरी तरह नियंत्रण हटाने की प्रार्थना की है ताकि इस उद्योग में इस समय विद्यमान समस्याओं को हल किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) नई कपड़ा नियंत्रण नीति की घोषणा के बाद ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन

*53. श्री यज्ञ दत्त शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा प्रस्तावित पुनर्गठन योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसर्स भारत बैरल का नाम काली सूची में लिखा जाना

*54. श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 6 मई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1647 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली सूची संहिता के मार्गदर्शक सिद्धान्त मैसर्स भारत बैरल का नाम काली सूची में लिखने के मामले पर भी लागू होते हैं;

(ख) क्या सजा देने के निचले न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा उस को दोष मुक्त कर देने पर भी उस का नाम काली सूची में लिखे जाने से सम्बन्धित आदेशों को रद्द नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो काली सूची वाले आदेश को रद्द करने में अत्यधिक देर करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) फर्म को दोषमुक्त करने वाले बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य द्वारा की गई अपील उच्चतम न्यायालय में विचारार्थ पड़ी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला किए जाने तक फर्मों को काली सूची में रखने का आर्डर हटाया नहीं गया है। परन्तु फर्म की एक याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार बलैकलिस्ट करने वाले आर्डरों को 23-6-66 से टाल दिया गया है।

अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड

*55. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री 16 अप्रैल, 1968 में तारांकित प्रश्न संख्या 1253 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बिहार-विधान-मंडल की लोक लेखा समिति ने अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड को सरकार द्वारा तुरन्त अपने हाथ में लिये जाने पर जोर दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने बिहार सरकार से पूछा है कि वह किन कारणों से मिल को अपने हाथ में नहीं ले सकी है;

(ग) क्या सरकार ने बिहार सरकार को यह बात बता दी है कि उस मिल के प्रबन्ध को हाथ में लेने और उसे चलाने के लिये वह बिहार सरकार को अपेक्षित ऋण देने को तयार है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि बिड़ला और डालमिया जैन कम्पनियां मिल के परिसमापन के लिये बिहार सरकार पर दबाव डाल रही हैं; और

(ङ) क्या सरकार मिल को अपने हाथ में लेना चाहती है और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हमें ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) सरकार को ऐसी कोई भी सूचना नहीं है।

(ङ) जी, नहीं। यह परियोजना वर्तमान परिस्थितियो में आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं समझी गई है।

इस्पात का आयात

*56. **श्री मधु लिमये** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका द्वारा सरकार को उपलब्ध किये गये धन से इस्पात मंत्रालय ने वर्ष 1950 में विदेशों से भारी मात्रा में इस्पात खरीदा था;

(ख) क्या टेंडर मांगे बिना सरकार की ओर से इस्पात का आयात करने के लिये कुछ समवायों को चुपके से कहा गया था ;

(ग) इस प्रकार इस्पात की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया तथा आयात करने वाले समवायों के नाम क्या हैं और प्रति टन कितना मूल्य दिया गया ;

(घ) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है । कि उस समय के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या थे तथा सरकार की अनुमति से अथवा सरकार की अनुमति के बिना इन समवायों द्वारा इस प्रकार आयात किये गये इस्पात के लिये क्या मूल्य दिये गये;

(ङ) यदि हां, तो क्या किसी विषमता का पता चला है; और

(च) यदि कोई जांच नहीं की गई है तो इस के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं । सहायता–ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार सभी माल विश्व टेण्डरों से खरीदा गया ।

(ग) से (च) . प्रश्न नहीं उठते ।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में रेलवे पटरी पर बम विस्फोट

*57. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाशीमारा क्षेत्र के निकट टोर्सा रेलवे बांध पर पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कुछ मजदूर जब वे 14 जून, 1968 को रेलवे पटरी साफ कर रहे थे, बम विस्फोट में मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा तोड़फोड़ का मामला है;

(ग) क्या पुलिस ने जांच के लिये बम के टुकड़ों को सम्भाल लिया है ;

(घ) क्या ये बम देशी अथवा विदेशी हैं; और

(ङ) उस क्षेत्र में रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) जी हां । अलीपुरद्वार-सिलीगुड़ी खण्ड पर मदारीहाट और हाशीमारा स्टेशनों के बीच मुख्य लाइन से 16,500 फुट की दूरी पर टोर्सा नदी के बचाव बांध की साइडिंग लाइन पर जंगल साफ करने के लिये इंजीनियरिंग विभाग के जिन 6 खलासियों को नियुक्त किया गया था, उन में से 4 विस्फोट के कारण मारे गये ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) विस्फोटक का कोई टुकड़ा नहीं मिल सका । विस्फोटक का कोई भाग न रहने के कारण यह कहना सम्भव नहीं है कि बम्ब देशी थे या बाहर के बने हुए थे ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कूपर एलन कारखाना

*58. **श्री स० कु० तापडिया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध सामग्री के उत्पादन के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय का विचार ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन लिमिटेड के कुछ कारखानों को, विशेषकर कूपर एलन कारखाने को, अपने हाथ में लेने का था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) प्रतिरक्षा मंत्रालय से, ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन के कूपर एलन यूनिट को अपने अधिकार में लेने के लिये कोई ऐसा प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औद्योगिक लाइसेंस नीति

*59. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लाइसेंस नीति में 1956 से कितने संशोधन किये गये हैं और इस अवधि में क्या-क्या संशोधन प्रस्तुत किये गये थे;

(ख) कौन-कौन से संशोधन एक बार प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् वापस ले लिये गये थे तथा कुछ समय के बाद उन को वापस ले लिये जाने के क्या कारण थे;

(ग) 1956 की औद्योगिक लाइसेंस नीति का इस समय तुलनात्मक स्वरूप क्या है;

(घ) क्या इस नीति के कारण एकाधिकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है । लाइसेंसिंग नीति में जो औद्योगिक नीति संकल्प के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है देश के सुनियोजित औद्योगीकरण की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए समय-समय पर परिवर्तन किए जाते हैं । लाइसेंस नीति में किए गए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन विवरण में दिए गए हैं जिस की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है ।

विवरण

1. फरवरी, 1960 में उन औद्योगिक उपक्रमों को जिन की अचल आस्तियां (उदाहरण के लिए भूमि, इमारतों और मशीनों में विनियोजन) दस लाख रु० के मूल्य से अधिक न हों, और जिन में सौ से कम मजदूर काम करते हों, आधनियम के लाइसेंस सम्बन्धी उपबन्धों से छूट दे दी गई थी।

2. जून, 1964 में उन औद्योगिक उपक्रमों को, जिनकी अचल आस्तियां 25 लाख रु० के मूल्य से अधिक नहीं हैं (उन औद्योगिक उपक्रमों को छोड़ कर जो कुछ विशिष्ट उद्योगों जैसे, कोयला, शक्ति चालित करघों पर निर्मित या परिष्कृत वस्त्रों, बेलनाकार आटे की चक्कियों, तेल निकालने की मशीनों कपड़ा और दियासलाइयों), अधिनियम के लाइसेंस देने वाले उपबन्धों से छूट दे दी गई थी भले ही कारखाने में कितने ही मजदूर काम करते हों।

3. मई, 1966 से अनेक विशिष्ट उद्योगों को लाइसेंस उपबन्धों से समय-समय पर छूट दे दी गई है।

4. उन औद्योगिक उपक्रमों को निम्नलिखित शर्तों पर अपनी लाइसेंस प्राप्त/पंजीबद्ध क्षमता के 25 प्रतिशत तक उत्पादन में विविधता लाने की स्वतंत्रता भी दे दी गई है।

(1) छोटे सन्तुलन उपकरणों के अलावा अतिरिक्त मशीनें न लगाई जायें।

(2) विदेशी मुद्रा का अतिरिक्त व्यय न किया जाय।

(3) वे वस्तुएं न बनाई जायें जो लघु क्षेत्र/सरकारी क्षेत्र के लिए रक्षित हैं।

इसी प्रकार औद्योगिक उपक्रमों को उन की क्षमता प्राप्त, पंजीबद्ध क्षमता में उन की लाइसेंस प्राप्त/पंजीबद्ध क्षमता के 25 प्रतिशत तक उत्पादन में वृद्धि करनेकी भी स्वतन्त्रता दे दी गई है बशर्ते कि देशी छोटे संतुलन उपकरणों को छोड़ कर अतिरिक्त मशीनें लगाने, विदेशी मुद्रा व्यय तथा दुर्लभ कच्चे माल के लिये कोई भी अतिरिक्त मांग न की जाय।

(घ) और (ङ) इस सम्पूर्ण मामले की जांच औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा की जा रही है।

रूस को माल डिब्बों का निर्यात

*60. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस को रेलवे के माल डिब्बों को बेचने के बारे में बातचीत में प्रगति नहीं हुई है और बातचीत लगभग समाप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) बातचीत इस समय किस स्थिति में है, और कब तक अन्तिम निर्णय होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) माल डिब्बों के नक्शों तथा विशिष्टियों का जो रूसी भाषा में थीं अनुवाद करना पड़ा कुछ तकनीकी स्पष्टीकरण की आवश्यकता भी थी। यह कार्य पूरा कर लिया गया है। माल डिब्बा निर्माताओं के साथ परामर्श कर के अब व्यापारिक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और जैसे ही व्यापारिक प्रस्ताव पर बातचीत करके स्वीकार कर लिया जायेगा, आदि रूपो के उत्पादन का कार्य आरम्भ हो जायेगा ।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

296. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः वर्षों में निर्यात किये गये मैंगनीज़ अयस्क की मीटरिक टनों में कुल कितनी मात्रा थी और उसका रुपयों में कितना मूल्य था;

(ख) मैंगनीज़ अयस्क के हमारे निर्यात में कमी के क्या कारण हैं जबकि अन्य देशों ने अपने निर्यात में वृद्धि की है;

(ग) मैंगनीज अयस्क के निर्यात में कमी हो जाने के फलस्वरूप कितनी खाने बन्द हो गई हैं अथवा बन्द होने वाली हैं;

(घ) क्या ऐसा अपनी बिक्री बढ़ाने में खनिज धातु व्यापार निगम की असमर्थता के कारण हुआ है; और

(ङ) यदि हाँ, तो मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार का शीघ्र क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) गत छः वर्षों में भारत से मैंगनीज अयस्क के निर्यात (मात्रा तथा मूल्य) नीचे दिये गये हैं :—

मात्रा : हजार मी० टन में
मूल्य : लाख रुपयों में

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1962	9082	897.05
1963	932	807.59
1964	1569	1364.51
1965	1369	1071.22
1966	1168	1191.56
1967	1083	1241.20

(ख) से (ङ). निर्यात में गिरावट के कारण बंद हुई अथवा बन्द प्राय खानों की संख्या के बारे में सरकार को ठीक ठीक जानकारी नहीं है। यह सच है कि विगत वर्षों की अपेक्षा गत दो वर्षों में निर्यातों में गिरावट आई है। इसके प्रमुख कारण हैं : उपभोक्ता देशों के निकट पूर्ति के नये साधनों का पैदा होना, पूर्ति के प्रमुख साधनों का विकास और औद्योगिकी में विकास के फलस्वरूप इस्पात उत्पादन में मैंगनीज अयस्क पर अपेक्षाकृत कम निर्भरता। स्वेज नहर के बन्द होने से भी भारतीय अयस्कों की प्रतियोगिता शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इन प्रतिकूल तत्वों के होते हुए भी खनिज तथा धातु व्यापार निगम विगत कुछ वर्षों के औसत के लगभग निर्यातों के स्तर को बनाये रखने में सफल रहा है।

निगम अपने विक्रेता अभिकर्त्ताओं के माध्यम से प्रमुख उपभोक्ताओं से निकट सम्पर्क बनाये हुये हैं। निर्यात आदेशों को तय करने के लिये विदेशों में वह प्रतिनिधि मंडल भी भेजता रहा है। मैंगनीज अयस्क के निर्यात को अधिकतम करने के लिये वह विदेश स्थित भारतीय दूतावासों तथा व्यापारिक मिशनों की सेवाओं से भी लाभ उठाता रहा है।

काली सूची में रखे गये आयातकर्ता

297. श्री बाबूराव पटेल :क्या **वाणिज्य** मंत्री 30 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9120 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 से काली सूची में रखे गये 33 पुराने आयातकर्ताओं के नाम तथा पते क्या हैं;

(ख) उन समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के मुद्रकों के नाम तथा पते क्या हैं जिनको काली सूची में रखा गया था;

(ग) क्या काली सूची में रखे जाने के अतिरिक्त उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कानूनी तथा विभागीय कार्यवाही की गई थी; और

(घ) यदि हाँ, तो प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख). दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1369/68]**

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य व्यापार निगम, बम्बई

298. श्री बाबूराव पटेल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम ने बम्बई में नारीमैन प्वाइंट पर 'निर्मल' नाम की बिल्डिंग में कितने फ्लैट और मंजिलें किराये पर ली हैं और उन्हें किराये पर लेने की तिथि तथा करार की मुख्य शर्तें क्या हैं;

(ख) इन फ्लैटों के किराये के रूप में कितनी अग्रिम राशि दी गई है;

(ग) यदि किराये पर मकान दिलाने वाले दलालों को कोई कमीशन दिया गया था तो कितना और उन दलालों के नाम तथा पते क्या हैं;

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम ने भारत के अन्य नगरों में इस प्रकार के फ्लैट किराये पर लिये या खरीदे हैं, और यदि हाँ, तो उनके लिये कितना मूल्य दिया गया; और

(ङ) किन कारणों से ऐसे भव्य फ्लैट लेने की आवश्यकता हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री महम्मद शफी कुरैशी) : (क) राज्य व्यापार निगम ने दस वर्ष की अवधि के लिये कार्यालय स्थान के लिये निर्मल बिल्डिंग में पूरी दूसरी मंजिल किराये पर ली है जिसका क्षेत्रफल लगभग 15,000 वर्ग फुट है। राज्य व्यापार निगम द्वारा कोई रिहायशी फ्लैट किराया पर नहीं लिया गया है। निगम ने 1–7–68 को इस भवन को अपने कब्जे में लिया था। करार की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :

(1) मासिक किराया 1.95 प्रति वर्ग फुट से दिया जायेगा।

(2) छह: महीने के किराये के बराबर राशि का अग्रिम भुगतान, जिसका समंजन करार के अन्तिम वर्ष में मासिक किराये की राशि में से किया जायेगा। इस अग्रिम राशि पर $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज मिलेगा, जिसका भुगतान प्रत्येक वर्ष के अन्त में किया जायेगा।

(3) दो वर्ष के किराये के बराबर राशि का अग्रिम भुगतान। इस अग्रिम राशि का समंजन पूरी लाइसेंस अवधि में मासिक किराये की राशि से किया जायेगा, इस अग्रिम राशि में से केवल 50,000 रु० पर $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक का ब्याज मिलेगा तथा बाकी राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज सहित 50,000 की राशि का समंजन करार के प्रथम वर्ष के मासिक किराये से होगा।

(4) उपर्युक्त किराये में स्थान के $\frac{1}{3}$ भाग का पार्टीशन करना तथा वातानकूलन शामिल है।

(ख) अभी तक अग्रिम किराये के रूप में 5 लाख रु० की राशि दी गई है।

(ग) किसी भी दलाल को कोई कमीशन अथवा दलाली नहीं दी गई है।

(घ) निगम द्वारा किराये पर लिये गये / खरीदे गये स्थान का ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1370]**

(ङ) निगम द्वारा लिये गये स्थान को आवश्यकता से अधिक नहीं कहा जा सकता। निगम ने कम से कम स्थान किराये पर लिया है और वह उसके प्रयोग के लिये आवश्यक है। अधिकांश स्थान कार्यालयों के उपभोग के लिये है। व्यापार की दृष्टि से, निगम को कार्यालयों को उपयुक्त भवनों में रखाना है। अधिकारियों को जो मकान दिये जाते हैं उसके लिये उनसे निगम के नियमों के अनुसार किराया वसूल किया जाता है।

बकरी की खाल का निर्यात

299. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में बकरी की कितनी तथा कितने रुपये की मूल्य की खालों का निर्यात किया गया ;

(ख) इनका निर्यात कम होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कमाये हुए चमड़े के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये बकरी की कच्ची खालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं और यदि हां, तो कमाये हुये चमड़े के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या यह सच है कि इन प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप बकरी की कई लाख कच्ची खालें नियमित रूप से चोरी छिपे बिहार से पाकिस्तान ले जाई जाती हैं और पाकिस्तान से इन खालों को रूस और चैकोस्लोवाकिया खरीदते हैं और इस प्रकार पाकिस्तान अधिक विदेशी मुद्रा कमा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस चोरी छिपे व्यापार को रोकने के लिये तथा रूस तथा चैकोस्लोवाकिया को पुनः अपना खरीदार बनाने के लिये सरकार का विचार तुरन्त क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) गत तीन वर्षों में बकरी की कच्ची खालों के निर्यात का परिमाण तथा मूल्य निम्न प्रकार रहा :—

(मूल्य लाख रु० में)

(परिमाण लाख कि० ग्रा० में)

बकरी की खालें तथा शावक की कच्ची खालें

वर्ष	परिमाण	मूल्य
1965–66	107	840
1966–67	111	1490
1967–68	66	677

(ख) 1967–68 में बकरी की कच्ची खालों के निर्यात पर प्रतिबन्धात्मक नीति के परिणामस्वरूप बकरी की कच्ची खालों की कम निकासी हुई।

(ग) से (ङ) बकरी की खालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध इसलिये लगाये गये हैं ताकि अर्द्ध तैयार तथा तैयार चमड़े के निर्यात को बढ़ावा मिले। 1965–66 से 1967–68 तक बकरी तथा शावक खालों (कमाई हुई) का निर्यात निम्नोक्त प्रकार था :—

बकरी तथा शावक खालें (कमाई हुई)

वर्ष	परिमाण (लाख कि० ग्रा०)	मूल्य (लाख रुपये)
1965–66	65	12,55
1966–67	104	31,69
1967–68	99	24,72

1965–66 की तुलना में 1966–67 में निर्यात में वृद्धि हुई। 1967–68 में बकरी तथा शावक की कच्ची खालों के निर्यात में गिरावट की जांच सम्बन्धित निर्यात संवर्धन परिषद् की सलाह से की जा रही है। भारत से पाकिस्तान को बकरी की कच्ची खालो को चोरी छिपे ले जाये जाने के सम्बन्ध में मिली सूचनाओं की जांच की गई तथा अभी तक यह स्थापित नहीं हो सका है कि किसी बड़ी मात्रा में बकरी की खालें पाकिस्तान को चोरी छिपे गई हों।

कुप्पम रेल दुर्घटना

300. **श्री विश्वम्भरन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 21 मई, 1967 को कुप्पम में हुई रेल दुर्घटना के पीड़ितों तथा उनके उत्तराधिकारियों ने मुआवजे के लिये कितने दावे तैयार किये;

(ख) मुआवजा आयुक्त ने कितने मामलों में निर्णय किया है; और

(ग) उपर्युक्त दुर्घटना के सम्बन्ध में मुआवजे के रूप में कुल कितनी रकम दी गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 162

(ख) 162

(ग) 5,10,458 रुपये।

यवतमाल जिले में नई रेलवे लाईन

301. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **रेलवे** मंत्री यवतमाल जिले में चंखा से रेलवे लाइन के सम्बन्ध में 20 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1205 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले के उस क्षेत्र में प्रस्तावित विकास के सम्बन्ध में निश्चित जानकारी प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अग्रेतर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा दिये गये कुछ आंकड़ों की जांच की जा रही है।

भोज्य तेल का निर्यात

302. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि निर्यात की कम सम्भावनाओं के कारण मूंगफली के तेल तोरिया (रेप सीड) के तेल और सरसों के तेल के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय व्यापारियों को अधिक प्रोत्साहन देने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस निर्णय का ठीक-ठीक उद्देश्य और प्रयोजन क्या था और यह अपने उद्देश्य को पूरा करने में किस सीमा तक सफल रहा है; और

(घ) उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये क्या संशोधन करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) इन मदों के निर्यात के मार्ग में मुख्य बाधा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय भावों में भारी विषमता का होना है।

(ग) ऐसा निर्णय इस लिये किया गया कि क्योंकि ऐसा संकेत था कि संभवतः आन्तरिक भावों में पर्याप्त गिरावट आयेगी और इसलिये निर्यात करना सम्भव हो सकेगा। परन्तु भाव अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय भावों के साथ प्रतियोगी नहीं हैं।

(घ) तिलहनों, तेलों तथा खलियों का निर्यात बढ़ाने के तरीकों तथा साधनों पर विचार करने के लिए व्यापार बोर्ड द्वारा अब एक उप-समिति की स्थापना कर दी गई है।

सिलन्डरों का आयात

303. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 से अब तक निम्न प्रकार के सिलन्डरों में से किन-किन सिलन्डरों का आयात किया गया :

(एक) हाइड्रोजन, क्लोरीन, आक्सीजन, वायु आदि जमा रखने का सिलन्डर ;

(दो) घरेलू गैस के वितरण के लिये एल० पी० गैस सिलन्डर ; और

(ख) इन सिलण्डरों के आयात के लिये प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

औद्योगिक माल के लिये रेल-भाड़ा

304. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने औद्योगिक माल पर रेल भाड़े की दर समान करने की नीति अपनाई है, जिससे कि उद्योगों की क्षेत्रीय समानता समाप्त की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन औद्योगिक वस्तुओं पर तथा किस सीमा तक यह नीति लागू की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलवे की भाड़ा दरों का ढांचा "अधिक दूरी कम किराया" के आधार पर बनाया गया है ताकि औद्योगिक माल की लम्बी दूरी के लिये परिवहन आर्थिक रूप से संभव बनाया जा सके और इस प्रकार जहां तक रेलों के लिये संभव हो, भौगोलिक कठिनाइयों को कम करने में सहायता की जा सके ।

(ख) सामान्यत: अधिक दूरी कम किराये वाली दरें लागू हैं और औद्योगिक कच्चे माल के सम्बन्ध में दरों का स्तर उपयुक्त रूप से कम रखा जाता है ताकि लम्बी दूरी के लिए भाड़ादरों का बोझ उचित रहे । जहां कहीं न्यायसंगत होता है अलग-अलग मामलों में विशेष दरें बतायी जाती हैं । भाड़ा सम्बन्धी सहायता की सीमा अलग-अलग वस्तुओं के लिए अलग-अलग है और सभी सम्बन्धित तत्वों के आधार पर निश्चित की जाती है

व्यापार करार

305. **श्री जी० एस० रेड्डी :**
श्री नाथू राम अहिरवार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद के गत अधिवेशन के समाप्त होने से लेकर अब तक निर्यात को बढ़ावा देने तथा विदेशी मुद्रा की कमाई बढ़ाने के लिये सरकार ने विदेशों के साथ कितने व्यापार करार तथा समझौते किये हैं;

(ख) प्रत्येक उपरोक्त करार तथा समझौते से भारत को क्या क्या लाभ हो रहे हैं ; और

(ग) गैर-सरकारी व्यापारियों तथा राज्य व्यापार निगम के द्वारा क्रमश: किये गये सौदों की प्रतिशतता क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) संसद् के गत अधिवेशन के समाप्त होने से लेकर अब तक, अपने निर्यात को बढ़ावा देने तथा विदेशी मुद्रा की कमाई बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने किसी भी विदेश से कोई भी व्यापार समझौता अथवा करार नहीं किया है । हां, सं० अरब गणराज्य तथा सूडान के साथ 1968-69 के लिये व्यापार योजनाओं पर हस्ताक्षर किये गये ।

(ख) सं० अरब गणराज्य के साथ की गई व्यापार-व्यवस्था में लगभग 64 करोड़ रुपये के व्यापार विनिमय तथा सूडान के साथ लगभग 63 करोड़ रुपये के व्यापार विनिमय की परिकल्पना की गई है ।

(ग) गैर-सरकारी व्यापार तथा राज्य व्यापार निगम के लिये कोई विशेष नियतन नहीं किया जाता ।

मद्रास से जनता एक्सप्रेस गाड़ी का देरी से चलना

307. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता एक्सप्रेस गाड़ी मद्रास से हमेशा देरी से चलती है और इस कारण यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस गाड़ी को ठीक समय पर चलाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). 17 डाउन मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेस का चालन कई कारणों से सन्तोषजनक नहीं रहा है, जैसे खतरे की जंजीर खींचे जाने की अत्यधिक घटनाएं, शीघ्र खराब हो जाने वाले माल को लादना और उतारना, मार्ग में इकहरे खण्ड पर, जहां अत्यधिक गाड़ियां चल रही हैं, अन्य गाड़ियों के साथ क्रासिंक के समय रुकाई आदि ।

(ग) इस गाड़ी को ठीक समय पर चलाने के लिए हर संभव उपाय किये जा रहे हैं ।

Printing of names of Stations on Tickets

308. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is the policy of Government to print the names of stations, fare, etc., on the railway tickets in Hindi, English and other regional languages;

(b) whether it is a fact that the railway tickets printed for stations from Dhanbad to Patna, bear names in English and Bengali languages only and not in Hindi; and

(c) if so, the reasons for not printing the names of stations, etc. in Hindi, on the said railway tickets, despite the fact that Dhanbad and Patna are in Bihar State?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) This is a lapse which is being taken up with the railway which is also being instructed to take corrective action when furthter tickets are printed.

Railway Concession Tickets

309. Shri Atal Bihari Vajpayee:
Shri Sharda Nand:
Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Bal Raj Madhok:
Shri Bansh Narain Singh:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that ccording to the rules in force from the British period, parents as guardians of school children can receive Railway Concessional Tickets provided such children are at least four in number;

(b) whether it is also a fact that according to family planning campaign, there should be only two or three children in a happy family ;

(c) if so, whether Government propose to change railway rules with a view to provide these concessional facilities to such families; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) to (d). The concession admissible to students is also given to escorts accompanying students at the rate of one escort for every four girl students of any age and boy students under the age of 12 years. An escort accompanying the students need not necessarily be the parent of students. There is also no stipulation that the students forming a party of four should belong to the same family. The concession is given to the escort and not to the parents as such. The rule with regard to the grant of concession does not therefore have any relationship with the size of a family and thus on the score of family planning a change in the rule is not called for. No other considerations justify any change in the rule and none is contemplated.

Removal of Licences from Industries

310. Shri Atal Behari Vajpayee :
Shri Sharda Nand :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government propose to remove licences from some of the industries;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) to (c): In furtherence of Government's policy that controls should be maintained only where it is necessary in the public interest, eleven industries were removed from industrial licensing controls in May, 1966. Since then more than thirty industries have been exempted from the licensing provisions from time to time. Wheeled agricultural tractors and power tillers industry was delicensed in February, 1968 and steel ingots or billets by concast process and all Barium salts and compounds have been delicensed as recently as June, 1968. A list of Industries delicenced upto 31st March, 1967 is laid on the table of the House. [*Placed in Library. See No. LT-1395/68*]

The question as to what other industries can be similarly exempted from the licencing provisions of the Industries (Development and Regulation) Act is constantly kept under review.

Telephone and Tractor Factory at Naini

311. Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Sharda Nand :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Bal Raj Madhok :

Will the Minister of **Industrial Development and Commpany Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have received proposals for setting up a Telephone Factory at Naini and a Tractor Factory at Ram nagar, (Varanasi) in Uttar Pradesh ;

(b) whether it is also a fact that an assurance has been given to the effect that there would be no difficulty in getting electricity, water and land for these factories ; and

(c) if so, the reaction of the Government thereto ?

The Minister of Industrial Development and Company affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c) : Government have received a request from the Government of Uttar Pradesh for the

location of the proposed factory for manufacture of long distance transmission equipment at Naini (near Allahabad). An assurance has been received from the Government of Uttar Pradesh that there would be no difficulty in getting water, electricity and land for the factory. The offer received from that Government is under consideration along with similar offers received from other State Governments.

There is also a proposal under the consideration of the Government of India for the estabiishment of a factory in the public sector for the manufacure of agricultural tractors. The economic feasibility report in respect of the project is at present under examination. If after the examination of the report, it is decided to go ahead with this project, it may be set up at Ramnagar in the Varanasi District (U.P.).

छोटे पैमाने के रबड़ उत्पादक

312. **श्री अ० कु० गोपालन :** **श्री अब्राहम :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री एस्थोस :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री 16 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7387 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ के छोटे पैमाने के उत्पादकों की समस्याओं की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पता चला है कि समिति का प्रतिवेदन तैयार है और आशा है कि शीघ्र ही वह सरकार को प्राप्त हो जायेगा ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

बर्मा में कपड़ा मिलें

313. **श्री अ० कु० गोपालन** **श्री रमानी :**
श्री नम्बियार : **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम का विचार बर्मा में दो कपड़ा मिलें स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें स्थापित करने की शर्तें क्या क्या हैं; और

(ग) कौन-कौन सी मिलें इसके लिये मशीनें उपलब्ध करेंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : बर्मा सरकार द्वारा आमन्त्रित सार्वभौमिक निविदा के फलस्वरूप राज्य व्यापार निगम ने दो पूरी कपड़ा मिलों की स्थापना के लिए निविदा दी है । निविदा में आद्योपति आधार पर मशीनों की पूर्ति की अपेक्षा की गई थी जिसमें मशीनों की स्थापना तथा उनको लगाने के बाद परीक्षण के तौर पर चला कर दिखाना भी शामिल है । राज्य व्यापार निगम की निविदा अभी तक मंजूर नहीं हुई है ।

राज्य व्यापार निगम ने भारत के कपड़ा मशीन निर्माता संघ के सदस्यों के सक्रिय सहयोग से निविदा भेजी है। चूंकि मिलों की स्थापना के लिये विभिन्न विकल्प रखे गये हैं, अत: मशीनों की पूर्ति करने वाली फर्मों के नाम तभी तय किये जायेंगे जब संविदा पर बातचीत हो जाये तथा वह मंजूर हो जाये।

पालघाट पर सूक्ष्म यंत्र कारखाना

314. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री चक्रपाणि :
श्री नायनार :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री 30 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9140 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पालघाट में सूक्ष्म यन्त्र कारखाना बनाने के बारे में केरल सरकार के अभ्यावेदन पर कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है और विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) इससे सम्बन्धित विभिन्न मामलों की जांच की जा रही है और यथाशीघ्र निर्णय किया जायगा।

कपड़ा उद्योग में संकट

315. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री नम्बियार :
श्री उमानाथ :
श्री रमानी :
श्री स० कुण्डू :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण में कपड़ा उद्योग में संकट को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). हथकरघों तथा शक्तिचालित करघों द्वारा कम माल उठाये जाने के फलस्वरूप पिछले 4/5 महीने से धागे का भंडार जमा हो जाने के कारण दक्षिण भारत स्थित कपड़ा मिलें प्राय: कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने में मिलों की सहायता करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) मांडयुक्त धागे की कतिपय किस्मों के मामले में सूती धागे पर उत्पादन शुल्क की दर में कमी करने के साथ-साथ सादा गुंडी धागा, न्यू फ्रेंच काउन्ट 29 अथवा अधिक परन्तु 34 काउन्ट से कम की सीधी रीलों को शुल्क से पूर्णत: छूट देना;

(2) सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् धागे की निकासी के तरीकों का पता लगाकर सहायता करने के लिये प्रयत्नशील है जिससे दक्षिण स्थित मिलों को दबाव से राहत मिले;

(3) सूती कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने दक्षिण स्थित मिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर ब्रिटेन को निर्यात के लिये दक्षिण में बड़ी मात्रा में बनाये जाने वाले कोन/चीज़ वाले सूती धागे के लिये भाड़ा अवकलन के लिये प्रति 10 पौंड पर दो रुपये की विशेष अतिरिक्त सहायता देना मंजूर कर लिया है; और

(4) केन्द्रीय सरकार ने शीर्ष सहकारी समितियों को ऋण देने के लिये मद्रास सरकार को 50 लाख रुपये के ऋण की पहले ही मंजूरी दे दी है ताकि वे धागे को खरीद सकें और उसका स्टाक रख सकें ।

2. सरकार के विचाराधीन एक अन्य सहायतार्थ उपाय दक्षिण भारत की मिलों के लिये धागे का समीकरण भंडार बनाना है । यह आशा की जाती है कि अब तक किये गये उपायों और भविष्य में किये जाने वाले उपायों द्वारा शीघ्र ही यथोचित स्तर तक अपने स्टाक को कम करने में मिलों को सहायता मिलेगी ।

भारती मिल्ज़, पांडिचेरी

316. **श्री नम्बियार :** **श्री रमानी :**
श्री उमानाथ : **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारती मिल्ज़ (पांडिचेरी) सरकार के प्रबन्ध में आने के बाद से अपनी पूरी क्ष मता से कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मिल के मामलों की जांच करने वाली जांच समिति ने सिफारिश की है कि यह मिल प्राधिकृत नियन्त्रक के अधीन दो चरणों में फिर चालू की जाये । पहले चरण में 16280 त ए तथा 144 करघे लगाने थे जो साफ करके तथा सेट करके पुनः चालू हो सकते थे और यह कार्य पूरा हो चुका है । दूसरे चरण को पुनः आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

कपड़े के उत्पादन का कम किया जाना

317. **श्री नम्बियार :** **श्री उमानाथ :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री रमानी :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दक्षिण भारत मिल मालिक संस्था द्वारा अखिल भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ से की गई इस प्रार्थना की ओर आकर्षित किया गया है कि वह समूचे देश में कपड़ा उत्पादन को कम करने के लिये एक योजना तैयार करे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पोलैंड को रेल माल डिब्बों का निर्यात

318. **श्री अम्बुचेंजियान :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने पोलैण्ड को 500 रेल माल डिब्बे सप्लाई करने का आदेश प्राप्त किया है;

(ख) 1968 में कुल कितने और किन किन देशों को रेल माल डिब्बों का निर्यात किया जायेगा; और

(ग) अन्य देशों को निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं, फिर भी राज्य व्यापार निगम तथा पोलैण्ड के बीच वार्ता अपने अन्तिम चरण पर है तथा एक पक्का करार होने की आशा की जा सकती है ।

(ख) 1968-69 की अवधि में माल डिब्बों के निर्यात के लिये निम्नलिखित करार कार्यान्वित हो रहे हैं :—

देशों के नाम	माल डिब्बों की संख्या जिसके लिए करार किए गए हैं
पूर्वी अफ्रीका (केन्या) . .	247
हंगरी . . .	500
दक्षिणी कोरिया . . .	1050
बर्मा	14
श्रीलंका	40

(ग) माल डिब्बों के निर्यात के लिए निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध हैं:--

(1) जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 20 प्रतिशत पर आयात प्रतिपूर्ति ;

(2) अलग-अलग माभले के आधार पर नकद सहायता;

(3) निर्यात के लिए संरचना हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश में निर्मित लोहे तथा इस्पात की पूर्ति;

(4) ब्याज की रियायती दर पर निर्यात वित्त ;

(5) अलग-अलग मामले के आधार पर आस्थगित वसूली के लिए उधार की सुविधाएं ;

(6) इंजीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद् के माध्यम से प्रचार, बाजार सर्वेक्षण, बिक्री तथा अध्ययन दल, प्रतिनिधिमण्डल आदि की सुविधाएं; तथा

(7) निर्यात अभिमुख उद्योगों के लिए पूंजीगत माल का आयात ।

कृषि वस्तुओं का निर्यात

319. **श्री अम्बुचेजियान :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निकट भविष्य में कुछ कृषि वस्तुओं का निर्यात पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने की सम्भावनाओं का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी वस्तुओं के नाम क्या क्या हैं ;

(ग) इन वस्तुओं का निर्यात कब से आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ; और

(घ) अध्ययन के द्वारा और क्या मुख्य बातों का पता लगा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) वनस्पति तेल, तिलहन तथा खली, साधित खाद्य पदार्थ, समुद्री उत्पाद, काजू तथा तम्बाकू ।

(ग) इन वस्तुओं का पहले से ही निर्यात किया जा रहा है ।

(घ) वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा किये गये अध्ययन से पता चलता है कि यदि विशेष संवर्धनात्मक उपाय किये जायें तो इन वस्तुओं के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की गुंजायश है ।

कपड़ा उद्योग की समस्यायें

320. **श्री अम्बुचेजियान :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कपड़ा उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के उद्देश्य से कपड़ा मिल मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन के कब तक बुलाये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा किये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

जूतों के निर्यात में कमी

321. **श्री अम्बुचेजियान :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में भारतीय जूतों का निर्यात घट कर 10 लाख जोड़े हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि ब्रिटेन, इटली और पाकिस्तान के निर्माता, जिनके पास जूतों के निर्माण के लिये मशीनें हैं तथा जो शीघ्र नई मशीनें खरीदने के लिये निर्यात प्रोत्साहन देते हैं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की तुलना में 20 प्रतिशत कम मूल्य पर जूते बेच रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो जूतों के बाजार में विदेशों के साथ प्रतियोगिता के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) इस मामले की जांच की जा रही है और यदि आवश्यकता हुई तो स्थिति सुधारने के लिये उपयुक्त उपायों पर विचार किया जायेगा ।

बिजली के पम्प

322. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जून, 1968 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नागपुर के तीन व्यक्तियों के एक दल ने बिजली के एक पम्प का आविष्कार किया है जिसके अनुसार प्राचीन पम्पों के घूमने वाले पुर्जों की आवश्यकता नहीं रहती है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी योजनाओं को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा उन्हें किस प्रकार का प्रोत्साहन दिये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या जनता के हित लिये व्यापारिक आधार पर बिजली के पम्प, स्वचालित सिगरेट लाइटर, विद्युत् चालित टाइमपीस घड़ियां बनाये जाने की कोई सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी क्या सम्भावनाएं हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ?

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

ट्रैक रिकार्डिंग कार

323. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे की मेथुगुडा वर्कशाप में अनुसन्धान शाखा द्वारा निर्मित ट्रैक रिकार्डिंग कार का परीक्षण कर लिया गया है और क्या वह ट्रैक की शक्ति को ठीक रिकार्ड करने में सक्षम सिद्ध हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसका रेलवे द्वारा किस प्रकार प्रयोग किया जायेगा और इसके उत्पादन में कितनी लागत आयेगी; और

(ग) लागत क्षमता, निर्भरता तथा टिकाऊपन में यह विदेशी कारों की तुलना में कैसी है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० रू० पुनाचा) : (क) अनुसन्धान अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा बनायी गयी ट्रैक रिकार्डिंग कार का निर्माण अभी-अभी पूरा हुआ है । परीक्षण और जांच अभी नहीं की गयी है ।

(ख) पूरी तरह से देश में बनी ट्रैक रिकार्डिंग कार की लागत अनुमानत: लगभग 9 लाख रुपये है और इसे रेल पथ की स्थितियों को रिकार्ड करने के काम में लाया जायेगा ।

(ग) देश में बनी बोगी और निचले ढांचे सहित इसी प्रकार की आयातित ट्रैक रिकार्डिंग कार का मूल्य लगभग 8 . 50 लाख रुपये है । परीक्षण करके देशी कार की क्षमता, निर्भरता और टिकाऊपन का पता लगाना अभी बाकी है ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हड़ताल

325. **श्री गणेश घोष :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री भगवान दास :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने की इस्पात पिघलाने की शाखा के कर्मचारियों ने 1 जून, 1968 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की मांगें क्या थीं; और

(ग) विवाद को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य मांग यह थी कि केन चालकों की संख्या को बढ़ा कर 180 किया जाय जबकि औद्योगिक इंजीनियर विभाग ने 168 और श्रम उपायुक्त ने 176 की सिफारिश की है।

(ग) समझौता कराने हेतु मामला पश्चिमी बंगाल सरकार के श्रमायुक्त के विचाराधीन है।

निवेश बोर्ड

326. **श्री गणेश घोष :**
श्री विश्व नाथ मेनन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री रा० की० अमीन :
श्री मोहनलाल मीना :
श्री अनिरुद्धन :
श्री अजमल खां :
श्री नायनार :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पूंजी से उद्योग स्थापित करने के लिये लाइसेंसों वालों के आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए एक निवेश बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी, हां। उद्योगों में विदेशी साझेदारी के मामलों का शीघ्रता से निबटान के लिए एक विदेशी विनियोजन मण्डल की स्थापना करने का निर्णय किया गया है। इस मण्डल के अध्यक्ष वित्त मन्त्रालय के सचिव होंगे। आर्थिक मन्त्रालयों के सचिव, योजना आयोग के सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के महा निदेशक, तकनीकी विकास के महानिदेशक इसके सदस्य होंगे। विदेशी विनियोजन तथा सहयोग के सभी मामले इसके क्षेत्राधिकार में आयेंगे।

औद्योगिक विकास में मन्दी

327. श्री पी० राममूर्ति : श्री बी० चं० शर्मा :
श्री योगेन्द्र शर्मा : श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री वीरेन्द्र नाथ देव : श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री इन्द्र जीत गुप्त :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, औद्योगिक विकास में हुई मन्दी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये सरकार ने कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) क्या जनवरी, 1968 से उद्योग में दीर्घकालिक मन्दी के पश्चात् अब औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रवृत्ति को बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) सभी उद्योगों और विशेष रूप से मन्दी से प्रभावित उद्योगों की प्रगति के बारे में बराबर ध्यान दिया जा रहा है ताकि ऐसे कदम उठाये जा सकें जिससे उनकी स्थिति सम्भाली जा सके । तथापि इस विषय पर कोई औपचारिक प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया है ।

(ग) से (ङ). जो विभिन्न उपाय किये गये हैं उनके परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लक्षण दिखाई दिये हैं जैसा कि औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक से विदित होता है जो वर्ष 1967 के 150.9 के मुकाबले 1968 की प्रथम तिमाही में 157.3 हो गया । मशीनी औजारों, मशीनी औजारों के सहायक सामान, हल्के औजारों, भट्टियों, खराद के औजारों, इस्पाती पाइपों और ट्यूबों, इस्पाती तार की रस्सियों, रेलवे वैगनों, भारी स्ट्रक्चरलों, इस्पात के ढले पुर्जों, ढले लोहे के, स्पन पाइपों, जीपों तथा कारों सहित वाणिज्यिक गाड़ियों जैसे उद्योगों में स्थिति सम्भालने का कार्य संतोषजनक रहा है ।

पटसन उद्योग को सहायता

328. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन उद्योग को वर्तमान संकट का सामना करने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी अधिक वेतन और अधिक अच्छी सेवा की शर्तों की मांग करते रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने मालिकों को कर्मचारियों की उचित मांग स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं। फिर भी, निर्यात के लिए पटसन के माल के विविधीकरण के उद्देश्य से पटसन उद्योग को 5 करोड़ रु० तक की ऋण सहायता देना स्वीकार कर लिया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) ये मामले अभी तक भारतीय पटसन मिल संघ तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच विचाराधीन हैं ।

फैजाबाद डिवीजन का औद्योगीकरण

329. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में बाराबंकी को छोड़कर सम्पूर्ण फैजाबाद डिवीजन को औद्योगिक विकास के मामले में पिछड़े हुए क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस डिवीजन के औद्योगीकरण के लिये सरकार ने कोई योजना तैयार की है :

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि बराबंकी को छोड़कर समूचे फैजाबाद डिवीजन को पिछड़े क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है जिसमें उद्योगों समेत हर प्रकार के आर्थिक विकास की आवश्यकता है।

(ख) इस डिवीज़न का औद्योगीकरण करने की राज्य सरकार की कोई विशेष योजना नहीं है किन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना में फैजाबाद डिवीजन सहित पिछड़े प्रदेशों के लिए अधिक राशि का नियतन किया जायेगा ।

हवाई चुम्बकीय तत्वों का सर्वेक्षण

330. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज भण्डारों का पता लगाने के लिये देश के कुछ भागों में हवाई-चुम्बकीय तत्वों का सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस बारे मे सोवियत संघ ने भारत की सहायता करना स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सोवियत सहायता के साथ मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों के दण्डकारण्य और सम्बलपुर–बोलगीर क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश राज्य के भागों के कुल मिला कर 1,38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षणों का किया जाना प्रस्तावित है ।

(घ) प्रायोजना पर 505,500 रूबलों के विदेशी मुद्रा के खर्च सहित 1.2 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है ।

रूस से विमानों की खरीद

331. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** श्री समर गुह :
श्री यशपाल सिंह : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री स० कुण्डू : श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्कों में हाल में हुई भारत और रूस की व्यापार वार्ता के दौरान रूस ने भारत को जहाज और विमान बेचने का प्रस्ताव रखा था;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की शर्तें क्या थीं; और

(ग) क्या भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) मार्च, अप्रैल, 1968 में श्री ए० एन० झारस्की के नेतृत्व मे सोवियत प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता के दौरान भारतीय पक्ष ने जहाजो तथा जहाजी सामान की खरीद की संभाव्यताओं का अध्ययन करने में रूचि दिखाई । एक सोवियत निर्यात संगठन ने इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन को विमान बेचने की पेशकश की है । मास्को में हाल को भारत और रूस की व्यापार वार्ता के दौरान जहाज, विमान तथा हेलीकोप्टरों की खरीद-दारी के प्रश्न पर विचार किया गया । हाल ही की वर्ता में कोई विशिष्ट पेशकश नहीं की गई ।

Zinc Mines

333. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the number of Zinc Mines , their production capacity and the shortfall in the supply as compared to its demand in the country ;

(b) whether there are still such places where Zinc stores are available but prospecting work is not being done there ;

(c) if so, the names of such places and the details regarding mining projects ; and

(d) the details as well as the quantity of materials being obtained as by-products and whether there are some more materials which can be produced but are not being produced at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak): (a) The only zinc mine in operation in the country is at Zawar (Rajasthan). The present production is about 900 tonnes of ore per day , which will be increased to 2,000 tonnes of ore per day to meet the requirements of the public sector zinc smelter at Debari (Rajasthan) which has a capacity of 18,000 tonnes of zinc metal per annum. The only other zinc smelter in the the country is the private sector smelter at Alwaye in Kerala with a capacity of 20,000 tonnes of zinc metal per annum ; this unit had, however, been licensed on the basis of using imported zinc concentrates.

(b) and (c) In addition to the sizable deposits of zinc in the Zawar mines and its adjacent area, occurrences of zinc have also been reported from other places in the country. Prospecting of the addional areas in Zawar is being taken up jointly by the Geological Survey of India and Hindustan Zinc Ltd. Detailed drilling operations at Mamandur in Madras State have indicated ore reserves of about 0·9 million tonnes with 2·3% zinc. Drilling operations are in progress at Saladipura Sawar and Dariba -Rajpura in Rajasthan and Amba Mata in Gujatarat. Mining projects will be taken up after commercially workable deposits have been proved.

(d) At presnt the following end products are being produced by the Hindustan Zinc Ltd.

Product	Annual capacity
	(In tonnes)
1. Zinc	18,000
2. Single Superphosphate	80,000
3. Cadmium	80
4. Lead	5,000
5. Silver (by-product)	9,300Kgs
6. Sulphuric acid	29,000 (to be converted into fertilizer).

Except pyrites there is no product which can be produced economically but is not being produced at present. With regard to pyrites, flotation cells are being installed in order to separate this material.

Setting up of Sugar Mills

334. Shri Maharaj Singh Bhatrati: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the annual capacity of the country to set up sugar mills ;

(b) the number of cane crushing mills which can be set up according to the present capacity;

(c) the quantity of sugarcane which can be crushed in each such mill and the number of such mills actually being set up;

(d) the capacity and production in 1967;

(e) whether it is a fact that even at present essential components are imported and that 10 per cent of the total value of sugar -mill machiney is imported ; and

(f) if so, by what time hundred per cent sugar mill machinery is expected to be manufactured indigenously ?

The Minister of Industrial Devlopment and Compny Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The present annual installed capacity for the manufacture of sugar mill machinery is Rs. 1540 lakhs.

(b) 13 complete sugar Plants per annum.

(c) The capacities of Sugar Plants have been standardised in three sizes *viz* 1000/1250,1250/2000 and 2500 / 3500 tonnes per day; 6 new sugar factories are expected to go into production during the next crushing season 1968-69.

(d) The installed capacity and production of Sugar Mill machinery during 1967 were Rs. 1467 lakhs and Rs. 1058 lakhs, respectively.

(e) The pack value of import content for a standard plant of 1250 tonnes per day crushing capacity is Rs. 10 lakhs, at present. This works out to about 8%; and

(f) Complete self-sufficiency can be achieved, only when all bought out items such as Forged Steel shafts, Roller Transmission Chains, Hydraulic Systems for mills and components for Sugar Centrifugals and Boilers are developed indigenously. While no time limit can be indicated, efforts are being made to establish capacity for the manufacture of these items and reduce the import content.

Textile Machinery

335. **Shri Maharaj Singh Bharti** : Will the Minister of **Ibdustrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that textile machinery manufactured in 1967 was less than in1966;

(b) if so, the causes thereof ;

(c) whether it is also a fact that textile machinery is being imported on a large scale even now ; and

(d) if so, when the country is expected to become self-sufficient in this regard ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) : (a) Yes, Sir ; Production of major items of textile machinery was Rs. 160 million (approx) in 1967 compared to Rs. 180 million (approx) in 1966.

(b) The fall in production was due to the resession in the textile industry and the consequent fall in demand for textile machinrey.

(c) No large scale imports of textile machinery are being allowed ; only those items of machinery, as are not indigenously manufactured, such as Combers, Sophisticated types of Finishing Machine, Automatic Looms for manufacture of special types of fabrics, Waste Cotton Spinning Machinery etc. are allowed to be imported ;

(d) Near self-sufficiency has been achieved in the manufacture of almost all the items of textile machinery, excepting those mentioned under (*c*).

हावड़ा के निकट रेल दुर्घटना

336. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 जून, 1968 को हावड़ा स्टेशन (पूर्व रेलवे) से दो किलोमीटर की दूरी पर कारशेड के निकट एक रेलवे दुर्घटना में, जब एक यात्री गाड़ी की एक स्थानीय रेल गाड़ी से टक्कर हुई थी, कुछ व्यक्ति मारे गये थे और अनेक घायल हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ;

(ग) उसमें कुल कितने व्यक्ति मारे गये थे और कितने व्यक्ति घायल हुए थे;

(घ) रेलवे सम्पत्ति को कुल कितना नुकसान पहुंचा; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ग) इस दुर्घटना में 5 व्यक्ति मारे गये और 41 घायल हुए जिनमें से 5 को गम्भीर चोटें पहुंची।

(ख) रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की जांच की है । उनके अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारी की गलती से हुई थी।

(घ) रेल सम्पत्ति को लगभग 2,01,450 रुपये की क्षति होने का अनुमान है ।

(ङ) कर्मचारियों, विशेष रूप से गाड़ियों के संचालन से सम्बन्धित कर्मचारियों को यह समझाने के लिए संरक्षा अभियान और तेज कर दिया गया है कि निर्धारित नियमों और कार्याविधियों का अति सावधानी के साथ पालन करना नितान्त आवश्यक है । मौके पर जांच का काम भी तेज कर दिया गया है ताकि कर्मचारी संरक्षा नियमों का उल्लंघन न करें और जल्दबाजी का तरीका न अपनायें ।

गोरखपुर छावनी स्टेशन पर दो रेलगाड़ियों की टक्कर

337. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 मई, 1968 को गोरखपुर छावनी स्टेशन के निकट 75 अप गोरखपुर वाराणसी यात्री गाड़ी एक खड़ी हुई मालगाड़ी के पिछले भाग से टकरा गई थी और उसके परिणामस्वरूप पांच माल डिब्ब पटरी से उतर गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० म० पुनाचा) : (क) यह टक्कर 75 डाउन गोरखपुर-वाराणसी सवारी गाड़ी और 2 एम० जी० अप माल गाड़ी के बीच 21-5-1968 को गोरखपुर छावनी स्टेशन पर हुई ।

(ख) प्रत्यक्षतः ऐसा मालूम होता है कि जब 2 एम० जी० अप माल गाड़ी गोरखपुर छावनी स्टेशन की लाइन नम्बर 1 म दाखिल हो रही थी उसी समय 75 डाउन सवारी गाड़ी लाइन नम्बर 5 के प्रस्थान सिगनल के पास से गुजरी जो 'आन' की स्थिति में था, और 2 एम० जी० अप माल गाड़ी से टकरा गयी ।

गुल्माखोला और सिवोक स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी का पटरी से उतरना

338. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 मई, 1968 को सिलीगुड़ी से 40 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के गुल्माखोला तथा सिवोक स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी पर से उतर गये थे और उलट गये थे;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप रेलवे सम्पत्ति को कुल कितना नुक्सान पहुंचा है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जांच समिति के निष्कर्ष के अनुसार, दुर्घटना का कारण यह था कि एक डिब्बे की इस्पाती चद्दरें, जो ठीक से बांधी और लादी नहीं गयी थीं, चलती गाड़ी में उस समय अपने साथ से हटती गयीं जबकि गाड़ी तेज मोड़ों और हेर-फेर वाली चढ़ाइयों पर चलती थी ।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 19,000 रुपये की हानि होने का अनुमान है ।

एगमोर स्टेशन के पास बिजली की रेलगाड़ी और बिजली के इंजन की टक्कर

339. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 मई, 1968 को एगमोर रेलवे स्टेशन के पास एक बिजली की रेलगाड़ी जो स्टेशन पर आ रही थी और एक बिजली के इंजन के बीच टक्कर हो जाने के कारण कुछ यात्री मर गये और अनेक गम्भीर रूप से घायल हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ;

(ग) कुल कितने यात्री मरे और जख्मी हुए ; और

(घ) इस दुर्घटना के फलस्वरूप रेलवे सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ग). 1-5-68 को मद्रास पैरम्बूर स्टेशन पर जो दुर्घटना हुई, उसमे कोई व्यक्ति नहीं मारा गया । लेकिन 93 व्यक्ति घायल हो गये जिनमें से 11 व्यक्तियों को गहरी चोटें आयीं ।

(ख) रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की जांच की। उनके अन्तिम निष्कर्ष के अनुसार दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती से हुई ।

(घ) रेल सम्पत्ति को लगभग 12,200 रुपये की क्षति होने का अनुमान है ।

पंजाब तथा हरियाणा राज्यों से अनाज का उठाया जाना

340. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हेमराज :
श्री म० ला० सोंधी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में अनाज के उठाने के लिये रेलवे वैगन उपलब्ध नहीं थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

छोटी कार परियोजना

341. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उप प्रधान मंत्री द्वारा बम्बई में हाल ही में दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि इस समय हमारा देश दूसरी छोटी कार परियोजना आरम्भ करने की स्थिति में नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार परियोजना की स्थापना के लिए योजना आयोग को मनाने का विचार त्याग दिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां, इस विषय पर अखबारों में प्रकाशित एक समाचार की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। लोक सभा में दिनांक 22 जुलाई, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 28 के उत्तर में उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में छोटी कार परियोजना सम्मिलित करने के प्रश्न पर योजना आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

उड़ीसा में खादी उद्योग

342. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में खादी उद्योग में उत्पन्न संकट को दूर करने के लिये उनके मंत्रालय, खादी उद्योग तथा उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधियों के बीच कोई बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो किये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) (1) विभागीय रूप से गठित उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से खादी के उत्पादन तथा विक्रय की पुरानी प्रणाली जारी रखने के स्थान पर राज्य सरकार खादी का कार्य स्वैच्छिक अभिकरणों के द्वारा प्रारम्भ करना चाहती थी। खादी आयोग खादी कार्य में लगे हुए उन ऐच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गया जो कि छंटनी किए गए कर्मचारियों को कार्य देने के लिए तैयार थे ;

(2) ग्रामोद्योगों के सम्बन्ध में, खादी आयोग ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता जारी रखने के लिए इस शर्त पर सहमत हो गया कि राज्य सरकार आयोग द्वारा पहले ही कार्यकारी समितियों में लगाई गई निधि की पूर्ण जिम्मेदारी ले ; तथा

(3) खादी के जमा स्टाक के निपटान तथा भूतपूर्व राज्य बोर्ड की परिसम्पत्तियों और दायित्वों के सम्बन्ध में यह तय हुआ कि राज्य सरकार शीघ्रातिशीघ्र खादी आयोग के परामर्श से, हिसाब चुकाने, स्टाक का निपटान करने तथा शेष ऋणों की वसूली के लिये कार्यवाही करेगी।

सोयाबीन के तेल का आयात

343. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के पास इस समय अमरीका से आयात किया गया 69,000 मीटिक टन सोयाबीन का तेल है ; जिसे बड़ी मात्रा में लेने वाले कोई खरीदार नहीं है ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम के पास बड़े पैमाने पर आयात के लिये अमरीका सरकार के साथ करार करते समय सोयाबीन का 42,000 मीट्रिन टन तेल पड़ा था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) राज्य व्यापार निगम के पास इस समय 32,698 मी० टन सोयाबीन तेल का स्टाक है 26,920 मी० टन माल समुद्री मार्ग में है और उसके अगस्त/सितम्बर, 1968 के दौरान देश में पहुंच जाने की आशा है । परन्तु वनस्पतियों के निर्माताओं को सोयाबीन तेल की बिक्री चल रही है ।

(ख) और (ग). जी, हां । देश में आन्तरिक भावों को स्थिर करने तथा खाद्य तेलों की पूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने पिछले वर्ष निश्चय किया कि खाद्य तेलों का एक समीकरण भंडार रखा जाये और भारत में उसका आयात करने के उद्देश्य से सं० रा० अमरीका से बातचीत करके सोयाबीन का तेल का नियतन करवाया । उसके अनुसार, वर्तमान स्टाक तथा वनस्पति निर्माताओं को की जाने वाली सम्भावित बिक्री को ध्यान में रखते हुए राज्य व्यापार निगम को, सं० रा० अमरीका द्वारा जारी किये गये 77,000 मी० टन के क्रय प्राधिकरण में से 26,920 मी० टन सोयाबीन तेल खरीदने के लिये प्राधिकृत किया गया ।

उड़ीसा में फैक्टरियों की स्थापना

344. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा में विस्फोटक पदार्थ फैक्टरी कागज मिल, बीयर फैक्ट्री, एल्यूमीनियम मिश्रित इस्पात, सीमेंट और छर्रे बनाने की फैक्ट्री स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उक्त कारखाने सरकारी क्षेत्र में होंगे अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में : और

(ग) उड़ीसा में इन नये उद्योगों के स्थापित करने के लिये प्रस्तावों को भेजने वाले आवेदन कर्ताओं के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना

345. श्री समर गुह : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में कितने नये औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और कितने लाइसेंस दिये गये ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में दिये गये बहुत से औद्योगिक लाइसेंसों का उपयोग नहीं किया गया और बहुत से कारखानों में प्रारम्भिक निर्माण कार्य आरम्भ करने के पश्चात काम रोक दिया गया अथवा आगे काम बिल्कुल बन्द कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कारखानों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या पश्चिमी बंगाल से बहुत से औद्योगिक कारखाने हटाये जा चुके हैं अथवा हटाये जा रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में इस औद्योगिक मन्दी और वहां से औद्योगिक कारखानों के हटाये जाने के क्या कारण हैं;

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

सीमेंट

346. **श्री हेमराज** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सीमेंट का कितना उत्पादन होता है ;

(ख) देश की आन्तरिक खपत और निर्यात के लिये कितने सीमेंट की आवश्यकता होती है;

(ग) किन-किन देशों को सीमेंट का निर्यात किया जाता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :(क) और (ख). 1967 में भारत में निर्मित सीमेंट की मात्रा 11,302,379 मी० टन थी जो देश की अपनी खपत के लिए पर्याप्त थी । वर्ष 1968 में 126 लाख मी० टन सीमेंट के उत्पादन की आशा है । 1968 के अन्त तक लगभग 3,75,000 मी० टन के निर्यात के लिए या तो आर्डर दिये जा चुके हैं या उनके बारे में बातचीत चल रही है ।

(ग) श्रीलंका, कुवैत और करार वाले राज्य ।

Development of Industries

347. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 133 on the 13th February, 1968 regarding development of Industries and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details there of ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) No, Sir; information is still awaited from most the State a Governments.

(c) The question is very wide and involves collection of material from all the State Governments in addition to the concerned Central Government Departments. All the State Governments and others concerned have been addressed for the information and material from several state Governments are yet to be received. They have been requested to take immediate steps to expedite the collection and supply of the requisite information .

Industrial Undertakings in Uttar Pradesh

348. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8305 on the 23rd April, 1968 regarding Industrial Undertakings in Uttar Pradesh and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) The information is furnished in the statement laid on the Table. [*Placed in Library. See No. LT-1371/68.*]

(c) Does not arise.

Railway Security Special Force

349. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3832 on the 12th March, 1968 regarding recruitment of persons in Railway Security Special Force and state :

(a) Whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Punacha) : (a) Yes.

(b) A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House. [*Placed Library See No. LT-1372/68.*]

(c) Does not arise.

Advertisement of Posts in Railways

350. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of advertisements published in the newspapers for filling up certain vacant posts in All India Railways, Zone-wise and category-wise, and the number of newspapers in which such advertisements appeared during the year 1966-67 ;

(b) whether a copy of each of the advertisements which appeared in the newspapers would be laid on the table of the House ; and

(c) if so, when?

The Minister of Railways (Shri C.M. Punacha) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is collected.

Factories in Uttar Pradesh

351. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1696 on the 7th May, 1968 regarding factories in Uttar Pradesh and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library.* [*See No. LT-1373/68.*]

(c) Does not arise.

व्यापार और आर्थिक सहयोग के बारे में भारत और श्रीलंका का करार

352. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री वेणीशंकर शर्मा :**
डा० रानेन सेन : **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी बाजारों में चाय के व्यापार को विनियमित करने के उद्देश्य से चाय का एक सार्थ-संघ बनाने के बारे में भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच हाल ही में एक करार हुआ है;

(ख) क्या उस करार में दोनों देशों के बीच आर्थिक विकास और संयुक्त उपक्रमों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की भी व्यवस्था है;

(ग) क्या सार्थ-संघ की रचना और कार्यों का ब्यौरा तथा अधिक आर्थिक सहयोग की योजनाएं तैयार कर ली गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारत तथा श्रीलंका के बीच चाय के सम्बन्ध में हाल ही में हुए एक करार के अनुसार दोनों देश चुने हुए विदेशी बाजारों में मिश्रित तथा पैकेट बंद चाय की बिक्री बढ़ाने के लिये एक संयुक्त सार्थ-संघ स्थापित करने की आवश्यकता पर सहमत हो गये हैं ।

(ख) से (घ). भारत तथा श्रीलंका, प्रस्तावित चाय सार्थ-संघ के संविधान का प्रारूप तैयार करने तथा संक्षिप्त रूप में उसके उद्देश्य, कार्य, आर्थिक तथा प्रशासनिक ढांचा और कार्य-क्षेत्र की व्याख्या करने के लिये दोनों देशों के प्रतिनिधियों का एक कार्यकारी दल स्थापित करने के लिये सहमत हो गये हैं । एक अन्य करार द्वारा दोनों देश आर्थिक सहयोग पर एक संयुक्त समिति स्थापित करने के लिये सहमत हो गये हैं जो कि भारत तथा श्रीलंका के बीच संयुक्त उपक्रमों सहित निरंतर आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में उपाय निकालने तथा अपनाने का कार्य करेगा ।

बीकानेर-मारवाड़ 95 अप मेल गाड़ी

353. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीकानेर–मारवाड़ 95 अप मेल रेलगाड़ी के समय में 1 अप्रैल, 1968 से परिवर्तन कर दिया गया है;

(ख) क्या समय में इस परिवर्तन के फलस्वरूप यात्रियों को विशेषकर जोधपुर से बड़ी कठिनाई अनुभव हो रही है;

(ग) क्या मारवाड़ वाणिज्य संघ ने रेलवे अधिकारियों से यह अनुरोध किया है कि जोध पुर से गाड़ी के चलने के समय को 9 बजे प्रातः कर दिया जाये;

(घ) रेलवे मंत्रालय ने किन कारणों से रेलगाड़ी के समय में परिवर्तन किया;

(ङ) क्या सरकार ने रेलगाड़ी के समय को पहिला जैसे करने के लिये जैसा कि भाग (ग) में कहा गया है, लोगों की प्रार्थना पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) से (च). 1–4–68 से 95 अप बीकानेर–मारवाड़ डाक गाड़ी का समय बदल दिया गया था ताकि बीकानेर से सीधे जाने वाले यात्रियों के लिये यात्रा में लगने वाले कुल समय में कमी लायी जा सके। इस गाड़ी के और पहले रवाना होने से जोधपुर के यात्रियों को कठिनाई होती है, इसके बारे में प्राप्त अभ्यावेदन को देखते हुए 95 अप डाक गाड़ी को 1–10–1968 से लागू होने वाली समय सारणी में जोधपुर से पहले की तरह 08–00 बजे सुबह चलाने का विचार है।

कारों के निर्माण के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

354. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री क० हाल्दर :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क आयोग ने, जिसे कारों की उत्पादन लागत के बारे में जांच करने के लिये कहा गया था, सरकार को प्रस्तुत किये गये अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया है कि कारों पर से मूल्य और वितरण सम्बन्धी नियंत्रणों को समाप्त किया जाना चाहिये;

(ख) क्या आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि जब तक कारों के मूल्य बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक पाण्डे आयोग की सिफारिशों के अनुसार उस उद्योग के लिये कारों के गुण-प्रकार को बढ़ाना सम्भव नहीं है क्योंकि उस उद्योग को काफी घाटा हो रहा है;

(ग) क्या सरकार ने प्रशुल्क आयोग की शिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों की लागत के ढांचे तथा उचित बिक्री मूल्य सम्बन्धी प्रतिवेदन अभी प्रशुल्क आयोग से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

कपड़ा उद्योग

355. **डा० रानेन सेन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा मिल मालिकों ने सरकार से यह प्रार्थना की है कि कपड़ा उद्योग को कर लगाने के बारे में 'पूर्ववर्तित उद्योग' घोषित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

मुखर्जी आयोग की सिफारिशें

356. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री भगवान दास :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खान विभाग के खोज कक्ष के पुनः स्थानान्तरण के बारे में मुखर्जी आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन पर कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है, तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) यह निर्णय किया गया था कि समन्वेषी कक्ष भारतीय खान ब्यूरो को पुनरन्तरित न किया जाये ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

माईनिंग और एलाइड मशीनरी कारपोरेशन दुर्गापुर

357. **श्री मुहमम्द इस्माइल :**
श्री भगवान दास :
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माइनिंग एण्ड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर के बारे में रूसी विशेषज्ञों के दल द्वारा दी गई सिफारिशों का व्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक सिफारिश के बारे में कारपोरेशन के निदेशक मण्डल ने क्या निर्णय किये; और

(ग) इन निर्णयों को किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). संगत ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1374/68]

भारत रूस व्यापार

358. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस के साथ भारत के व्यापार का जो 300 करोड़ रुपये का लक्ष्य था वह वर्ष 1970 की बजाय इसी वर्ष पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) क्या रूस के साथ भारत का व्यापार बढ़ जाने से पश्चिमी देशों के साथ भारत के व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) . (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। सोवियत रूस के साथ व्यापार में वृद्धि मुख्यतया ऐसी अपरम्परागत तथा विशेषतः निर्मित वस्तुओं के निर्यात के कारण हुई है जो समस्त निर्यात मांगों को पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

इस्पात की रेलों का निर्यात

359. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत बड़ी मात्रा में इस्पात की रेलों का निर्यात कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जायेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). वर्ष 1967–68 में, 40,717 टन रेल की पटरी का निर्यात किया गया जिससे 2.6 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

व्यापार संतुलन

360. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके साथ 1967–68 में भारत का व्यापार संतुलन ठीक नहीं रहा था तथा 1966–67 में उन देशों से व्यापार संतुलन किस प्रकार का रहा था;

(ख) इस अवधि में किन देशों से भारत का व्यापार संतुलन ठीक रहा तथा पहले वर्ष के यह आंकड़े क्या थे ;

(ग) 1966–67 तथा 1967–68 में व्यापार संतुलन कुल कितना था; और

(घ) 1968–69 में इन देशों में से प्रत्येक के साथ व्यापार संतुलन को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). विवरण 1 तथा 2 (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखे जाते हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1375/68]

(ग) 1967–68 तथा 1966–67 में कुल प्रतिकूल व्यापार संतुलन क्रमशः 776 करोड़ रु० तथा 922 करोड़ रु० रहा।

(घ) हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये आवश्यक कच्चे माल, मशीनों, अनाज आदि की अपेक्षित आवश्यकताओं के आयात की जरूरत को देखते हुए 1968–69 में अधिकांश देशों के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन के हटने की कोई सम्भावना नहीं है। तथापि कुल प्रतिकूल व्यापार संतुलन कम करने के लिये आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात बढ़ाने की दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मलयेशिया में भारतीय परियोजनाएं

361. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री ने अपनी मलयेशिया यात्रा के दौरान वहां पर स्थापित की जा रही भारतीय परियोजनाओं, यथा, बिड़ला बंधुओं की कपड़ा मिलों और कमानी द्वारा आयोजित बिजली के मीटर बनाने के कारखानों की स्थापना में हो रही धीमी प्रगति के प्रश्न पर विचार किया था;

(ख) क्या यह सच है कि मलयेशिया के विकास के लिये जापान, ताइवान और आस्ट्रेलिया द्वारा साथ ही साथ आरम्भ की गई परियोजनाओं ने पहले उत्पादन आरम्भ कर दिया है;

(ग) भारतीय परियोजनाओं की प्रगति धीमी होने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) भारतीय परियोजनाओं की शीघ्रतापूर्व पूर्णता के लिये मलयेशिया सरकार ने क्या विशेष प्रस्ताव रखे थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) मलयेशिया में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के विषय पर, किसी विशिष्ट परियोजना का निर्देश किये बिना, सामान्यतः बातचीत हुई थी।

(ख) इस विषय पर हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ). संयुक्त उपक्रमों पर संबद्ध सरकारों द्वारा दी गई निवेश सुविधाओं तथा बताये गये विनियमनों की रूपरेखा के अंतर्गत सम्बद्ध पार्टियों द्वारा बातचीत की जाती है। कभी कभी, वित्तीय व्यवस्था करने, तकनीकी जानकारी एकत्र करने, भागीदारी की शर्तों आदि के कारण विलम्ब हो जाता है। मलयेशिया की सरकार ने भारतीय सहयोग से संयुक्त उपक्रमों का स्वागत किया है और विदेशी निवेशकों को कुछ सुविधाएं भी प्रदान की हैं जिन में भारतीय भी शामिल हैं। इन सुविधाओं में निवेश प्रोत्साहन, प्रवर्त्तक प्रतिष्ठा, स्थानीय उद्यमियों का पता लगाने में सहायता, ऋणों की व्यवस्था आदि शामिल हैं।

भारत में प्लासटिक उद्योग

362. श्री हिम्मत सिंहका : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत में प्लासटिक उद्योग के भावी विकास के लिये नये क्षेत्र ढूंढने की दृष्टि से 3 जून, 1968 को भारत में आयोजित राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के भारत-जापानी आदिरूप उत्पादन प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप प्रायोजित गोष्ठी की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस गोष्ठी में क्या क्या मुख्य सुझाव दिये गये तथा विचार व्यक्त किये गये; और

(ग) जापान से सहयोग प्राप्त करके अथवा उसके बिना भारत से प्लास्टिक उद्योग का विकास करने की दृष्टि से सरकार ने इन विचार विमर्शों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई व्यापक कार्यक्रम निर्धारित किया है तो वह क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) लघु क्षेत्र में प्लास्टिक उद्योग के विकास तथा विकास कार्य-क्लापों में आद्यरूप उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, हावड़ा के महत्व पर विचार-विनिमय करने के उद्देश्य से भारत-जापानी आद्यरूप उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, हावड़ा, एवं लघु उद्योग सेवा संस्थान, कलकत्ता में 3 जून, 1968 को मुक्त रूप से विचार-विमर्श तथा प्रदर्शनों की व्यवस्था की गई थी।

(ख) (1) पेट्रो-रसायन उद्योग समूहों की स्थापना हो जाने से प्लास्टिक का काफी कच्चा माल तैयार किया जायगा । अतः उसके उपयुक्त इस्तेमाल किये जाने के लिये मशीनों का होना आवश्यक है । इस प्रयोजन के लिये नये उत्पादों तथा प्लास्टिक के कच्चे माल की अधिक किस्मों का विकास करना आवश्यक होगा उससे और अधिक रोजगार भी मिल सकेगा ।

(2) आद्यरूप उत्पादन—सह प्रशिक्षण केन्द्र हावड़ा को प्लास्टिक के ढले साँचों की निरन्तर बढ़ती हुई माँग पूरी करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों का एक केन्द्रक बनाना चाहिये तथा आधनिक तरीके से सांचे तैयार करने के लिये उपलब्ध कुशल कारीगरों को प्रशिक्षण देने के लिये भी कदम उठाने चाहिये ।

(3) प्लास्टिक के कुछ कच्चे मालों जैसे नाइलोन, सेलथोन आदि तथा कच्चे माल बनाने के लिये आवश्यक संयोज्यों जिनके लिये इस समय पूर्ण रूपेण आयात पर निर्भर करना पड़ता है, की निर्माण क्षमता स्थापित करने के लिये गुंजाइश नहीं है ।

(ग) चूंकि यह मुक्त विचार-विमर्श मुख्यतः प्लास्टिक उद्योग के विकास में आद्यरूप उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र हावड़ा का महत्व है, इसका पता लगाने के उद्देश्य से किया गया था, अतः इस संबंध में राष्ट्रीय लघु उद्योग संस्थान उपयुक्त कार्रवाई करेगा ।

फियेट और अम्बैसेडर कारें

363. श्री अब्दुल गनी दार : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति वर्ष फियेट और अम्बैसेडर कारें कितनी कितनी संख्या में बनती हैं;

(ख) प्रतिवर्ष कितनी फियेट कारें सरकारी कोटे के लिए रक्षित की जाती हैं;

(ग) प्रति वर्ष कितनी फियेट कारें संसद सदस्यों के लिए रक्षित की जाती हैं;

(घ) क्या यह सच है कि पहले संसद सदस्यों को फियेट कारें दो वर्ष के पश्चात् अलाट की जाती थीं जब कि अब चार वर्ष के बाद अलाट की जाती हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो परिवर्तन के क्या करण हैं;

(च) क्या संसद् सदस्यों ने अभ्यावेदन किया है कि उन्हें दो वर्ष के पश्चात् फियेट कारें अलाट की जायें; और

(छ) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) गत तीन वर्षों में देश में बनायी गई फियेट व अम्बैसेडर कारों की संख्या निम्न प्रकार है:

	फियेट	अम्बैसेडर
1965	5,673	15,558
1966	7,030	19,464
1967	10,055	20,515
1968 (जून तक)	6,060	12,188

(ख) 1,200

(ग) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित संख्या में से 200 रक्षित रखी जाती हैं।

संसद् सदस्यों को फियेट कारों की वास्तविक माँग को देखते हुए इस संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है।

(घ) और (ङ) मई, 1966 से पूर्व पहली कार खरीदने की तारीख से 4 वर्ष बीतने से पहले किसी भी संसद सदस्य को (मंत्री के अतिरिक्त) नई फियेट कार का आवंटन नहीं किया जाता था। हाँ, मई 1966 में संसद सदस्यों की माँग अपेक्षाकृत कम होने के कारण समय की यह सीमा घटा दी गई है। चौथी लोक सभा के गठन के बाद संसद सदस्यों की फियेट कारों की भारी माँग को देखते हुए मार्च, 1967 में चार वर्ष वाले नियम को फिर से लागू कर दिया गया है।

(च) और (छ) कुछ संसद सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से यह प्रार्थना की है कि उनके संबंध में 4 वर्ष के नियम में कुछ छूट दे दी जाये। उनकी प्रार्थनाओं पर प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया है। तथापि ऐसा कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है कि 4 वर्ष वाले नियम के स्थान पर 2 वर्ष वाला नियम कर दिया जाये।

भारत पाकिस्तान चाय सार्थ-संघ

364. श्री य० अं० प्रसाद :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री चक्रपाणि :
श्री पा० गोपालन :
श्री न० कु० सोंधी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय व्यापार के सम्बन्ध में एक भारत-पाकिस्तान सार्थ-संघ स्थापित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रस्तावित चाय सार्थ-संघ अफ्रीका के चाय उगाने वालों को शामिल करने के प्रश्न को भी ध्यान में रखेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

365. श्री य० अं० प्रसाद :
श्री वेदव्रत बरुआ।
श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों में हस्तक्षेप किये जाने के प्रश्न पर विचार किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में परिषद ने क्या निर्णय किये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद की 17 और 18 मई, 1968 को हुई अन्तिम बैठक में इस विशिष्ट प्रश्न पर न तो चर्चा की गई और न ही यह प्रश्न उठाया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

समवायों द्वारा राजनैतिक दलों को दान

367. श्री य० अं० प्रसाद :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री न० कु० सोंधी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधि मंत्री ने समवायों द्वारा राजनैतिक दलों को दान देने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयक को संविधान के विरुद्ध ठहराया है और विधेयक को वापिस लेने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह सुझाव किस आधार पर दिया गया है; और

(ग) इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). विधि मंत्रालय सहित सम्पूर्ण संबद्धों द्वारा प्रकट किये गये विचारों को दृष्टि में रखने के पश्चात भारत सरकार ने कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों के लिये दान पर प्रतिबन्ध लगा के विचार से कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधन का निर्णय किया है ।

बम्बई से अमृतसर तक चलने वाली फ्रंटियर मेल के साथ वातानुकूलित डिब्बों का लगाया जाना

369. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई मध्य से अमृतसर तक चलने वाली फ्रंटियर मेल के साथ जो वातानुकूलित डिब्बा लगाया जाता है वह दिल्ली में इस गाड़ी से अलग कर दिया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसे अमृतसर तक लगे रहने देने के बजाय दिल्ली में अलग किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस वातानुकूलित डिब्बे को दिल्ली में अलग किये जाने के विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(घ) यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) फ्रंटियर डाक गाड़ी के साथ बम्बई से चलने वाला पूरा वातानुकूल डिब्बा सर्दी के महीनों में सीधा अमृतसर तक जाता है। गर्मी के मौसम में पूरा वातानुकूल डिब्बा दिल्ली में गाड़ी से अलग कर दिया जाता है और उसके बदले दिल्ली से अमृतसर के लिए एक आंशिक वातानुकूल डिब्बा फ्रंटियर डाक गाड़ी में जोड़ा जाता है।

(ख) गर्मी के महीनों में बम्बई से चलने वाला पूरा वातानुकूल डिब्बा पठानकोट की ओर मोड़ दिया जाता है क्योंकि अमृतसर की अपेक्षा पठानकोट के लिए वातानुकूल दर्जे में यात्रा करने वाला सीधा यातायात बहुत अधिक होता है। बम्बई और अमृतसर के बीच वातानुकूल दर्जे में यात्रा करने वाला जो सीमित यातायात होता है उसकी जरूरतें सप्ताह में दो बार चलने वाली 25 डाउन/26 अप बम्बई अमृतसर वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ी के साथ चलने वाले पूरे वातानुकूल डिब्बे द्वारा पूरी की जाती है। 11-7-68 से वेस्टर्न एक्सप्रेस गाड़ियों के चलने से बम्बई और अमृतसर के बीच इन दो गाड़ियों के साथ सप्ताह में दो दिन और सीधी जाने वाली वातानुकूल सेवा पूरे वर्ष उपलब्ध हो गयी है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) अभ्यावेदन पर विचार किया गया है लेकिन अपेक्षित वातानुकूल डिब्बों के अभाव में पूरे वर्ष बम्बई सैंट्रल से अमृतसर तक पूरा वातानुकूल डिब्बा चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

रेलवे दुर्घटनायें

370. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुर्घटनाओं के कारणों पर विचार करने और उनकी रोकथाम के लिये सुझाव देने के लिये कोई उच्च शक्ति प्राप्त आयोग स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग के सदस्य और इस के निर्देश-पद क्या होंगे;

(ग) यह आयोग अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगा; और

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) भारतीय रेलों में दुर्घटनाओं के कारणों की जाँच करने और उन्हें कम करने के उपाय सुझाने क लिए सरकार ने 3 अप्रैल, 1968 को भारत के सेवा-निवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री के० एन० वान्चू की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार-प्राप्त समिति नियुक्त की है ।

(ख) समिति का गठन :

1. श्री के० एन० वान्चू, भारत के सेवा-निवृत मुख्य न्यायाधीश—

अध्यक्ष

2. श्री एम० आर० मसानी संसद् सदस्य—

सदस्य

3. श्री एस० आर० वसावड़ा, अध्यक्ष नैशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवे मन

4. श्री एफ० सी० बघवार, सेवा-निवृत अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड

5. श्री पी० बी० ऐबारा, रेल संरक्षा आयुक्त

विचारार्थ विषय

(i) 1962 में जो रेल दुर्घटना समिति नियुक्त की गयी थी उसकी सिफारिशों और उनके क्रियान्वयन को देखते हुए 1962 के बाद भारतीय रेलों में दुर्घटनाओं की स्थिति की समीक्षा करना ।

(ii) दुर्घटनाओं को और कम करने के लिए उपाय सुझाना ।

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट पेश करने में कुछ महीनों का समय लेगी । काम की जटिलता और उसकी मात्रा को देखते हुए अभी कोई निश्चित तारीख नहीं बतायी जा सकती ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन

371. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन बोर्ड में सरकार का कोई निदेशक है ;

(ख) यदि हां, तो उन निदेशकों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि कुछ निदेशकों ने सरकारी निदेशकों के रूप में अपने नामों का दुरूपयोग किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) . नहीं, श्रीमान् । 1962 के वर्ष से, जबकि ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन का प्रबन्ध, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा हिस्सेधारियों द्वारा निर्वाचित मंडल के लिये, नियुक्ति किया गया था, सरकार तथा बजारियों के मध्य यह समझौता हो गया है कि निदेशकों की सूची. दूसरे बृहद् हिस्सेधारी की हैसियत से सरकार द्वारा अनुमोदित की जायेगी । इस समझौते से लक्षित होता है कि सरकार को, कम्पनी के, संस्था के अन्तर्नियमों की शर्तों के अनुसार, निदेशकों के पद के लिये कुछ व्यक्तियों के नामों को पसंद करने का सुझाव देने का अधिकार है । सरकार ने, मुख्य हिस्सेधारी होने के नाते, सर्वश्री एस० एन० बिलग्रामी तथा हिम्मत सिंह के नामों का सुझाव दिया था । वह निदेशक मंडल द्वारा, मंडल में दो रिक्त पदों के होने से, विधिवत नियुक्त किये गये थे । इन परस्थितियों में, उन्हें सरकारी निदेशकों की कोटि में रखना अनुपयुक्त है ।

(ग) हाँ, श्रीमान् कम्पनी के अध्यक्ष को लिखे गये अपने किसी तार अथवा पत्र में, कुछ निदेशकों द्वारा अपने आप को सरकारी निदेशक लिखने की, सूचना मिली थी ।

(घ) उस के लिये इस स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया गया है ।

हिन्द गाल्वेनाइजिंग कम्पनी

372. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **औद्योगिक, विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 30 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8903 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 में हिन्द गाल्वेनाइजिंग के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण थे, जब उन्होंने सरकार से अनुमति प्राप्त किये बिना ही अपने विवरणों में तेल के ढोलों का निर्माण दिखाना आरम्भ कर दिया था;

(ख) सूची में दर्ज नामों में से उस प्रतिरक्षा विभाग का नाम क्या है, जिसे उन्होंने ढोल सप्लाई किये थे;

(ग) क्या लाइसेंस प्राप्त मूल निर्माता प्रतिरक्षा विभागों और तेल समवायों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ थे;

(घ) क्या उनके इस बयान की, कि उन्होंने अमीचंद प्यारे लाल तथा राम किशन कुलवन्त राय से खुली बिक्री में इस्पात की चादरे खरीदी थी; उन फर्मों से पुष्टि की गई है;

(ङ) क्या उन्हें आवंटित की गई इस्पात की चादरों का प्रयोग उन्होंने तेल के 5/10 गैलन के ढोल बनाने के लिए किया था: और

(च) यदि हाँ, तो इस प्रकार के उल्लंघन के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 26 मार्च, 1968 को पूछे गये लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं० 5230 के उत्तर को देखा जाय ।

फर्म सरकार से अनुरोध करती रही कि तेल के ढोल बनाने की उसकी क्षमता को स्वीकृति प्रदान की जाय। जैसा कि 24 नवम्बर, 1967 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 250 के उत्तर में स्पष्ट किया गया था, इस फर्म की तेल के ढोल बनाने की क्षमता विधिवत जाँच करने के पश्चात् स्वीकार की गई थी। सरकार द्वारा इस फर्म तथा अन्य फर्म द्वारा तेल के ढोल बनाने की क्षमता को मान्यता देने की दृष्टि से इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया था।

(ख) वर्ष 1962 के लिए मद संख्या 2 तथा 6 और वर्ष 1963 के उत्तरार्द्ध के लिए मद 5 के लिए उल्लिखित सूची के कालम तीन को देखा जाय

(ग) इस आशय की जानकारी की क्या दूसरे उत्पादकों से भी पूछा गया था उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, हाँ।

(च) उन सभी परिस्थितियों को जिनमें इस एकक ने इस्पात के ड्रम बनाने के कोटे को तेल के 40/45 गैलन क्षमता के तेल के ढोल बनाने के लिए प्रयुक्त किया था, ध्यान में रखते हुए इस अनियमितता को क्षमा करने का निर्णय किया गया था।

मैसर्स हिन्द गल्वाइजिंग द्वारा ड्रमों की खरीद

373. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 7 मई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1686 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्द गेल्वेनाइजिंग ने इण्डियन गेल्वेनाइजिंग कम्पनी से केवल 5/10 गैलन के ड्रम बनाने के लिए संयंत्र और मशीनरी खरीदी थी;

(ख) यदि हाँ, तो 40/46 गैलन क्षमता के इस्पात के ड्रमों के अतिरिक्त अन्य सभी पैमानों के इस्पात के ड्रम बनाने के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्होंने केवल 5/10 गैलन के ड्रम बनाने का संयन्त्र खरीदा था और क्या बिटुमन ड्रम बनाने की अनुमति देकर सरकार ने इससे अतिरिक्त क्षमता की मंजूरी दी थी;

(घ) उन्होंने बिटुमन ड्रम बनाने के लिए मशीनरी कहाँ से प्राप्त की और क्या उन्हें उसे प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी; और

(ङ) उपभोक्ताओं के स्थान पर लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं को बिटुमन को ड्रम की चादरें न दिये जाने के विशिष्ट कारण कौन-कौन से हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) मेसर्स हिन्द गेल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी ने मैसर्स इण्डियन गेल्वेनाइजिंग कम्पनी से 45 से 90 गैलन आकार के अधिक शुल्क वाले ड्रमों का निर्माण करने के लिए एक पूरा संयंत्र खरीदा था किन्तु इसमें 40/45 गैलन वाले ड्रमों के निर्माण का संयंत्र सम्मिलित नहीं है। इसी कारण से पंजीयन प्रमाणपत्र में 40/45 गैलन को पंजीयन प्रमाण पत्र में इस्पाती ड्रमों के अतिरिक्त सम्पूर्ण इस्पात के ड्रमों का निर्माण करना सम्मिलित था। फर्म द्वारा बिटुमन ड्रमों के निर्माण की नई क्षमता इस कारण नहीं स्थापित की गई क 40/46 गैलन के ड्रमों के अतिरिक्त उनकी विद्यमान

निर्धारित क्षमता अलग कर दी गई थी और उसमें 200 मी० टन प्रति वर्ष के हिसाब से असफाल्ट एवं बिटुमन के ड्रम शामिल किये जाने थे ।

(ङ) इस संबंध में लोक-सभा में 11 मार्च, 1968 को पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 3551 के भाग (क) के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफक्चरिंग कम्पनी

374. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 30 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1542 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 के निर्धारण वर्ष के दौरान दिये गये ब्यौरे के अनुसार ही मशीनें कार्य कर रही थीं ;

(ख) यदि नहीं, तो चालू मशीनरी का और अलग से रखी मशीनरी का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन मशीनों का ब्यौरा क्या है जिनके आधार पर अस्थायी रूप से क्षमता को 3,700 टन और फिर 1961 में गति अध्ययन के बाद 6,100 टन नियत की गई थी;

(घ) क्या निर्धारण रिपोर्टें गुप्त दस्तावेज हैं, यदि नहीं, तो उनके सभा पटल पर न रखने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या मूल लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं को कच्चे माल का नियतन न करके हिन्द गेल्वेना-इंजिंग की नवीन क्षमता की मान्यता देकर तथा स्टैण्डर्ड ड्रम को अनिधिकृत विस्तार की अनुमति देकर बैरलों की अधिक सप्लाई की समस्या हल हो गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) अर्ध आटोमेटिक बाडी फार्मर एण्ड वैल्डर के जिसका परीक्षण किया जा रहा था के सिवाय सभी मशीनें 1964 में आँकते समय चालू थीं । कोई भी मशीन अलग से बेकार नहीं खड़ी थी ।

(ग) 1956-57 में निर्धारित की गई 3700 टन प्रति वर्ष की पंजीकरण क्षमता गत वर्षों की अधिकतम खपत पर आधारित थी । दो सूचियाँ (अंग्रेजी उत्तर के साथ) सभा पटल पर रखी जाती हैं, [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1376/68] । जिनमें से एक में 1954 में इनके पास जो मशीनें थीं और दूसरी में 1961 में उनकी मशीनें जिनके आधार पर 6,100 टन की वार्षिक क्षमता आँकी गई थी, दिखाई गई है ।

(घ) तकनीकी अधिकारियों से उनकी क्षमता आँकने की रिपोर्ट सरकार को इन पर निर्णय करने के लए प्राप्त की गई थीं, इसलिए उन्हें सभा-पटल पर रखा जाना आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

(ङ) मैसर्स हिन्द गेलवेना इंजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी प्रा० लि० की क्षमता को पंजीकरण तथा मैसर्स स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी की क्षमता आँकी जाने पर 24 नवम्बर, 1967 को लोक-सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 250 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । तेल के ढोलों का उत्पादन 1963 में 4,21,64 मी० टन से बढ़ कर 1966 में 45, 846 मी० टन हो गया है । 18 गेज की चादरों की कमी होने के कारण ढोलों के उत्पादन में वृद्धि अधिक नहीं हुई है ।

कोच अटेन्डेंट

375. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **रेलवे** मंत्री रेलवे कोच अटेन्डेंटों के बारे में 12 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3764 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में कोच अटेंडेंटों को वाणिज्यिक अथवा यान्त्रिक विभाग के अधीन रखने तथा अटेन्डेंटों को जाँच के लिये यात्रियों से टिकट पास माँगने का अधिकार देने के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) पूरे गलियारे किस्म के प्रथम श्रेणी के कोचों में नियुक्त कोच परिचरों को वाणिज्यिक विभाग या यान्त्रिक विभाग के अधीन रखा जाय, यह प्रश्न अभी विचाराधीन है। फिर भी रेलों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि यदि कोई चल टिकट परीक्षक/कंडक्टर न हो तो कोच परिचरों को यह अधिकार दिया जाय कि वे डिब्बे में प्रवेश करते समय यात्रियों के टिकटों की जाँच करें।

तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ियां

376. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **रेलवे** मंत्री 12 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3702 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 120 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ियाँ चलाने के बारे में परीक्षण तथा जाँच पड़ताल का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे और यह रेलगाड़ी किस तारीख से चलाई जायेगी;

(ग) क्या यह प्रस्तावित गाड़ी बिहार में कहीं नहीं रुकेगी और उत्तर प्रदेश में दो स्थानों पर रुकेगी; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या इसका मार्ग बदल कर पटना में एक हाल्ट बनाने पर भी विचार किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ियाँ चलाने के बारे में जाँच पड़ताल और परीक्षण अभी चल रहे हैं।

(ख) जो जाँच पड़ताल हो रहे हैं उनकी समाप्ति पर ही यह विनिश्चय किया जा सकता है कि यह गाड़ी किस तारीख से चलायी जायेगी।

(ग) और (घ) इस गाड़ी के लिए मध्यवर्ती यातायात हाल्ट की व्यवस्था करने का कोई विचार नहीं है।

व्यापार सम्बन्धी प्रतिबन्ध

377. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **वाणिज्य** मंत्री 12 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3701 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका, अर्जेन्टाइना, कनाडा और लातीनी अमरीका के कुछ अन्य देशों की

सरकारों ने भारत से आयात कोटा पद्धति व्यवस्था के आधार पर गैर-अत्यावश्यक उत्पादों के आयात पर लगे प्रतिबन्धों को हटा लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस भेदभाव के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) सं० रा० अमरीका तथा कनाडा की आयात कोटा प्रणाली से हमारी कुछ ही निर्यात मदों पर प्रभाव पड़ता है, उदाहरण के लिए सं० रा० अमरीका में सूती वस्त्र तथा कनाडा में रेयन के वस्त्र। इन कोटों के उदारीकरण के लिए हम निरन्तर दबाव डाल रहे हैं।

अर्जेंटीना तथा अन्य लातीनी अमरीकी देशों के विषय में, विकासशील देशों द्वारा लगाये गये प्रशुल्क तथा गैर प्रशुल्क बाधाओं को हटाने के निमित्त कार्य करने के लिए गाट के तत्वावधान में एक व्यापार वार्ता समिति गठित की गई लातीनी अमरीकी देशों द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों सम्बन्धी मामले पर इन वार्ताओं के दौरान विचार किया जायेगा।

Export of Iron

378. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India exports 40,00,000 tons of iron ore (Bailadila Raipur) to Japan ;

(b) whether this iron ore cannot be utilised in the Indian steel plants at Bhilai, Durgapur, Rourkela etc. ;

(c) whether the goods imported from Japan in exchange for the said export cannot be produced indigenously ;

(d) the earnings of Government from this export of the iron ore and the expenditure incurred by Government on the import of finished goods from Japan;

(e) whether it is also a fact that India has to sustain heavy loss because of the export of iron ore to Japan;

(f) if so, whether Government propose to stop this export with a view to increasing our steel production ; and

(g) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) The National Mineral Development Corporation Ltd. has developed a mechanised mine based on Bailadila Deposit No. 14 for export of four million tonnes of lump iron ore per annum to Japan. The trial runs of the plant were commenced in April, 1968. The exports at the rate of 4 million tonnes per annum are envisaged only when the full production capacity is attained. The Corporation , however, shipped upto 30-6-1968, 5.92 lakh tonnes of ore produced by manual mining.

(b) The selection of mines for export purposes is made after taking into consideration the requirements of indigenous steel plants.

(c) and (d) No goods lave been imported from Japan in exchange for the export of iron ore from Bailadila. Foreign exchange equivalent to Rs. 408.48 lakhs has been earned by export of 5.92 lakh tonnes of float ore to Japan.

(e) Some rupee loss is likely to be incurred by the export of iron ore from Bailadila but this will be compensated by the earning of much needed foreign exchange to the extent of about Rs. 27 crores annually. In addition Export Duty totalling to Rs. 4 crores annually (@ Rs. 10.50 per tonne) will accrue to the Government Revenues.

(f) and (g) The production of steel in the country would not be affected by the export of iron ore from Bailadila.

Kalyani Spinning Mills

379. **Shri Madhu Limaye:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that both the branches of the Kalyani Spinning Mills Limited at Kalyani and Nadia are running at a heavy loss;

(b) whether it is also a fact that the Managing Director of the aforesaid mills has been reappointed despite the fact that he is not physically fit to hold his post and that in 1964 the Anti-corruption Department and the then Secretary in the Ministry of Industrial Development, Shri Mazumdar, had enquired into certain charges of corruption against him and had submitted their reports against him;

(c) if so, whether it is also a fact that because of the present Managing Director, the entire management of the said company has become corrupt and inefficient; and

(d) whether Government propose to appoint an Inquiry Commission to enquire into the causes of the heavy losses in these mills and also into the charges of corruption against the present Managing Director?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) The latest audited Accounts available are for 1966-67 which show that the mill has earned profits.

Accounts for the year 1967-68 have not yet been finalised.

(b) Medical report obtained prior to his re-appointment did not indicate that he was physically unfit. The then Secretary Commerce and Industry Department did not hold any enquiry against him. The report of the Anti-corruption Department, which made enquiries against him, showed some minor charges. The State Government loom into consideration this report before his re-appointment.

(c) The Government have no information to warrant such a view.

(d) The State Government, which owns the company running the two mills, proposes to conduct a techno-economic survey of the two units and the proposal is being examined by the Textile Commissioner.

Facilities to Handicapped Children of Railway Employees

380. **Shri Madhu Limaye.** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have received any request for providing special facilities to the handicapped children of Railway employees in respect of education and employment;

(b) if so, the facilities being provided in this regard at present; and

(c) the other facilities to be provided to these children in future?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) to (c). A representation was received stating that handicapped children who received education with Railway assistance, presumably from the Staff Benefit Fund, should be provided employment. As far as education is concerned, assistance from Staff Benefit Fund is available for this purpose. As for employment there are instructions regarding employment of handicapped persons on Railways but there are no special instructions regarding employment of children of Railway employees.

No other facilities are contemplated to be provided to handicapped children.

चाय बोर्ड द्वारा माल गोदामों को अधिकार में लिया जाना

381. **श्री मधु लिमये** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को ऐसे ज्ञापन मिले हैं कि चाय-बोर्ड सार्वजनिक चाय मालगोदामों को अपने अधिकार में ले ;

(ख) यदि हां, उस अभ्यावेदन में क्या-क्या मख्य शिकायतें की गई हैं ;

(ग) क्या ये मांगें चाय-बोर्ड के पुनर्गठन से सम्बन्ध रखती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) चाय-बोर्ड कर्मचारी संघ ने अपने अभ्यावेदन में यह अनुरोध किया है कि चाय-बोर्ड को सार्वजनिक चाय माल गोदामों को अपने हाथ में ले लेना चाहिये क्योंकि उनके विचार में चाय मालगोदाम को चलाने में कोई विशिष्ट तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है और दूसरे माल गोदामों को अपने हाथ में लेने से बोर्ड पर्याप्त आय कमा सकता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सार्वजनिक चाय मालगोदामों के प्रबन्ध तथा नियंत्रण को अपने हाथ मे लेने के समस्त मामले की जांच करने के लिए चाय-बोर्ड ने एक विशेष समिति की स्थापना की है। इसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

गया के निकट मालगाड़ी का रोका जाना

382. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 मई, 1968 को बिहार में गया के निकट लगभग 200 व्यक्तियों ने एक मालगाड़ी को रोका था और अनाज, पटसन तथा चीनी को लूट लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और लूटा गया कुछ माल बरामद किया गया है ; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनायें न हों इसके लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ;

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) जी हां। रिपोर्ट मिली है कि यह घटना 15-5-68 को हुई।

(ख) 7 व्यक्ति जिनमें 3 महलिाएं हैं गिरफ्तार किये गये। 23 बोरी जौ, दो गांठ बूट और एक बोरी चीनी जिनकी कीमत लगभग 1800 रुपये है बरामद की गयी। गया की सरकारी रेलव पुलिस ने 15-5-68 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/411/341 के अन्तर्गत अपराध नं० 6 के रूप मे एक मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है।

(ग) निरोधात्मक उपाय के रूप में प्रभावित खण्ड में मालगाड़ियां पहरे में चलायी जा रही हैं।

बहुमार्गीय सूक्ष्म तरंग रेडियो दूर संचार व्यवस्था

383. श्री महन्त दिग्विजय नाथ :

श्री हरदयाल देवगुण : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों पर बहुमार्गीय सूक्ष्म तरंग रेडियो दूर संचार व्यवस्था चालू कर दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो जोनवार यह व्यवस्था कितने मीलों पर लागू होगी ;

(ग) 1968 के अन्त तक किन-किन महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों, डिवीज़नों, मुख्यालयों को जोड़ दिया जायेगा ;

(घ) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ङ) क्या नागपुर, बम्बई डिवीजन में, इस बीच दूर संचार व्यवस्था का कार्य पूरा हो गया है और यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) मार्ग किलोमीटर की संख्या जिन पर यह लागू होगी क्षेत्रीय रेलों के अनुसार नीचे दी गयी है :—

क्षेत्रीय रेलवे	लागू होने वाले मार्ग किलोमीटर की संख्या
मध्य	429
उत्तर	1680
पूर्वोत्तर	852
पूर्वोत्तर सीमा	950
दक्षिण	2001
दक्षिण - मध्य	600
दक्षिण-पूर्व	2140
पश्चिम	752

(ग) 1968 के अन्त तक निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्टेशनों और मण्डल मुख्यालयों को जोड़े जाने की संभावना है :—

मध्य— बम्बई, कर्जत, कल्याण, लोनावला, पूना, और इगतपुरी ।

पूर्वोत्तर— सोनपुर, समस्तीपुर और गड़हरा ।

दक्षिण— मद्रास, ओंगोलू, बापटला और विजयवाडा ।

दक्षिण-पूर्व— विलासपुर, अनूपपुर, सहडोल, कटनी और जबलपुर ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित काम के लिए लगभग 9 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है ।

(ङ) नागपुर मण्डल में कोई काम नहीं है । मध्य रेलवे के बम्बई मण्डल में 1968 के अन्त तक काम पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भारत का भाग लेना

384. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में भारत कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेगा ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं जहाँ पर ये मेले आयोजित किये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी हाँ । उन अन्तर्राष्ट्रीय मेलों प्रदर्शनियों जिनमें भारत भाग लेना चाहता है तथा उन एकमात्र भारतीय प्रदर्शनियों की सूची (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखी जाती है जिन्हें विदेशों में आयोजित करने का विचार है । संलग्न सूची में वे देश भी दिखाये गये हैं जहाँ ये आयोजित किये जायेंगे । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी—1377/68]**

मद्रास में रेडियो-सक्रिय भंडार

385. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री श्रीधरन :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में रेडियो-सक्रिय भण्डारों का पता लगा है ;

(ख) क्या मैंगनीज ताँबा जैसी अन्य धातुएं भी वहाँ पाई गई हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो ये भण्डार कितने क्षेत्र में हैं ;

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से इन भण्डारों की खोज करने के लिए कोई संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ङ) यदि हाँ, तो प्रस्तावित संयंत्र में भारत और संयुक्त राष्ट्र के हिस्से कितने कितने होंगे ; और

(च) यह संयंत्र अपना कार्य कब आरम्भ करेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) रेडियो-सक्रिय निक्षेप ।

परमाणु शक्ति विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षणों के दौरान सलेम, मदुरई, नीलगिरी, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी जिलों के छोटे स्थलों में यूरेनियम के कुछ छोटे भण्डार और मद्रास राज्य के कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली जिलों के तटीय प्रदेशों के कुछ हिस्सों में मोनाजाइट के काफी बड़े घने भण्डारों का पता लगा है। इन के अतिरिक्त, तिरुचिरापल्ली जिले के फास्फेट पिंडों में और दक्षिण आरकाट जिले की नैवेली लिग्नाइट खान में कारबनयुक्त मिट्टी के क्षितिज में निम्न श्रेणी की रेडियो—सक्रियता पाई गई है। उत्तरी आरकाट और पेरमपुरी जिलों में मिलने वाली कार्बनाटाइट में भी कुछ रेडियो-सक्रियता पाई गई थी।

2. **अन्य-धातुएं** :

संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम की सहायता से मद्रास राज्य में किये गये हवाई भूभौतिक सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप काफी संख्या में विषमताएं मालूम हुई हैं। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत 14,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र लिया गया है। अन्तिम परिणाम और अर्थ-निर्धारण रिपोर्ट मिल जाने के पश्चात् इन विषमताओं का भूमि सर्वेक्षण द्वारा अनुपरीक्षण किया जायेगा।

(घ) से (च) इस समय प्रश्न नहीं उठते।

पटसन की बोरियां

386. श्री सु० कु० तापडिया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों, उर्वरकों, सीमेंट तथा चीनी का अधिक उत्पादन होने के परिणामस्वरूप वर्ष 1970–71 तक देश में पटसन की बोरियो की मांग बढ़ने की सम्भावना है ;

(ख) क्या देश में इ सकी मांग बढ़ जाने से देश के पटसन की बोरियों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो अधिक भूमि में पटसन की खेती करने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि विदेशी मुद्रा की आय न घटे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां। यह वृद्धि अन्य निर्दिष्ट मदों के उत्पादन में वृद्धि पर निर्भर होगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) विस्तृत क्षेत्रो में दुहरी फसल उगाकर, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करके तथा गहन खेती की प्रणाली अपना कर, पटसन तथा मेस्टा के उत्पादन को बढ़ाने का विचार है।

अनाज की सप्लाई के लिये इन्डेन्ट किये गये माल डिब्बे

387. श्री सु० कु० तापडिया :

[**श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल और मई, 1968 में अनाज की ढुलाई के लिए राज्य-वार भारत के खाद्य निगम, अन्य अभिकरणों तथा गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा कितने माल डिब्बे इन्डेन्ट किये गये थे ;

(ख) उक्त इन्डेन्टों पर कितने माल डिब्बे सप्लाई किये गये ; और

(ग) कितने माल डिब्बे सप्लाई किये जाने शेष हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) माल डिब्बों के मांग-पत्रों और सप्लाई से सम्बन्धित सूचना रेलवे-वार संकलित की जाती है न कि राज्य-वार । तदनुसार अपेक्षित सूचना रेलवे-वार सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी--1378/68]**

कपड़ा निगम द्वारा संकटग्रस्त मिलों को अधिकार में लेना

388. श्री सु० कु० तापडिया :
श्री न० कु० साल्वे :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा निगम देश में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को किस आधार पर अपने अधिकार में लेता है ;

(ख) उपर्युक्त निगम द्वारा बन्द पड़ी कितनी कपड़ा मिलें अधिकार में लिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ऐसी कपड़ा मिलों को संभालेगा, चाहे वे बन्द हों या नहीं, जो पहले उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18ए के अन्तर्गत ली गई हो तथा उन्हें प्राधिकृत नियंत्रक के प्रबन्ध में रखा गया हो और जो पूंजीगत ढांचे का उपयुक्त पुनःस्थापन करके, श्रम को युक्तियुक्त करके और उचित मात्रा में सरकारी धन लगाकर अर्थक्षम बनाई जा सकती हो।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा ली जाने वाली मिलों की ठीक ठीक संख्या बताना इस समय व्यवहार्य नहीं है। फिर भी, सर्वप्रथम उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18ए के अन्तर्गत सरकार द्वारा ली गयी 12 मिलों के मामले में सूती कपड़ा समवाय (उपक्रमों का प्रबन्ध तथा परिसमापन अथवा पुनःस्थापन) अधिनियम, 1967 के उपबन्धों के परिपेक्ष्य में विचार किया जा रहा है और आगामी कुछ महीनों में उनके दीर्घावधि भविष्य के बारे में विनिश्चय लिये जाने की संभावना है।

कपड़े का विनियंत्रण

389. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वस्त्र उद्योग को पुनर्जीवित करने की दृष्टि में कपड़े पर से नियंत्रण पूर्णतया हटा देने के प्रश्न पर वाणिज्य तथा वित्त मंत्रालयों में कुछ मतभेद पैदा हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो दोनों मंत्रालयों के विचार क्या है और उनके बीच मतभेदों का यथार्थ स्वरूप क्या है ; और

(ग) इस प्रश्न के बारे में अन्तिम रूप से क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में तांबे के निक्षेप

390. **श्री स० कुण्डू** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तांबे का एक बड़ा निक्षेप मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मांडर और सूवाखारा में सीमेंट के कारखाने

391. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में मांढर और सूवाखारा (नीमच के पास) प्रस्तावित सीमेंट कारखानों के परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकार किये जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) उत्पादन आरम्भ करने के लिये कौन सी तारीख निर्धारित की गई है;

(घ) अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार अनुमानतः कितने मूल्य का तथा कितनी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन किया जायेगा; और

(ङ) इन कारखानों में कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा मांढर (मध्य प्रदेश) में सरकारी क्षेत्र में सीमेंट का कारखाना

लगाने के लिये सहमति दे दी गई है । इस स्थान के लिये परियोजना रिपोर्ट पर फिलहाल सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और औपचारिक स्वीकृति अभी जारी की जानी है ।

सरकार द्वारा न तो परियोजना रिपोर्ट के लिये और न सूवाखारा (नीमच) में कारखाना लगाने के लिये सहमति दी गई है ।

(ख) कारखानों में भट्ठे की नींव, मिलाने के बेसन, कोयले के गड्ढे तथा गड्ढे के निर्माण का काम पूरा हो चुका है । बस्ती तथा संयंत्र स्थल पर सिविल इंजीनियरी का निर्माण कार्य संतोषजनक ढंग से हो रहा है जिससे वह कारखाने के खड़ा किये जाने के समय के साथ पूरा हो सके ।

(ग) 1969 के उत्तरार्द्ध में ।

(घ) लगभग 180,000 मी० टन प्रति वर्ष जिसका मूल्य लगभग 1,72,80,000 रु० होगा ।

(ङ) 500 ।

व्यापार सलाहकार परिषद्

392. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार सलाहकार परिषद् के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा वे कब से इसके सदस्य हैं;

(ख) क्या इनमें से कोई सदस्य इस मंत्रालय की किसी अन्य समितियों के भी सदस्य हैं और यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या औद्योगिक समवायों के सदस्य इस मंत्रालय के अन्य बोर्डों अथवा समितियों के सदस्य भी हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या है तथा वे कब से सदस्य हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि कुछ बड़े व्यापार गृहों का इन बोर्डों तथा समितियों पर एकाधिकार है, और

(च) यदि हां, तो क्या इन बड़े व्यापार गृहों का एकाधिकार समाप्त करने के लिये सरकार का विचार इन बोर्डों तथा समितियों का पुनर्गठन करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) व्यापार सलाहकार परिषद् के सदस्यों के नाम तथा उनकी नियुक्ति की तारीखें सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गयी हैं । [**पुस्तकालय रखा गया । देखिय संख्या एल० टी० 1379/68**]

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) इस मंत्रालय के बोर्डों/समितियों की सदस्यता का गठन उनके लक्ष्यों के सन्दर्भ में तय किया जाता है । सुसम्बद्धता की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न सम्बद्ध हितों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है । नियुक्त सदस्यों में व्यावसायिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी अर्हता, अनुभव, पद-मर्यादा आदि द्वारा ऐसे निकायों के, जो सामान्यतः सलाहकार कोटि के होते हैं, लक्ष्यों की सम्यक पूर्ति में सहायक हो सकें । ऐसे बोर्ड/समितियां विशिष्ट अवधि के लिये बनाई जाती हैं और अवधि पूरी होने पर उनका पुनर्गठन किया जाता है ।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

Sarkar Committee Report

393. **Shri Kameshwar Singh:** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether Government have taken any action against the former Iron and Steel Controller, Shri A.S. Bam on the basis of the Report of the Sarkar Committee; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) (a) and (b). The Government have decided, *vide* the Ministry of Steel, Mines and Metals (Department of Iron and Steel) Resolution No. SC. II-14(3)/68 dated the 10th May, 1968, already placed on the Table of the House, to take departmental action against Shri A.S. Bam and other Officers, as recommended by the Sarkar Committee. A Senior Officer is being appointed for this purpose.

Concessions to Railway Employees

394. **Shri Kameshwar Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 848 on the 26th March, 1968 regarding the reduction in the Pass/P.T.O. concessions allowed to the Railway employees and state:

(a) whether the suggestions made by the Estimates Committee have been considered; and

(b) if so, the decision taken by his Ministry on those suggestions?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes.

(b) Action taken on the recommendations of the Estimates Committee has already been advised to that Committee.

Manufacture of Tools for Spectacles

395. **Shri Kameshwar Singh:** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is fact that Karl Jays Company of German Democratic Republic has withdrawn its proposal for collaboration in the manufacture of tools required for making spectacles; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed): (a) and (b). Government of India had in August'64 approved in principle the proposal of the Government Precision Instruments Factory, Lucknow which is under the State Government of Uttar Pradesh for collaboration with M/s. Carl Zeiss Jena, GDR in the manufacture of certain Scientific Instruments including Optical instruments. Certain modifications in terms of collaboration were communicated to the State Government in 1965. The State Government of U.P. later informed this Ministry that they could not finalise the collaboration agreement on account of devaluation which raised the cost of the project and the cost of technical know how fee. In September' 67 the State Government stated that the Collaborators had withdrawn their offer of collaboration. The approval granted in this regard was eventually cancelled in March, 1968.

Import of Nickel

396. **Shri Kameshwar Singh:** Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 9111 on the 30th April, 1968 and state:

(a) the price of nickel quoted by Russia;

(b) whether agreement has also been entered into between the two countries in this regard; and

(c) if so, the import price of nickel?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak): (a) The Soviet authorities agreed to supply 400 tonnes of nickel to India in 1968, 207 tonnes of this in the form of cathodes and the balance 193 tonnes in granules. The final price quoted by the Russians for cathodes is Rs. 28,538 per tonne c.i.f. and for granules Rs. 27,400 per tonne c.i.f. The Alloy Steel Plant, Durgapur at whose instance the Soviet authorities were approached for supply of nickel, did not find the specifications of the granules technically suitable for their requirements and expressed their interest in the purchase of 207 tonnes of nickel cathodes only. The price of nickel cathodes quoted by the Soviet Trade Representation is not acceptable to the Alloy Steel Plant, Durgapur and as such no contract has been signed so far. One contract for 100 tonnes of nickel granules Rs. 27,400 per tonne c.i.f. has been placed by Mysore Iron & Steel Ltd., with the Soviet suppliers on 18-7-68. Regarding the remaining 300 tonnes of Soviet nickel, the Government are exploring the possibility of allocating this to other buyers in the public or private sector who may find the specifications and prices suitable to their requirements.

(b) There is no question of any agreement being entered into between the two Governments in this regard. The contract will be made between the Indian buyers both in the public as well as in the private sectors and the Russian suppliers.

(c) Does not arise.

डाल्ली-राजहारा तथा दांतेवाड़ा के बीच रेलवे लाइन

397. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री लखन लाल गुप्ता :
श्री अ० सिंह० सहगल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 मई, 1968 को उन्हों ने संसद् सदस्यों को यह आश्वासन दिया था कि रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी तथा संसद् सदस्यों की मुलाकात कराई जायेगी जिसमें बस्तर जिले में डाल्ली–राजहारा और दांतेवाड़ा के बीच रेलवे लाइन बिछाने की व्यावहारिकता सम्बन्धी प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातों पर विचार किया जायेगा;

(ख) क्या यह भी निर्णय किया गया था कि उसके बाद रेलवे बोर्ड का अधिकारी इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार के साथ विस्तृत बातचीत करेगा;

(ग) क्या यह बातचीत हो चुकी है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ). बात-चीत के लिये कुछ और आंकड़े इकट्ठे करने थे। अब इन्हें इकट्ठा कर लिया गया है और बात-चीत के लिये आवश्यक प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

398. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 28 जून, 1968 को कोयला उद्योगपतियों के साथ हुई बैठक में कोयले के मूल्य में वृद्धि करने के लिये सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) क्या घरेलू प्रयोग में आने वाले कोयले के मूल्य में भी वृद्धि की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). रेलवे विभाग ने चुनी हुई श्रेणियों के कोयलो के लिये 2 रुपये प्रति मैट्रिक टन तथा श्रेणी एक के कोयलों के लिये एक रुपये प्रति मैट्रिक टन की मूल्य-वृद्धियां मान ली है। इस्पात संयंत्रों, कोयला धावनशालाओं और कोकरीज को दिये जा रहे कोकिंग कोयले के विषय में 1.75 रुपये प्रति मैट्रिक टन की मूल्य-वृद्धि मान ली गई है।

(ग) और (घ). उपरि निर्दिष्ट समझौते घरेलू प्रयोग में आने वाले कोयले पर लागू नहीं होते। मूल्य अनियन्त्रित होने के कारण, इस प्रकार के कोयलों का मूल्य क्रेता और विक्रेता द्वारा आपस में तय किया जायेगा।

भारत और रूस के बीच व्यापार

400. **श्री मणिभाई जे० पटेल** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और रूस के बीच व्यापार में कुछ बड़ी-बड़ी समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्री महोदय की हाल की रूस यात्रा से इन समस्याओं को दूर करने में कितनी मदद मिलने की सम्भावना है;

(घ) क्या सरकार ने दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने की सम्भावनाओं पर अग्रेतर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). भारत–सोवियत व्यापार के सम्बन्ध में कोई बड़ी समस्याएं नहीं हैं । इस्पात के लिये हाल ही में की गई संविदा और सोवियत रूस द्वारा भारत से रेल के माल डिब्बों की खरीद के प्रस्ताव के फलस्वरूप भारतीय निर्यात में पर्याप्त वृद्धि होगी और इस प्रकार हमारे व्यापार सम्बन्ध सुदृढ़ होंगे ।

(ग) वाणिज्य मंत्री की हाल ही की यात्रा के फलस्वरूप इस बात पर बल दिया गया है कि औद्योगिक सहयोग और दोनों ही अर्थ-व्यवस्थाओं की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार आयात तथा निर्यात पद्धति के अनुकूलन से दोनों देशों के मध्य व्यापार का और भी विकास होगा ।

(घ) और (ङ). दोनों देशों के व्यापार को और बढ़ाने की संभावनाओं की सरकार निरंतर जांच कर रही है । आर्थिक सहयोग के नये क्षेत्रों का पता लगाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं जैसे सोवियत रूस की तकनीकी सहायता तथा उपकरणों से भारत में ऐसे उद्योगों की स्थापना करने की सम्भावनाओं का पता लगाना जो अंतिम-उत्पादों को सोवियत बाजारों को बेच सकें । सोवियत रूस से पोत, विमान तथा अन्य जटिल मशीनों जैसी नई मदों की खरीद के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है । सोवियत रूस से अपेक्षाकृत अधिक कच्चा माल और सस्ती धातुएं प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।

महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, भावनगर

401. श्री द० रा० परमार : क्या **वाणिज्य** मंत्री 12 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3673 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, भावनगर के मामलों की छानबीन करने के लिये नियुक्त की गई जांच समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या समिति ने अपने प्रतिवेदन को अंतिम रूप दे दिया है और उसे सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन सरकार को कब प्राप्त होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1. श्री जी० एन० वैद्य अध्यक्ष

2. श्री आर० एन० बसल सदस्य

3. श्री वाई एल० एन० अचर सदस्य सचिव

(ख) जी, हां ।

(ग) जांच समिति के निष्कर्षों का प्रतिवेदन गोपनीय दस्तावेज है और उसके निष्कर्षों को बताना उनहीं होगा । प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिमी रेलवे में रेलवे परियोजनायें

402. **श्री द० रा० परमार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे के पास कितनी ऐसी रेलवे परियोजनायें पड़ी हुई हैं जिनको कार्यान्वित किया जाना है, और इन परियोजनाओं को सरकार द्वारा किस किस वर्ष में मंजूरी दी गई थी;

(ख) क्या प्रारम्भिक और विस्तृत सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो चुका है और योजनायें तथा प्राक्कलन अन्तिम रूप में तैयार हो चुके हैं ।

(ग) यदि हां, तो उन पर अनुमानित व्यय कितना होगा;

(घ) क्या प्रशासनिक तथा तकनीकी मंजूरी दे दी गई है और ये मंजूरियां किस किस वर्ष में दी गई थीं; और

(ङ) यह कार्य अनुमानत: कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) पश्चिमी रेलवे के पास कोई स्वीकृत परियोजना नहीं पड़ी हुई है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

बगराड और भिलाडी स्टेशनों के बीच रेल सम्पर्क

403. **श्री द० रा० परमार** : क्या रेलवे मंत्री 30 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4149 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे में बगराड और भिलाडी स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन का निर्माण करने में अग्रेतर क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस परियोजना की योजनायें तथा अनुमान तैयार कर लिये गये हैं और रेलवे बोर्ड के विचाराधीन हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस पर अनुमानत: कितना खर्च आयेगा और इस कार्य को आरम्भ करने के लिये सम्भावित समय-सीमा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) बागडोद और भीलडी के बीच रेल सम्पर्क बनाने के प्रश्न पर दिल्ली-अहमदाबाद मार्ग पर लाइन क्षमता बढ़ाने की व्यापक योजना के एक अंश के रूप में जांच की जा रही है और इस सम्बन्ध में आगे जांच जारी है । दिल्ली-अहमदाबाद मार्ग पर लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए बागडोद-भीलडी रेल सम्पर्क बनाने या वैकल्पिक उपायों को बरतने के सम्बन्ध में निर्णय इन जांचों के पूरे होने के बाद किया जायेगा ।

जस्ता चढ़ी लोहे की नालीदार तथा सादी चादरें

404. **श्री द० रा० परमार**: क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 से 1967–68 के दौरान जस्ता चढ़ी लोहे की नालीदार तथा सादी चादरों का भारत में कितना उत्पादन हुआ और इससे सरकार तथा जनता की मांग किस हद तक पूरी हुई है;

(ख) उक्त वर्षों में सरकार तथा जनता की इन चादरों के लिये मांगों की तुलना में जस्ता-चढ़ी लोहे की नालीदार तथा सादी चादरों की सप्लाई का अनुपात क्या था;

(ग) क्या यह सच है कि इन चादरों की मांग उनके उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो मांग पूरी करने के लिये इन चादरों का पर्याप्त मात्रा में निर्माण के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अम्बीलीयासन-बीजापुर सैक्शन पर एक अतिरिक्त रेलगाड़ी का चलाया जाना

405. **श्री द० रा० परमार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिमी रेलवे के अम्बलीयासन-बीजापुर सैक्शन पर चलने वाली रेल गाड़ियों में अत्याधिक भीड़ रहती है;

(ख) क्या यह सच है कि इस सैक्शन पर 35 वर्षों से, जब कि इस सैक्शन को चालू किया गया था, बढ़े हुए यात्री यातायात के लिये कोई अतिरिक्त रेलगाड़ी नहीं चलाई गई है;

(ग) क्या अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाये जाने के लिये सरकार को जनता से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अम्बलियासन–बिजापुर खण्ड की वर्तमान गाड़ियों के विश्लेषण से पता चला है कि वर्तनान यातायात के लिए उपलब्ध स्थान पर्याप्त हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस प्रस्ताव के लिए यातायात सम्बन्धी औचित्य नहीं ।

Sonai Railway Station

406. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have conducted a survey between the 25th May, and 2nd June, 1968 to make Sonai station a Flag Station on the Mathura-Hatharas metre gauge line and if so, the expenditure incurred thereon;

(b) whether Government are aware that if this station is shifted towards Raya 2 miles away from the present station of Sonai, the passengers are likely to be looted and murdered apart from the difficulty in booking luggage etc;

(c) whether it is also a fact that according to police records, incidents of thefts, loot and murders in this area are far more than in Sonai; and

(d) if so, the reasons for constructing station at the new site?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha): (a) Sonai station on the Mathura-Hathras metre gauge section is already a flag station situated between Mursan and Raya stations. There is a proposal to provide a crossing station between Mursan and Raya and the feasibility of the site for construction of the proposed crossing station was checked up recently by the existing maintenance staff of the Railway during the period from 29-5-1968 to 1-6-1968 and no additional expenditure was incurred on this account.

(b) and (c): The question whether Sonai station will be shifted from the present site and combined with the proposed crossing station will depend upon the site selected for the crossing station which has not yet been decided upon and the feasibility of the site is still under examination. No case of theft, loot and mudrder has been reported during the last two years either from Sonai and Raya stations or from the section between Sonai and Raya on which the proposed crossing station will be located. If any such cases have occurred in the civil area of the section, no information is available.

(d) No site has yet been selected but in making the selection for the site of a crossing station operating feasibility is the ever-riding criterion.

Thefts at Manduadih/Varanasi Station

407. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railway Department has sustained a great loss on account of thefts being committed on Manduadih/Varanasi Station on the North Eastern Railway during the last three years and if so, the amount thereof;

(b) whether it is also a fact that the local Railway Security Officers are also involved in these thefts and a transhipment clerk had caught certain Railway Security personnel on the 1st October, 1967 and a complaint against them was lodged with the authorities concerned; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha): (a) According to Assistant Inspector General, Government Railway Police, U.P. Allahabad, the amount of theft at Manduadih/ Varanasi Stations has been estimated at Rs. 9,727/- approximately during the years 1965 to 1967.

(b) No report of alleged theft on 1-10-67 was lodged against the Railway Protection Force staff. No Security Officer was found involved in theft cases, but railway employees were involved in three cases of 1965, three cases of 1966 and one case of 1967 respectively. 4, 6 and 9 railway employees were arrested in 1965, 1966 and 1967 respectively.

(c) Out of 4 employees arrested during 1965, one was removed from service, case against 1 ended in final report true and cases against 2 persons are pending trial in the Court. Out of 6 railway employees arrested during 1966, 2 were removed from service, one warned departmentally, one convicted, case against 1 ended in final report true and case against 1 person is pending for departmental action. Out of 9 railway employees arrested during 1967, one was removed from service and cases against 8 are pending for departmental action.

Laying of Railway Line Between Barhan and Etah Stations

408. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the expenditure incurred by Government on purchase of land, construction of quartes and laying of railway lines between Brahan and Etah stations of the Northern Railway:

(b) whether it is a fact that this railway line is much uneconomical at present;

(c) if so, the loss being sustained thereon ; and

(d) the action being taken by Government to ensure that the railway administration may not suffer loss from this railway line ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) Rs. 1.22 crores.

(b) Yes.

(c) In 1966-67 the loss on this section amounted to about Rs. 10.5 lakhs.

(d) The matter is under correspondence with the U.P. Government at present.

निर्यात नीति

409. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री रवि राय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यापार बोर्ड ने देश की अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिये सरकार की निर्यात सम्बन्धी नीति के बारे में कुछ सिफारिशें की थीं ;

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने व्यापार बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) सम्भवतः प्रश्न निर्यात नीति संकल्प की रचना से सम्बन्धित है । निर्यात नीति संकल्प का मसौदा सुझाने के लिये व्यापार बोर्ड की एक उप-समिति गठित की गई थी । उप-समिति ने एक मसौदा प्रस्तुत किया है जिस पर अन्य मंत्रालयों के परामर्श से और विचार किया जा रहा है । इस लिये व्यापार बोर्ड की सिफारिशों की अन्तिम स्वीकृति इस क्रियाविधि के पूरा होने पर हो सकेगी

खनिज पदार्थों पर रायल्टी

410. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज पदार्थों पर रायल्टी की दर बढ़ा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस के परिणामस्वरूप खनिज पदार्थों पर ली जाने वाली रायल्टी में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). कुछ महत्वपूर्ण मुख्य खनिजों के विषय में स्वामित्व की दरें 1 जुलाई, 1968 से बढ़ा दी गई हैं। संशोधित दरें इस मंत्रालय की दिनांक 29 जून, 1968 की अधिसूचना संख्या 1(44)/67–एम-2, जिसकी प्रति सभा पटल पर रख दी गई है, में दी गई है । लौह-अयस्क और कोयले पर स्वामित्व की दरों में परिशोधन विचाराधीन है ।

(ग) 1966 के खनिज-उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर खनिज पदार्थों पर लिये जाने वाले स्वामित्व में आय की वृद्धि उन खनिज पदार्थों के विषय में जिन के बारे में वृद्धि का हिसाब लगाना संभव था, प्रति वर्ष लगभग 1.5 से 2.00 करोड़ रुपये तक होगी ।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन

411. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन के मंत्रालय ने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के 200 शेयर श्री बिलग्रामी को हस्तान्तरित करने के लिये 20 अप्रैल, 1968 को वित्त मंत्रालय (आर्थिक-कार्य विभाग) को एक पत्र लिखा था;

(ख) यदि हां, तो यह पत्र लिखने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या यह भी सच है कि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन ने इस कार्यवाही पर सरकार से विरोध प्रकट किया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). हां, श्रीमान । वह ठीक है कि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन में, भारत के राष्ट्रपति के नाम में अंकित हिस्सों के सेवर्ग से 200 हिस्से, श्री एस० एन० बिलग्रामी को, श्री बिलग्रामी के निर्देश पर, जो एक हिस्सेदारी के नाते सरकार के सुझाव पर निदेशक मंडल में, सम्मिलित किये गये थे; स्थानान्तरित करने के सुझाव पर विचार किया था । परन्तु उन्हें योग्यता हिस्से अर्जित करने का परामर्श दिया गया था, जो उन्होंने स्वीकार किया ।

(ग) नहीं, श्री मान् ।

Catering Arrangements in Railways

412. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether Government have received some complaints about catering arrangements in Railways ;

(*b*) if so, the details thereof ;

(*c*) the steps proposed to be taken by Government for remedying the situation ;

(*d*) whether Government have started implementing the recommendations made in the Algesan Committee Report in this regard ; and

(*e*) if not, the reasons there for ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (*a*) Yes.

(*b*) A statement showing the number of complaints received in 1966 and 1967 Railway-wise is laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-1380/68]

(*c*) It is the constant aim of the Railways to provide satisfactory service to the passengers. The various meaasures taken in this direction include tightening up of supervision in regard to purchase and supply of good quality raw materials' laying down proper schedules for preparations, recruitment of competent cooks, and intensification of inspections. Apart from these measures to improve the quality of catering service generally with a view to eliminating complaints, every complaint received is carefully investigated and remedial action is taken.

(*d*) *and* (*e*). The report of the Alagesan Committee was received in the year 1954 and all the recommendations were accepted and implemented.

'इंडियन आयरन' के शेयरों में बेनामी सौदे

413. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायत मिली हैं कि हाल में 'इण्डियन आयरन' के शेयरों की खरीद में बहुत से शेयरों के बेनामी सौदे हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन शिकायतों की कोई जांच की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सरकार को कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि कुछ पार्टियों ने इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के इक्विटी हिस्सों की वृहद खरीददारी की है। इस सम्बन्ध में कम्पनी विधि बोर्ड ने, कुछ कम्पनियों के लेखे की किताबों के निरीक्षण का आदेश दिया है ।

समाजवादी देशों के साथ व्यापार समझौते

414. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री समर गुहा :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री शिव चन्द्र झा :
श्री जु० कि० मंडल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने रूस तथा पूर्व यूरोप के कुछ अन्य देशों के साथ दीर्घकालीन व्यापार समझौते को अन्तिम रूप देने के लिये हाल में इन देशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त करारों की शर्तों और उनकी सीमाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) उन की बातचीत के फलस्वरूप जो विशिष्ट प्रस्ताव सामने आये हैं वे क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): (क) से (ग) हाल में वाणिज्य मंत्री सोवियत रूस तथा यगोस्लाविया गये थे। सोवियत रूस में बातचीत में ये विषय भी शामिल थे दोनों देशों के बीच आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धों का और विकास, दोनों देशों के बीच विनिमय की जाने वाली वस्तुओं का परिमाण बढ़ाने एवं उसमें विविधता लाने के लिये आर्थिक सहयोग के नये ढंग, सोवियत रूस द्वारा भारत से रेल के माल-डिब्बों की खरीद, सोवियत रूस से जहाजों, वायुयान, हेलीकोप्टर्स तथा अन्य जटिल मशीनों की खरीद की सम्भावनाएं। दोनों पक्ष इस पर सहमत हो गये थे कि 1971–75 के लिये नया व्यापार करने के लिये बातचीत 1968 में तथा 1969 के प्रथम भाग में होगी ।

2. वाणिज्य मंत्री भारत-यूगोस्लाव व्यापार तथा आर्थिक आयोग की नियमित सभा में शामिल होने के लिये यूगोस्लाविया गये थे। बातचीत में ये विषय भी शामिल थे, दोनों देशों की आर्थिक स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान, स्वेज नहर की बंदी का परिणाम, पौंड अवमूल्यन, माल-गोदामों की स्थापना, व्यापारियों के दौरे तथा मेलों और प्रदर्शनियों में शामिल होना। भुगतान-शेष की स्थिति के प्रश्न पर तथा उस स्थिति के सुधारने के उपायों पर गम्भीरता से विचार किया गया था। तीसरे देशों में दीर्घावधि औद्योगिक सहकारिता तथा संयुक्त उद्यमों पर भी बातचीत की गई थी। इस पर सहमति हो गई थी कि दोनों देशों के बीच नये दीर्घावधि व्यापार तथा भुगतान करार पर विचार करने के लिये नवम्बर, 1968 में बातचीत की जायेगी।

अन्य कम्पनी के अंश खरीदने के लिये धन का उपयोग

415. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री राम नाथ गोयंका तथा उसके परिवार ने इण्डियन आयरन के अंश खरीदने के लिये इण्डियन एक्सप्रेस लिमिटेड एण्ड नेशनल कम्पनी लिमिटेड के बहुत भारी धन का उपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दूसरी कम्पनी के अंश खरीदने के हेतु विनिम बाजार में प्रवेश करने के लिये एक कम्पनी के धन का उपयोग दूसरी जगह किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) प्राप्त सूचना से पता चलता है कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील के हिस्सों का एक बृहद भाग, एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम में पंजीकृत है। कम्पनी विधि बोर्ड ने, कुछ कम्पनियों के लेखे की किताबों के निरीक्षण का आदेश दिया है।

(ख) और (ग). कम्पनी अधिनियम की धारा 295, 370 तथा 372 की अपेक्षाओं का पालन करने के लिये, एक कम्पनी के लिये किसी भिन्न कम्पनी के हिस्सों में निधान के लिये किसी अन्य कम्पनी से निधि प्राप्त करना, अथवा अन्य कम्पनी के हिस्सों में अपनी स्वयं की निधि का निधान करना, संभव हो सकता है। यह धारायें, उपरोक्त धाराओं में वर्णित कुछ प्रकार की कम्पनियों में लागू नहीं होतीं। आगे कार्यवाही करने के लिये, निरीक्षण रिपोर्ट के संवीक्षण करने के पश्चात् विचार किया जायेगा।

मिल में बने हुए और हथकरघे के कपड़े का उत्पादन

416. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 के दौरान मिल से बने हुए और हथकरघे के कपड़े का अलग-अलग कितना उत्पादन हुआ है तथा प्रत्येक की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है;

(ख) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उनका अधिक उत्पादन होने की आशा की जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) वर्ष 1967–68 में सूती कपड़े का उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति प्राप्यता निम्नलिखित है :—

मद	उत्पादन	प्रति व्यक्ति प्राप्यता
	(मिलियन मीटर)	(मीटर)
मिल का कपड़ा	4256	7.44
हथकरघे का कपड़ा (जिसमें शक्ति चालित करघे का कपड़ा भी शामिल है)	3253	6.27

(ख) चालू वर्ष में उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा अधिक होने की आशा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेशम का आयात

417. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के रेशम का आयात किया गया; और

(ख) इससे कितना आयात शुल्क वसूल हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख). निम्नलिखित तालिका में अप्रैल तथा मई, 1968 में भारत में कच्चे रेशम का आयात; उसका मूल्य और उसी अवधि में प्राप्त आयात शुल्क को राशि दिखाई गई है :—

मात्रा	लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य	प्राप्त हुआ आयात शुल्क
किग्रा०	(लाख रु० में)	(लाख रु० में)
2968	3.98	0.92

जून, 1968 के आंकड़े अभी तक प्राप्य नहीं हैं ।

कलाई की घड़ियां

418. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की कलाई घड़ियां न मिलने की कितनी शिकायतें की गई हैं;

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) जनता को घड़ियां बेचने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(घ) जनता को कितने टोकन दिये जाते हैं; और

(ङ) कितने टोकन धारियों को घड़ियां नहीं मिलती हैं, तथा उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) चूंकि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० बंगलौर कलाई घड़ियों की मांग की पूर्ति पूरी तरह से नहीं कर सका, अतः कम्पनी को कलाई घड़ियों के न मिलने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कम्पनी ने बताया है कि उन्होंने इन शिकायतों के कोई आंकड़े नहीं रखे हैं, अतः इन शिकायतों की ठीक-ठीक से संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) एच० एम० टी० कलाई घड़ियों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए 2,40,000 घड़ियों के वर्तमान वार्षिक उत्पादन को 3,60,000 घड़ियों तक बढ़ाने का विचार है।

(ग) ये घड़ियां अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, एर्नाकुलम, हैदराबाद, मद्रास, पूना तथा पिंजौर के घड़ियों के बिक्री काउण्टरों पर पहले आइये पहले लीजिये के आधार पर बेची जाती हैं।

(घ) अब जनता को कोई टोकन नहीं दिया जाता। जनता को टोकन देने की प्रथा दिल्ली एवं कलकत्ता में कम्पनी के प्रदर्शन कक्षों में प्रचलित थी क्योंकि तब घड़ियां कम मिलती थीं किन्तु अब इन प्रदर्शन कक्षों में घड़ियों की सप्लाई स्थिति में सुधार होने पर इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में निम्न राजपत्रित सेवाओं में पदों का भरा जाना

419. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में दक्षिण-पूर्व रेलवे में निम्न राजपत्रित सेवाओं में कितने पद भरे गये;

(ख) उनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित किये गये थे; और

(ग) उक्त अवधि में कितने आरक्षित पद भरे गये ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) 34

(ख) रेलों पर निम्न राजपत्रित सेवा पदों में कोई आरक्षण नहीं किया जाता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

व्यापार प्रतिनिधि मंडल

420. **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में भारत में आने वाले विदेशी व्यापार प्रतिनिधि मंडलों की संख्या क्या थी तथा जो भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल विदेशों में गये उनकी संख्या क्या थी; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिन के साथ वर्ष 1967–68 के दौरान व्यापार समझौते हुए ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) गत तीन महीनों में पांच विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत आये और तीन भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजे गये ।

(ख) 1967–68 के वर्ष में भारत ने रूमानिया, मंगोलिया, केमरून, फिलीपीन, ईरान, अफ़गानिस्तान, ब्राजील, ईराक, सूडान, जोर्डन, सं० अ० गणराज्य तथा फिनलैण्ड के साथ व्यापार करार/व्यवस्थाएं कीं । इसके अतिरिक्त, बर्मा तथा श्रीलंका की सरकारों के साथ भी, उन्हें कोयले की पूर्ति करने के करारों पर हस्ताक्षर किये गये ।

एकाधिकार जांच समिति

421. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हजारी रिपोर्ट सम्बन्धी एकाधिकार जांच समिति से प्रो० एम० एस० थैकर द्वारा त्यागपत्र दे दिये जाने के बाद उस समिति का पुनर्गठन किया गया है और उसकी एक बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठित समिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, हां । (शायद उनका अभिप्राय औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति से है, जिसके सभापति प्रो० एम० एम० ठाकर थे) ।

(ख) पुनर्गठित समिति की सदस्यता इस प्रकार है :—

1. श्री एम० दत्त	अध्यक्ष
2. श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	सदस्य
3. डा० एच० के० परांजपे	सदस्य

(ग) आशा है कि समिति अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1969 के अन्त तक प्रस्तुत कर देगी ।

कपड़ा उत्पादन

422. **श्री श्रद्धाकर सुपकार** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 मई, 1968 को घोषित की गई रुई और कपड़ा सम्बन्धी नई नीति से देश में कपड़े का उत्पादन कितना बढ़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : सूती कपड़े के उत्पादन पर नई नीति के प्रभाव को इतनी जल्दी नहीं आंका जा सकता ।

कागज पर से नियन्त्रण हटाना

423. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : **श्री रमानी** :
श्री सत्य नारायण सिंह : **श्री अनिरुद्धन** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 7 मई, 1968 से सभी प्रकार के कागज पर से नियंत्रण हटा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) लाभ कम होने के कारण पिछले पांच वर्षों की अवधि में कागज के नये कारखाने स्थापित करने के लिये कोई बड़ी योजनाएं फलीभूत नहीं हुई हैं । अत: कागज उद्योग को उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सभी प्रकार के कागज के मूल्यों से नियंत्रण हटा लेने का निर्णय किया गया था ।

मसर्स कूपर एलन कम्पनी, कानपुर

424. **श्री सत्यनारायण सिंह :** **श्री पी० राममूर्ति :**
श्री नायनार : **श्री एस्थोस :**

क्या **औद्योगिक विकास** तथा समवाय-कार्य मंत्री 7 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9967 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स कूपर एलन कम्पनी, कानपुर के प्रबन्धकों के विरुद्ध कुछ गम्भीर आरोपों के बारे में निरीक्षकों के प्रतिवेदन का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस पर विचार कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). अभ्यावेदन, में दिये गये आरोपों में से एक, जो 20 फरवरी, 1968 का कानपुर इन्डस्ट्रियल वर्कर्स एसोसियेशन ने ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन के अध्यक्ष के नाम भेजा था, न्यू विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड के कर्मचारियों के प्रोवीडेंट फंड अंशदान के, इसके कार्यकारी निदेशक द्वारा, जो, ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन के कूपर एलन यूनिट का उत्तरवर्ता महा-प्रबन्धक हो गया, के दुरुपयोग से सम्बन्ध रखता है। प्रादेशिक प्रोवीडेंट फंड आयुक्त ने, 17-1-1966 को पुलिस अधीक्षक, कानपुर को सूचनार्थ रिपोर्ट, यह शिकायत करते हुए मिसिल की, कि संबंधित निदेशक, मुख्य कारखाना प्रबन्धक, कुछ अवधि के देय प्रोवी-डेन्ट फंड को देने में असफल रहे थे। पुलिस अधीक्षक ने, अपनी अन्तिम रिपोर्ट 30-10-1967 को प्रस्तुत की। प्रावीडेन्ट फंड आयुक्त ने, राज्य सरकार से, जिलाधीश, कानपुर द्वारा मामले को हाथ में लेने की प्रार्थना की है।

ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन लिमिटेड से अभ्यावेदन के ऊपर की गई कार्यवाही का संकेत देने की प्रार्थना की गई है। कारपोरेशन ने, 20 जून, 1968 को, अपनी ओर से आवश्यक सूचना भेजने में देर होने का संकेत दे कर यह कारण बताते हुए अंतरिम उत्तर भेज दिया कि वह अनेक आरोपों पर कूपर एलन यूनिट से टिप्पणियों की बाट देख रहा था। कारपोरेशन के अन्तिम उत्तर की बाट देखी जा रही है।

निरीक्षण रिपोर्ट परीक्षान्तर्गत है।

उत्स्रुत पट्टी (आर्टीजियन बैल्ट) में खनिज पदार्थ निकालना

425. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तरी बिहार में उत्स्रुत पट्टी (आर्टीजियन बैल्ट) में, विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में, खनिज पदार्थ निकालने के लिये व्यवस्था की जा रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : जी, हां। उत्तरी बिहार के उत्स्रुत क्षेत्र का समन्वेषण भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा 1968-69 के क्षेत्र कार्य मौसम में किया जाना प्रस्तावित है।

Price and Decontrol of Steel

426. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision in regard to the price of steel and its decontrol ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) its impact on steel-consuming industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) to (c) : The statutory control over price and distribution of all categories of iron and steel was removed with effect from May 1, 1967 and the work relating to fixing of prices, planning of indents and distribution of various categories of steel, has been entrusted to the Joint Plant Committee with effect from that date.

The Joint Plant Committee revised the prices of various categories of steel on May 2, 1967. The prices announced by the Joint Plant Committee are on an average higher by Rs. 53 per tonne (inclusive of contribution by the main producers at the rate of Rs. 5 per tonne to the Engineering Goods Export Assistance Fund) of saleable steel than those prevailing at the time of decontrol. It is, however, not possible to assess the impact of decontrol on steel consuming industries as it depends upon various other factors, such as, the extent to which the incidence of the increased cost of production has been shifted from industries to the consumers ; the increase in productivity ; the demand for their product ; the market conditions ; the substitutability of steel by other raw material etc. There has been no change in the broad pattern of distribution of steel products since May, 1967.

Allotment of Wagons for Carrying Foodgrains

427. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the additional number of railway wagons allotted for carrying foodgrains from surplus States to scarcity-hit States as compared to those allotted during the previous year for the purpose ;

(b) the quantity of foodgrains damaged on account of allotment of open railway wagons ; and

(c) the number of open and covered wagons to be allotted during the coming months separately ?

The Minister of Railways (Shri C.M Poonacha) : (a) Information regarding additional number of railway wagons for carrying foodgrains is not maintained State-wise, but Railway-wise. Central, South Central, Southern, Northern, South Eastern and Western Railways serve the surplus States. During the period 1st January to 30th June 1968, 1,29,119 broad gauge wagons and 40,975 metre gauge wagons were loaded with indigenous foodgrains from these Railways as compared to 65,248 broad gauge and 39,427 metre gauge wagons during the corresponding period of the previous year.

(b) About 2,000 tonnes.

(c) The number of wagons to be allotted for loading of indigenous foodgrains during the ensuing months is dependent upon the demands placed both by the Government agencies and the trade.

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

428. श्री रवि राय : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात के मूल्यों में वृद्धि होने की पूरी सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). कई कारणों जैसे रेल भाड़े की दर में वृद्धि तथा मजदूरी बोर्डों के पंच निर्णयों से पड़े प्रभाव से उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण प्रमुख उत्पादकों ने विभिन्न प्रकार के इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करने के बारे में सरकार को अभिवेदन किया है।

जापान को इस्पात प्रतिनिधिमण्डल

429. **श्री रवि राय** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इस्पात करार के बारे में बातचीत करने के लिये जापान गया था ताकि इस वर्ष इस्पात के आयात में काफी कमी की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा का क्या परिणाम निकला ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां।

जापान में कच्चे लोहे की खपत के लिए बाजार का अध्ययन करने और जापान को कच्चा लोहा बेचने के लिए वहां की सम्बद्ध पार्टियों से बातचीत करने के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का एक तीन सदस्यीय शिष्टमण्डल अप्रैल-मई में वहां गया था। शिष्टमण्डल के जापान के दौरे तथा अनुवर्ती कार्यवाही के परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने जापान को 340,000 टन कच्चे लोहे के निर्यात के लिए आर्डर प्राप्त किए हैं।

रायसीना पब्लिकेशन्स तथा यूनाइटेड पब्लिकेशन्स लिमिटेड

430. **श्री रवि राय** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायसीना पब्लिकेशन्स तथा यूनाइटेड पब्लिकेशन्स लिमिटेड के हिस्सेदारों तथा दानियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उन्होंने इस बात का पता लगाया है कि इन कम्पनियों को कोई विदेशी सहायता मिली है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) रायसीना पब्लिकेशन्स लिमिटेड तथा यूनाइटेड इण्डिया पीरियोडीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, के हिस्से धारियों की सूची, कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के पास प्राप्य है, तथा नाम मात्र की फीस देने पर जनता के निरीक्षण के लिये खुली है। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों के लिये, दान देने वालों के नाम कम्पनी रजिस्ट्रार को मिसिल करना अपेक्षित नहीं है।

(ख) और (ग). विदेशी निधि को, महा निर्वाचनों तथा अन्य उद्देश्यों के प्रयोग पर खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट, गृह-कार्य मंत्रालय में परीक्षान्तर्गत है।

रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक

431. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में इस समय कुल कितने नैमित्तिक श्रमिक हैं;

(ख) क्या उनकी नौकरी को नियमित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलों पर नैमित्तिक मजदूरों की संख्या लगभग 3.3 लाख है।

(ख) और (ग) नैमित्तिक मजदूर नियमित रेल सेवा में स्वतः ले लिये जाने के हकदार नहीं हैं। उनको नियमित पदों पर नियुक्त करने के लिये तभी विचार किया जाता है जब कि वे स्वीकृत तरीके से बनाये गये चुनाव बोर्ड द्वारा चुन लिये जाते हैं। सभी नैमित्तिक मजदूरों को नियमित करने का इस समय कोई विचार नहीं है।

निवेली लिगनाइट निगम

432. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेली लिगनाइट निगम घाटे पर चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसे अब तक कुल कितनी हानि हुई है;

(ग) इस घाटे के कारण क्या हैं; और

(घ) निगम को लाभ पर चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) निगम के प्रारम्भ से 1967–68 के अन्त तक संचयी हानि 19.57 करोड़ रुपये है।

(ग) प्रायोजना के उत्पादन करने वाले एकक, विशेषतया उर्वरक और ब्रिकटिंग तथा कारबनीकरण संयंत्र विभिन्न तकनीकी और अन्य कठिनाइयों के कारण अपनी पूरी उत्पादन क्षमता पर कार्य नहीं कर सके।

(घ) हानियों को कम करने तथा उन के विलोपन के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. मद्रास ग्रिड को दी जा रही नैवेली शक्ति का विक्रय मूल्य 1 अप्रैल 1968, से 5.2 पैसे प्रति किलोवाट घटा से बढ़ा कर 5.9 पैसे कर दिया गया है
2. विशेषज्ञों के अध्ययन दल द्वारा, जिसने इसके कार्यकरण की जांच की थी, उर्वरक संयंत्र में सुझाये गये अदल बदल और सुधार किये जा रहे हैं जिस से कि संयंत्र निर्धारित क्षमता प्राप्त कर सके।

3. नैवेली यूरिया का अवरोपन मूल्य / अप्रैल, 1966, से प्रति मैट्रिक टन 582 रुपये से बढ़ा कर 743 रुपये कर दिया गया है।

4. "लैको" का मूल्य जनवरी, 1968 से प्रति मैट्रिक टन 160 रुपये से बढ़ा कर 175 रुपये कर दिया गया है।

5. प्रायोजना के विभिन्न एककों की लिगनाइट की पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दृष्टि से खान का उत्पादन बढ़ाने के लिये अतिरिक्त खनन मशीनरी प्राप्त करने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

अखबारी कागज

433. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिवर्ष कुल कितने अखबारी कागज की आवश्यकता होती है;

(ख) इस में से कितनी आवश्यकता देशी उत्पादन से पूरी की जाती है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में अखबारी कागज के आयात पर कुल कितना खर्च किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने अखबारी कागज के उत्पादन में देश को आत्म निर्भर बनाने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) लगभग 1,70,000 मी० टन। इसमें प्रतिवर्ष वृद्धि होते रहने की आशा है और 1969–70 की आवश्यकता 2 लाख मी० टन रखी गई है।

(ख) लगभग 30,000 मी० टन अखबारी कागज तथा 20,000 मी० टन सफेद छपाई कागज।

(ग)

1965–66	1966–67	1967–68
रु०	रु०	रु०
6.18 करोड़	11.78 करोड़	9.44 करोड़

(घ) जी, हां।

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना में दो परियोजनाओं के कार्यान्वित किये जाने की आशा है जिनमें से एक सरकारी क्षेत्र में और दूसरी गैर-सरकारी क्षेत्र में होगी तथा जिनकी कुल क्षमता 135,000 मी० टन होगी। इसके अतिरिक्त विद्यमान अखबारी कागज कारखाने उदाहरण के लिये नेपा मिल्स की क्षमता 30,000 मी० टन प्रति वर्ष से बढ़ा कर 75,000 मी० टन की जा रही है और इस विस्तार के 1969–70 में पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाने की आशा है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

434. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री रा० की० अमीन :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कुछ वरिष्ठ अधिकरियों को उस कारखाने के लिये फालतू पुर्जे खरीदने हेतु ब्रिटेन में भेजा जा रहा है ;

(ख) क्या इन फालतू पुर्जों के अभाव के कारण दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कुछ एकक कई वर्षों से बेकार पड़े हैं, अथवा उन में निर्धारित क्षमता से काम नहीं हो रहा है

(ग) क्या उस कारखाने के प्राधिकारी, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की पूर्व अनुमति लिये बिना इन अधिकारियों को भेज रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ): कारखाने के लिये फालतू पुर्जे प्राप्त करने हेतु बातचीत में तत्परता लाने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड अपने मुख्यालय और दुर्गापुर इस्पात कारखाने के अधिकारियों का एक दल बाहर भेजने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। कारखाने के लिये अच्छे रख-रखाव तथा उत्पादन को पूर्ण क्षमता पर लाने के लिए ये पुर्जे अत्यावश्यक हैं ?

खादी और ग्रामोद्योग आयोग पर रिपोर्ट

435. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :** **श्री रघबीर सिंह शास्त्री :**
श्री मीठा लाल मीना : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री अजमल खां **श्री इन्द्रजीत गप्त**
श्री क० हाल्दर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पुनर्गठन के लिये नियुक्त अशोक मेहता समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है;

(ख) समिति ने अन्य बातों के साथ साथ क्या यह भी सुझाव दिया है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के स्थान पर एक ग्रामीण (रूरल) उद्योग आयोग स्थापित किया जाये;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या अशोक मेहता समिति द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्य को सुप्रवाही बनाने के बारे में की गई सिफारिशों को शीघ्रता से लागू किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। खादी तथा ग्रामोद्योग सम्बन्ती अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन 7 मई, 1968 को सभा पटल पर रख दिया गया था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) से (ङ) : सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर रही है ।

काफी के मूल्य

436. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री राम चन्द्र ज० अमीन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काफी के खुदरा तथा नीलामी मूल्यों में अचानक वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने मूल्यों में अचानक वृद्धि के परिणोमों तथा कारणों का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). मई, 1968 में काफी के मूल्यों में वृद्धि हुई थी । इस का कारण कुछ तो 1967–68 के मौसम में कम फसल का होना और कुछ व्यापार में इस आशंका का हो जाना था कि निर्यात वचनों को पूरा करने के बाद आन्तरिक बाजार के लिए काफी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं होगी । किन्तु मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये काफी बोर्ड द्वारा किये गये निम्नलिखित उपायों के परिणामस्वरूप मूल्यों में गिरावट आ गई है;

(1) आन्तरिक बाजार में बिक्री के लिए काफी की अतिरिक्त मात्रा की निकासी की गई;

(2) काफी बोर्ड क सभी डिपुओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर काफी की प्रयाप्त मात्रा उपलब्ध की गई; तथा

(3) काफी बोर्ड के डिपुओं में उल्लिखित मूल्योंपर काफी की आसानी से उपलब्धि का प्रैस द्वारा प्रचार किया गया ।

कपड़े के टुकड़े

437. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वाज्णिय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहली मर्केन्टाइल एसोसिएशन ने कपड़े के टुकड़ों की लम्बाई को केवल $11\frac{1}{2}$ मीटर तक सीमित रखने के आदेश को वापस लेने के लिये अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसोसिएशन के अनुरोध को स्वीकार करना सरकार के लिये सम्भव नहीं है ।

स्कूटरों का निर्माण

438. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में स्कूटरों की भारी मांग के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या गैर-सरकारी उद्योग स्कूटर के निर्माण के लिये कारखाने स्थापित करने के लिये तैयार हैं; और

(ग) सरकार की इस बारे में और विशेषतया: भारत में बनने वाले स्कूटरों की किस्म तथा डिज़ाइन में सुधार करने के प्रश्न के बारे में प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) देश में स्कूटरों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने निश्चय किया है कि स्कूटरों के उत्पादन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में एक अतिरिक्त एकक को लाइसेंस दिया जाये । देश में इस समय बन रहे स्कूटरों के सभी नमूने विख्यात विदेशी फर्मों के सहयोग और उन के मानकों तथा नमूनों के अनुरूप निर्मित किए जा रहे हैं । सहयोग की स्वीकृति दिये जाते समय सरकार अनिवार्य रूप से इस बात पर आग्रह करती है कि भारतीय पार्टियां अनुसन्धान, डिज़ाइन तथा विकास आदि की व्यवस्था की स्थापना करे ताकि विदेशियों पर निर्भरता को यथाशीघ्र समाप्त किया जा सके और भारतीय पार्टियां बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार अपने उत्पादों की किस्म तथा डिजाइन में सुधार कर सकें ।

सूती कपड़े पर उत्पादन शुल्क

439. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सूती कपड़ों पर उत्पादन शुल्क में पर्याप्त कमी करने की मांग की जा रही है ;

(ख) क्या सरकार का विचार कपड़े की मांग को, जो तेजी से गिर गई है, बढ़ावा देने का है;

(ग) क्या सरकार का यह विचार भी है कि कपड़ा कारखानों को प्रोत्साहन दिया जाये ताकि पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगायें; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सूती कपड़ों की मांग में वृद्धि करने के लिये ऐसे अनेक उपाय किये गये हैं जिन का उल्लेख उपमंत्री महोदय ने 1 मई, 1968 को सदन में दिये गये वक्तव्य में किया था ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस मामले में किये जाने वाले उपायों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

440. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को वर्ष 1966–67 से 1·55 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस घाटे के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1967–68 में होने वाले लाभ हानि के बारे में सरकारी अनुमान क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) निगम को 1966–67 वर्ष में 1.58 करोड़ रुपये का घाटा हुआ ।

(ख) इस घाटे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :–

1. राजस्व कोयला खानों से उत्पादन, पिछले वर्ष की तुलना में, 2 लाख मैट्रिक टन गिर गया यद्यपि वर्ष के दौरान तीन नई कोयला खानें राजस्व खाते में लाई गई थीं ।

2. क्योंकि नई राजस्व खाते अपनी निर्धारित क्षमता से काफी कम क्षमता पर कार्य कर रही थीं, अतः उन के कार्यकरन पर 32.83 लाख रुपये का घाटा हुआ ।

3. उन खानों का, जहां विकास कार्य निलम्बित/बंद किये गये हैं, 25·79 लाख रुपये का अनुरक्षण व्यय पंजीकृत करने के स्थान पर, जैसा कि पहले किया जाता था, राजस्व लेखे पर प्रभारित किया गया है ।

4. थम श्रेणी की गैर-फैक्टरी इमारतों पर मूल्य-ह्रास प्रभार बढ़ गया है क्योंकि मूल्य-ह्रास आय कर तालिका में दी गई सामान्य दर के स्थान पर, प्रायोजना के जीवन काल की अवधि के लिये सीधी लाईन प्रणाली पर लेने का निश्चय किया गया है । इस के परिणामस्वरूप अतिरिक्त प्रभार लगभग 20·00 लाख रुपये है ।

5. निलम्बित/बंद की गई खानों की अचल सम्पत्ति के पूंजीगत खर्चे को 10 वर्षों की अवधि में बट्टे खाते में डालने का निश्चय किया गया है । इसके परिणामस्वरूप वर्ष के राजस्व लेखे में 30.10 लाख रुपये की वृद्धि हुई है ।

6. संदिग्ध ऋणों के लिये व्यवस्था 5 लाख रुपये और अन्तिम स्टाक में अपह्वसन के लिये व्यवस्था 5·21 लाख रुपये बढ़ा दी गई है ।

(ग) 1967–68 वर्ष के लेखों को, अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और न ही उन की खा परीक्षा अभी हुई है ।

कोयले के दामों में वृद्धि

441. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में कोयले के मूल्यों में जो वृद्धि की गई है, सरकार उससे किन आधारों पर सहमत हुई है ; और

(ख) इससे (एक) रेलवे, और (दो) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को प्रति वर्ष कितना अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) कोयला उद्योग द्वारा कोयले के मूल्यों में वृद्धि की मांग का आधार उत्पादन की लागत में वृद्धि था ।

(ख) अभी हाल की वृद्धि के कारण रेलवे विभाग द्वारा किये जाने वाले अतिरिक्त व्यय का अनुमान लगभग 1.2 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है । सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के सम्बन्ध में इस प्रकार का व्यय 2·3 करोड़ रुपये के लगभग होगा जिसमें प्रस्तावित अतिरिक्त उपकर भी सम्मिलित है ।

माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर

442. **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में स्थापित परियोजना, माइनिंग एंड एलाइड कारपोरेशन, दुर्गापुर के असन्तोषजनक कार्य के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि श्रमिकों में लगातार असन्तोष के अतिरिक्त उस कारखाने में कुप्रबन्ध तथा उचित आयोजन तथा संगठन का अभाव भी है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि० की कठिनाइयां आंशिक रूप से कोयले के उत्पादन लक्ष्य में क ी और गैर-सरकारी खानों में मशीनीकरण की धीमी गति है जिसके परिणामस्वरूप कोयला खनन के परम्परागत उपकरणों, जिनके लिए मुख्यतया इस संयंत्र की स्थापना की गई थी, के कम आर्डर प्राप्त हुए । उत्पादन में वृद्धि की गति अनुमान से कम रही और इसका मुख्य कारण यह था कि श्रम की उत्पादिता उस सीमा तक नहीं बढ़ी जिसका अनुमान लगाया गया था । रूसी विशेषज्ञों के एक दल ने संयंत्र का निरीक्षण किया था और उत्पादन तथा उत्पादिता में वृद्धि के लिये प्रोत्साहन की विस्तृत प्रणाली की आवश्यक ता, प्रक्रिया में सुधार सम्बन्धी कुछ सिफारिशें की हैं । विशेषज्ञ दल को प्रतिवेदन फिलहाल लागू किया जा रहा है ।

प्रतापखाता और चौतरा स्टेशनों के बीच गाड़ी का पटरी से उत्तर जाना

443. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतापखाता और चौतरा स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण 2 जून, 1968 को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के फकीराग्राम-अलीपुर द्वारा सेक्शन पर संचार व्यवस्था ठप्प रही थी ;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं तथा अनुमानतः कितनी हानि हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जांच समिति के निष्कर्ष के अनुसार यांत्रिक खराबी के कारण गाड़ी पटरी से उतर गई थी जिसके लिए रेल कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया गया है । रेल सम्पत्ति को लगभग 49,500 रुपये की क्षति होने का अनुमान है ।

कम्पनियों के निदेशकों को पारिश्रमिक

444. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों के निदेशकों तथा प्रबन्धकों को दिये जाने वाले अत्यधिक पारिश्रमिक पर नियंत्रण रखने के लिये समवाय विधि विभाग ने कोई प्रयत्न किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में कितनी सफलता मिली है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनियों में, कार्यकारियों, जो निदेशक मंडल के सदस्य नहीं हैं, को पारिश्रमिक देना, कम्पनी अधिनियम, 1956 के विषय क्षेत्र से परे है । प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में निदेशकों का पारिश्रमिक भी कम्पनी अधिनियम द्वारा विनियमित नहीं है । पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में प्रबन्ध तथा पूर्ण-कालिक निदेशकों को सम्मिलित कर, निदेशकों के पारिश्रमिक, अधिनियम में दी गई सांविधिक सीमाओं के अधीन है ; तथा कम्पनी कार्य विभाग, अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों के पारिश्रमिक विनियमित करता है ।

(ख) एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में एक प्रबन्ध अथवा पूर्ण-कालिक निदेशक साधारणतः कम्पनी के शुद्ध लाभ के 5 प्रतिशत से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर सकता । जहां, प्रबन्ध अथवा पूर्ण-कालिक निदेशक एक से अधिक हैं, वहां सब मिल कर शुद्ध लाभ के 10 प्रतिशत तक पारिश्रमिक प्राप्त कर सकते हैं । जहां प्रबन्ध अथवा पूर्ण-कालिक निदेशक नहीं है, वहां, अंश कालिक निदेशक मिल कर शुद्ध लाभ के 3 प्रतिशत तक पारिश्रमिक प्राप्त कर सकते हैं । यदि कोई प्रबन्ध अथवा पूर्ण-कालिक निदेशक हो तो एक अंशकालिक निदेशक, केवल शुद्ध लाभ का 1 प्रतिशत तक पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है । कुछ वृहद कम्पनियों, जिनका शुद्ध लाभ 50 लाख रुपया वार्षिक

या इससे ऊपर है, अपने प्रबन्ध अथवा पूर्ण-कालिक निदेशकों को, सांविधिक सीमाओं के अन्दर अन्यादिक उच्च वेतन देने की स्थिति में होती हैं । एक एक की प्रबन्ध अथवा पूर्ण-कालिक निदेशकों का, वेतन, महंगाई भता तथा कमीशन आदि के द्वारा वार्षिक पारिश्रमिक, उसकी नियुक्ति का अनुमोदन करते समय 1,80,000 रुपये की सीमा आरोपित करके नियमित किया गया है । यदि एक व्यक्ति, दो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया हो, तो उसका पारिश्रमिक, 2·70 लाख रुपये, प्रति वर्ष तक सीमित किया गया है ।

(ग) इस विषय में सफलता इस तथ्य से निर्णित की जानी चाहिये कि साधारणतः लाभ कमाने वाली कम्पनियों के प्रबन्ध पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक सांविधिक सीमाओं के अन्दर रखा गया है, तथा अत्यधिक वृहद कम्पनियों के मामले में, जहां कानून द्वारा बहुत उच्च पारिश्रमिक की अनुमति है, वहां यह कम्पनी कार्य विभाग द्वारा आरोपित प्रशासनिक सीमाओं के अन्दर रखा गया हैं ।

Lost Property Office in Railways

445. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that despite the goods sent to the Lost Property Office by Station Masters being properly packed, the railway authorities press the party to fill in a forwarding note in such a way that the goods cannot be claimed ;

(b) if so, whether it is also a fact that Lost Property Office does not reply to letters even for 3 months and it auctions the goods without any prior information ; and

(c) if the reply to part (*a*) above be in negative, the quantity of goods booked at Meerut City and Meerut Cantonment Railway Stations (including out Agencies) during the years 1965-66 and 1966-67 and the quantity of goods sent to the Lost Property Office and the quantity of goods in respect of which claim was not paid ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) :] (a) No.

(b) Lost Property Offices are expected to send prompt replies to letters received from the public. If any specific instances of delayed replies are reported appropriate action is taken. Lost Property Offices auction goods only when their ownership cannot be ascertained or when they remain unclaimed. Such auctions are held after due public notice.

(c) The total quantity of goods booked from Meerut City and Meerut Cantonment railway stations (including Out-Agencies) during the years 1965-66 and 1966-67 is given below:

	1965-66	1966-67
Number of consignments	11,687	12,574
Weight of consignments (in quintals)	3,30,285	5,29,531

It has not been possible, in the time available, to ascertain what quantity out of the above goods was sent to the Lost Property Offices. The information is being collected and will be placed on the table of the House.

No claims on account of goods booked during the years 1965-66 and 1966-67 from these stations are pending on the Railways.

Construction of Houses by Railway Employees and Officers

446. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(*a*) whether Government are aware that the Railway Officers and employees openly use bricks and iron etc. belonging, to Railways for the construction of their own houses ;

(*b*) whether Government propose to examine bricks and iron pipes etc. used in houses constructed by the Railway employees and officers in Delhi and some other cities as a test ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) No such case has come to our notice.

(b) If any specific case is brought to our notice, it will be looked into.

(c) Does not arise.

Booking of goods

447. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the railway employees demand tip at the time of booking of goods ;

(b) whether the rate of this tip is increased manifold at night ;

(c) whether the goods of the party not paying tip are booked but it takes more time in reaching its destination in comparison to other goods where tip is paid ;

(d) if the replies to parts (*a*), (*b*) and (*c*) above be in negative whether Government propose to keep a watch on the monthly expenditure of Railway Booking Clerks and Chief Booking Clerks and the amount spent by them on the education of their children ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) A few isolated complaints containing allegations of demand of illegal gratification for booking of goods have been received.

(b) No allegation to this effect has come to notice.

(c) In the investigation of cases of delayed transit no general indication to this effect has been thrown up.

(d) and (*e*) It is not practicable to keep watch on the expenditure of Booking Clerks and Chief Booking Clerks and the amount spent by them on the education of their children. However, specific complaints of owning assets disproportionate to known sources of income on the part of the staff are looked into and appropriate action taken.

Settlement of Claims on Railways

448. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the preiod for settlement of claims regarding goods has been extended up to three years ;

(b) whether it is also a fact that the settlement of claims is delayed without disclosing reasons to the party concerned in this regard ;

(c) if the reply to part (*a*) above be in the negative, the quantity of goods claims which are still to be settled against the goods booked during the years 1965-66 and 1966-67 from Meerut Cantonment and Meerut City Railway Stations (including out agencies) ; and

(d) the total number of claims which are still lying unsettled in the office of Lost Property Office (Northern Railway) and the time since when the said claims are pending ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha): (a) No. Claims are expected to be disposed of as expeditiously as possible.

(b) While the average time taken in disposal of claims for compensation is about a month in certain controversial cases and cases involving extensive enquiries and extensive tracing, delay in settlement does occur. Where such delay occurs the claimants do keep enquiring about progress and suitable replies to such enquiries are given.

(c) No such claims are pending.

(d) No claims are dealt with in the Lost Property Office.

ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन के विरुद्ध आरोप

450. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में हाल ही में हुई ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के अंशधारियों की 48वीं वार्षिक सामान्य सभा की बैठक में इस कम्पनी के प्रबन्धकों के द्वारा धन के दुरुपयोग, हिसाब-किताब में गोल-माल, कम दर पर अंशों को बेचने आदि के आरोप लगाये गये थे;

(ख) क्या सरकार ने इन आरोपों के बारे में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पिछली वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर उपस्थिति अनेक हिस्से धारी कम्पनी की ऊनी शाखाओं तथा कूपर एलन यूनिट के कार्य के विषय पहलुओं, चीनी कम्पनियों में हिस्सों की बिक्री, श्री बी० एल० बाजोरिया को दी गई परिलब्धियां, परिस्थितियां जिनके कारण कुछ निदेशक कम्पनी के जांचे गये लेखे पर हस्ताक्षर न कर सके, आदि को मिला कर अनेक इंगितों पर स्पष्टीकरण चाहते थे। कुछ हिस्सेधारियों ने, प्रश्नों की, जिन्हें वह बैठक में पूछना चाहते थे, अग्रिम सूचना भी दी थी।

(ख) से (घ). बैठक में, प्रश्नों पर विचार करने के लिये, समय की न्यूनता की दृष्टि से, लेखे से सम्बन्धित अथवा उसके बारे में उत्पन्न, पूछे गये प्रश्नों की परीक्षा करने के लिये बैठक में एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति को, ऐसे प्रश्नों पर, कम्पनी के निदेशक मंडल को एक प्रति सहित कम्पनी विधि बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। समिति से, यथा-संभव शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त होने की आशा की जाती है।

संयुक्त अरब गणराज्य के साथ व्यापार करार

451. **श्री अदिचन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य के साथ एक नये व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) और (ख) जी, नहीं। भारत तथा सं० अ० गणराज्य के बीच 8 जुलाई, 1953 को किया गया व्यापार करार अभी तक वैध है और अभी हाल में दोनों देशों के बीच किसी नये करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। हां, जून, 1968 में दोनों देशों के बीच 1968–69 के लिये एक व्यापार योजना को अन्तिम रूप दिया गया था। इस व्यापार योजना में 1 जुलाई, 1968 से 30 जून, 1969 तक की अवधि में दोनों देशों के बीच 60 करोड़ रु० के माल का आदान-प्रदान करने की व्यवस्था है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

452. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग रांची ने 16,220 रुपये के चार 'मैन-होल कवर,' खरीदे थे और उसका पता स्टोर की जांच के समय लगा था;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामले की जांच की थी और उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार सात व्यक्ति अपराधी पाये गये हैं;

(ग) क्या तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(घ) क्या ऐसे कई मामलों का पता लगा है परन्तु इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1964 में भारी इंजीनियरी निगम द्वारा चार निरीक्षण 'मैन-होल' 4,050 रु० प्रति 'मैन-होल' की दर से खरीदे गये थे । जुलाई, 1965 में माल के निरीक्षण के समय इन मैन-होलों को ऊंचे भावों पर खरीदने का पता चला था ।

(ख) और (ग). मामले की विभागीय जांच विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, पटना द्वारा की गई थी । तीन व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

(घ) और (ङ) जब कभी ऐसे मामलों का पता चलता है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

माल डिब्बों का निर्यात

453. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साम्यवादी देशों को कुल कितने मूल्य के माल डिब्बों का निर्यात करने का विचार है;

(ख) करों की राशि लौटाई जाने समेत राजकोषीय राहत कितनी होगी;

(ग) अन्य देशों द्वारा हमें प्रति माल-डिब्बा दी जाने वाली कीमत और इस कीमत में क्या अन्तर है; और

(घ) माल-डिब्बों के बदले में किस वस्तु का आयात करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० ने, जो पूर्वी यरोप के समाजवादी देशों को माल-डिब्बों के निर्यात की व्यवस्था करता है, हंगरी को लगभग 2·5 करोड़ रु० मूल्य के 500 माल डिब्बे भेजने के लिये मार्च, 1966 में

संविदा की थी तथा संविदा लगभग पूरी होने को है। 1968–70 में लगभग 30.5 करोड़ रु० मूल्य के माल-डिब्बे निर्यात करने का विचार है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

पोलेण्ड	2.8 करोड़ रु०
सोवियत रूस	20 करोड़ रु०
हंगरी	7.7 करोड़ रु०

(ख) रेल के माल-डिब्बों पर प्रत्येक मामले के आधार पर 20 प्रतिशत की नगद सहायता, जिसकी अधिकतम सीमा उत्पाद में आयात परिमाण का 20 प्रतिशत है, दी जाती है। इसके अतिरिक्त उत्पादन तथा सीमा शुल्कों की वापसी भी की जा सकती है जो निर्यात उत्पाद के निर्माण में प्रयोग होने वाले सामान तथा संघटकों पर वस्तुतः भुगतान किये गये शुल्कों तक सीमित होगी।

(ग) रेल के माल-डिब्बों के मूल्य उनकी किस्मों तथा विशिष्टियों के अनुसार अलग-अलग हैं एवं उनमें काफी अन्तर है। भारतीय निर्यातक द्वारा दिये गये मूल्यों में कोई देशवार अन्तर नहीं है क्योंकि प्रतियोगी परिस्थितियों में, जिनमें माल-डिब्बों को बेचना पड़ता है, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

(घ) भारत तथा सम्बन्धित समाजवादी देशों के बीच माल-डिब्बों का निर्यात कुल व्यापार का अंग है। यद्यपि ऐसा व्यापार द्विपक्षीय आधार पर होता है परन्तु माल-डिब्बों के निर्यात तथा सम्बन्धित देश से वस्तुओं के आयात के बीच कोई विशिष्ट सम्बन्ध नहीं है।

लक्कीसराय स्टेशन पर हुई दुर्घटना के बारे में जाँच

454. श्री लोबो प्रभु : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कीसराय स्टेशन पर दूसरी रेल दुर्घटना रेलवे अधिकारियों द्वारा उन सिफारिशों को क्रियान्वित न किये जाने के कारण हुई थी अक्टूबर, 1966 में वहीं हुई पहली रेल दुर्घटना सम्बन्धी जांच रिपोर्ट में की गई थी;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित रेलवे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) दुर्घटनाओं के बारे में ऐसी जांच रिपोर्टों को प्रकाशित न करने अथवा सभा-पटल पर न रखने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) गाड़ी-दुर्घटनाओं से सम्बन्धित सभी रिपोर्टें प्रकाशित नहीं की जातीं और न सभा-पटल पर रखी जातीं। केवल वे रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं जिन्हें प्रकाशित करना सरकार उपयोगी समझती है।

फिर भी, 24–10–66 को लक्खीसराय स्टेशन पर जो दुर्घटना हुई थी, उससे सम्बन्धित रिपोर्ट को जब रेल संरक्षा आयोग अंतिम रूप दे देगा तो उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

कपड़ा मिलें

455. **श्री जार्ज फरनेंन्डीज** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से राज्य में बंद हो गई किसी कपड़ा मिल को पुनः चालू करने के हेतु आर्थिक सहायता के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह अभ्यावेदन कब प्राप्त हुआ था और उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या अन्य राज्यों से भी ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 1968 के अन्तिम सप्ताह में, महाराष्ट्र सरकार ने सुझाव दिया था कि भारत सरकार को वित्तीय अभिकरणों जैसे आई० डी० बी० आई०, बैंकों तथा हाल में स्थापित राष्ट्रीय वस्त्र निगम के माध्यम से पुनः स्थापन, नवीकरण अथवा आधुनिकीकरण के लिये वित्तीय सहायता देने हेतु 10–15 वर्षीय क्रमवार कार्यक्रम बनाना चाहिए। उनका सुझाव केवल बंद मिलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है। यह समस्त कपड़ा मिलों के लिये है।

(ग) सुझाव विचाराधीन है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी दल कपड़ा मिलों को आधुनिकीकरण तथा कार्यकारी पूंजी के लिये अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराने हेतु वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने पर ऋण सीमाओं तथा सीमान्त के उदार बनाने के प्रश्न की पहले ही जांच कर रहा है। इसके अंतिम प्रतिवेदन के शीघ्र ही मिलने की आशा है। चौथी योजना अवधि के लिये वस्त्र मशीन निर्माण उद्योग के आधुनिकीकरण तथा विस्तार की आवश्यकताओं का आकलन भी एक अन्य कार्यकारी दल द्वारा किया जा रहा है।

(घ) और (ङ). पश्चिमी बंगाल की सरकार ने प्रार्थना की है कि सरकार उस राज्य के बंद तथा संकटग्रस्त मिलों को अपने अधीन ले लेने तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम के माध्यम से उनका नवीकरण तथा आधुनिकीकरण करवाने के बाद उन्हें पुनः चालू करे। मद्रास की सरकार ने भी उस राज्य की 20 बंद कपड़ा मिलों के मामलों की जांच करने के लिये जांच समिति की स्थापना का सुझाव दिया था जिससे यह निश्चित किया जा सके कि यदि सहायता देना वांछनीय है तो कितनी सहायता दी जाये।

कांडला गांधी धाम पर नमक उठाने के लिए माल डिब्बे

456. **श्री जार्ज फरनेंन्डीज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि कांडला-गांधीधाम पर नमक निर्माताओं को विदेशी बाजारों में नमक भेजने के लिए कितने माल डिब्बों की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिदिन कितने माल डिब्बों की आवश्यकता है;

(ग) क्या माल डिब्बों की सप्लाई बहुत कम है और इसके फलस्वरूप नमक निर्माताओं को भारी हानि होती है; और

(घ) क्या इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का तुरन्त कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है । लेकिन नमक आयुक्त एक वार्षिक कार्यक्रम बनाते हैं जिस में मनुष्यों के उपभोग के लिए विभिन्न स्रोतों से नमक परिवहन के लिए माल डिब्बों की जरूरतें बतायी जाती हैं । इस योजना के अनुसार नमक आयुक्त ने कांडला और गांधी धाम से कार्यक्रम वाले नमक के परिवहन के लिए 170 माल डिब्बों का मासिक कोटा निश्चित किया है । जो नमक कार्यक्रम में नहीं आता वह समय-समय पर व्यापारियों से मिलने वाली मांगों के अनुसार ढोया जाता है ।

(ग) और (घ). नमक के माल डिब्बों का नियतन मुख्यतः पंजीकरण की तारीख और अग्रता की उस श्रेणी के आधार पर किया जाता है जिसका वह या आयात हकदार होता है । जिस नमक का कार्यक्रम नमक आयुक्त द्वारा बनाया जाता है और रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित होता है वह "ग" श्रेणी की अग्रता के अनुसार ढोया जाता है । उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में नमक "घ" श्रेणी की अग्रता और अन्य सारा नमक "ङ" श्रेणी की अग्रता के अनुसार ढोया जाता है । सम्बन्धित अग्रता वर्ग क्रमानुसार होती है ।

जनवरी से मई 1968 की अवधि के दौरान कांडला और गांधीधाम पर जितने माल डिब्बों की मांग की गयी और नमक से लादे गये उनकी संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गयी है—

	कार्यक्रम के अनुसार कोटा	जितने डिब्बों की मांग की गयी	जितने माल डिब्बे लादे गये
कार्यक्रम वाला नमक	848	1113	879
बिना कार्यक्रम वाला नमक	—	3951	2283

इस से यह स्पष्ट हो जायेगा कि कार्यक्रम वाले नमक से लादे गये माल डिब्बों की संख्या नमक आयुक्त द्वारा बनाये गये कार्यक्रम से अधिक थी । बिना कार्यक्रम वाले नमक के सभी मांग पत्र नहीं निपटाये जा सके क्योंकि इसकी ढुलाई निम्नतम अग्रता के अंतर्गत आती है और इसकी आवधिक मांग सारे वर्ष समान रूप से बांट कर निपटायी जानी होती है । जनवरी से मई, 1968 तक की अवधि के दौरान कांडला और गांधीधाम पर नमक के 3162 डिब्बे लादे गये थे जब कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2141 माल डिब्बे लादे गये थे ।

कच्छ जिले में रेलों का विस्तार

457. श्री जार्ज फरर्नेंडीज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ जिले में रेलों का विस्तार करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चित तथा नियत अवधि का कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है और उस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चें० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). देश के इस भाग में इस समय झूण्ड से कांडला तक केवल एक नयी लाइन बनायी जा रही है । इस लाइन का निर्माण-कार्य अक्तूबर, 1968 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है और अनुमान है कि इस पर 15 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा । इस समय कच्छ जिले में कोई और नयी लाइन बनाने की योजना नहीं है ।

Import of Moter Vehicles

458. Shri Mrityunjay Prasad : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the total number of moter vehicles imported from 1st April, 1967 to 30th June, 1968 and the number out of them sold through the State Trading Corporation and through other means separately ;

(b) the sources through which these vehicles were imported ;

(c) whether these vehicles were imported with import permits issued by Government or through some other source ; and

(d) the number of vehicles imprted into the country through different sources ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd Shafi Qureshi) (a) to (d) A statement showing the details of Road Motor Vehicles imported from April 1967 to March, 1968 is laid on the Table of the House [*Placed in library See No.LT.-138./68*] Information about imports made between 1st April 1967 and 30th June 1968 is not yet available. The State Trading Corporation has sold 707 vehicles during the period 1st April 1967 to 30th June, 1968. It is not possible to indicate how many of them were from the imports made during this period. Vehicles are imported by priveleged officers of foreign diplomatic missions in India or under a licence or custom Clearance Permits. Information about the sources of import and on other points is not readily available .

Transfer of Zonal areas of Eastern and N.E. Railways

459. Shri Mrityunjay Prasad: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether Government are considering any proposals for transferring or changing Zonal areas of the Eastern and North Eastern Railways ;

(b) if so, the particular of Zonal areas along with the name of Railway concerned to be transferred to other Railway as per suggestion made ;

(c) whether Government have received any protest letters from the residents, public bodies and public workers of these Zonal areas against the said proposal ; and

(d) if so, the reaction of Government there to ?

The Minister of Railways (Shri C. M, Poonacha) : (a) and (b). The Hon'ble Member is evidently referring to the scheme of divisonalisation to be introduced on the North Eastern Railway.

An integrated scheme for divisionalisation of both the North Eastern and Northeast Frontier Railways is still under consideration.

(c) and (d). Certain representations have been received, which will receive due consideration

बोकारो स्टील लिमिटेड और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का एकीकरण

460. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो स्टील लिमिटेड और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड दोनों को एक निगम के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सरकार यह समझती है कि यदि इन विभिन्न एककों के सम्भरन, निर्माण, बिक्री और निर्यात के अधिकांश काम को एक ही अभिकरण द्वारा समन्वित किया जाये तो काफी बचत हो सकती है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) और (ख) इस समय बोकारो स्टील लिमिटेड और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का एक सांझे निगम के प्रशासनिक नियन्त्रण में लाने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है । यद्यपि ऐसे एकीकरण से कुछ लाभ हो सकते हैं, इससे बहुत सी हानियां भी होंगी ।

ढोलों का निर्माण

461. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास समवाय-कार्य मंत्री** 5 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2848 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी ढोल निर्माताओं को 1966-67 में उनकी क्षमता के अनुपात के अनुसार एक समान आधार पर इस्पात की चादरें आवंटित की गई थीं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या यह सच है कि ढोल निर्माताओं को 1961-62 से 1966-67 तक इस्पात की चादरों का कुल आवंटन 3000 टन प्रति मास से कम था और इस्पात की चादरों की अत्याधिक कमी के कारण 4700 मीट्रिक टन की अपेक्षित सप्लाई का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका ; और

(घ) यदि हां, तो 1963-64 में ढोल निर्माताओं की क्षमता पुनः निर्धारित करने तथा उसके अनुसार इस्पात की चादरों का आवेदन करने के क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) 1966-67 में तेल कम्पनियों की तेल के ढोलों की आवश्यकता की स्थिति के बारे में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई । इस स्थिति का सामना करने के लिए लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने पेट्रोल तथा रसायन मंत्रालय के परामर्श से अपने लिए रक्षित भण्डार से तेल के ढोल बनाने वाले विभिन्न निर्माताओं के इस्पात का विशेष कोटा दिया । पेट्रोल तथा रसायन मंत्रालय ने सिफारिश की कि इस्पात के विशेष कोटे का आवन्टन तेल कम्पनियों द्वारा विभिन्न निर्माताओं को दिये गये ऋादेशों के आधार पर किया जाय । कुछ एककों को कठिनाई तथा बन्द होने से बचाने के लिए अग्रिम आवन्टन भी किया गया था । अग्रिम आवन्टन तथा पेट्रोल तथा रसायन मंत्रालय के परामर्श से किया गया आवन्टन एक विशेष स्थिति का सामना करने के लिए इस शर्त पर किया गया था कि इसका

समायोजन भविष्य के आवन्टन में कर लिया जायगा ताकि सभी निर्माता समकक्ष हो जायें। संयुक्त संयंत्र समिति को सूचित कर दिया गया था कि समन्वय किया जाना था।

(ग) बैरल बनाने के लिए 1963-64 और 1966-67 में उपलब्ध कुल इस्पात 3000 मी० टन प्रति मास से कुछ अधिक था, जो कुल क्रमश: 37,110 मी० टन तथा 36,618 मी० टन था। यह सच है कि 4700 मी० टन प्रति मास का लक्षित सम्भरण देशी साधनों के अपर्याप्त होने के कारण पूरा नहीं किया जा सका।

(घ) जैसा कि 5 मार्च, 1968 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2848 के उत्तर में बताया जा चुका है क्षमता का पुनर्निर्धारण पेट्रोल उद्योग की आवश्यकताओं को देखते हुए किया गया था।

ढोल बनाने वाले कारखाने

462. **श्री सीता राम केसरी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 7 मई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1998 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि 1963-64 में ढोलों के मूल निर्माताओं की लाइसेंस प्राप्त क्षमता एकल पारी में 45640 टन वार्षिक थी ;

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों को उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अनुसार इस्पात की चादरें आवंटित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन कारखानों को दो पारियों के आधार पर इस्पात की चादरें आवंटित करने से ढोलों की बढ़ती हुई मांग आसानी से पूरी की जा सकती थी; और

(घ) क्या 7 मई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1698 के भाग (ख) तथा (ग) में पूछी गई सूचना इस बीच प्राप्त कर ली गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस्पात के कोटे का नियतन केवल एक पाली के आधार पर निर्धारित की गई क्षमता के लिये किया जा रहा था, अत: दो पालियों के आधार पर आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है।

कारों के निर्माता

463. **श्री वीरेश्वर कलिता :**
श्री रानेन सेन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारों के निर्माण के बारे में पाण्डे समिति की सिफारिशों के बाद सरकार ने कारों के निर्माताओं को कारों का गुण प्रकार बढ़ाने के लिये की कोई विशिष्ट निदेश दिये थे;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यारा क्या है; और

(ग) क्या कार निर्माताओं ने इन निदेशों को क्रियान्वित किया है और क्या उसके बाद कारों की स्किम में कुछ सुधार हुआ है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 16 के अधीन कार निर्माताओं को सांविधिक निदेश जारी कर दिये गए थे।

(ख) जारी किए गए सांविधिक निदेशों को एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1382/68]

(ग) इन निदेशों के प्रति कार निर्माताओं की प्रतिक्रियाएं मिल गई हैं और फिलहाल उन पर विचार किया जा रहा है। कार निर्माताओं द्वारा इन निदेशों के पूरी तरह से कार्यान्वित किये जाने पर आशा है कि देश निर्मित कारों की स्किम में सुधार हो जायेगा ये निदेश जिस प्रकार के हैं उनमें कुछ समय लगेगा।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन

464. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन ने 1967 में एक करोड़ रुपये से अधिक का घाटा उठाया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) इस कम्पनी को लाभ में चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हाँ, श्रीमान्।

(ख) 1967 के वर्ष के जाँच किये गये लेखे पर दिनाँक 25 मई, 1968 की निदेशकों की रिपोर्ट से साथ साथ-संकेत मिलता है कि "निगम के आर्थिक प्रसाधनों पर अत्यधिक निकासन, उन हानियों के कारण है जो आलोच्य वर्ष में, ऊनी शाखाओं के कार्य से अत्यधिक प्रभावित, कूपर एलन तथा नार्थ वैस्ट वूलन ब्रान्चों पर, उठाया गया है। आर्थिक प्रसाधनों की अप्राप्यता के कारण, निगम की ऊनी शाखाओं द्वारा, उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिये, जो सुनियोजित था, समय पर यथा-शीघ्र अपेक्षित कच्चा माल, तथा भंडार प्राप्त नहीं किये जा सका। इसके कारण, 1967 के वर्ष में, दोनों ऊनी शाखाओं में, उत्पादन, विचारणीय न्यून दरों पर था।

(ग) निदेशकों की रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया है कि 30 अप्रैल, 1968 तक की अवधि में, ऊनी शाखाओं द्वारा किया गया वास्तविक उत्पादन, गत वर्ष की इसी अवधि के उन के उत्पादन से विचारणीय उच्चतर है, तथा यह गत वर्ष किये गये कुल उत्पादन का लगभग 52 प्रतिशत है। निदेशकों ने, यह सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक संभव कार्यवाही करने की सूचना दी है, कि 1968 में ऊनी शाखाओं द्वारा जनरेट किये गये आर्थिक प्रसाधन, उनके उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये उन्हीं के द्वारा उपयोग करने के लिये प्रतिवारित हों।

भारत का निर्यात

465. **श्री वामानी :**
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 की प्रथम छमाही में भारत का निर्यात कितना था और 1965, 1966 और 1967 के पहले छः महीनों की तुलना में यह कितना कम अथवा अधिक रहा ;

(ख) जून, 1968 तक गत तीन वर्षों के पहले छः महीनों में कितने मूल्य के माल का आयात किया गया ;

(ग) क्या आयात आशानुकूल नहीं रहा है ;

(घ) यदि हाँ, तो कितना निर्यात होने की आशा थी और वास्तव में कितना निर्यात हुआ तथा किन वस्तुओं का निर्यात कम हुआ ; और

(ङ) भारत का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें 1967, 1966 तथा 1965 की उसी अवधि की तुलना में 1968 की प्रथम छमाही में माहवार निर्यात तथा आयात दिखाये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी—1383/68] उससे यह देखा जा सकेगा कि वर्ष के प्रथम पाँच महीनों अर्थात् जनवरी-मई, 1968 में भारत का निर्यात 501 करोड़ रुपये आया जो वर्ष 1967 की उसी अवधि की तुलना में 27 करोड़ रुपये अधिक था। अप्रैल-मई, 1968 में 211.17 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ जो अप्रैल-मई, 1968 की तुलना में, जो विगत तत्स्थानी अवधियों में सर्वोत्तम लगभग 3·7 प्रतिशत अधिक था।

(ङ) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी—1383/68]

भारत का अफगानिस्तान के साथ व्यापार

466. **श्री वामानी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले 12 महीनों में करार के अनुसार अफ़गानिस्तान के साथ भारत का व्यापार बढ़ रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत और अफ़गानिस्तान के बीच वार्षिक व्यापार की मात्रा बढ़ाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) जी हाँ।

(ख) दोनों सरकारें अगले वर्ष अर्थात् 1968-69 के लिये व्यापार व्यवस्था पर शीघ्र ही बातचीत करके उसे अन्तिम रूप देंगी । आगामी वर्ष में दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार विनियमों की मात्रा अभी से बताना संभव नहीं है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

467. श्री दामानी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में पिछले सत्र में सभा-पटल पर रखे गये पत्र के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंडिका 58 में सुझाई गई कार्य प्रगति सम्बन्धी त्रैमासिक समीक्षा योजना से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की कार्यकुशलता तथा कार्य-संचालन उन्नति होने में सहायता मिली है;

(ख) क्या राउरकेला उर्वरक कारखाने में पूरी क्षमता में कार्य होने के लिये उसे सुविधायें दी गई हैं, जिसका सुझाव कंडिका 59(एक) में दिया गया है ;

(ग) कंडिका 59 (पांच) तथा (छः) में उल्लिखित दुर्गापुर में अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध कराने तथा चार अतिरिक्त सुखाने के गड्ढे स्थापित करने पर कितना व्यय होगा; और

(घ) क्या इस प्रकार की वृद्धि निरन्तर तथा लम्बी अवधि तक प्रयोग के उद्देश्य से की जायेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) विभिन्न समस्याओं और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करने के मामले में त्रैमासिक समीक्षा योजना लाभदायक और प्रभावी सिद्ध हुई है ।

(ख) नेफ्थारीफार्मिंग यूनिट स्थापित करने का काम लगभग पूरा हो गया है । इससे राउरकेला उर्वरक कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग हो सकेगा । आशा है यह यूनिट शीघ्र ही चालू हो जायेगा ।

(ग) दुर्गापुर इस्पात कारखाने में चार अतिरिक्त सोख गड्ढों पर 11 मिलियन रुपये के लगभग खर्च आने का अनुमान है । विशेष इस्पात के उत्पादन की सुविधाओं पर आने वाले व्यय के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) जी हाँ ।

कोठागुडम से हुसैन सागर और विजयवाड़ा बिजलीघरों को कोयला ले जाने वाले मालडिब्बे

468. श्री दामानी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जून, 1968 को आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा विधान सभा में दिये गये इस आशय के कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि 1961 से लेकर अब तक कोठागुडम से हुसैनसागर तथा विजयवाड़ा बिजली घरों को कोयला ले जा रहे 194 माल डिब्बे मार्ग में गुम हो चुके हैं ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इन वर्षों में इन मामलों की रेलवे को सूचना दी थी तथा रेलवे से उनका दावा किया था;

(ग) कितने मामलों में दावों का भुगतान किया गया और कितनी राशि दी गई है ; और

(घ) इस हानि के लिये जिम्मेदारी नियत करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ; लेकिन मुख्य मंत्री द्वारा यह कहे जाने की रिपोर्ट है कि 192 माल डिब्बे गन्तव्य स्थान पर प्राप्त नहीं हुए ।

(ख) और (ग). चूंकि मुख्य मंत्री द्वारा राज्य विधान सभा में दिये गये बयान में जिन माल डिब्बों का हवाला दिया था उनका पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं था, इसलिए बिजली घर के प्राधिकारियों से इस सम्बन्ध में पूछताछ की गयी जिन्होंने कोयले से लदे केवल 113 माल डिब्बों का ब्यौरा दिया जो 1960, 1961, 1962, 1963 और 1966 के वर्षों में बुक किये गये थे और तथाकथित वे गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचे । इन 113 माल डिब्बा परेषणों में से 72 के सम्बन्ध में कोई दावा नहीं किया गया है । 1962 और 1963 में बुक किये 10 परेषणों के सम्बन्ध में 1965 में दावे किये थे लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया जिसका कारण यह था कि दावे छः महीने की अवधि के बीतने के बाद किये गये थे जैसा कि भारतीय रेल अधिनियम की धारा 78(ख) के अन्तर्गत व्यवस्था है । बाकी 31 माल डिब्बा परेषणों के बदले में उतनी ही संख्या में कोयलों के असम्बद्ध माल डिब्बों की सुपुर्दगी कर दी गयी ।

(घ) अभी तक किसी कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है ।

कताई मिलों के लिये वित्तीय सहायता

469. **श्री श्रीवरन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कताई मिलों के लिये वित्तीय सहायता अधिक देने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं । फिर भी, दक्षिण भारत की मिलों के लिये सूत का स्टाक रखने की योजना पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) योजना दक्षिण भारत मिल-मालिक संघ तथा तामिलनाड मिल मालिक संघ द्वारा एक ही योजना के रूप में चलाई जायेगी तथा वे इसे अपनी सदस्य मिलों तक ही सीमित रखेंगे । योजना के लिये अपेक्षित धन भारत सरकार से 1 करोड़ रुपये तक की गारन्टी के आधार पर प्राप्त किया जायेगा जो उनकी वित्त की सीमान्त आवश्यकता का 20 प्रतिशत होगा जिस पर स्टेट बैंक आफ इंडिया से लगभग 5 करोड़ रुपये की कुल वित्त व्यवस्था की जायेगी । इस सम्बन्ध में शीघ्र ही अन्तिम विनिश्चय किये जाने की आशा है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

470. **श्री श्रीधरन :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को 1966-67 में बहुत अधिक वित्तीय हानि हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितना घाटा हुआ था;

(ग) इस घाटे के क्या कारण हैं; और

(घ) घाटा न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). वर्ष 1966-67 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को 20.5 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(ग) और (घ) इस हानि के कारणों का विश्लेषण कर लिया गया है और उनको रोकने के लिये किये गये अथवा किये जा रहे उपायों का वर्णन "परफारमेन्स आफ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड" के शीर्षक की पुस्तिका में किया गया है जो 5 अप्रैल, 1968 को सभा पटल पर रखी गई थी।

कालीकट में लोह-अयस्क का सर्वेक्षण

471. **श्री श्रीधरन :** **श्री श्रद्धाकर सुवकार :**
श्री कामेश्वर सिंह : **श्री विश्वम्भरन :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के कालीकट जिले में लौह अयस्क निक्षेपों के सम्बन्ध में भूभौतीय सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या नतीजा निकला है; और

(ग) सर्वेक्षण के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करना चाहती है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, नहीं। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण द्वारा कालीकट जिले में लौह अयस्क के लिये अन्वेषण कार्य अभी प्रगति पर है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

Black Markting of Motor Tyres

472. **Shri Om Praksh Tyagi :** Will the Minister of Industrial Devlopment nd Company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the tyres of motor cars and trucks are being sold in black market in Delhi and it has become difficult for public to procure them at fair prices ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to remedy the situation ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahamed) : (a) Complaints have been received about the non-availability of truck and motor car tyres at re onable prices in Delhi.

(b) The various tyre companies have been requested to direct their dealers in Delhi to maintain a stock and sales register in the prescribed form and to sell tyres to consumers only after making endorsement on their Registration Books.

Attempt to Overturn 30 Down Delhi Lucknow Mail

473. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in an attempt to overturn 30 Down Delhi- Lucknow Mail on the 28th May, 1968 sleepers were heaped on the railway line on the Bareilly-Moradabad section ;

(b) if so, whether anti-national elements were responsible therefor ; and

(c) if so. the steps taken by Government to apprehend these anti-national elements and avoid the recu rence of such accidents in future ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha): (a) On 28-5-1968, while Train 30 DN (New De hi-Lucknow) Main was running between Nagaria Sadat and Dhaneta stations on the Moradabad-Bareilly Section, the Driver noticed an obstruction of the Railway Track and immediately brought the train to a halt at K.M.Pole No. 1336/11. Seven (Kachuwas) CST-9 Pl tes (Not sleepers) were found on the track.

(b) and (c). Government Railway Police, Bareilly registered a case on crime No. 97 u/s 126 Indian Railway Act on 30-5-1968. Vigorous investigation is being conducted under the personal supervision of the Section Officer, Government Railway Police, Moradabad. Till now, it has not been established whether anti-social elements were responsible for this act. No arrest has been made so far.

Import Policy

474. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring about some changes in their liberal import policy in view of the unhelpful attitude of the U.S. Congress towards Aid-India Fund sponsored by the President of U.S.A.; and

(b) if so, the nature of changes proposed to be brought about ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) There is no proposal to change the import policy already announced for the current period —April, 1968—March, 1969.

(b) Does not arise.

रुई का मूल्य

475. **श्री राणे :**

श्री देवराव पाटिल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसान द्वारा अपनी कपास बेचे जाने के पश्चात् मई, 1968 से बाजार में रुई के मूल्य बहुत चढ़ गये हैं अथवा बढ़ते चले जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो मार्च अप्रैल, 1968 के महीनों में रुई की भिन्न भिन्न किस्मों का प्रति गांठ मूल्य कितना किसान था; और

(ग) क्या कपास उगाने वालों को भारी हानि से बचाने के लिए चालू वर्ष में कपास के के निम्नतम मूल्यों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां; मई, 1968 से रुई की कुछ किस्मों के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है यह। यह प्रवृत्ति सामान्यत मौसमी कारणों से है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1384/78]

(ग) 1 सितम्बर 1967 से रुई के सांविधिक अधिकतम मूल्य तथा सांविधिक न्यूनतम मूल्य हटा दिये गये हैं। चालू मौसम (1967-68) में रुई की विभिन्न किस्म के लिये न्यूनतम मूल्यों के बजाय न्यूनतम समर्थक मूल्य निर्धारित किये गये हैं। अभी तक चालू वर्ष के लिये समर्थक मूल्यों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मैसूर, महाराष्ट्र और आंध्र में औद्योगिक बस्तियां

476. श्री संगण्णा अन्दानप्पा अगड़ी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्यों में वर्ष 1960 से स्वीकृत औद्योगिक बस्तियों को अभी तक नहीं बनाया गया है;

(ख) इन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के लिये कितनी औद्योगिक बस्तियों तथा एककों की मंजूरी दी गयी थी और उनमें से कितनी बस्तियां बनायी गयीं और किन किन स्थानों पर बनायी गयीं; और

(ग) इन राज्यों में स्वामित्व वाले उपक्रमों को प्रोत्साहन न देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेशम का आयात

477. श्री संगण्णा अन्दानप्पा अगड़ी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने देश में रेशमी धागे के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) आजकल प्रति वर्ष कुल कितने रेशमी धागे का आयात किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी, हां। मामला विचाराधीन है।

(ग) 1965 से 1967 के वर्षों में कच्चे रेशम का औसत वार्षिक आयात लगभग 0.49 से 0.42 लाख किग्रा के बीच रहा जब कि लगभग 2 लाख किग्रा का प्राक्कलित अन्तर था।

भानापुर और कोप्पल के बीच रेलवे स्टेशन का खोला जाना

478. **श्री संगण्णा अन्दानप्पा अगड़ी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में जिला रायचूर के कोप्पल तालुक में हेलीगेरे गांव के निवासी मैसूर राज्य में दक्षिण मध्य रेलवे के हुबली-गुंतकल सेक्शन पर भानापुर और कोप्पल के बीच एक रेलवे स्टेशन खोलने के लिये गत दस वर्षों से अभ्यावेदन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और 1960 में उस प्रस्ताव की जांच की गई। यह पाया गया कि भानापुर और कोप्पल के बीच एक नया स्टेशन खोलने का यातायात सम्बन्धी औचित्य नहीं है। तदनुसार उत्तर भेज दिया गया है। इस सम्बन्ध में हेलीगेरे गांव के सरपंच से तारीख 10-11-1967 का दूसरा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

Demonstration by running Staff of Eastern Railway

479. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the running staff of Eastern Railway organised a Conference on the 20th June, 1968 at Khagol, the headquarter of Danapur Division ;

(b) whether the railway employees demonstrated in front of the Divisional Superintendent of Danapur during the said Conference ;

(c) if so, whether he has received any memorandum from the Running Staff Committee ;

(d) if so, the details of demands listed therein ; and

(e) the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c). Yes, Sir.

(d) and (e). A statement giving the details of the demands and the remarks of Government in regard to these demands is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT-1385/68*]

Agitation by Running Staff of Danapur, Mughalsarai and Jhajha

480. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the running staff of Danapur, Mughalsarai and Jhajha of the Eastern Railway refused to work in their posts in April and May last on the ground of non-fulfilment of some of their demands ;

(b) if so, the number thereof, the duration of their agitation and the nature of their demands ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes; mainly cleaners refused to officiate as Second Fireman in Yard Pilots and some Second Firemen and leading Firemen in higher grade on Danapur Division for some days.

(b) It is not possible to give the precise number of the staff and duration because many of them reported sick, applied for leave etc.

Their main demands were provision of leading Firemen in Yard Pilots, issue of regular promotion order and confirmation in higher grades.

(c) Action on such of those demands which could be taken within the purview of rules has been taken.

पूर्वोत्तर रेलवे के कुछ भागों का पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में तबादला

481. श्री शिवचन्द्र झा :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के जिलरथ और कटिहार स्टेशनों के बीच के कुछ भाग का पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में तबादला किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके विशिष्ट कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिहार के लोगों ने इस भाग का पूर्वोत्तर सीमा रेलवे क्षेत्र में तबादले का कड़ा विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर रेलवे की मंडलीकरण योजना को मूलतः 15-8-1968 से लागू करना निश्चित था। इस योजना में परिचालन और प्रशासनिक कारणों से पूर्वोत्तर रेलवे के पश्चिम कटिहार जिले को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को दे देने का प्रस्ताव था। पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा दोनों रेलों के मंडलीकरण की समेकित योजना को अन्तिम रूप दिये जाने तक यह योजना स्थगित कर दी गयी है।

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के पश्चिम कटिहार जिले को पूर्वोत्तर रेलवे को दे देने के विरुद्ध कई अभ्यावेदन मिले हैं।

(घ) दोनों रेलों के मंडलीकरण का लक्ष्य रेलों द्वारा की जाने वाली सेवा के स्तर में सुधार और परिचालन कुशलता और मितव्ययता लाना होगा, लेकिन पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलों के मंडलीकरण की समेकित योजना को अन्तिम रूप देते समय जनता के अभ्यावेदनों पर उचित ध्यान दिया जायेगा।

निर्यात लक्ष्य

482. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात की वर्तमान वार्षिक औसत वृद्धि दर कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्यात वृद्धि पर दर के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और उनकी पूर्ति के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत से निर्यात की वृद्धि की वार्षिक औसत दर 4.4% थी, वर्ष 1966-67 में निर्यात में 8.8% की गिरावट आई और उसके पश्चात् वर्ष 1967-68 में 3.6 % की वृद्धि हुई।

(ख) चौथी योजना के लिये निर्यात लक्ष्य अभी निर्धारित किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ?

भागलपुर में रेशम की मिल

483. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत भागलपुर (बिहार) जापान के सहयोग से स्थापित की जाने वाली रेशम की मिल के लिये अपेक्षित मशीनरी के बनाने की स्थिति में नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उपरोक्त प्रयोजन के लिये जापान से आयात की जाने वाली कौन कौन सी विशेष मशीनें होंगी और कौन कौन सी देशी मशीनों का प्रयोग किया जायेगा ; और

(घ) उन पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) रेशम कताई मशीनों की मांग सीमित होने के कारण ऐसी मशीनों का निर्माण अभी तक देश में आरम्भ नहीं किया गया ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1386/68]

(घ) लगभग साठ लाख रुपये ।

तकुए

484. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सूती कपड़ा उद्योग में कुल कितने तकुओं का लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि इन तकुओं को प्रतिवर्ष दिन-रात चलाया जाये, तो कुल कितनी रुई की आवश्यकता पड़ेगी ;

(ग) देश में कुल कितनी रुई (बिनौले निकाल कर) तैयार होती है ;

(घ) इस वर्ष तथा गत वर्ष कुल कितनी रुई का आयात किया गया था; और

(ङ) रुई की सप्लाई में कमी को किस तरह पूरा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) लगभग 172.2 लाख (30-4-1968) को ।

(ख) सामान्यतः सूती कपड़ा उद्योग में रात-दिन काम नहीं होता । वर्तमान तकुओं के अधिकतम कार्यचालन के आधार पर ऐसा अनुमान है कि रुई की वार्षिक आवश्यकता की मात्रा लगभग 69 लाख गांठें होंगी । परन्तु मिलों की खपत की वर्तमान दर के आधार पर लगभग 64 लाख गांठों की आवश्यकता का अनुमान है । इसके अतिरिक्त लगभग एक लाख गांठें मिलों के अतिरिक्त अन्य उपभोग के लिये चाहिये और वर्ष में कतिपय छोटे रेशे की रुई की तीन लाख गांठें निर्यात की जातीं हैं ।

(ग) वर्ष 1967-68 के लिए अभी तक रुई के उत्पादन का अन्तिम अनुमान नहीं लगाया गया है । सामान्यतः यह आशा है कि गत वर्ष के उत्पादन की अपेक्षा इस वर्ष अधिक उत्पादन होगा और यह साठ लाख गांठों से कुछ ऊपर ही होगा ।

(घ) 1966-67 (सित० 66 अगस्त 67) 7,75,000 गांठें

1967-68 (सितम्बर 67 मार्च 68)* 3,05,000 गांठें ।

*बाद के महीनों के आंकड़े अभी तक प्राप्य नहीं हैं ।

(ङ) वर्ष में मिलों की खपत के लिए अपेक्षित रुई की पूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए तथा मौसम के अन्त में समुचित स्टाक बनाये रखने के लिए विदेशों से यथासंभव रुई का आयात किया जाता है ।

निर्यात-आयात व्यापार

487. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के आयात तथा निर्यात व्यापार को अपने हाथ में लेने के लिये एक निकाय नियुक्त करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख), जी, नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रशुल्क आयोग

488. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशुल्क आयोग अपने कार्य को निभाने में यथा उपभोक्ताओं पर न्यूनतम बोझ डालने और उद्योगों को इतना अधिक सबल बनाने में, जिसे कि वे स्वतः विश्व प्रतियोगिता का मुकाबला कर सकें; कितना सफल हुआ है ; और

(ख) प्रशुल्क आयोग किन-किन उद्योगों में उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल अथवा असफल हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख): प्रशुल्क आयोग के स्थापना और उसकी सिफारिशों के आधार पर जिन उद्योगों को संरक्षण दिया गया था, उनकी सूची संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1387 68]

यह देखा जायेगा कि केवल दो उद्योगों को छोड़ कर बाकी सभी उद्योगों में से संरक्षण हटा दिया गया क्योंकि उनके मामले में प्रशुल्क संरक्षण अब और अधिक आवश्यक नहीं था। यह आशा की जाती है कि उचित समय आने पर इन दो उद्योगों में से भी संरक्षण हटा दिया जायेगा।

आयोग को हमेशा इस बात का ध्यान रहा है कि उपभोक्ताओं पर अनावश्यक भार न डाला जाय। उसने कुछ मामलों में सिफारिश की थी कि देश में उत्पादित तथा आयातित वस्तुओं के मूल्य के अन्तर से संरक्षण शुल्क कम हो। कुछ जीवनदायिनी दवाइयों के मामले में आयोग ने संरक्षण के दावे को इस आधार पर नामंजूर कर दिया कि ऐसी दवाइयों पर ऊंची प्रशुल्क लगाना अवांछनीय है।

फिरोजपुर और लुधियाना के बीच रेलवे यातायात का रुक जाना

489. **श्री क० लकप्पा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 जून, 1968 को फिरोजपुर तथा लुधियाना के बीच रेलवे यातायात कई घंटों तक रुका रहा था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) इसके लिये उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० भा० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तर रेलवे पर अनाज का डिब्बों में भरना तथा उतारना

490. **श्री क० लकप्पा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में अनाज को डिब्बों में भरने तथा उन से उतारने के लिए मजदूरों की कमी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनाज के भरे अनेक डिब्बे अपनी-अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं परन्तु उन से अनाज उतारा जाना अभी शेष है ; और

(ग) पर्याप्त मजदूरों की व्यवस्था करने और माल डिब्बों को बेकार पड़े रहने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) अनाज लादने के लिए मजदूरों की कमी का कोई मामला नोटिस में नहीं आया है। गंतव्य स्टेशनों पर मालडिब्बों से अनाज उतारने के लिए कहीं कहीं मजदूरों की कमी रही है जिसकी वजह से कुछ मालडिब्बे रुके रहे।

(ग) पूरे माल डिब्बों में अनाज लादने और उन से अनाज उतारने के लिए मजदूरों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी माल भेजने वाले और माल पाने वाले की होती है। फिर भी खाद्य मंत्रालय के अनुरोध पर मंडल अधीक्षकों को हिदायत दी गयी कि रेलवे के सम्हलाई ठेकेदारों के जरिये मजदूर जुटाने में भारत के खाद्य निगम की सहायता की जाये।

बिहार में तांबा, सीसा और जस्ते का निक्षेप

491. **श्री क० लकप्पा** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के वैज्ञानिक सर्वेक्षण से वहां तांबे, सीसे और जस्ते के भारी निक्षेपों का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो इन निक्षेपों से अनुमानतः इनकी कितनी मात्रा मिलने की सम्भावना है ; और

(ग) इन निक्षेपों से इन धातुओं को निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख): हवाई भूभौतिकी सर्वेक्षण द्वारा अयस्क-कार्य न तो सीधे ढूंढ़े जाते हैं और न ही उन का पता लगता है। इन के द्वारा केवल भूमि के सवांही और चुम्बकीय गुणों के अन्तर का ही पता चलता है। अधिक सवांही और/या चुम्बकीय क्षेत्र, जिन्हें "विषमताएं" कहा जाता है, अयस्क-कार्यों की विद्यमानता के कारण से भी होते हैं। ऐसी विषमताओं और अयस्क-कार्यों की, यदि कोई हैं, जांच करने के लिये विस्तृत भूवैज्ञानिक और भूभौतिक सर्वेक्षण, भूरासायनिक पूर्वेक्षण और व्यपन कार्य आवश्यक हैं। हवाई भूभौतिकी सर्वेक्षण द्वारा बिहार के सर्वेक्षण किये गये क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण विद्युत-चुम्बकीय और चुम्बकीय विषमताओं के संकेत मिले हैं। उनमें से कुछ क्षेत्र ज्ञात धातुयुक्त खनिज-निक्षेपों के निकट स्थित हैं और वह क्षेत्र अन्ततः अयस्क निक्षेप वाले भी हो सकते हैं। तथापि, जब तक विस्तृत भूमि अनुपरीक्षण कार्य (जो जल्द ही हाथ में लिया जाना है) न किया जाये, विषमताओं की प्रकृति और कारण प्रतिपादित नहीं हो सकते। इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि सीसा, जस्ता और ताम्बा के बड़े निक्षेपों का पता लग गया है और इस कारण प्राप्ति और उपलभ्य राशियों के अनुमान नहीं लगाये जा सकते।

(ग) इस समय प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयले के भण्डार

492. श्री क० लक्कप्पा : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में कोठागुडम में 3 करोड़ रुपये की लागत का कोयला जमा पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इतने विशाल भंडार जमा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने कोयले के इस विशाल भण्डार को निकालने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) इतनी बड़ी मात्रा में कोयले के भण्डार जमा हो जाने के कारण नीचे दिये गये है :--

(1) लगातार कुछ वर्षों से पिछले कुछ समय तक वैगनों का अपर्याप्त मात्रा में और अनियमित रूप से दिया जाना।

(2) तीसरी आयोजना के अंतर्गत दक्षिण में तापीय बिजली घरों की स्थापना या विस्तार में देरी।

(3) जल-विद्युत् की बढ़ी हुई मात्रा में उपलब्धि जिसके कारण उस प्रदेश में तापीय बिजली की मांग पर दुष्प्रभाव पड़ा।

(4) सीमेंट के कई कारखानों द्वारा कोयले के प्रयोग से तेल के प्रयोग में अन्तरण।

(5) खरीदारों के बाजार के उदगमन के कारण उपभोक्ता चुने हुए वर्गों के कायले को तरजीह दे रहे हैं जिनका कम्पनी द्वारा उत्पादन नहीं होता।

(ग) जी, हां। कोयले के नये प्रयोगों के आधार पर कम्पनी अपने क्रियाकलापों में विभिन्नता लाने का विचार कर रही है। रेलवे से वैगनों की पूरी आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं, जिससे कि वैगनों के उपलब्ध न होने के कारण कोयले के खत्ते लगने और परिणामस्वरूप होने वाली अतिरिक्त लागत में कमी हो सके।

डीजल इंजनों में प्रयुक्त किये जाने वाले डीजल तेल की सीटेन संख्या

493. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **रेलवे** मंत्री हय बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे डीजल इंजनों में प्रयुक्त होने वाले डीजल तेल की सीटेन संख्या क्या है; और

(ख) बरौनी तेल कारखाने द्वारा उत्तर भारत के लिये तथा बर्मा शैल आदि द्वारा दक्षिण भारत में सप्लाई किये जाने वाले तेल की सीटेन संख्या क्या है?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) :(क) रेलों के डीजल रेल इंजननों में जिस डीजल तेल का इस्तेमाल किया जाता है, उसका न्युनतम सीटेन नम्बर 45 है जैसाकि ग्रेड 'ए' डीजल तेल के लिये भारतीय मानक विशिष्ट आई० एस० 1460–1959 में निर्धारित है।

(ख) बरौनी तेल-शोध कारखाने द्वारा दिये गये डीजल तेल का न्यूनतम सीटेन नम्बर 45 है। दक्षिण भारत में बिकने वाला हाई स्पीड डीजल तेल आमतौर पर सरकारी क्षेत्र के कोचीन तेल-शोधक कारखाने में और बम्बई तथा विशाखापत्तनम् तेल-शोधक कारखाने में तैयार किया जाता है। इस सब का न्युनतम सीटेन नम्बर 45 है।

दक्षिण वियतनाम को निर्यात

494. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 से 1967–68 तक की अवधि में दक्षिण वियातनाम से कुल कितने मूल्य की (रुपयों में) वस्तुओं का आयात किया गया और कितने मूल्य की वस्तुओं का वहां को निर्यात किया गया ;

(ख) व्यापार गृह या कौन-कौन से व्यक्ति उस देश को वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं ; और

(ग) भारत और दक्षिण वियतनाम के बीच व्यापार के विकास के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) गत तीन वर्षों की अवधिमें दक्षिण वियतनाम को निर्यात तथा वहां से आयात की गई वस्तुओं का कुल मूल्य निम्नलिखित था :–

(मूल्य लाख रु० में)

वर्ष	दक्षिण वियतनाम को निर्यात	दक्षिणी वियतनाम से आयात
1965–66	287	नगण्य
1966–67	490*	,,
1967–68	117	,,

*अप्रैल तथा मई, 1966 के आंकड़ों में 57·5 प्रतिशत से वृद्धि कर दी गई है।

(ख) वाणिज्यिक तथा सांख्यिकी के महानिदेशक, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित आयात निर्यात के आंकड़ों में व्यक्तियों या व्यापार संस्थाओं के नाम नहीं होते।

(ग) दक्षिण वियतनाम के साथ व्यापार के विकास के सम्बन्ध में हमारी नीति गैर-असैनिक वस्तुओं का सामान्य व्यापार करने की है।

माल डिब्बों का निर्यात

495. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1968-69 में रेलवे माल डिब्बों का अनुमानतः कितना उत्पादन होगा;

(ख) चालू वर्ष में अनुमानतः हमारी आन्तरिक आवश्यकता कितनी होगी; और

(ग) रूस, पोलैंड और दक्षिण कोरिया इत्यादि को अनुमानतः कितने माल डिब्बों का निर्यात करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) चार पहियों वाले 19,000 माल डिब्बे।

(ख) चार पहियों वाले 16,000 माल डिब्बे।

(ग) वर्ष 1968-69 में निम्नलिखित निर्यात संविदाएं पूरी की जा रहीं हैं :—

देश का नाम	संविदा में माल डिब्बों की संख्या
दक्षिण कोरिया	1050
पूर्व अफ्रीका (केन्या)	247
हंगरी	500
श्री लंका	40
बर्मा	14

सोवियत रूस तथा पोलैंड के साथ माल डिब्बों के निर्यात की संविदाओं के वर्ष 1968-69 में पूरा होने की आशा नहीं है।

सरकारी क्षेत्र में जूतों का कारखाना

496. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रूस को जूतों का निर्यात करने के लिये सरकारी क्षेत्र में जूते बनाने का एक कारखाना खोलने का सरकार का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : जी, हां। सरकार सरकारी क्षेत्र में जूतों का का एक कारखाना खोलने का विचार कर रही है और इसके उत्पादन का एक भाग सोवियत रूस को, जो हमारे पूर्णरूप से चमड़े के बने बढ़िया जूतों का एक महत्वपूर्ण ग्राहक है, निर्यात किये जाने की संभावना है।

कमर्शियल क्लर्क

497. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1947, 1957 और 1967 के वर्षों में सभी रेलवे में कितने कमर्शियल क्लर्क अर्थात गुडस क्लर्क, पार्सल क्लर्क और बुकिंग क्लर्क थे; और

(ख) क्या यह सच है कि कमर्शियल क्लर्कों का काम 1947 में जो उनके पास काम था, उससे तिगुना हो गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) वर्ष	वाणिज्य क्लर्कों की संख्या
1947	17,180
1957	23,580
1967	35,216

(ख) जी नहीं।

रेलवे में ठेके के आधार पर काम करने वाले मजदूर

498. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में ठेके के आधार पर काम करने वाले मजदूरों की अनुमानित संख्या कितनी है जो नियमित अथवा स्थायी रूप से नियुक्त नहीं है; और

(ख) इन मजदूरों की औसतन कितनी दैनिक मजदूरी मिलती है ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) और (ख). सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खाद्यान्नों की ढुलाई के लिये माल डिब्बों का न मिलना

499. श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री नाथूराम आहिरवार :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों को खाद्यान्नों की ढुलाई के लिये पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे नहीं मिल सके जिसके कारण खेतों अथवा मंडियों में पड़ी हुई फसल नष्ट हो गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो किन राज्यों में माल डिब्बे माँगे थे तथा कितनी क्षति होने का अनुमान है :

(ग) पर्याप्त संख्या में बन्द माल डिब्बे देने में क्या कठिनाई थी; और

(घ) खुले माल डिब्बों में ले जाये गये खाद्यान्नों की वर्षा के कारण कितनी क्षति होने का अनुमान है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ). सूचना मंगायी जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास

*606. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में छोटे पैमाने के उद्योगों का शीघ्रता से विकास हुआ है;

(ख) क्या सरकार और अधिक वस्तुओं को छोटे पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र में एकमात्र उत्पादन के लिये रक्षित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ग) इस क्षेत्र में नये उद्योग स्थापित करने के लिये उपलब्ध सहायता के बारे में उपक्रमियों को जानकारी देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हाँ।

(ख) केवल लघु उद्योगों के ही लिये रक्षित वस्तुओं की सूची का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

(ग) विकास आयुक्त, लघु उद्योग के अधीन समूचे देश में फैले 16 लघु उद्योग सेवा केन्द्र तथा 60 विस्तार केन्द्रों ने क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, सघन विकास आन्दोलनों, प्रबन्ध तकनीक आदि में प्रशिक्षण कक्षाओं के द्वारा उद्योगीकरण के सन्देश को उद्यमियों तक पहुंचाया है। विकास आयुक्त संगठन इस आशय के लिय राज्य उद्योग निदेशकों, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और दूसरी सरकारी संस्थाओं की आवश्यकता पड़ने पर सहायता भी लेता है। सघन आन्दोलनों का आयोजन देश के विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर उन उद्यमियों की सहायता के लिये किया जाता है जो उद्योग में रूपया लगाने के इच्छुक होते हैं।

मुरे फाटक पर उपरि-पुल का निर्माण

501. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मुरे फाटक पर कानपुर के लोगों को होने वाली भारी असुविधा की ओर निरन्तर दिलाया जाता रहा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार मुरे फाटक पर उपरी-पुल बनाने का है; और

(ग) यदि हाँ नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :(क) रेल प्रशासन को ऐसी असुविधा की रिपोर्ट नहीं मिली है सिवाय इसके कि कुछ एक बार सड़क से आने वालों को आध्रे घंटे से कुछ अधिक रुकना पड़ता है ।

(ख) रेलवे लाइन के नीचे सड़क बनाने का विनिश्चय किया गया है, लेकिन निर्माण कार्य तभी आरम्भ किया जा सकता है जब उत्तर प्रदेश लोक-निर्माण विभाग पुल के पहुंच-मार्गों का अपने हिस्से का काम करने की स्थिति में हो। लोक निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है कि अपना निश्चित कार्यक्रम बताये ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

रूरा में एक्सप्रेस गाड़ियों का रुकना

502. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रूरा जिला बिल्हौर-कानपुर (उत्तरप्रदेश) के निवासियों के कई प्रतिनिधि मंडल और याचिकाएं प्राप्त हुई जिनमें माँग की गयी है कि एक्सप्रैस गाड़ियाँ उस स्टेशन पर रुकनी चाहिये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ ।

(ख) प्रार्थना पर विचार किया गया है परन्तु रूरा स्टेशन पर जितना और जिस प्रकार का यातायात होता है, उसे देखते हुए वहाँ एक्सप्रैस गाड़ियों को ठहराने का औचित्य नहीं पाया जाता ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

503. **श्री अदिचन** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में इस समय जिस गति से उत्पादन हो रहा है उससे 1968-69 में 15 करोड़ रुपये की हानि होगी जबकि गत वर्ष उस कारखाने को 25 करोड़ रूपये की हानि हुई थी ; और

(ख) यदि हाँ तो हानि न होने देने के लिये उत्पादन को बढ़ाने हेतु इस वर्ष क्या कार्यवाही की गयी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि इस वर्ष कितनी हानि होगी । यह उत्पादन-कार्यक्रम विपणन और अन्य बातों पर निर्भर करता है। 1967–68 में कारखाने को लगभग 17 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(ख) उत्पादन को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :–

(i) कोक भट्ठियों की बैटरी नं० 1 को नये सिरे से बनाया जा रहा है और बैटरी नं० 2 की मरम्मत की जा रही रही है।

(ii) धमन भट्ठी में सिन्टर का प्रयोग करना आरम्भ किया जा रहा है ;

(iii) रख-रखाव के काम में सुधार करने के लिये कुछ अत्यावश्यक फालतू पुर्जे प्राप्त किये जा रहे है ;

(Iv) सोकिंग पिटों की संख्या बढ़ाई जा रही है ;

(v) पहियों और धुरों के संयंत्र तथा कुछ अन्य संयंत्रों में कुछ "वेलैसिंग उपकरण" लगाये जा रहे है;

(VI) पाण्डे समिति की बहुत सी सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(VII) श्रमिक स्थिति निरन्तर चिन्ता का बिषय बनी हुई है यद्यपि मालिक मजदूर सम्बन्धों को सुधारने के लिये लगातार प्रयन्त किय जा रहे हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना में कोयले का उत्पादन

504. **श्री अदिचन** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में कोयले के उत्पादन लक्ष्य काफी कम करने का है ;

(ख) यदि हाँ तो किस सीमा तक ;

(ग) वर्ष 1970–71 तथा 1973–74 के लिये मूल लक्ष्य क्या था;

(घ) संभावित लक्ष्य को कम करने के क्या कारण है और वह चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कोयले की संभाव्य माँग में कमी और माँग विस्तार दर की कहाँ तक सूचक है; और

(ङ) लक्ष्य में कमी करने से नौकरी के अवसरों में सम्भाव्य वृद्धि तथा औद्योगिक गति पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) 1970–71 में कोयले की माँग का मूल अनुमान, जैसा कि चौथी पंचवर्षीय योजना (1966–71) के प्रारूप में वर्णन है, 106.0 लाख मीट्रिक टन था। 1973–74 के लिये कोई अनुमान उस समय नहीं लगाये गये थे। अभी हाल ही के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि 1973–74 में माँग 900 और 950 लाख मीट्रिक टन के मध्य होगी। योजना आयोग के साथ परामर्श के द्वारा यथार्थ आवश्यकताएं आँकी जा रही है।

(घ) और (ङ) लक्ष्यों के कम किये जाने का कारण यह है कि कोयला उपभोक्ता खंडों का विस्तार इतनी तेजी से नहीं हो रहा जितनी कि पहले प्रत्याशा थी। उत्पादन को पूर्णतः माँग की पूर्ति के अनुकूल रखा जायेगा। इस के द्वारा औद्योगिक विकास की सामान्य दर और रोजगारी के अवसरों पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।

केरल में नारियल जटा उद्योग

505. श्री अविचन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में नारियल जटा उद्योग को उसकी वस्तुओं की देश तथा विदेश में माँग न होने के कारण हानि हो रही है और वर्ष 1964-65 से लेकर आज तक नारियल जटा सूत तथा उसकी वस्तुओं के निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) वर्ष 1964–65 से लेकर आज तक इन वस्तुओं के लिए नये बाजार ढूंढने तथा वर्तमान बाजारों का विस्तार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस वर्ष इस दिशा में और आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) :

(क) नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पादों की माँग देशी बाजारों में लगातार बढ़ रही है। किन्तु यह सत्य है कि 1964–65 से 1967–68 की अवधि के दौरान विदेशों को किये जाने वाले निर्यात में कोई सुधार नहीं था। उत्पादों पर से निर्यात शुल्क हटा देने से निर्यात की संभावनाओं में सुधार हुआ है।

(ख) विदेशों में इन की माँग कम होने के कारण हैं अन्य बढ़िया फर्श-बिछावनों से प्रतियोगिता, विकसित देशों का जीवन-स्तर सामान्यतः ऊंचा हो जाना और उपभोक्ताओं की रुचि का बढ़िया किस्म के उत्पादन की ओर झुकाव। लाभ की कम जाइश होना भी कुछ सीमा तक उत्तरदायी हो सकता है।

(ग) और (घ) नारियल जटा के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिये निम्न लिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) विभिन्न निर्यात संवर्धन उपाय, जैसे कि--विदेशों में प्रचार, प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लेना, वृत्तचित्र आदि।

(2) अपने निर्यातों की किस्म सुधारने के लिए नारियल जटा के पायदानों तथा धागे का लदान-पूर्व अनिवार्य निरीक्षण ।

(3) उत्पादन का विविधीकरण तथा पर परागत उत्पादों के आधुनिक डिजाइनों का प्रचलन । निर्यात के लिए जिन नये उत्पादों का अब निर्माण हो रहा है । वे यह हैं : छल्लेदार नारियल जटा, रबड़युक्त नारियल जटा उत्पाद, दीवार पर लटकाने की वस्तुएं आदि ।

(4) अधिक बढ़िया किस्म की माँग को पूरा करने के उद्देश्य से नारियल जटा की चटाइयों के निर्माण में यंत्रों का प्रचलन । स्वयं नारियल जटा बोर्ड ने पाँच शक्ति-चालित करघों वाला एक कारखाना स्थापित किया है और गैर-सरकारी क्षेत्र में एक और कारखाने में भी उत्पादन आरम्भ हो गया है ।

(5) नारियल जटा बोर्ड के एक प्रतिनिधि मण्डल ने प्रशुल्कों तथा हमारे निर्यातों शुल्कों में बाधा डालने वाली अन्य कठिनाइयों पर बातचीत करने के लिए पश्चिम यूरोपीय देशो का दौरा किया । एक सदस्यीय बिक्री दल ने भी व्यापार सम्बन्धी अनुयाचना करने के लिए इन में से कुछ देशों का दौरा किया ।

2. इस वर्ष निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय करने का प्रस्ताव है :

(क) रबड़युक्त नारियल जटा उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए अफ्रीकी देशों को बिक्री दल भेजना ;

(ख) नारियल जटा उत्पादों के लिए बाजार का अध्ययन करने के लिए अफ्रीकी तथा पश्चिम एशियाई देशों को बिक्री दल भेजना ।

(ग) परम्परागत तथा अपरम्परागत बाजारों में व्यापक जन-सम्पर्क कार्य ।

(घ) नारियल जटा उत्पादों पर भाड़ा दरों में कटौती के लिए बातचीत ।

रायल सीमा मिल्स लिमिटेड

506. श्री गादिलिंगन गौड : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय विधि बोर्ड ने रायल सीमा मिल्स लिमिटेड, अडोनी के प्रबन्ध निदेशक तथ अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक निर्धारित किया है;

(ख) क्या इस मिल के अंशधारियों ने कोई आपत्ति उठाई थी कि मिल द्वारा बहुत अधिक पारिश्रमिक देने की सिफारिश की गई थी; और

(ग) क्या सरकार ने प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक स्वीकार कर लिया है और मिल ने प्रबंधक निदेशक तथा अन्य निदेशकों के लिये जितने पारिश्रमिक की सिफारिश की थी, उसमें कितने पारिश्रमिक की अनुमति दी गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जैसा कि 13 फरवरी 1968 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 152 के भाग (क) के उत्तर में पहले बताया गया था कि कम्पनी के प्रस्तावों के विरुद्ध पांच हिस्से-धारियों से प्राप्त एक अभ्यावेदन पर, कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा था ।

(ग) कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक तथा पूर्ण कालिक निदेशकों के लिये, कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

प्रबन्ध निदेशक :—2000 रुपये प्रति मास वेतन के साथ, कम्पनी के शुद्ध लाभ में इस शर्त के आधार पर कमीशन कि वेतन तथा कमीशन मिल कर कम्पनी के शुद्ध लाभ के 5 प्रतिशत अथवा 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होंगे । लाभ न होने अथवा अपर्याप्त होने की दशा में 24,000 रु० प्रति वर्ष का न्यूनतम पारिश्रमिक भी अनुमोदित किया गया था ।

दो पूर्ण-कालिक निदेशक :—1000 रुपये प्रति मास वेतन के साथ, प्रत्येक पूर्ण-कालिक निदेशक को कम्पनी के शुद्ध लाभ में इस शर्त के आधार पर कमीशन कि वेतन तथा कमीशन मिलकर कम्पनी के शुद्ध लाभ का $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत अथवा 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होंगे । प्रत्येक पूर्ण-कालिक निदेशक के लिये, लाभ न होने अथवा अपर्याप्त होने की दशा में 12,000 प्रति वर्ष का न्यूनतम पारिश्रमिक, भी स्वीकृत किया गया था ।

स्कूटरों के स्तर में गिरावट

507. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटरों के गिरते हुए स्तर, आवश्यक पुर्जों के न मिलने तथा प्रकाश पद्धति के अनुपयुक्त होने के बारे में सरकार को शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) स्कूटरों की दो प्रसिद्ध किस्मों में कितने स्वदेशी पुर्जे लगाये जाते हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार निर्माताओं के लिये आवश्यक फालतू पुर्जों के उत्पादन तथा ब्रेक लाइट्स तथा सुरक्षा उपायों के रूप में बैटरी की व्यवस्था करने और गारंटी की अवधि को 10,000 किलोमीटर तक बढ़ाने को अनिवार्य करने का है जिससे कि स्कूटरों की सुधरी हुई किस्म तथा बिक्री के बाद की सेवा को सुनिश्चित किया जा सके;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) जी, हां । ग्राहकों से उनकी गाड़ियों में खराबियों की समय-समय पर शिकायतें मिलती रहती हैं । जैसे ही शिकायतें प्राप्त होती हैं उन्हें सुधारने के लिये उत्पादकों के पास भेज दिया

जाता है । इसके अतिरिक्त कार की किस्म सुधारने की मोटर कार किस्म जांच समिति की विभिन्न सिफारिशें जो अधिकांश रूप में स्कूटर उद्योग पर लागू होती हैं, स्कूटर उत्पादकों को भेज दी गई हैं और उनके द्वारा उनके विक्रेताओं को समिति की सिफारिशें लागू करने का परामर्श दिया गया है ।]

(ग) देश में निर्मित वेस्पा तथा लेम्ब्रेटा स्कूटरों में देशी अंश निम्न प्रकार हैं :—

स्कूटर का नाम	देशी अंश
वेस्पा	94.8 प्रतिशत
लेम्ब्रेटा	91.2 प्रतिशत

(घ) से (च) आशा है कि स्कूटर निर्माता फालतू पुर्जों का पर्याप्त उत्पादन करेंगे ताकि सड़क पर चलने वाली उनकी गाड़ियों की मरम्मत की जा सके । देश में बनने वाले सभी स्कूटरों के सभी नमूने विदेशी सहयोग से तैयार किये जा रहे हैं और इन स्कूटरों के मानक उपकरण तथा डिजाइन सहयोगियों द्वारा विदेश में निर्मित स्कूटरों जैसे ही हैं । स्कूटर निर्माताओं द्वारा इस समय दी जा रही गारंटी की अवधि पर्याप्त समझी जाती है ।

Misconnection of Trains at Ajmer and Chittor Junctions

508. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the steps taken for removing the inconvenience faced by the passengers as a result of misconnecting of trains due to their late arrivals at Ajmer and Chittor Junctions ;

(b) the number of times such misconnections took place at both the aforesaid stations during the last one year ; and

(c) the steps taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Every effort is made to ensure punctual running of trains providing connections with other trains at Ajmer and Chittorgarh Junctions in order to minimise the incidence of misconnections.

(b) 556 out of a total of 4888 trains at Ajmer and 26 out of a total of 226 at Chittorgarh during the period from 1-7-67 to 10-7-68.

(c) All cases of avoidable detentions resulting in misconnections are taken up to avoid recurrence.

दिल्ली से हावड़ा तक कैपिटल एक्सप्रेस गाड़ी चलाना

509. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से हावड़ा तक कैपिटल एक्सप्रैस गाड़ी चलाने में सुरक्षा के लिये विस्तृत परीक्षण किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो परीक्षण अवधि में प्रत्येक जोनल रेलवे में क्रमशः कितने व्यक्ति मरे; और

(ग) जनता के लिये किस तारीख तक इसके चलाये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) अभी कोई तारीख नहीं बतायी जा सकती ।

अमरीका को निर्यात

510. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात तथा धातु तम्बाकू जूट से बनी चीजों चीनी खाल तथा चमड़ा मसालों और मैंगनीज अयस्क आदि के निर्यात में कमी के कारण अप्रैल 1967 से लेकर फरवरी 1968 तक की अवधि में अमरीका तथा कनाडा को निर्यात कम हुए थे;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन देशों को निर्यात बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में भारत से अमरीका तथा कनाडा को किये गये वस्तुवार निर्यात को दर्शाने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1388/68] इन विवरणों में वे मदें जिनका निर्यात 1967-68 में गिरा स्पष्ट रूप से अभिज्ञेय हैं ।

(ख) कुछ मदों के मामले में विशेषतया पटसन माल के विषय में निर्यात आय में कमी हुई यद्यपि 1967-68 में परिमाण की दृष्टि से अधिक निर्यात हुआ था । इसका कारण इकाई मूल्य का गिर जाना है । आय मदों जैसे मसालों मैंगनीज अयस्क अभ्रक मत्स्य तथा मत्स्य उत्पाद और सूती वस्त्रों के निर्यात में गिरावट अन्य उत्पादक क्षेत्रों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के परिणामस्वरूप आई; और

(ग) वस्तुओं के मूल्य स्थिर करने के लिये उसी प्रकार की वस्तुओं के उत्पादक देशों के साथ बातचीत करके व्यवस्था तय करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । केकड़ों तथा मसालों आदि के अधिक निर्यात को सुनिश्चित करने के लिये संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा को व्यापारियों के बिक्री-सह-अध्ययन दल जा रहे हैं ।

कपास और पटसन खरीदने के लिए निगम

511. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपास (काटन) तथा पटसन खरीदने के लिये दो निगम स्थापित करने का अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावित निगमों के कृत्य क्या होंगे और उनके मुख्यालय कहां-कहां होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कपास तथा पटसन निगमों की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं ।

आंध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां

512. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सहकारी कताई मिलों के पास जमा सूत के स्टाकों को खरीदने के लिये आन्ध्र प्रदेश में स्थित अपैक्स हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को 50 लाख रुपये का ऋण देने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि सहकारी कताई मिल स्टाक जमा हो जाने के कारण 7 मई, 1968 से बन्द हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : जी, हां ।

(ख) सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार कार्यकारी पूंजी तथा रुई की कमी और अवैध हड़ताल तालाबंदी के कारण आन्ध्र प्रदेश में दो कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार को ऋण देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

श्रीलंका द्वारा चाय का निर्यात

513. **श्री चपला कान्त भट्टाचार्य** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोप के अधिकतर देशों को श्रीलंका द्वारा चाय का निर्यात वर्ष 1967 में पहले वर्ष की अपेक्षा अधिक था;

(ख) क्या इसकी तुलना में इन देशों को भारतीय चाय का निर्यात हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Closure of Textile Mills

514. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 155 cotton mills is Madras State have been closed down in protest against the levy of Central Excise duty ;

(b) if so, the steps taken by Government to keep the mills running ; and

(c) the amount paid by these mills every year in terms of Central Excise duty ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No Sir. According to the information available with Government, 136 mills were closed on the 27th April, 1968, to protest against the heavy incidence of excise duty on yarn.

(b) One of the steps taken by Government to provide assistance to the cotton textile industry is down-ward readjustment in the rate structure of excise duty of some varities of

cotton yarn. Recently a loan of Rs. 50 lakhs has been sanctioned to the Government of Madras for advancing to the Appex Cooperative Societies for purchasing and stocking yarn. The other relief measure under consideration of the Government is creation of a buffer stock of yarn for the mills in South India.

(c) Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Doctors of Railway Medical Service

515. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 2400 doctors of the Railway Medical Service have expressed their dis-satisfaction for not getting pay and other facilities at par with the doctors of the Central Government Health Service as reported in the 'Hindustan' dated the 18th May, 1968 ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ; and

(c) the facilities provided to the doctors working in the Railway Medical Services *vis-a-vis* the Central Government Health Service ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) A major revision the Status, scales of pay, non-practising allowance etc. of Railway Assistant Surgeons was made with effect from 1-1-1966, in conformity with what had been done for the Central Health Service, when as many as 1400 Assistant Surgeons were upgraded from the Class III scale of Rs. 335-650 to the Class II Scale of Rs. 350—900. In addition, some more proposals are currently under consideration to improve the promotion prospects of Railway Doctors.

(c) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-1389/68].

रूरकेला में पाइप बनाने का कारखाना

516. श्री दमानी : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या रूरकेला में स्थित पाइप बनाने का कारखाना देश में पाइपों की मांग न होने के कारण बेकार पड़ा है अथवा क्या इसको आंशिक रूप से अन्य प्रयोग में लाया गया है;

(ख) यदि इसे किसी अन्य प्रयोग में नहीं लाया जा सकता तो क्या यह बिल्कुल बकार तथा अनुपयोगी सिद्ध होगा; और

(ग) विदेशों में पाइप बेचने के लिये बाजार ढूंढने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). आजकल राउरकेला इस्पात कारखाने का पाइप संयंत्र विदेशों नामश: कुवैत और न्यूजीलैंड को निर्यात करने के लिये माल का उत्पादन कर रहा है । ये आर्डर तथा प्राकृतिक तेल और गैस आयोग की आवश्यकताएं इस वर्ष इस कारखाने को चालू रखने के लिये काफी हैं ।

(ग) पाइपों के निर्यात के लिये मार्केट ढूंढने के उद्देश्य से पर्याप्त और प्रबल प्रयत्न किये जा रहे हैं जिनमें विदेशों में शिष्टमण्डल भेजना, अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना, समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं आदि में विज्ञापन देना, शामिल हैं। आजकल राउरकेला के पाइपों का निर्यात करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।

Catering and Vending Scheme on N. E. Railway

517. Shri Chandrika Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce a new 'Catering and Vending' Scheme on the North Eastern Railway ; and

(b) if so, the nature thereof and when it is proposed to be introduced ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

Zonal Scheme on N. E. Railway

518. Shri Chandrika Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Zonal Scheme is being introduced on the North-Eastern Railway ;

(b) if so, the names of the Zones being created ;

(c) whether it is also a fact that Varanasi and Izatnagar are being left out ; and

(d) if so, the basis therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) *to* (d) The Hon'ble Member is evidently referring to the scheme of divisionalisation to be introduced on North Eastern Railway.

The details of the scheme for divisionalisation of the North Eastern Railway have not yet been finalised.

गैर-सरकारी वित्तीय कम्पनियों के विरुद्ध मुकदमे

519. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री दिल्ली की उन गर-सरकारी वित्तीय कम्पनियों के नाम बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिनके विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही आरम्भ की गई है और प्रत्येक मामले में कार्यवाही को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : सूचना संग्रह की जा रही है तथा यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

दिल्ली तथा नई दिल्ली स्टेशनों पर रेलगाड़ियों का देर से पहुंचना

520. श्री चपला कान्त भट्टाचार्य : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत मई में दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर पहुंची 3937 रेलगाड़ियों में से 2394 रेलगाड़ियां देर से आई थीं;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत जून में 2500 रेलगाड़ियां देर से पहुंचीं;

(ग) यदि हां, तो रेलगाड़ियों के देर से चलने के क्या कारण थे; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां।

(ग) बार-बार खतरे की जंजीर का खींचा जाना और तांबे के तारों और दूर संचार के दूसरे आवश्यक उपस्कर की चोरी गाड़ियों के विलम्ब से चलने के मुख्य कारण रहे हैं। इनके परिणाम-स्वरूप, विशेष रूप से इकहरी लाइन के भारी यातायात वाले खण्ड और सीमित टर्मिनल सुविधाओं वाले दिल्ली क्षेत्र में गाड़ियों के समय पर चलने और उनके आदान में बाधा पड़ती है। दिल्ली जं० में बिजली सिगनल की व्यवस्था करने और नयी दिल्ली में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण मई और जून, 1968 में स्थिति और बिगड़ गयी।

(घ) सवारी ले जाने वाली सभी गाड़ियों के चालन पर कड़ी निगाह रखी जाती है और उनको ठीक समय पर चलाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है।

कपड़ा मिलों का बन्द होना

521. **श्री क० लकप्पा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कई कपड़ा मिलें बंद हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार इनकी कुल संख्या कितनी है ;

(ग) उनके बंद होने के कारण क्या हैं ; और

(घ) इन मिलों को पुनः चालू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1390/63]

दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में भारतीय शिष्टमंडल का दौरा

522. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल रसायन तथा औषधियां और साबून निर्यात संवर्द्धन परिषद् का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ व्यक्तियों के एक शिष्ठमंडल ने दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का दौरा किया था और यदि हां, तो उन्होंने किन किन देशों का दौरा किया ;

(ख) इस शिष्ठमंडल की उपपत्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि हमारे माल की अधिक उत्पादन लागत होने, उनकी पेकिंग अच्छी न होने तथा आधुनिक तकनीकी जानकारी के अभाव के कारण उनकी दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों मे अधिक मांग नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां। जिन देशों का दौरा किया उनके नाम ये हैं :—

1. थाईलैण्ड
2. हांगकांग
3. जापान
4. आस्ट्रेलिया
5. सिंगापुर
6. मलयेशिया
7. श्रीलंका

(ख) से (घ). प्रतिनिधिमंडल का सम्पूर्ण प्रतिवेदन अभी तक मूल रसायन, औषधियां तथा साबुन निर्यात संवर्द्धन परिषद्, बम्बई से प्राप्त नहीं हुआ है।

कागज़ उद्योग

523. श्री नारायण रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल में देश में कागज उद्योग को कच्चे माल की सप्लाई तथा आवश्यक पुर्जों के आयत के संबंध में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) वर्तमान स्थिति को ठीक करने या सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ग) देश में कागज का वार्षिक उत्पादन कुल कितना होता है तथा क्या देश की यह आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त है ; और

(घ) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों में कितना कागज का निर्यात किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं। सरकार को इस आशय की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 6,30,000 मी० टन। कागज़ की कुछ विशिष्ट किस्मों को छोड़कर यह देश की कागज़ की सामान्य मांग को पूरा करने के लिये बहुत कुछ पर्याप्त है।

(घ) तीन वर्षों में आयात निम्न प्रकार किया गया :—

1965-66	1966-67	1967-68
परिमाण मी० टनों में	परिमाण मी० टनों में	परिमाण मी० टनों में
26,125	19,801	18,000

कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

524. श्री नारायण रेड्डी :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिये आवश्यक सहायता की राशि का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस एजेन्सी ने सर्वेक्षण किया और इस प्रयोजन के लिये लगभग कितना धन अपेक्षित है ;

(ग) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) राज्यवार देश में कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है और इन में कितनी मिलों को आधुनिकीकरण की आवश्यकता है और ये कुल मिलों की कितने प्रतिशत हैं ;

(ङ) क्या उद्योग के आधुनिकीकरण के लिये कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(च) यदि हां, उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ; और आधुनिकीकरण के लिये क्या सुविधाएं दी जायेंगी ।

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा सूती कपड़ा उद्योग के लिए नियुक्त किये गये कार्यकारी दल ने 1960 में देश में कपड़ा उद्योग के पुनःस्थापन तथा आधुनिकीकरण की आवश्यकता तथा गुंजाइश का आकलन किया तथा उसने यह निष्कर्ष निकाला कि इस कार्य के लिए तृतीय योजना में लगभग कम से कम 180 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । औद्योगिक विकास मंत्रालय ने मार्च, 1968 में कपड़ा मशीन निर्माण उद्योग के विस्तार तथा आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं का आकलन लगाने के लिए एक अन्य कार्यकारी दल की स्थापना की है । इसके प्रतिवेदन की कुछ ही महीनों में आशा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) देश में राज्यवार कपड़ा मिलों की संख्या सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1391/68]** । ऐसी मिलों की अलग-अलग राज्यवार संख्या तथा प्रतिशत उपलब्ध नहीं है जिन के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है तथा इसका एकत्र करना उस पर लगने वाले समय तथा श्रम के अनुरूप न न होगा ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

525. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने में पहियों तथा एक्सलों के उत्पादन की निर्धारित क्षमता कितनी है और पिछले वर्ष में इस दशा में कितनी कमी रही ;

(ख) ऐसी कमी के क्या कारण हैं और उत्पादन बढ़ाने तथा पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस वर्ष रेलवे की पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) पहिए और एक्सल कारखाने की 10 लाख टन स्तर पर निर्धारित क्षमता 57,000 टन है, (45,000 पहियों के सैट्स जोड़े गए), । 1967-68 में पहियों के सैट्स का वास्तविक उत्पादन 20,024 टन था (15,420 सैट्स) जो कि निर्धारित क्षमता का 35.1 प्रतिशत है ।

(ख) और (ग). उत्तपादन में कमी होने के मुख्य कारण थे :

(1) निरंतर श्रमिक में असंतोष

(2) पहियों के स्तर के इस्पात की कमी,

(3) कुछ तकनीकी कठिनाइयां ।

उत्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :

(1) तकनीकी कमियों को दूर करने के लिये अतिरिक्त संतुलन मशीन लगायी जा रही हैं ।

(2) पहियों के लिए इस्पात तैयार करने की मौजूदा भट्टी की क्षमता 100 टन से 120 टन तक बढ़ायी जा रही है । पहिए बनाने के स्तर के इस्पात को एलाय इस्पात करखाने से प्राप्त करने का प्रस्ताव है ।

(3) रख-रखाव तथा निरीक्षण के बारे में पांडे समिति की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है ।

(4) कुछ उपकरणों के मरम्मत का काम आरम्भ कर दिया गया है ।

यदि श्रमिकों से सहयोग मिलता रहा तो यह कारखाना काफी सीमा तक रेलवे की 1968-69 की आवश्यकता पूरी कर लेगा ।

लोहे की नालीदार चादरें

526. **श्री राणे :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च से जून 1968 के बीच देश में कुल कितनी नालीदार लोहे की चादरों का उत्पादन किया गया और कितनी चादरें आयात की गईं ;

(ख) वर्ष 1967–68 में तथा मार्च, 1968 से जून, 1968 तक कृषकों को देने के लिये विभिन्न राज्यों को कुल कितनी चादरों का आवंटन किया गया ; और

(ग) कृषकों की विभिन्न प्रायोजनों के लिये लोहे की नालीदार चादरें अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) वास्तव में लोहे की नालीदार चादरें काली नालीदार चादरें होती हैं। प्रमुख उत्पादकों ने इनकी बजाय अब जस्ताचढ़ी नालीदार चादरों का उत्पादन करना शुरू कर दिया है और आजकल काली नालीदार चादरों का उत्पादन नहीं हो रहा है। फिर भी टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने उम्दावी माल से थोड़ी मात्रा में काली नालीदार चादरें तैयार की हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

	(टन)
मार्च, 1968	423
अप्रेल, 1968	78
मई, 1968	92

अप्रैल, 1968 मार्च, 1969 की अवधि के लिए लोहे और इस्पात के सामान की आयात-लाइसस नीति के अन्तर्गत काली नालीदार चादरों के आयात की अनुमति नहीं है ।

(ख) विभिन्न राज्यों को भेजी गई काली नालीदार चादरों का ब्योरा निम्नलिखित है :

(टन)

राज्य	1967–68	अप्रैल 1968	मई 1968
आन्ध्र प्रदेश . .	768	—	—
असम . .	3021	—	—
बिहार . . .	838	—	—
दिल्ली . . .	3337	24	—
गुजरात . . .	769	—	—
हिमाचल प्रदेश . .	126	—	—
जम्मू और काश्मीर .	461	—	—
केरल . . .	225	—	—

राज्य	1967–68	अप्रैल 1968	मई 1968
मध्य प्रदेश	919	—	—
महाराष्ट्र . .	3572	21	48
मैसूर .	224	—	—
उड़ीसा . . .	65	—	—
पंजाब . .	1815	21	—
राजस्थान . . .	709	—	—
उत्तर प्रदेश . .	2396	24	—
पश्चिमी बंगाल . .	6966	20	21
मनिपुर . .	434	—	—
त्रिपुरा . .	259	—	—
हरयाणा . . .	21	—	—
मद्रास .	488	—	—
जोड़	27,413	110	61

जून, 1968 में किये गये प्रेषणों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुय हैं। चूंकि एक समय इन चादरों की मांग बहुत कम रह गई थी, संयुक्त संयंत्र समिति ने बिना रोक-टोक इन्डेन्ट लिए और उसी तरह प्रेषण किये गये।

(ग) चूंकि अब लगभग सभी नालीदार चादरों को जस्ता चढ़ाने के लिए दे दिया जाता है, इसलिए प्रमुख उत्पादकों का काली नालीदार चादरों का उत्पादन बढ़ाने का विचार नहीं है, इसकी बजाये नालीदार जस्ती चादरों की सप्लाई बढ़ाई जाएगी।

रेलगाड़ियों तथा रेलवे जलपान गृहों में भोजन व्यवस्था

527. **श्री राणे**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चलती गाड़ियों में और रेलवे के जलपान गृहों में और रेलवे स्टेशनों पर लाइसेंस प्राप्त ठेकेदारों द्वारा निर्धारित स्तर के भोजन, चाय, काफी आदि की दरों को 1–4–1968 के बाद बदल दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दरें बढ़ाने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को मालूम है कि इन के लिये अधिक दरें ली जाती हैं ; और

(घ) क्या खाद्यान्नों के मूल्यों में हुई कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार लाइसेंस प्राप्त केदारों को कहेगी कि वे स्टेशनों पर बेची जाने वाली पूड़ी और नमकीन पदार्थों के दामों को कम करें ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) से (ग). कच्चे सामान और कर्मचारियों की लागत बढ़ जाने के कारण 10–4–1968 से चाय और काफी की दरों में संशोधन किया गया है। 1 अप्रैल, 1968 के बाद भोजन की दरें नहीं बढ़ायी गयी हैं। अधिकृत प्रभार से अधिक प्रभार लेने के जिन मामलों का पता चलता है, उन पर समुचित कार्रवाई की जाती है ।

(घ) रेलवे स्टेशनों पर बेची जाने वाली पूड़ी और अन्य नमकीनों की दरें क्षेत्रीय रेल प्रशासनों द्वारा, अनाज की कीमतों और अन्य सभी सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखकर समय-समय पर संशोधित की जाती हैं। अनाज की कीमतों के रुख पर ध्यानपूर्वक निगाह रखी जा रही है और ज्यों ही अनाज की कीमतें स्थिर होने लगेंगी, यह जानने के लिए कि क्या पूड़ी नमकीन आदि की कीमतों को घटाने की गुंजाइश है, उनकी दरों की समीक्षा की जायेगी।

Collision near Tirupati Station

528. Shri Sarjoo Pandey: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a goods train and passenger train were involved in a collision near Tirupati station of the Northern Railway on the 28th May, 1968; and

(b) if so, the causes of the accident and the extent of loss of life and property?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha): (a) A goods train collided with some passenger coaches and wagons at Renigunta station of the Southern Railway on 28-5-68.

(b) The accident has been inquired into by the Additional Commissioner of Railway Safety. According to his provisional finding the accident was due to the failure of railway staff.

In this accident 14 persons were killed and 51 sustained injuries. The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 1,06,500.

ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन मिल्स, कानपुर

529. श्री सरजू पाण्डेय : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के पास अधिकांश अंश रहने के बावजूद भी ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन मिल समूह का प्रबन्ध बजौरिया सार्थ समूह को दे दिया गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बजौरिया सार्थ समूह में कुप्रबन्ध के कारण इस मिल को काफी घाटा उठाना पड़ा; और

(ग) सरकार अपने तथा अंशधारियों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार तथा जीवन बीमा निगम के पास, ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन के ईक्विटी हिस्सों का 22.21 तथा 16.67 प्रतिशत है । बजौरिया समूह, जिसने सारवान हिस्से अर्जित किये हैं, ने

हिस्सेधारियों द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल बनाने के लिये, जो जनता तथा सरकार का पूर्ण विश्वासपात्र हो, सरकार तथा जीवन बीमा निगम के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है । यह महसूस किया गया कि दूसरे कई हिस्सेधारियों के सहयोग से, उचित प्रकार से निर्मित बोर्ड से एक हिस्सेधारी के नाते सरकार कम्पनी के ऊपर आवश्यक माप से प्रभाव रखेगी । कम्पनी का प्रबन्ध तथा नियंत्रण निदेशक मंडल में निहित है, जिसका संयोजन, इस में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों सहित, एक हिस्से धारी के नाते सरकार द्वारा अनुमोदित होता है ।

(ख) कम्पनी ने 1967 तक, 130 लाख रुपयों से अधिक की दीर्घकालिक हानि उठाई है । 1967 के जांच किए हुए लेखे पर, 25 मई, 1968 की निदेशकों की रिपोर्ट के अनुसार "कूपर एलन तथा नार्थ वैस्ट टैनरी ब्रान्चों द्वारा उठाई गई वास्तविक हानि," 1965 में 54.48 लाख रुपये, 1,966 में 33.63 लाख रुपये तथा 1967 में 50.08 लाख रुपये की राशि मिलाकर तीन वर्षों की अवधि में कुल योग 138.19 लाख रुपये बैठते है । कूपर एलन तथा नार्थ वैस्ट टैनरी ब्रान्चों द्वारा उठाई गई हानियों के कारण, निगम के अधिक प्रसाधनों से आर्थिक प्रसाधनों से अत्याधिक निष्कासन ने, आलोच्य वर्ष में ऊनी ब्रान्चों के कार्य को अत्याधिक प्रभावित किया। आर्थिक प्रसाधनों की अप्राप्यता के कारण, निगम को ऊनी शाखाओं द्वारा उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिये, जो सुनियोजित था, समय पर, यथाशीघ्र अपेक्षित कच्चा माल तथा भंडार प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके कारण 1967 के वर्ष में, दोनों ऊनी शाखाओं में उत्पादन विचारणीय न्यून दरों पर था। गत वर्ष के मुकाबिले, न्यू ईगरटन वूलन मिल्स ब्रांच, धारीवाल में उत्पादन 23.5 प्रतिशत तथा कानपुर वूलन मिल्स ब्रांच में 14.8 प्रतिशत न्यूनतर था।

(ग) कम्पनी ने, कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड तथा चमारन शुगर वर्क्स लिमिटेड, में अर्जित हिस्से, एवं कानपुर, टैक्सटाइल लिमिटेड में अर्जित अपने 16,000 हिस्सों को बेच दिया है । विभाग के पास हिस्सों के खरीददारों के प्रसाधनों के बारे में, परिशुद्धि सूचना प्राप्य नहीं है ।

(घ) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

रेलवे लाइन के ऊपर बिजली (पावर) परिषण लाइन ले जाना

530. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पन-बिजली डिवीजन गाजीपुर के एक्जेक्टिव इंजीनियर ने दिल्ली-हावड़ा सेक्शन की मुख्य रेलवे लाइन पर दिलदारनगर तथा भदौरा के बीच उत्तर से दक्षिण की ओर बिजली (पावर) से पारेषण लाइन ले जाने के लिये पूर्वी रेलवे के अधिकारियों से अनुमति मांगी थी जिससे कि रेलवे लाइन के दक्षिण की ओर के ग्रामों में बिजली लगाई जा सके ;

(ख) क्या पूर्वी रेलवे ने इस प्रार्थना पर विचार किया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हां ।

(ख) इस प्रार्थना पर विचार हो रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Construction of Foot Overbridge and platform on Banda Junction

531. Shri Jageshwar Jadav : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a final decision has been taken in regard to the completion of a foot overbridge and an additional platform towards the North of Banda, Junction on the Jhansi-Manikpur section of the Central Railway, for which a sum of rupees two lakhs and fortynine thousand was sanctioned and a considerable portion of work had been completed but the work had to be suspended as an economy measure ;

(b) whether it is a fact that many persons are run-over by trains while crossing over the rails in the absence of a foot bridge and this involves payment of heavy compensation in the event of many railway employees meeting with such accidents ; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government to prevent such losses of life and property ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) It is now proposed to extend the existing platform at Jhansi end for dealing with BANDA-KANPUR trains on a bay line instead of providing an additional platform and a foot overbridge. No infructuous expenditure was incurred on the earlier proposal.

(b) Investigations show that since 1965 till date, ten persons were run over and killed while crossing the tracks beneath the wagons. Of these, nine persons were trespassers who were going from the Basti side towards the Bazar)side and the remaining one was a Railway Protection Force Constable who had reached Banda by a Light Engine and was run-over while trying to cross the tracks beneath the wagons.

(c) With the extension of platform and construction of bay line the passengers will be able to board the trains without crossing the tracks at all. The Raiwlay Protection Force Staff and the Government Railway Police Staff have also been instructed to take severe action against the trespassers, since two level crossing exist, one at Jhansi snd at a distance of a 1100 ft. and the other at Manikpur end at a distance of 2250 ft. from the centre of the station building, for the use of residents of the Civil Lines, intending to reach Banda Railway Station.

थाइलैंड से पटसन का आयात

532. श्री कं० हाल्दर :

[श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन ने थाईलैण्ड से कच्चे पटसन के आयात के लिए निवेदन किया है ;

(ख) क्या एसोसियेशन ने सरकार से वित्तीय सहायता के लिये भी निवेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शकी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) पटसन आयात करने का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

रेलों को सप्लाई किये गये कोयले के मूल्य में वृद्धि

533. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलों को सप्लाई किये जाने वाले कोयले के मूल्य में हाल में वृद्धि कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि किन शर्तों पर की गई है ; और

(ग) क्या कोयले के मूल्य में हुई इस वृद्धि के परिणामस्वरूप निकट भविष्य में भाड़े तथा किराये में भी वृद्धि किये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां ।

(ख) 1-7-1968 से सेलेक्टेड ग्रेड के कोयले की कीमत में 2 रुपये प्रति मीटर टन और ग्रेड I के कोयले में 1 रुपया प्रति मीटरिक टन की वृद्धि मंजूर की गयी है ।

(ग) इस समय इस तरह के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

Theft of Railway Property

534. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of cases of theft of railway property registered, year-wise, during the financial years, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67 and 1967-68 ; and

(b) the value of the property stolen during the said period ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) and (b). The required information is given in the statement given below :—

Statement

(a) Number of cases registered during :

1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68
49,285	42,728	35,972	34,411	37,958

(b) Value of the property stolen during :

(in Rs.)

1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68
31,84,581	34,75,168	24,06,178	38,41,087	50,60,064

Value of property recovered during :

(in Rs.)

1963-64	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68
6,53,347	8,31,896	8,31,677	9,34,188	12,54,832

Recovery of Bogus Railway Tickets

535. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the customs officers and the staff of the Central Excise had arrested some persons in Bombay in the month of June, 1968 from whom bogus railway tickets were recovered ;

(b) if so, the number of bogus tickets recovered ; and

(c) the action taken against the persons arrested and the value of the tickets recovered ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) The Government has no information about such arrests and recovery of bogus railways tickets. A news item was published in the "Daily Maratha", Bombay and the "Western Times", Ahmedabad dated 24-6-68 reporting the seizure of 11,000 railway tickets in the course of a raid conducted in connection with other cases by the Police authorities in Central Bombay. The Central Excise, Customs and Police authorities however have not been able to confirm the veracity of the news item.

Theft Cases in Railways

536. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of cases of theft of goods booked by public with the Railways which were registered in the year 1967-68 ;

(b) the number of persons arrested in these cases and the number out of them prosecuted ; and

(c) the amount Railways had to pay as compensation during the said period in connection with these thefts ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) 8,299

(b) No. of persons arrested 3,543
No. of persons prosecuted 1,788

(c) Rs. 8,15,312 (provisional)

Late running of Trains due to Gheraos

537. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of incidents of gherao that took place in the Railways during the financial year 1967-68 and which resulted in the late running of trains ; and

(b) the total number of hours for which the trains were delayed due to gheraos during the aforesaid period ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) During 1967-68 there were 289 incidents of interference by passengers and others involving detention to trains.

(b) On account of these incidents, trains were delayed for a total of about 1100 hours.

"Gherao" at Rao and Rajendranagar Stations

538. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Rao and Rajendranagar Railway stations on the Western Railway were gheraoed by the residents of those places in the latter half of May, 1968 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) and (b) On 18-5-1968 Train No. 78 DN Passenger arrived at Rao Railway Station at 10.11 hours. It was detained at Rao Railway Station for crossing Train No. 97 UP which arrived Rao Station at 10.35 hours. The passengers of No. 78 DN did not allow the Station Master to come out from his office to make over Line Clear Tablets to both the trains. Train numbers 97 UP and 78 DN finally started at 11.25 hours and about 11.00 hours after suffering detention of 50 minutes and 40 minutes respectively. On arrival of Train No. 78DN at Rajendranagar Railway Station, the passengers of Rajendranagar squatted on the track in front of the engine with the result that this train suffered a further detention of 20 minutes at Rajendranagar Railway Station.

(c) Two cases were registered by Government Railway Police, Indore *vide* Crime N 99/68 and 100/68 under Section 120/121 and 128 Indian Railways Act. Both the cases a still under investigatior by Government Railway Police, Indore. No arrest has been ma by the Police so far.

इस्पात की दुर्लभ किस्में

539. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस्पात के मूल्यों और वितरण पर वर्तमान पाबन्दियों को समाप्त करने के उद्देश्य से इस्पात की दुर्लभ किस्मों के वितरण का एक नया ढांचा बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ;

(ग) क्या सरकार ने उत्पादकों के कोटे समाप्त करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ) दुर्लभ किस्मों के इस्पात के वितरण के वर्तमान तरीके पर आजकल पुनः विचार किया जा रहा है । इस में अन्य बातों के साथ-साथ दुर्लभ किस्मों के इस्पात की कुछ मात्रा उत्पादकों के स्टाकयार्डों से देने की व्यवस्था है । यह व्यवस्था संयुक्त संयंत्र समिति ने मई, 1967 में की थी जिस समय सभी प्रकार के इस्पात के मूल्य-निर्धारण और वितरण का काम उनको सौंपा गया था ।

Industrial Establishment in North Bihar

540. **Shri Gunanand Thakur :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is not even a single industrial establishment in Saharsa District in North Bihar ;

(b) whether it is also a fact that Saharsa District is the most backward area in Bihar ; and

(c) if so, the action taken by Government for industrial development of this District ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) to (c) : For the purpose of setting up large and medium Industries, it is not feasible to divide the country on district-wise basis. Taking the North Bihar area as a whole, an oil refinery has already been set up at Barauni with a capacity of 2 million tonnes. It is being expanded to 3 million tonnes. A fertilizer factory with a capacity of 152,000 tonnes of Nitrogen is also being set up at Barauni. Certain proposals for the establishment of fruit preservation units are under consideration of the State Government in various districts of North Bihar including the Saharsa District. Details of the industries set up in Saharsa District have been called for from the State Government and will be laid on the Table of the House on receipt.

रेलवे भोजन व्यवस्था तथा यात्री सुविधाओं सम्बन्धी समिति

541. **श्री श० ना० माइती :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे भोजन-व्यवस्था तथा यात्री सुविधाओं सम्बन्धी समिति के इस सुझाव पर कोई निर्णय कर लिया गया है कि पदार्थों की लागत में कमी की जाये, प्रशुल्कों में पुनरीक्षण किया जाये और जब आवश्यक हो, तो विभागीय भोजन-व्यवस्था के घाटे को समाप्त करने की दृष्टि से लागत में हुई वृद्धि की क्षतिपूर्ति की जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ, सिफारिशें मान ली गयी हैं।

(ख) इस बात की जाँच करने का विचार है कि (1) चल और अचल सभी खान-पान यूनिटों में कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा करके और जहाँ वह कहीं व्यावहारिक हो, उसे घटा कर तथा (2) कमीशन पर रखे गये वेटरों की संख्या बढ़ाकर और उसी के अनुसार वेतन पर रखे गये वेटरों की संख्या घटा कर कर्मचारियों के खर्च में कमी करने की कोई गुंजाइश है या नहीं ।

जहाँ तक विभागीय खान-पान व्यवस्था में घाटे को समाप्त करने के उद्देश्य से, बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए दरसूचियों में संशोधन करने का संबंध है, हाल ही में चाय और काफी की दरसूची की समीक्षा करके उनकी दरें बढ़ायी गयी हैं और समय-समय पर इनकी फिर समीक्षा की जायेगी। भोजन की दरसूची पिछली बार 15 मई, 1967 से संशोधित की गयी थी और नियमित रूप से समय समय पर इसकी समीक्षा की जायेगी।

रेशम-करघों को ऊन-करघों में बदलना

542. श्री श० ना० माइती : क्या **वाणिज्य** मंत्री 5 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2872 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माडल वूलन मिल्स, बम्बई द्वारा गैर-कानूनी तौर पर रेशम-करघों को ऊन के करघों में बदल दिये जाने के बारे में केन्द्रीय जाँच विभाग के प्रतिवेदन पर तब से विचार कर लिया है तथा कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से मामले पर अब भी विचार किया जा रहा है और अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है ।

दक्षिण मध्य रेलवे जोन

543. श्री श० ना० माइती : क्या **रेलवे** मंत्री 7 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10007 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उन मामलों की ओर दिलाया गया है जिन में दक्षिण रेलवे, मद्रास और मध्य रेलवे, बम्बई के घटक डिविजनों के अराजपत्रित कर्मचारियों के नये दक्षिण मध्य रेलवे जोन के सिकन्दराबाद स्थित मुख्यालय में तबादले के आवेदन पत्रों को नामंजूर कर दिया गया है जब कि अन्य जोनों के अराजपत्रित कर्मचारियों के इसी प्रकार के आवेदन पत्रों को प्राथमिकता दी गयी है ;

(ख) यदि हाँ, तो संक्षेप में उनका विवरण क्या है ; और

(ग) उनके आवेदन पत्र किन परिस्थितियों में नामंजूर किये गये थे ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग). यह सही नहीं है कि दक्षिण-मध्य रेलवे के मुख्यालय में स्थानान्तरण के लिए दक्षिण और मध्य रेलों के संघटक मण्डलों के अराजपत्रित कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिये गये हैं और दूसरी क्षेत्रीय रेलों से आये प्रार्थना-पत्रों को तरजीह दी गयी है ।

माल डिब्बा निर्माण उद्योग

544. **श्री श० ना० माइती** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी और गैर-सरकारी औद्योगिक कारखानों के क्या नाम हैं जिन्हें रूस, दक्षिण कोरिया, पूर्वी यूरोप और अन्य देशों को आगामी वर्षों में रेल के डिब्बे सप्लाई करने का काम सौंपा जायेगा और प्रत्येक कारखाने को कितने डिब्बे सप्लाई करने होंगे ;

(ख) क्या निर्यात के लिये रेल डिब्बों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिये सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में नए औद्योगिक कारखाने स्थापित करने का विचार है ;

(ग) क्या वर्तमान औद्योगिक कारखानों के विस्तार का प्रश्न भी विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) राज्य व्यापार निगम, निर्माताओं तथा निर्यातकों के साथ इस विषय पर बातचीत करता है (बातचीत कर रहा है) कि वे कितने माल डिब्बों की पूर्ति कर सकते हैं और यह कि क्या वे एक निश्चित समय की अवधि में विशिष्टियों के अनुसार तथा कितने मल्य पर माल डिब्बों की पूर्ति कर सकते हैं ।

(ख) और (ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

चाय बोर्ड

545. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान चाय बोर्ड का कार्यकाल कितना है तथा यह किस तिथि को समाप्त होगा ;

(ख) नये बोर्ड का कब पुनर्गठन किया जायेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि लघु चाय उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये संसद् सदस्यों का एक प्रतिनिधि इस बोर्ड में नामांकित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या अगली बार भी इस प्रकार का प्रतिनिधान किया जायेगा ।

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) चाय बोर्ड के सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं । बोर्ड में संसद् का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए गए तीन सदस्यों को छोड़ कर सभी वर्तमान सदस्य 31 मार्च, 1969 को पद-मुक्त होंगे । इस तरह रिक्त हुए स्थान 1 अप्रैल, 1969 को भरे जायेंगे ।

(ग) और (घ) : चाय बोर्ड में लघु चाय उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किये गये व्यक्ति का चयन उस व्यक्ति की प्रभावशाली ढंग से उनके हितों के प्रतिनिधित्व करने की योग्यता के आधार पर किया जाता है। यही सिद्धान्त भविष्य में भी अपनाया जायेगा। यह संयोगमात्र था कि वर्तमान बोर्ड में लघु चाय उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा व्यक्ति बोर्ड में नियुक्ति के समय संसद् सदस्य था।

आयात नीति

546. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयपुर के आभूषण-निर्यातकों का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे जून में मिला था और उन्हें 1968–69 की नई आयात नीति के परिणामस्वरूप उत्पन्न कठिनाइयों से अवगत कराया था ;

(ख) क्या इस प्रतिनिधि मंडल को इस आशय का आश्वासन दिया गया कि बहुमूल्य और अपेक्षाकृत अल्पमूल्य वाले जवाहरातों के आयात लाइसेंसों में जो कटौती की गई है, वह समाप्त कर दी जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया गया था कि मामले पर पुनर्विचार किया जायेगा।

(ग) सरकार मामले पर विचार कर रही है।

पटसन की वस्तुओं के उत्पादन में कमी

547. **श्री म० सुदर्शन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन की कुछ सदस्य मिलों ने स्वेच्छा से उत्पादन में कमी की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और पटसन बाजार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सम्भवत: कुछ मिलों ने अपने पास पटसन के उपलब्ध स्टाक को ध्यान में रखते हुए जून, 1968 में उत्पादन में कमी की है। जो मिलें संघ की सदस्य हैं उनका जून, 1968 में कुल उत्पादन 92,000 मे० टन हुआ जब कि मई, 1968 में यह 99,500 मे० टन था। मिलों ने मई, 1968 में 216 घण्टों की तुलना में जून, 1968 में 200 घण्टे काम किया। अभी तक कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है और स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

विदेशी सहयोग

548. **श्री काशी नाथ पाण्डेय** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी सहयोग के मामले में अपनी नीति के वक्तव्य में कोई अन्तिम निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय कर लिये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : विदेशी सहयोग नीति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है किन्तु सरकार ने एक विदेशी विनियोजन मण्डल की स्थापना करने का निश्चय किया है और विदेशी सहयोग विनियोजन के आवेदनों में को निबटाये जाने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था की है ।

बिड़ला उद्योगों के सम्बन्ध में जांच आयोग

549. **श्री जुगल मंडल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिड़ला उद्योग समूह के संबंध में एक जांच आयोग नियुक्त करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया है, जिसका वचन मंत्री महोदय ने पिछले सत्र में दिया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). जी, नहीं । इस की उपयुक्त व्यवस्था किस ढंग की हो इस पर अभी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

कच्चे माल का वितरण

550. **श्री जुगल मंडल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों को कच्चे माल के वितरण का कार्य भविष्य में केन्द्रीय अभिकरणों की बजाय राज्य सरकारों को सौंपने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) नई दिल्ली में 5 और 6 जुलाई, 1968 को लघु उद्योग संबंधी समन्वय समिति की जो बैठक हुई थी उसमें यह सुझाव दिया गया था कि केन्द्रीय अभिकर्ताओं की मार्फत बेचने के बजाय राज्य लघु उद्योग निगमों को कारखाने चलते समय के मूल्यों पर कच्चे माल की सप्लाई करने की संभावनाओं की जांच की जानी चाहिये । इस सुझाव की जांच की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कन्टेनर फ्रेट सर्विस

551. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कन्टेनर फ्रेट सर्विस रेलवे की आय को बढ़ाने के लिये उपयोगी सिद्ध हुई है ; और

(ख) क्या यह सर्विस सब रेलवे जोनों में आरम्भ की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक नहीं ।

बिड़ला कम्पनियां

552. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसा निर्णय किया है कि बिड़ला कम्पनियों के सभी आवेदन पत्र मंत्रिमंडल के पास भेजे जाने चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फायरमैनों की हड़ताल

553. **श्री वे० कु० दास चौधरी** : **श्री विश्वनाथ न** :
श्री सीदय्या : **श्री जी० एस० रेड्डी** :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण तथा मध्य रेलों के फायरमैनों की हड़ताल के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) इस हड़ताल के कारण सरकार को कुल कितनी हानि हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय दक्षिण और दक्षिण-मध्य रेलों में फायरमैनों की मांगों से है जिन्होंने हाल में एक आन्दोलन किया था और कुछ दिनों के लिए काम से अनुपस्थित रहे थे । फायरमैनों की मुख्य शिकायत हैं—निरन्तर काम के वर्तमान घंटों में कमी, 7 दिन के बाद अनिवार्य विश्राम, साप्ताहिक आधार पर समयोपरि भत्ता आदि । इनमें से अधिकतर मांगें उन दो श्रमिक संघों द्वारा भी पेश की गयी हैं जिन्हें रेलवे बोर्ड के साथ वार्ता करने की सुविधा है और सरकार उन पर सक्रियता से विचार कर रही है । निरन्तर काम के घंटों में कमी

करने के बारे में दोनों संघों के साथ यह विनिश्चय किया गया है कि आगे पुनर्विचार होने तक रनिंग कर्मचारियों के निरन्तर काम के कुल घंटे 14 तक सीमित रहेंगे ।

(ख) सम्बन्धित रेलों से सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन, कानपुर

554. **श्री वे० कृ० दास चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर के कार्य संचालन की जांच करने के लिये एक जांच समिति नियुक्त की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी के विरुद्ध क्या क्या विशिष्ट आरोप लगाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख) 28 जून, 1968 को की गई अपनी वार्षिक साधारण बैठक में हिस्सेधारियों ने, लेखे से संबंधित, अथवा उसके बारे में उत्पन्न, पूछे गये प्रश्नों, जिनका उत्तर बैठक में नहीं दिया जा सका था, पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की । प्रश्नों का, कम्पनी की ऊनी शाखाओं तथा कूपर ऐलन यूनिट के कार्य के विषय पहलुओं, चीनी कम्पनियों में हिस्सों की बिक्री, श्री बी० एल० बाजोरिया को दी गई परिलब्धियों, परिस्थितियों, जिनके कारण कुछ निदेशक कम्पनी के जांचे हुये लेखे पर हस्ताक्षर नहीं कर सके, आदि को सम्मिलित कर एक विस्तृत क्षेत्र या कुछ हिस्से-धारियों ने, प्रश्नों की, जिन्हें वह बैठक में पूछना चाहते थे, अग्रिम सूचना भी दी थी ।

Mysore Stoneware Pipe and Potteries Limited, Bangalore

555. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Government have received many complaints against the Managing Agents. The Mysore Stone-ware Pipe and Potteries Ltd., Bangalore.

(*b*) if so, the details thereof ; and

(*c*) the action taken by Government in regard thereto ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) : (*a*) *to* (*c*). At the time of the re-appointment of the Managing Agents in 1958 several allegations were made by Shri M.S. Mahadevan which were of a general nature. The late Company Law Advisory Commission considered the proposal of the company in the light of these allegations and recommended the reappointment of the Managing Agents for ten years from 1st October, 1958. No other complaints against the Managing Agents were received during the period from 1959 to 1967.

Raw Silk Cloth Industries in Madhya Pradesh

557. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the condition of the workers engaged in the raw silk (Kosha) cloth industries in Madhya Pradesh has become disturbing due to the carelessness on the part of the State Trading Corporation ;

(*b*) whether it is also a fact that a large quantity of the raw silk (Kosha) cloth sent by the State Trading Corporation is lying in the godowns in Bombay ; and

(*c*) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (*a*) No, Sir.

(*b*) The procurement and exports of tasar (Kosha) cloth are handled by the Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Ltd. and not by the State Trading Corporation. The actual stocks of tasar cloth held by the H.H.E.C. in its Bombay godown as on 18th July, 1968 were 1,877 metres, which by no means is a large quantity.

(*c*) Does not arise.

मैसर्स हिन्द ऊल कम्पनी

557. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स हिन्द ऊल कम्पनी को 60,000 मैट्रिक टन, प्रतिवर्ष की विस्तार क्षमता के लिये स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो निम्नलिखित मदों के रूप में सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(एक) ऋण

(दो) विदेशी मुद्रा में व्यय

(तीन) उसके सहयोगी को विस्तार क्षमता पर लाभ के भुगतान की शर्तें ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मैसर्स हिन्द ऊल कम्पनी की स्वीकृत वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 60,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष दिखाई गई है जब कि वास्तव में उसकी क्षमता 72,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) हिन्दुस्तान एल्युमिनियम निगम को, रेणूकूट (उत्तर प्रदेश) में अपनी वर्तमान प्रद्रावक क्षमता के लाइसेंस में लगाई गई शर्तों के अधीन, प्रतिवर्ष 60,000 मैट्रिक टन से 120,000 मैट्रिक टन तक विस्तार के लिए औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951, के अधीन, 6 दिसम्बर, 1966, को एक लाइसेंस दिया गया था ।

(ख) सरकार ने निगम को ऋण के रूप में कोई सहायता नही दी है । अपने सहयोगियों को अदायगी की शर्तों सहित विदेशी सहयोग के लिये उन के विस्तृत प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । विदेशी मुद्रा में वित्त-व्यवस्था के संबंध में उन के प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया और वे सरकार को प्रस्तुत नहीं किये गये ।

(ग) और (घ) 5,000 मैट्रिक टन की अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में निगम द्वारा अप्रल, मई और जून, 1968 के महीनों में प्राप्त किया गया वास्तविक उत्पादन क्रमश: 4487, 4810 और 4601 मैट्रिक टन था । कार्यचालन क्षमता उत्पादन क्रमश: में सुधार के द्वारा और कुछ

ऊंचे लाइन करेन्ट के प्रयोग द्वारा यथाक्रम 10–12 प्रतिशत अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त कर लेना भी संभव हो सकता है। भारत सरकार की लाइसेंस देने की उदार बनाई गई नीति के अनुसार औद्योगिक उद्योगों को अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से 25 प्रतिशत तक बढ़ने की भी अनुज्ञा है।

कोरबा एल्युमीनियम कारखाना

558. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रति वर्ष 100,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाला कोरबा एल्युमीनियम कारखाना जब चालू हो जायेगा तब इसमें जो धातु बनेगी उसका मूल्य बहुत अधिक होगा तथा ये सरकारी राजकोष पर स्थायी रूप से भार बना रहेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) कोरबा (मध्य प्रदेश) एल्युमीनियम प्रायोजना में एल्युमीनियम धातु के उत्पादन की लागत का यथार्थ अनुमान विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट बनाये जाने पर ही लगाया जा सकेगा। प्रायोजना के प्रद्रावक की भाग की प्रायोजना रिपोर्ट बनाने के लिये सोवियत संघ के साथ संविदा को अन्तिम रूप देने के लिये बातचीत प्रगति पर है। तथापि, वर्तमान संकेत ऐसे है कि कोरबा सयंत्र के अल्युमीनियम धातु के उत्पादन की लागत देश की अन्य प्रायोजनाओं की उत्पादन लागत के तुलनीय ही होगी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत एल्युमिनियम कम्पनी की कोयना परियोजना

559. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि भारत एल्युमीनियम कम्पनी की कोयना परियोजना की, जिसके बारे में पश्चिम जर्मनी के मैसर्स बी० ए० डब्लू० की पहली पेशकश थी, वित्त मंत्रालय ने योजना आयोग द्वारा पुनर्विलोकन किये जाने से पूर्व मंजूरी दे दी थी;

(ख) यदि हां, तो इस वी० ए० डब्लू० करार की मुख्य बातें क्या थीं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि परियोजना को वी० ए० डब्लू० को सलाहकार बना कर के आरम्भ की जाती तो धातु की लागत कम से कम आती ;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या वित्त मंत्रालय ने इस परियोजना के निष्पादन में विलम्ब के कारण सरकार को होने वाली हानि के पहलू पर विचार करने के पश्चात् हंगरी के प्रस्तावित सहयोग की अनुमति दे दी है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं ;

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) क्योंकि पहले प्रायोजना के कच्चे अनुमान ही लगाये गये थे अत: यह नहीं कहा जा सकता कि कोयना एल्युमीनियम प्रायोजना में पश्चिम जर्मनी की मैसर्ज वी० ए० डब्लू० की तकनीकी सहायता के आधार पर चाय के उत्पादन की लागत कम से कम होनी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) और (च) कोयना एल्युमिनियम प्रायोजना में सहयोग के लिये हंगरी का प्रस्ताव, वित्त मंत्रालय सहित सम्बन्धित विभागों के परामर्श के साथ जांच विचाराधीन है ।

Railway Complimentary Passes

560. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the Indian Railways, the Ministry of Railways and the Railway Board had issued complimentary passes to persons other than the Railway employees from the 1st September, 1967 to the 1st July, 1968;

(*b*) if so, the names of the persons to whom these passes had been issued ;

(*c*) the main reasons therefor ; and

(*d*) the mileage of the travel in various classes of the trains undertaken by the holders of such passes ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (*a*) Yes.

(*b*) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(*c*) Complimentary passes are to a limited extent issued to all India organisations or individuals of high repute to facilitate work considered to be of national importance, where such Government assistance is considered deserving for work humanitarian in nature or of social or cultural importance and where activities of the voluntary organisation/individual cover a field wider than the Governmental activities in this direction.

(*d*) Since in most of the cases complimentary passes are available for use from any station to any station on the Indian Railways the record of travel mileage is not maintained.

विगों का निर्यात

561. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सरकार मानवीय केशों के बने विगों के निर्यात को प्रोत्साहन नहीं देती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) कितने उद्योगपतियों ने विगों के निर्माण के लिये मशीनरी के आयात का अनुरोध किया है ; और

(घ) विगों का निर्यात न करने देने के फलस्वरूप सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कोई नहीं, तथा

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये आरक्षण

562. **श्री सिद्दय्या** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण के सम्बन्ध में यार्डी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को रेलवे मंत्रालय द्वारा अब तक किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): श्री एम० आर० यार्डी की अध्यक्षता में "नियोजन" के सम्बन्ध में कार्य करने वाले दल की सिफारिशों पर गृह मंत्रालय ने प्रारम्भिक रूप से विचार किया है और उन्होंने कुछ सिफारिशों पर आदेश जारी किये हैं । इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों पर जो कार्यवाई की गयी है उसे सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1392 88**]

उत्पादन लागत अधिक होने का निर्यात पर प्रभाव

564. **श्री मु० न० नाधनूर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन लागत का अधिक होना हमारे निर्यात संवर्द्धन कार्यक्रम में बाधक सिद्ध होता है ; और

(ख) यदि हां, तो सीमेंट, कागज, कास्टिक सोडा तथा सोडा-राख इत्यादि वस्तुओं के निर्यात के लिये, जिन का उत्पादन तथा सप्लाई पर्याप्त मात्रा में है, विदेशों में बिकने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) विकासशील अर्थ-व्यवस्था में अन्तर्निहित उच्चतर लागत के कारण हमारे कुछ औद्योगिक उत्पाद विदेशी बाजारों में महंगे पड़ते है और बिक नहीं पाते ।

(ख) औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को विभिन्न उपायों द्वारा सहायता दी जाती है जैसे जहां आवश्यक हो नकद सहायता देना, आयात तथा उत्पादन शुल्कों की वापसी करना और निर्यात उत्पादन के लिये सुविधायें देना । कागज, सीमेंट तथा सोडा-राख के निर्यात पर नकद सहायता दी जाती है । कास्टिक सोडे के निर्यात पर भी नकद सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

कोयले के उत्पादन में कमी

565. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967–68 में देश में कोयले के उत्पादन में भारी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में उत्पादन में कितनी कमी हुई है ;

(ग) उस के कारण क्या है ; और

(घ) उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). 1966-67 वर्ष की तुलना में 1967–68 वर्ष में कोयले का कुल उत्पादन 16.5 लाख मैट्रिक टन गिर गया है। यह गिरावट मुख्यत: मांग कमी के कारण है।

(घ) कोयले के उत्पादन का वर्तमान स्तर इस की वर्तमान मांग के अनुरूप है और ऐसी कोई मांग नहीं जिसकी पूर्ति न की गई हो। उत्पादन बढ़ाया जा सकता है यदि मांग बढ़े। मांग का समय समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है।

फर्रुखाबाद-दिल्ली सवारी गाड़ी में यात्रियों का लूटा जाना

566. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 जून, 1968 को डाकुओं ने फर्रुखाबाद-दिल्ली सवारी गाड़ी के यात्रियों को उनके डिब्बों में लूट लिया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम-स्वरूप यात्रियों को अनुमानत: कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन यात्रियों को मुआवजा देने का है ;

(घ) क्या सरकार का विचार यात्रियों की जान व माल की रक्षा करने के लिये चलती गाड़ियों में सशस्त्र रेलवे पुलिस तैनात करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का इस दिशा में क्या उपाय करने का विचार है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) (क): जी हां, यह घटना 27/28–6–68 की रात को पखना और मोटा रेलवे स्टेशनों के बीच 1 एफ टी डी सवारी गाड़ी के एक तीसरे दर्जे के डिब्बे में हुई।

(ख) लगभग 250 रुपये की कुल हानि होने का अनुमान है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रभावित खण्ड पर सशस्त्र रेलवे पुलिस पहले से तैनात है इस गाड़ी में भी सरकारी रेलवे पुलिस का एक सशस्त्र सिपाही पहरा दे रहा था जिसे निलम्बित कर दिया गया है।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

खनिज उत्पादन में गिरावट

567. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में खनिज पदार्थों का वर्ष 1967 में उत्पादन वर्ष 1966 की तुलना में 7 प्रतिशत कम हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो किन किन खनिजों का उत्पादन कम हुआ था और उनके वर्ष 1967 तथा 1966 के तुलनात्मक आंकड़े क्या है ?

(ग) उसके क्या कारण थे ?

(घ) इन खनिजों के उत्पादन में कमी होने के कारण कितनी हानि हुई ; और

(ङ) उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) :(क) राजस्थान में 1967 वर्ष में मुख्य खनिजों का उत्पादन, 1966 वर्ष के उत्पादन की तुलना में, 2.7 प्रतिशत कम हुआ था।

(ख) राजस्थान में उन मुख्य खनिजों का, जिन के उत्पादन में कमी पाई गयी, 1966 और 1967 वर्षों का तुलनात्मक उत्पादन दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल टी० 1397/68]

(ग) उत्पादन में कमी के विभिन्न कारण हो सकते है, जैसे कि उपलब्ध राशियों का इसमें मशीनरी की टूट-फूट, मजदूर अशान्ति और औद्योगिक उत्पादन में सामान्य मन्दी के कारण विशेष खनिजों की मांग में कमी।

(घ) उत्पादन में कमी के कारण होने वाली हानि अत्यल्प होगी, क्योंकि खनिज उत्पादन के मूल्य में कमी सीमान्त है।

(ङ) सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है, जो कि मुख्य रूप से संबंधित है।

उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त करना

569. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उन उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त करने पर विचार कर रही है जिन्हें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसा करना औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के विरूद्ध नहीं होगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). योजना आयोग द्वारा प्रकाशित 'एप्रोच टु दि फोर्थ फाइव ईयर प्लान' नामक पत्र से उत्पन्न होने वाला यह सुझाव कि जिन उद्योगों को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है उन्हें उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस देने वाले उपबन्धों से मुक्त कर दिया जाये, सरकार के विचाराधीन है। इस सुझाव पर निर्णय करने में लघु तथा परम्परागत उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के तथा 1956 के औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प के अन्य उद्देश्यों को सरकार द्वारा ध्यान में रखा जायेगा।

Trade Delegations

570. **Shri Onkar Lal Bohara :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of trade delegations sent abroad during this year so far or likely to be sent abroad by Government or under their aegis with a view to promote India's exports ;

(b) the number and names of the members of the delegations sent so far and the extent to which our export trade has been benefited thereby ; and

(c) the steps taken by Government to promote India's exports of tea and jute and the result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Nine Trade Delegations have been sent abroad by Government of India during this year so far, with a view to promote India's exports. Four more Delegations are likely to go during the current year. These figures do not include Sales/Study Team sent out by the Trade.

(b) A statement showing the number and names of the members of the Delegations sent so far is laid on the Table of the House [Placed in Library. See No.LT-1394/68]. The purpose of the Delegatons' visit to foreign countries was to review the working of the Trade Agreements and negotiate expansion of trade between the contracting countries and it is too early to assess the results.

(c) The following steps have been taken to promote the export of Tea and Jute :—

Tea :

(1) Opened Tea Centres and Offices at various places in foreign countries to stimulate demand for tea in the traditional markets ;

(2) Reduction in export duty on quality teas ;

(3) Tax concessions on promotional measures in foreign markets.

Jute :

(1) Research into new and diverse uses of jute to meet the increasing threat from synthetic substitutes ;

(2) Modernisation of Jute Industry with a view to diversify production to meet the requirements of advanced countries;

(3) Reduction in the export duty on Hessian and sackings and abolition of duty on specialities of jute manufacture with effect from 7-2-1968.

The above measures are expected to yield favourable results in the export of Tea and Jute.

Disparity in Prices of Cement

571. Shri Onkar Lal Bohra :
Shri Liladhar Kotoki :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the reasons for the disparity in prices of cement manufactured by the various cement establishments set up in the country ;

(b) the special benefit accrued to these establishments as a result of offering higher rates to some establishments and lesser rates to others ;

(c) whether Government have consulted the cement manufacturers on the issue and if so, whether their views have been taken into account before taking a decision in the matter ; and

(d) whether Government propose to take some steps to bring uniformity in prices and whether certain establishments have presented any memorandum of demands in this regard and if so, the action taken thereon ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) and (b). The Cement prices payable to the producers have been fixed by the Government on the basis of the recommendations made by the Tariff Commission in 1961 after an individual cost examination of the different producers. The disparity in prices payable to the various producers is due to the difference in their cost of production, capital costs etc. So far as the Government is aware no special benefits accrued to any establishment on this account.

(c) No. This did not arise as the recommendations of the Tariff Commission were based on an individual cost examination of each unit.

(d) Some producers have represented that all the producers should be given a uniform price. This question is at present under consideration of Government.

Direct Train from Ahmedabad to Delhi

572. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway Board have taken any action to introduce a through train service from Ahmedabad to Delhi *via* Himmatnagar, Udaipur, Mavli Junction, Chittor and Ajmer ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether his Ministry have accorded any sanction to introduce this new through train service ;

(d) if not, the reasons therefor ;

(e) whether its survey report has been prepared by the Railway Board ; and

(f) if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) *to* (f) : The proposal for the introduction of a through train between Ahmedabad and Delhi to run *via* Himmatnagar, Udaipur, Mavli, Chitorgarh and Ajmer was recently examined. The examination as revealed that there is no traffic justification for the introduction of such a through train.

Production of Zinc, Sulphuric Acid and Lead

573. **Shri Onkar Lal Bohra** ; Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the cost of production of zinc, sulphuric acid and lead produced by the Hindustan Zinc Smelter and the expenditure incurred on the import of Zinc and other metals ;

(b) the rates at which the metals produced by the Hindustan Zinc Ltd. have been sold, the names of the places where these metals have been sold and the profit earned by the company;

(c) whether it is a fact that the Super Phosphate, Acid and Zinc accumulated in the said smelter is not being properly stored and the problem of selling it has arisen ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) As the Zinc Smelter of Hindustan Zinc Limited is still in initial stages of production, reliable estimates of costs of production of zinc and by-products are not yet available. Further, the amount of compensation payable to the private Company from whom the undertaking was acquired has not yet been finally settled and this will have a bearing on the costs of production. A statement showing the quantity of non-ferrous metals (together with their values) imported during 1966-67 and 1967-68 is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT—1395/68]

(b) Production in the form of zinc ingots commenced by the end of May, 1968 and sales have been effected at rates ranging from Rs, 2,500/- to Rs. 2,700/- per metric ton (exclusive of excise duty) in places including Bombay, Delhi, Jaipur, etc.

Lead has been sold at rates ranging from Rs. 2,500/- to Rs. 2,750/- per metric ton (exclusive of excise duty), the despatches covering practically most areas of the country.

Cadmium has been sold at rates ranging from Rs. 55/- to Rs. 60/- per kg. at Bombay.

The final accounts of the company for the year ended 31-3-1968 are not yet ready and the financial results are not available.

(c) *and* (d). The stocks of superphosphate, sulphuric acid and zinc with the company are properly stored. Problems of sale with regard to superphosphate are there on account of many factors. Special efforts have been initiated to clear the stocks through cooperatives in Rajasthan and other neighbouring States. Though problems of sale had arisen with regard to zinc cathode sheets so far being produced, no serious sale problems are anticipated with regard to zinc in the form of ingots which is being produced from end of May, 1968.

Sulphuric acid is not normally meant for sale since it will be used for manufacture of superphosphate by the company.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

574. **श्री चक्रपाणि :**

श्री प० गोपालन :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पास 9 करोड़ रुपये के मूल्य के पुर्जे बेकार पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ये पुर्जे कितने समय से बेकार पड़े हैं; और

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) से (ग): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ट्रैक्टरों के मूल्य

575. **श्री चक्रपाणि :**
श्री प० गोपालन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रशुल्क आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों के लिये सुझाये गये मूल्य स्वीकार नहीं किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद): (क) और (ख). इस मंत्रालय के भारत के असाधारण राजपत्र में उसी तारीख को दिनांक प्रकाशित 3 जून, 1968 के संकल्प संख्या 5 44/67–ए०ई० आई०–2 के पैराग्राफ 3 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। संकल्प की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

लौह-अयस्क का निर्यात

576. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा विदेशों को किये जा रहे हमारे लौह-अयस्क के निर्यात में कमी हुई है ;

(ख) क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिस से कि लौह-अयस्क निर्माता विदेशी/विदेशी फर्मों को सीधा निर्यात कर सकें;

(ग) क्या इस मामले में इस बीच कोई निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

कुप्पम रेल दुर्घटना की जांच

577. **श्री विश्वम्भरन :** क्या **रेलवे** मंत्री 1 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2694 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे संरक्षा अतिरिक्त आयुक्त, बंगलौर का, 21 मई, 1967 की रेल दुर्घटना के कारणों के बारे में अन्तिम प्रतिवेदन मिल गया है; और

(ख) यदि हां, तो जांच आयुक्त का क्या निष्कर्ष है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) रेल संरक्षा के अपर आयुक्त के निष्कर्ष के अनुसार दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती से हुई ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

पुलिस द्वारा दिल्ली में रूसी सूचना केन्द्र के समक्ष प्रदर्शनकारियों पर अश्रु-गैस का छोड़ा जाना

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): I call the attention of hon'ble Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement thereon:—

"Series of unseemly incidents that took place on the 21st July, 1968 in front of the Soviet Information Centre in Delhi including tear-gassing and lathi-charge on peaceful demonstrators, manhandling of women and misbehaviour with Press Correspondents by the police."

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 21 जुलाई को धारा 144 के अधीन उद्घोषित निषेधात्मक आदेशों के उल्लंघन में कनाट प्लेस तथा उसके कुछ आस पास के क्षेत्रों में एक जुलूस निकाला गया था । जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का घेरा तोड़ने की और बाराखम्भा रोड में दाखिल होने की कोशिश की तो ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट ने लाउडस्पीकर द्वारा उन्हें तितर-बितर होने के लिये चेतावनी दी । परन्तु उस की चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था और इसलिये अश्रु-गैस छोड़नी आवश्यक हो गयी थी । इस सम्बन्ध में 435 लोगों को गिरफ्तार किया गया और विचारण के लिये मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था । उन्होंने, अपना अपना अपराध स्वीकार कर लिया था और धारा 188 के अन्तर्गत उन्हें न्यायालय के उठने तक के लिये सजा दी गयी थी । जो जानकारी मुझे दी गयी है उस से महिला प्रदर्शनाकारियों अथवा संवाददाताओं के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार के बारे में कुछ पता नहीं चलता ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: I want to know whether our Government wanted to appease U.S.S.R. by teargassing the peaceful demonstrators of this country and depriving them from their fundamental rights ?

Second thing that I want to know is the basis on which the hon'ble Minister has stated that reports received by him to show that women demonstrators were not manhandled or that police misbehaved with the press correspondents. It has clearly been stated in the "Times of India" that without any visible provocation, DIG on duty ordered his men to "throw out" the press reporters using rough language. I want to know whether attention of the hon'ble Minister has been drawn to this report and if so, whether this matter has been investigated? It has also been reported in the press that women demonstrators were manhandled and I want to know whether hon'ble Minister is prepared to hold an enquiry into this matter?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस मामले में किसी राजनीतिक इरादे की कोई बात नहीं है । इस सम्बन्ध में सभा में चर्चा हुई थी और सरकार ने इस मामले के सम्बन्ध में अपना विशिष्ट दृष्टिकोण

स्पष्ट कर दिया था । यह प्रश्न केवल कानून और व्यवस्था का था । हमारा अनुभव यह है कि ऐसे प्रदर्शन हिंसात्मक रूप धारण कर लेते हैं । यदि उस प्रदर्शन पर समय पर नियंत्रण न किया होता तो कोई अवांछनीय घटना हो सकती थी ।

हमें पहले ही आशा थी कि प्रदर्शन में महिलाएं भी भाग लेंगी और इसलिये हम ने महिला पुलिस की व्यवस्था की थी । इसलिये महिला प्रदर्शनकारियों के साथ हाथापाई का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: May I know the basis of this information? We have ourselves witnessed the manhandling of women by the police-men.

अध्यक्ष महोदय : राय अलग अलग हो सकती है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: I want to know the reaction of the hon'ble Minister to the press report, I have quoted. It is not proper to say that the reports given in the Press and information supplied by hon'ble Members present on the spot is wrong.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): There has been no report of any provocation, whatsoever, in the press. Delhi police is in the habit of indulging in high-handedness. It was stated in "the Statesman" that teargas squad of the Delhi police seemed to enjoy firing shells. They continued firing them for atleast ten times after the subdivisional magistrate of the area had asked them to stop. The press reporters and photographers were insulted. Some Members of Metropolitan Council were beaten up which is on the record of Tihar Jail. May I know as to where lies the provocation.

The teargas shells were dropped on the police van in which arrested demonstrators were sitting. We have ourselves helped the police and got the people arrested and sit in the police van. I want to know the provocation which urged the Government to proclaim section 144? Is it not against democracy? It is just to please Russia that people of this country were teargassed. I want to know whether hon'ble Minister will hold an enquiry into these incidentes.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक विशिष्ट शिकायतों का सम्बन्ध है, हम निश्चय ही उन पर विचार करेंगे । श्री खुराना ने अपने पत्र में कुछ आरोप लगाये हैं, हम निश्चय ही उन की जांच करेंगे ।

अपना वक्तव्य देते समय मुझे उन्हीं लोगों से जानकारी लेनी होती है जो सारा प्रबन्ध करते हैं । यह अलग बात है कि धारा 144 लगाई जानी चाहिये थी या नहीं । स्थानीय प्रशासन तथा हमारे विचार में धारा 144 लगाना आवश्यक था ।

श्री दे० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा था कि प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों के साथ छिपने और ढूंढ़ने का खेल खेल रहे थे । वे बार बार अपना मार्ग बदलते थे और शायद इसीलिये धारा 144 लगानी पड़ी थी । यह भी कहा गया है कि प्रदर्शन हिंसात्मक था । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि प्रदर्शनकारियों और जनसंघ की महिला प्रदर्शनकारियों ने किस प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाई की थी जिस के कारण पुलिस को उपरोक्त कार्यवाही करनी पड़ी ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह ठीक है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच छिपन-छिपाई होती रही थी । ऐसी अवस्था में धारा 144 का क्षेत्र बढ़ाया जाना उचित था । यह ठीक है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ सहयोग किया था ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैंने हिंसा की कार्यवाही के बारे में पूछा था ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने इस से इन्कार कर दिया है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि पुलिस ने कोई हिंसात्मक कार्यवाही की है। मेरी जानकारी के अनुसार महिलाओं के साथ कोई हाथा-पाई नहीं की गई ।

Shri Deven Sen (Asansol): There are two different versions about the said situation—one is from the some hon'ble Members of Parliament and the other one is that of hon'ble Minister of Home Affairs. I therefore demand that a committee should be set up to go into this matter. Second point is whether the statement made by the hon'ble Minister is based on the police report and if so, whether we should believe the police version. I would also like to know whether any policy decision was taken to handle the women demonstrators and press reporters?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरे विचार में समाचार-पत्रों को सब प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। जहां तक महिला प्रदर्शनकारियों का सम्बन्ध है, हमारी नीति ऐसी अवस्था में महिला पुलिस की व्यवस्था करने की है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : बाराखम्भा रोड पर महिला पुलिस नहीं थी। प्रैस फोटोग्राफरों को उन के कार्ड दिखाने के बावजूद वहां जाने की अनुमति नहीं दी गयी थी ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने इस सम्बन्ध में पूछताछ की है और कुछ फोटो भी देखे हैं। महिला पुलिस वहां पर उपस्थित थी ।

मैं किसी प्रकार की न्यायिक जांच के लिये तैयार नहीं हूं। हां, कोई विशिष्ट शिकायतें हो तो उन की जांच करवाने के लिये मैं तैयार हूं ।

Shri Ram Avtar Sharma (Gwalior): It was well known to the authorities that Jana Sangh was going to stage a demonstration but was it not possible to make any arrangement to handle the demonstaration even one day in advance?

I would also like to know whether Tear Gas shells were made in U.S.A.?

My third question is that out of 875 demonstrators arrested, only 435 were produced before the Court. May I know the reason therefor?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 435 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया था ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : शायद श्री मधु लिमये विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। मैंने अभी इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं कल आप को अपने निर्णय से अवगत कराऊंगा ।

Shri S. M. Joshi (Poona): We had given a Calling Attention Notice. Tomorrow there is going to be strike in the entire country. What has happened to that notice?

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास 100 नोटिस आये थे, उन में से एक आप का था। दिल्ली के बारे में एक नोटिस की आज अनुमति दी गयी थी। सबकी अनुमति एक दिन में नहीं दी जा सकती। कुछ नोटिस

अभी विचाराधीन हैं और कुछ को अस्वीकार कर दिया गया है। मैं सब को मौखिक रूप से याद नहीं रख सकता। इस सम्बन्ध में आप मुझे से बातचीत कर सकते हैं।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar): A women worker has been murdered in Bihar

अध्यक्ष महोदय : आप बिना सूचना दिये इस विषय पर बोल रहे हैं। कृपा कर के आप मुझे पहले से कुछ बताइये। इन बातों को कार्यवाही में सम्मिलित न किया जाये।

श्री भोगेन्द्र झा : ***

अध्यक्ष महोदय : ऐसा सम्भव है परन्तु इस प्रकार शोर मचाने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।

श्री भोगेन्द्र झा : ***

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE.

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) वर्ष 1966–67 के लिये नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1355/68]

(दो) वर्ष 1966–67 के लिये नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखापरीक्षित की टिप्पणियाँ।

(2) भारतीय मानक संस्था के 1966–67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1356/68]

(3) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत भारी बिजली उद्योगों सम्बन्धी विकास परिषद् के 1966–67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1357/68]

(4) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-क की उप-धारा (2) के अन्तर्गत इंडियन इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड कलकत्ता, की प्रबन्ध व्यवस्था के बारे में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2070 की एक प्रति जो दिनाँक 10 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1358/68]

***कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

***Not recorded.

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (मुहम्मद शफी कुरैशी) : मैं श्री दिनेश सिंह की ओर से निर्यात (किस्म नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) मानव बालों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1968 जो दिनाँक 3 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1609 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) वैकुअम फ्लास्कस का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1968 जो दिनाँक 7 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1617 में प्रकाशित हुए थे । (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(तीन) इस्पात ट्रंकों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1968 जो दिनाँक 5 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2062 में प्रकाशित हुए थे। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1359/68]**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) संविधान के अनुच्छेद 357 (1) (ग) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिये गये आदेश की एक प्रति जिस के द्वारा जुलाई तथा अगस्त, 1968 के मासों के लिये बिहार राज्य की संचित निधि में से व्यय का प्राधिकार दिया गया तथा जो दिनाँक 29 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2318 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अन्तर्गत लोक भविष्य निधि योजना 1968 की एक प्रति जो दिनाँक 15 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1136 में प्रकाशित हुई थी । (हिन्दीतथा अंग्रेजी संस्करण)। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1360/68]**

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-क की उपधारा (2) के अन्तर्गत मैसर्स जैसप्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता की प्रबन्ध-व्यवस्था के बारे में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1517 की एक प्रति दिनाँक 24 अप्रैल, 1968 के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1361/68]**

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (9) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 1627 जो दिनाँक 4 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनाँक 29 फरवरी, 1964 की जी० एस० आर० 288 में एक संशोधन किया गया ।

(दो) खनिज रियायत (पाँचवाँ संशोधन) नियम, 1968 जो दिनाँक 29 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1177 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) जी० एस० आर० 1263 जो दिनाँक 1 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस के द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में एक संशोधन किया गया । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1362/68**]

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (मुहम्मद शफी कुरैशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) वर्ष 1966–67 के लिए रबड़ बोर्ड के लेखे सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखे का विवरण । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1363/68**]

(2) (एक) पश्चिम बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनाँक 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित पश्चिमी बंगाल बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1958 की धारा 39 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) अधिसूचना संख्या 798–डब्ल्यू० एम० जो दिनाँक 30 मार्च, 1968 के कलकत्ता राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पश्चिमी बंगाल बाट तथा माप प्रमाप (प्रवर्तन) नियम, 1959 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(ख) अधिसूचना संख्या 817-डब्ल्यू० एम० जो दिनाँक 5 अप्रैल, 1968 के कलकत्ता राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें उक्त अधिसूचना का शुद्धि-पत्र दिया गया ।

(दो) ऊपर की अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण । [**पुस्तकालय में रख, गई । देखिये संख्या एल० टी० 1364/68**]

(3) इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत इलायची बोर्ड सेवा भर्ती (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनाँक 15 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1107 में (अंग्रेजी संस्करण) और दिनाँक 22 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1150 में (हिन्दी संस्करण) प्रकाशित हुए थे । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1366/68**]

(4) (एक) अग्रिम ठेके (विनियमन), 1952 की धारा 17 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) एस० ओ० 1947 जो दिनाँक 29 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ख) एस० ओ० 1948 जो दिनाँक 29 मई, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ग) अग्रिम ठेके (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2234 की एक प्रति जो दिनाँक 22, जून, 1968 के, भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1366/68**]

संसदीय समितियां—कार्य का सारांश

PARLIAMENTARY COMMITTEES—SUMMARY OF WORK

सचिव : मैं 16 मार्च, 1967 से 31 मई, 1968 तक की अवधि के सम्बन्ध में संसदीय समितियाँ कार्य का साराँश-सभा पटल पर रखता हूं ।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक 1968

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE BILL 1968

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

सचिव : मैं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 1968, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में सभा पटल पर रखता हूं ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव : पिछले सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पाँच विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1968

(2) वित्त विधेयक, 1968

(3) उत्तर प्रदेश विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1968

(4) पश्चिमी बंगाल विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1968

(5) सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1968

(दो) सचिव ने पिछले सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित आठ विधेयकों की राज्य-सभा के सचिव द्वारा विधिवत्, प्रमाणीकृत प्रतियां भी सभा-पटल पर रखीं :—

(1) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1968;

(2) जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) विधेयक, 196

(3) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक, 1968

(4) लोक भविष्य निधि विधेयक, 1968

(5) बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमाओं में परिवर्तन) विधेयक, 1968

(6) केन्द्रीय विधियाँ (जम्मू तथा कश्मीर पर विस्तारण) विधेयक, 1968

(7) पाण्डिचेरी (विधियों का विस्तारण) विधेयक, 1968

(8) सिविल प्रतिरक्षा विधेयक, 1968

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1968—जारी

REQUISITIONING AND ACQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : श्री जगन्नाथ राव द्वारा 22 जुलाई, 1968 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर सभा अग्रेतर चर्चा करेगी :—

"कि अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1962 में संशोधन करने वाले विधेयक पर आगे विचार किया जाये ।"

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): I oppose the Bill. The Government should consider the use ulness of any property before acquiring it. Hard cases should be reviewed and property involved there in should be released as the emergency has already been lifted.

It has been provided in the Land Acquisition Act that notification under Section 4 will be issued after acquiring the land and that market price will be paid as compensation. In this connection I would like to say that the market price of the day the land is acquired should be paid to the concerned persons because it takes five to six years to issue notifications under various Sections of the Act. I would further suggest that property owners should be paid little more than the market price as it being done in the case of land acquisition.

Had the Government brought full legislation before the House it would have been better. There is no use of bringing such a piecemeal legislation. Many things incorporated in this legislation are obsolete and unnecessary.

I would also like to say that Government is misusing the powers. For instance Alexandra Place has been allotted to one Yogi. Formerly this Yogi was residing in Jantra Mantra Road and he has not paid the rent of the Banglow. Now the Yogi has been allotted this Place for running his Ashram on the recommendation of the Prime Minister's Secretariat. Prime Minister herself seems to be interested in this case. My request in this case is that the hundreds of families residing in that Alexandra Place may not be uprooted for this single man. This is a big scandle which should be looked into. With these words I oppose the Bill.

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : हमें ऐसा बताया गया है कि चीन के आक्रमण के समय 1962 में करोड़ों रुपयों के मूल्य की सम्पत्ति अर्जित की गई थी । इन छः वर्षों में सरकार को इस बात का निर्णय कर लेना चाहिए था कि क्या सरकार अर्जित की गई सम्पत्ति को स्थायी तौर पर अपने पास रखना चाहती है अथवा नहीं । सरकार को निश्चित रूप से किसी निर्णय पर पहुंच जाना चाहिए था ।

हम जानते हैं कि भूमि अर्जन की विभिन्न जटिलताओं के बारे में जांच करने हेतु दोनों सभाओं के प्रतिष्ठित सदस्यों की उच्च शक्ति वाली एक समिति बनाई गई है। परन्तु हमारा अनुभव है कि सरकार सम्पत्ति अर्जन के पश्चात् तथा नोटिस जारी करने के बाद अर्जन की विभिन्न प्रक्रियाओं की पूर्ति के लिए निश्चित समय के अन्दर आवश्यक कार्यवाही नहीं करती। इस प्रकार कृषि तथा अन्य प्रयोजनों के काम आने वाली भूमि बेकार पड़ी रहती है। इससे भूमि के स्वामियों को हानि होती है।

मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के पास हो जाने तथा समिति द्वारा अपनी सिफारिश दिये जाने के बाद सरकार को एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए। यह विधेयक अध्यादेश का स्थान ले रहा है अतः इस में और विलम्ब नहीं किया जा सकता अन्यथा मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए निवेदन करता। मुझे इस पर आशा है कि सरकार शीघ्र ही इस मामले का एक व्यापक विधेयक लायेगी।

श्री दत्तात्रय कुंटे (कोलाबा) : यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकार को उन सम्पत्तियों पर कब्जा जारी रखने के लिए अध्यादेश जारी करना पड़ा जिनको उन्होंने 25 वर्ष अर्जित किया था। इस बात से भी आश्चर्य होता है कि यदि सरकार इन सम्पत्तियों को मुक्त करती है तो सरकार को हानि होगी।

सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उसको लोगों की कठिनाइयों को हल करने के लिए अधिकार दिया गया है अथवा बनाया गया है। अतः जनता का हित सर्वोत्कृष्ट है। इस लम्बी अवधि में सरकार को अपनी कठिनाइयों को हल करने तथा लोगों को उचित सहायता देने के लिए उपाय ढूंढने चाहिए थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अध्यादेश जारी करना वास्तव में आवश्यक था।

बहुत से मामलों में सरकार ने जल्दबाजी से काम लिया और इसके फलस्वरूप लोगों की कठिनाइयों में वृद्धि हुई है। लोगों को सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार के दर पर जाना पड़ता है। नगरों, कस्बों तथा गाँवों में सब जगह ऐसा ही हो रहा है। लोगों की स्थिति में सुधार करने के बजाय सरकार उनकी कठिनाइयों में वृद्धि कर रही है।

सरकार ने इस विधेयक के लिए इसके सिवा कि उन सम्पत्तियों को मुक्त नहीं किया जा सकता कोई औचित्य नहीं दिया है। वास्तव में इन सम्पत्तियों को युद्धकाल अर्थात् आपात में अधिग्रहण किया गया था। अब आपात स्थिति समाप्त हो चुकी है अतः इस विधेयक का समर्थन नहीं किया जा सकता।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : During the last session a high powered Committee was sat up under the Chairmanship of Shri Mullah retired Judge of High Court to go into the question of land acquisition. The Committee is supposed to give a comprehensive report on the subject. I, therefore, think that there is no use of bringing this piecemeal legislation. Lakhs famrers will be hit hard by their legislation whose land were acquired during the emergency. Moreover the acquired land has not been put to the use for which it was acquired. I would therefore, say that it would have been better had the Government waited for the report of the Committee. A comprehensive Bill should have been brought because it is a matter concerning the fundamental rights of the lakhs of farmers.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

बिहार के अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों तथा श्रमजीवी पत्रकारों की हड़ताल के बारें में

RE: STRIKE OF BIHAR NON-GAZETTED GOVERNMENT SERVANTS AND WORKING JOURNALISTS

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं नियम 340 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि सभा के समक्ष जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा के दो कारणों से स्थगित कर दिया जाये। एक कारण यह है कि बिहार में इस समय राष्ट्रपति का शासन है और वहाँ हजारों अराजपत्रित अधिकारियों ने हड़ताल कर रखी है, अतः इस मामले को वहाँ पर नहीं उठाया जा सकता । दूसरी बात यह है कि श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में मंजूरी बोर्ड के पचाँट को क्रियान्वित नहीं किया गया है....

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न घंटे के बाद श्री जोशी के इसी आधार पर मामला उठाया गया था तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस मामले पर विचार किया जायेगा । इसके बाद ही कोई निर्णय किया जायेगा । मेरे विचार में बिहार के मामले में भी यही बात लागू होती है।

श्री स० मो० बनर्जी : नियम 340 के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है, आज सभी बड़े बड़े समाचारपत्रों ने अर्थात् स्टेटसमैन, टाइम्स आफ इन्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, इन्डियन एक्सप्रैस तथा आनन्द बाजार पत्रिका के कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। मालिकों द्वारा तालाबन्दी की घोषणा होने वाली है । मैं श्रम मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले में वक्तव्य दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रम मंत्री इसमें सक्रिय रूप से रुचि ले रहे हैं । मुझे विश्वास है कि श्रम मंत्री ने हड़ताल को टालने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये हैं। वक्तव्य देने के लिये मैं मंत्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकता ।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : समाचार पत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारी 23 अप्रैल से हड़ताल करने वाले थे । सौभाग्यवश उनके बीच एक समझौता हो गया जिसके अनुसार मालिक वर्तमान वेतन और मंजूरी बोर्ड के वेतन के बीच का 70 प्रतिशत अन्तरिम व्यवस्था के रूप में देने के लिये सहमत हो गये और इस समय हड़ताल को टाल दिया गया ।

इसके बाद फिर बातचीत आरम्भ हुई । इस बीच दुर्भाग्यवश दोनों पक्षों के बीच विवाद आरम्भ हो गया । कुछ सम्पादकों और सभादार पत्रों के मालिकों ने कहा कि हम 70 प्रतिशत वाले समझौते से बधे नहीं है और यह केवल एक सिफारिशी सुझाव है और इसका कोई कानूनी

महत्व नहीं है । यह विवाद चल ही रहा था कि उन्होंने 23 जुलाई से हड़ताल आरम्भ करने का नोटिस दे दिया ।

हमने इस महीने की 17 तारीख की दोनों पक्षों की एक बैठक बुलाई और मालिकों से कहा कि यद्यपि इस बारे में कोई कानूनी मान्यता तो नहीं है तथापि इस नैतिक दायित्व तो मान ही लिया जाना चाहिए और इस प्रकार कर्मचारियों में विश्वास की भावना पैदा की जानी चाहिये । परन्तु वह इसके लिये तैयार नहीं थे ।

हमने उनको यह सुझाव दिया था कि उन्हें बातचीत फिर से आरम्भ कर देनी चाहिये और समझौते के अन्तिम चरण में समझौते से सहमत होने वालों की ओर से इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी को समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिये ताकि यह उन लोगों पर लागू हो सके। कर्मचारी इस बारे में सहमत हो गये हैं और बातचीत आरम्भ हो गई है । दुर्भाग्यवश 20 तारीख को दोनों पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया । मालिक 75 प्रतिशत के लिये तैयार हो गये परन्तु कर्मचारियों की यह माँग थी कि कम से कम बड़े बड़े चार या पाँच समाचार पत्रों में यह 100 प्रतिशत होना चाहिये । वे लोग चौथी, पाँचवी, छटी और सातवीं श्रेणी को यह देने के लिये तैयार थे जहाँ तक प्रथम, द्वितीय और तीसरी श्रेणी के बड़े समाचार पत्रों का प्रश्न था वह इसके लिये तैयार न थे। अतः दुर्भाग्यवश बातचीत समाप्त हो गई ।

हमने दोनों पक्षों को आमंत्रित किया परन्तु आज तक कोई भी पक्ष समझौते के पक्ष में नहीं है । उन्होंने अपनी समितियाँ भंग कर दी है । उन्होंने कहा है कि प्रत्येक समाचार पत्र को राष्ट्रीय स्तर पर अपने कर्मचारियों से बातचीत करने का अधिकार संयंत्र स्तर पर नहीं । हमने उनसे कहा है कि यदि इस मामले को सुलझा दिया जाये तो अच्छा है । यदि इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जाता है तो सरकार को इस बारे में हस्तक्षेप करना चाहिये ।

अचल सम्पति अधिग्रहण तथा अजन (संशोधन) विधेयक 1968

REQUISITIONING AND ACQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY 1968

Shri S. M. Joshi (Poona) : I oppose this Bill. My opposition is based on the ground that by introducing this Bill we are going to prepare such a law which against law. During the emergency Government has procured unlimited power and it also requisitioned some land. After the abolition of emergency Government is not willing to return the land to the respective owners.

Now the question arised whether acquisition of the above land was necessary or not because some matters have come to the knowledge in which discrimination was done. So it is necessary that it should be proved first whether It equisition of property was necessary in the public interest. Otherwise equisition of property would have been against the fundamental rights. I think the power used in this matter is against the constitution. It is not proper that some people may not be permitted to utilise the fundamental rights.

In my view the introduction of the Bill should be postponed till the report of the Committee appointed for that purpose is submitted.

श्री दी० चं० शर्मा : (गुरदासपुर) : यह विधेयक अनुक्रमिक है । इस विधेयक द्वारा भारत रक्षा नियमों के अधीन किये गये कार्यों को वैध ठहराने का प्रयास किया गया है । भारत रक्षा नियमों को हटा दिया गया है और इसीलिये इस अधिनियम को प्रस्तुत किया गया है । इससे

मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं होता और ना ही यह अवैध है । मेरे विचार से वैध और संवैधानिक विधेयक है ।

हम लोकतन्त्रात्मक युग में रह रहे हैं जहाँ कोई भी अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं रह सकता जब तक ऐसा राष्ट्रहित से न किया गया हो ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि देश में कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । यदि कोई यह कहता है कि कृषि को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और रक्षा कार्य को उससे भी अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये तो वह देश के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं । हमें कृषि और रक्षा को समान रूप से महत्व देना चाहिये ।

जहाँ तक मुआवजे का सम्बन्ध है, जब भाखड़ा नंगल बाँध की भूमि अर्जित की गई थी उस समय की तुलना में इस विधेयक में अपेक्षाकृत अधिक उदारता से उपबन्ध किया गया है । इस बारे में किसी को विवाद नहीं करना चाहिये ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : If the Government intends to misuse the emergency powers into the normal situation, as it has been done by this Bill the time has now come when we should consider on this matter. A wrong and harmful precedent is being created with the help of this Bill.

The farmers whose land have been taken, have not been paid adequate compensation. As a result of it they have to face difficulties. In many cases their land have not been utilised even. It will be proper if they are given land in exchange of their land. So that they may being agriculture profession. If the Government is not able to do that it should pay adequate compensation to them.

The land taken from the farmers between Delhi and Ghaziabad for construction of quarters for Central Government employees, is lying vacant. If it is not utilised for any purpose, it should be returned to their owners. All these things show that the Government is taking some very unpracticable steps and so I oppose this Bill.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : भारत रक्षा अधिनियम को आपत् काल के लिये लागू किया गया था । यदि आपत् काल की स्थिति समाप्त की जाने की घोषणा के पश्चात् भी आपत् शक्तियों को जारी रखा जाता है तो इससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है ।

इस विधेयक द्वारा सरकार को असाधारण शक्तियाँ दी गयी हैं । भूमि अर्जन अधिनियम का बहुत से स्थानों पर दुरुपयोग किया गया है । उदाहरण के तौर पर त्रिवेन्द्रम में बहुत सी भूमि की सरकार ने प्राप्त किया परन्तु उस भूमि पर कोई कार्य आरम्भ नहीं किया गया । अतः एक ऐसी संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिये जो इस बात पर ध्यान दे कि इस कानन का कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है और उन पर अन्याय किये जाने की स्थिति में वे उस समिति से अपील कर सके ।

सरकार की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मैं यह निवेदन करूंगी कि यदि संसद् द्वारा इस विधेयक को लागू किया जाता है तो मुझे आशा है कि संसद लोगों पर किये जाने वाले अन्याय पर विचार करने के लिये एक समिति के गठन पर जोर देगी ।

श्री तिन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापटनम) : आपात स्थिति के दौरान जब भारत रक्षा नियम लागू किये गये तो बहुत से ऐसे कार्य किये गये जिनके सम्बन्ध में इस बात को ध्यान में रखते हुए जाँच नहीं की गई कि उनका नागरिकों के मूलभूत अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता

है। परन्तु एक बात आपात् स्थिति के समाप्त हो जाने के पश्चात् प्रत्येक मामले की जाँच की जानी चाहिये। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें सम्पत्ति का दुरुपयोग किया गया अथवा प्रयोग ही नहीं किया गया। परन्तु आपात् स्थिति के पश्चात् अधिग्रहित भूमि का जन हित में उचित प्रयोग किया जाना चाहिये। सम्पत्ति का अधिग्रहण 10 जनवरी 1968 से हुआ है। अतः देने वाला मुआवजा 10 जनवरी 1968 के बाजार मूल्य के अनुसार दिया जाना चाहिये न कि अक्टूबर 1962 अथवा 1963 के बाजार मूल्य के अनुसार जिस समय सम्पत्ति अधिग्रहित की गई थी। मेरा सुझाव है कि इस विधेयक में समिति गठन करने के उपबन्ध की भी व्यवस्था की जानी चाहिये जो इस बात की जाँच करे कि आपात् स्थिति में ली गयी सम्पत्ति सार्वजनिक हित के लिये ली गई थी अथवा नहीं। अन्यथा इससे बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जायेंगी।

Shri Sheo Narain (Basti): Government should wait for the report of the Mulla Committee appointed for it. The Government have acquired land from the poor farmers in the name of defence and is giving the land to the big landlords for opening factories. The farmers have not been paid the compensation yet. We have to see it from all these aspects. Therefore, the Government should wait for the report of the Committee and this Bill should be postponed till than.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : It has been said that the land has been acquired for the purpose of public interest. Now it is the duty of the Government to see that the land is being utilised for that very purpose or is being lying vacant. But the Government never bothers about it. There have been instances when the Government have not paid any compensation to the farmers after acquiring their land.

The rate of compensation fixed by the Government is very low as compared to rate prevailing in the market. As far as possible the cultivable land should not be acquired. At the time of acquiring land adequate compensation should be paid and the time for payment of comp nsation should be determined. The corruption prevailing in the matter of acquiring land should be removed.

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य (रायगंज) : इस विधेयक ने भूमि अधिग्रहण तथा अर्जन के मामले में सरकार को उन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया है जो भारत प्रतिरक्षा नियम के दौरान उनके पास थीं। इन शक्तियों को कायम रखते हुए सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिये कि जो भूमि भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत अर्जित या अधिगृहीत की गई थी उसका क्या हुआ और यह भूमि कब तक अधिगृहीत रखी गयी।

कुछ इलाके मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं। इनका सैनिक प्रयोजनों के लिये अर्जन किया गया था। यह जमीनें बंजर पड़ी हैं। यदि इन जमीनों को जोतने की अनुमति मिल जाय तो खाद्य का उत्पादन बढ़ाने में बहुत अधिक सहायता मिल सकती है। इस भूमि का इस्तेमाल न होने से सरकार को वित्तीय हानि हो रही है। किसान इसके लिये तैयार हैं।

उत्तरी बंगाल के विश्वविद्यालय में 400 एकड़ से भी अधिक भूमि का अर्जन किया गया था। उपकुलपति ने मुझ बताया था कि उसे यह मालूम नहीं है कि जमीन का उपयोग कब किया जायेगा क्योंकि उस पर निर्माण करने के लिये काफी धन की आवश्यकता होगी। जमीन का अधिग्रहण किया गया उसका उपयोग नहीं किया गया उसको वापिस नहीं लौटाया गया और उस जमीन को इस प्रकार से 18 वर्ष तक रखा गया जिससे आवर्ती किराये के रूप में 1.92 लाख रुपये की हानि हुई।

इसीलिये समिति ने यह विचार व्यक्त किये थे कि सरकार इस बात की पूरी कोशिश करे कि माँग पर अत्यन्त सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही जमीन का अधिग्रहण अथवा अर्जन किया जाय ताकि अर्जन के बाद यह जमीन काफी समय तक अप्रयुक्त न पड़ी रहे ।

मैं समिति के इस टिप्पण को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं ।

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : केवल रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण में अब भी लगभग 65,960 एकड़ भूमि और 2 086 फ्लैट्स हैं । अतः हालाँकि आपात् स्थिति उठा दी गई है फिर भी अलग अलग मालिकों को यह सम्पत्ति तुरन्त सौंप देना सम्भव नहीं है क्योंकि भूमि पर कुछ निर्माण व संस्थापनायें की गई हैं । इस सम्पत्ति का अर्जन करना ही एकमात्र विकल्प है । परन्तु इसके अर्जन में काफी समय लगेगा । इसके अतिरिक्त इसमें 35 करोड़ रुपये लगगे । इसलिये इन पहलुओं पर विचार करने के लिये सरकार के पास कुछ समय होना चाहिये । इसी बीच हम अधिग्रहीत सम्पत्ति को तब तक अपने पास भी नहीं रख सकते हैं जब तक कि हमारे पास ऐसा करने के लिये कानूनी प्राधिकार न हों । इसी कारण यह विधेयक आवश्यक है । जब मुल्ला समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तब सरकार उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये शीघ्र कदम उठायेगी ।

सरकार की नीति क्रमशः उस सम्पत्ति का अधिग्रहण समाप्त करने की रही है जो एक बार अधिगृहीत की जा चुकी है । जिस प्रयोजन से सम्पत्ति का अधिग्रहण किया गया था वह जब पूरा हो जाता है तब अधिग्रहण को खत्म कर दिया जाता है ।

दिल्ली बम्बई और कलकत्ता इन तीन नगरों में 285 प्राइवेट अधिगृहीत मकान और 262 पट्टे वाले मकान हैं । अप्रैल 1967 से 76 एकक मुक्त किये गये हैं । सरकार का उद्देश्य अधिगृहीत सम्पत्ति पर अधिकार बनाये रखने और लोगों को अपनी सम्पत्ति के अधिकार से वंचित रखने का नहीं है ।

मैं अधिगृहीत भूमि को तब तक अपने पास नहीं रख सकता जब तक कि मुझे ऐसा करने का कानूनी अधिकार न हो । भारत प्रतिरक्षा अधिनियम 1962 के 10 जुलाई 1968 को समाप्त हो जाने के कारण पहले से अधिगृहीत सम्पत्ति को रखने के लिये मेरे पास कोई प्राधिकार होना चाहिये । इसलिये यह विधेयक आवश्यक है । मैं सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम 1952 को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं । यह अधिनियम जो 13 मार्च 1970 को समाप्त हो जायेगा ।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Intially, it was formed for six years and thereafter it was further extended for another six years. Now you want to extend it for sixty years.

श्री जगन्नाथ राव : जी नहीं यह अधिनियम 13 मार्च 1970 को अवश्य समाप्त हो जायेगा । इस बीच मुझे आशा है कि मुल्ला समिति का प्रतिवेदन आ जायेगा । मैं सभा को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि सरकार उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करेगी ।

सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के खण्ड (ख) को संविधान के अनुच्छेद 31(2) का उल्लंघन मानते हुए अवैध घोषित कर दिया था । मैं अब इस खंड का विलोपन कर रहा हूं क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार काम करना चाहता हूं ।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार अधिगृहीत की गई भूमि को अनिश्चित काल के लिये नहीं रोकेगी। सरकार की यह नीति रही है कि अधिगृहीत भूमि को धीरे धीरे मुक्त किया जाय। सरकार की यह इच्छा कदापि नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित कर दे। श्री विश्वनाथन द्वारा सुझाई गई जाँच की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि सरकारी प्रयोजन के लिये अधिगृहीत की गई जमीन का किसी अन्य कार्य के लिये उपयोग किया गया है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है।

श्री रंगा : क्या सरकार ऐसे मामलों पर पुनर्विचार करने के लिये तैयार है ?

श्री जगन्नाथ राव : हम मामलों पर पुनर्विचार करेंगे। अलैक्ज़ैंडर प्लेस में जो योगाश्रम है वह अधिगृहीत सम्पत्ति में नहीं है। यह सरकारी सम्पत्ति में है। प्रधान मंत्री का नाम इसमें जबर्दस्ती घसीटा गया है। उनका योगाश्रम से कोई वास्ता नहीं है। मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली की वृहद योजना के प्रतिकूल कुछ नहीं किया जायेगा।

श्रीमती इला पाल चौधरी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं। माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि कुछ स्थानों में कुछ मकानों को मुक्त कर दिया गया है। लेकिन शेष जमीनों के बारे में क्या हुआ ? मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में अभी भी कुछ अधिगृहीत जमीनों को मुक्त नहीं किया गया है और उनके मालिक उनको नहीं जोत सकते। ये जमीनें बेकार पड़ी हैं। उनका किराया तक भी नहीं लिया जाता। शायद यह बात सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई। मैंने स्वयं नादिया में मजिस्ट्रेट के साथ इस मामले में बातचीत की है। अतः मेरी यह प्रार्थना है कि प्रत्येक मामले में इस प्रकार की बात की जाँच करने के लिये संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम, खंडवार विचार करेंगे। खंड 2 के लिये कोई संशोधन नहीं है। अतः मैं इसको अब सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3—(नयी धारा 25 का जोड़ा जाना)

श्री जगन्नाथ राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 25 और 26, "उक्त तिथि के पश्चात्" के स्थान पर "उक्त तिथि से" रखा जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह संशोधन अब सभा के सामने है ।

Shri George Fernandes (Bombay-South): The hon. Minister want to take the power in his hand even after the expires of emergency.

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुई
Shrimati Tarkeshwari Sinha *in the Chair*)]

So far as the question of stopping the requisitioning of property is concerned, there is no definite policy of Government in this regard. The result of it has been that some people, who have some approach to Government have got released their properties requisitioned by Government. Other people have not succeeded in getting back their properties and they have suffered loss. I would urge upon the Government that the policy should be given up.

All the cases pertaining to requisitioned properties should be put up before the Mulla Committee and the Committee should decide their case. The present Bill should be withdrawn and a more extensive legislation should be brought forward. If necessary, the present Act should be extended for a further period of six months.

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागपुर) : मैंने इस सभा में प्राय: कहा कि सरकार अलग होकर कार्य कर रही है और उसके विभिन्न मंत्रालयों में कोई समन्वय नहीं है । जब निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय सम्पत्ति अर्जन का विधान प्रस्तुत कर रहा था तब माननीय रक्षा मंत्री ने बताया था कि भारत सरकार की नीति अब यह है कि वह समस्त सम्पतियों का, जो केवल पिछले अधिनियम के अन्तर्गत ही नहीं, अपितु 1939 के अधिनियम के अन्तर्गत भी अधिगृहीत की गई है, अनधिगृहण करे और किराये पर से हटाले । सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि क्या यह रक्षा मंत्रालय का कार्यक्रम है जिसने किराये पर न लेने तथा अनधिग्रहण की नीति अपना रखी है अथवा क्या यह निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय की नीति है कि सम्पत्ति अर्जन का काम जारी रखा जाय ।

श्री जगन्नाथ राव : मैं वाद विवाद में उठाई गई सामान्य बातों का उत्तर पहिले ही दे चुका हूं । जहाँ तक धनराज महल फ्लैटों का सम्बन्ध है, 2 तल्लों का अब अनधिग्रहण कर दिया गया है । मेरे मंत्रालय ने प्रतिरक्षा मंत्रालय को नौसेना के अधिकारियों के लिये कुछ फ्लैट दिये थे और उनसे उन्हें खाली करने के लिये कहा गया है । 2 और तल्लों का बाद में अनधिग्रहण नहीं किया जायेगा । यह काम एकदम नहीं किया जा सकता । यह एक नियमबद्ध तरीके से किया जा रहा है ।

सभापति महोदय : मैं खंड 3 के सरकारी संशोधित संख्या 1 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ 2, पंक्ति 25 और 26,—"उक्त तिथि के पश्चात्" के स्थान पर "उक्त तिथि से" रखिये"

प्रस्ताल स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 3 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3, as amended was added to the Bill.

खंड 4 (नया)

श्री जगन्नाथ राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : "पृष्ठ 3,—

पंक्ति 9, के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें —

'Repeal and Saving 4. (1) The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Ordinance, 1968, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act as amended by this Act."

"निरसन और रक्षण 4(1) अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1968 का निरसन किया जाता है ।

(2) इस निरसन के बावजूद, उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अन्तर्गत किया गया कार्य अथवा, कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अन्तर्गत सम्पादित मानी जायेगी ।

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 4(नया) को सभा में मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ 3,—

पंक्ति 9, के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जाँय—

"Repeal and Saving 4. (1) The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Ordinance, 1968, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the principal Act as amended by this Act,"

"निरसन और रक्षण 4(1) अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1968 का निरसन किया जाता है ।

(2) इस निरसन के बावजूद, उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अन्तर्गत किया गया कार्य अथवा कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा संशोधित मल अधिनियम के अतर्गत समाहित मानी जायेगी ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड 4 विधेयक में जोड़ा जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

नया खंड 4 विधेयक में जोड़ा गया :

New Clause 4 was added to the Bill.

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री जगन्नाथ राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

Shri S. M. Joshi (Poona): If the Government want that the Present Act should remain valid till the receipt of the report from the Committee appointed for this propose, we are ready to agree to extend for six months. But we oppose that this Act is being kept upto 1970. We should do everything immediately in the light of the recommendations of the Committee. If we grant extension for six months, the recommendations of the Committee will be discussed and the Government will have to bring legislation immediately. Therefore, it is my demand that the Act should not be passed.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : यह विधेयक सरकार को ऐसी स्वतंत्रता देता है कि जो इसको सन्तुष्ट रखने हैं उनका पक्ष ले ले और जो इसकी उपेक्षा करते हैं उनको सजा दे दे । जैसा कि सुझाव दिया गया है उसके अनुसार विशेष उपबन्ध को छः महीने तक सीमित रखा जाय । इस अवधि के बीच इसका निर्णय सरकार पर छोड़ना चाहिए कि किन क्षेत्रों का वह अर्जन करना चाहती है तथा किन मकानों को वह खरीदना चाहती है और उसके पश्चात् अधिनियम को प्रभावी नहीं होना चाहिये ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I am happy to know that the hon. Minister has stated that the Government are having a policy of de-requisition. But there is possibility of favouritism. Therefore some guiding principles should be formulated for the properties which are to be de-requisitioned. After formulating the principles a survey should be conducted of the property which they have and a report should be submitted before the House after six months in which the mention of the principles formulated for this purpose should be made. Principles for acquiring the land should also be made. The term 'Public purpose' is very vague.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : As hon. Member have stated that there is no necessity of this Bill. The lands which are acquired by the Central Government remain unutilized. Therefore, I appeal to the hon. Minister that this Bill should be withdrawn and this should not be passed till the report is submitted by the Mulla Committee. The second thing I want to say is that on the one side land is being acquired for Ashrams and Mills belonging to big Mill Owners and on the other side the concerned people are being made landless and homeless. Specially in Uttar Pradesh the lands of the poor people are being acquired. There is no land in this country for the Harijans to settle themselves. No Act is passed for this purpose. The person whose land is acquired should be allotted land to settle himself at another place and he should be fully compensated. Land should be acquired to rehabilitate the poor people.

Shri George Fernandes (Bombay South) : I only want to request that either this Bill should be withdrawn or the suggestion for granting extension for six months should be agreed to.

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं बता चुका हूं कि मैं किस प्रकार इस विधेयक को वापस नहीं ले सकता । यह विधेयक सरकार को यह अधिकार देने के लिए है कि वे

सम्पत्तियाँ जो भारत प्रतिरक्षा अधिनियम 1962, के अन्तर्गत अधिगृहीत की गई थी उनको सरकार अपने हाथ में ले ले। सरकार के पास इन सम्पत्तियों को अपने हाथ में लेने के लिए वैध प्राधिकार होना चाहिये, 10 जुलाई, 1968 को छः महीने की अवधि भी समाप्त हो गयी है ।

सभा के सभी वर्गों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता के साथ सरकार ने सहमति प्रकट की है कि उन अधिगृहीत सम्पत्ति को जो कि 1939 से सरकार के अधिकार में रही है यथासम्भव शीघ्र अनधिगृहीत किया जाय अथवा जो आवश्यक हो उसे अर्जित कर लिया जाय। जिन सम्पत्तियों को बहुत समय पूर्व 1939 अथवा 1940 में अधिगृहीत किया गया था उनको अनधिगृहीत करने का प्रयत्न किया जा रहा है । जहाँ मालिक को अपने उपयोग में लाने के लिए सम्पत्ति की आवश्यकता है वहाँ हम अनधिगृहीत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जहाँ जिस प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया गया था अगर वह प्रयोजन समाप्त हो गया है तो वहाँ सम्पत्ति अनिधिगृहीत की जा रही है । हम कुछ निश्चित सिद्धातों पर चलते रहे हैं लेकिन यह केवल एक व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है । यह किसी भी सरकार के लिए सम्भव नहीं है कि जो सम्पत्ति उन्होंने अधिगृहीत की है उसे एक-दम सौंप दे । यह समय का प्रश्न है । जिन सम्पतियों की आवश्यकता नहीं है उनको अनधि-गृहीत किया जायेगा । यह अधिनियम केवल मार्च 1970 तक रहेगा यदि बीच में मुल्ला समिति रिपोर्ट सरकार को प्राप्त होती है तो निश्चय ही सरकार द्वारा अधिग्रहण और अर्जन के कानून पर एक समेकित अधिनियम पेश किया जायेगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में 111 विपक्ष में 67

The Lok Sabha divided.

Ayes 111, Noes 67.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

(Mr. Deputy Speaker in the Chair).

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सीमा सुरक्षा बल विधेयक, 1968

BOARDER SECURITY FORCE BILL, 1968

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये संघ के सशस्त्र बल का गठन तथा विनियमन करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक सीमा सुरक्षा बल के गठन और नियमन के लिए प्रस्तुत किया गया है। मैं संक्षेप में इस बल का इतिहास और उन परिस्थितियों को बताऊंगा जिसके कारण इसका निर्माण हुआ।

1965 और 1966 में घुसपैठिये के आने और सीमाओं के उल्लंघन की वजह से भारत की सीमाओं की सुरक्षा की समस्या क अध्ययन करने की आवश्यकता हुई। यह विधेयक उसी अध्ययन का परिणाम है।

इस बल का कार्य सीमाओं की रक्षा करते हुए जनता के मन में सुरक्षा की भावना लाना है और साथ ही साथ यह भी देखना है कि सीमाओं में विभिन्न अपराधों और तस्करी की रोकथाम हो। पैदल सेना की भांति हमें इसको एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग देनी है। अतः इसके अनुशासन और कार्यकुशलता के लिए इस प्रकार के विधान की आवश्यकता पड़ी है।

अध्याय I में विधेयक में आये हुए महत्वपूर्ण उपबन्धों की व्याख्या आदि दी हुई है और अध्याय II में बल का गठन और सेनाओं की शर्तों की व्याख्या की हुई है। जहां तक बल के संगठनात्मक ढांचे का सम्बन्ध है, सीमा सुरक्षा बल का एक महानिदेशक होता है और उसके अधीन तीन पुलिस महा-निदेशक होते हैं। हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएं उनकी देख-रेख में होती हैं। समस्त आसाम-पश्चिमी बंगाल सीमा का भार एक पुलिस महानिरीक्षक के अधीन है। दूसरे पुलिस महा निरीक्षक के अधीन काश्मीर और युद्ध-विराम रेखा है और तीसरे के अधीन पंजाब, राजस्थान और गुजरात सीमाएं हैं। यह बल कई बटालियनों के एककों में बंटी हुई है और ये बटालियन उपयुक्त वरिष्ठता के अधिकारियों को सौंपी जाती है।

अध्याय 3 में अनुशासन की समस्याओं का वर्णन है। इसमें भिन्न-भिन्न अपराधों के लिए भिन्न-भिन्न खंडों का उल्लेख है, इसमें अपराधों की परिभाषाओं का वर्णन है। अध्याय 4 के आगे सजाओं का उल्लेख है।

यह आलोचना की जा सकती है कि इस विधेयक में दी हुई दण्ड का ढांचा साधारण पुलिस बल में लागू ढांचे की अपेक्षा कुछ कठोर है। जैसा कि मैंने कहा है कि हमें सेना के समान ही इसे अनुशासन और कुशलता की आशा करनी है तो हमें इसमें दण्ड के ढांचे की तुलना भी सशस्त्र सेनाओं से करनी चाहिये।

जैसा कि इसके लिए दण्ड का ढांचा विशेष है तो इस के लिए तीन प्रकार के न्यायालय बनाये गये हैं।

एक सामान्य न्यायालय है, दूसरा छोटे मामलों का न्यायालय है और तीसरा कमाण्डेण्ट है जो कि संक्षिप्त न्यायालय है। इनका सम्बन्ध विभिन्न प्रकार के अपराधों से होता है।

यद्यपि इन न्यायालयों में सजाएं कठोर हैं फिर भी ऐसे न्यायालयों में अपराधी के लिए कुछ विशेष बातें और कुछ विशेष अधिकार होते हैं। उदाहरण के लिए न्यायालय के गठन के समय कोई अपराधी किसी अधिकारी के विरुद्ध यदि उसका सदाशयता में सन्देह के उसके पास कारण है, तो उस पर वह आपत्ति कर सकेगा। अपराधी को सरकार के पास दण्ड के विरुद्ध ज्ञापन

करने का अधिकार है, सरकार के पास यह अधिकार भी है कि वह दण्ड के आदेश को रद्द कर सकती है।

यह बल पिछले तीन वर्षों से अच्छा कार्य कर रही है। स्वभावतः इस बल की कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं इन समस्याओं व कठिनाइयों को देखते हुए यह विधेयक लाया गया है।

श्री रंगा : क्या यह सम्बन्धित यूनिटों में भिजवा दिया गया है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण (गृह-कार्य मंत्री) : जी हां। यह अधिकारियों के भिन्न-भिन्न स्तरों के साथ वाद-विवाद करके आगे लाया जा रहा है। जो कार्यवाही की गई है उसका यह अन्तिम रूप है।

इस विधेयक के लिए यह वस्तुस्थिति है। मुझे आशा है कि सदन में इस विधेयक पर विचार किया जायेगा और वर्तमान सत्र में इसको मंजूरी दे दी जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिए दो प्रस्ताव है। क्या उन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्री जार्ज फरनेंन्डीज : मैं अपना प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं भी अपना प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

श्री जार्ज फरनेंन्डीज : मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि भारतीय सीमाओं की सुरक्षा तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों के बारे में सुनिश्चय हेतु संघ की सशस्त्र सेना के लिये बने संविधान व विनियमों सम्बन्धी विधेयक को श्री स० मो० बनर्जी, श्री विभूति मिश्र, श्री त्रिदिव चौधरी आदि तेरह सदस्यों की चयन समिति को विचारार्थ सौंपा जाए तथा उस समिति से कहा जाये कि वह 21 अगस्त, 1968 तक अपना प्रतिवेदन पेश करे।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि यह विधेयक श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी, श्री वेदव्रत बरुआ, श्री यशवन्तराव चव्हाण आदि 15 सदस्यों को समिति को विचारार्थ सौंप दिया जाय तथा उस समिति से कहा जाये कि वह अपना प्रतिवेदन 30 सितम्बर, 1968 तक दे दे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह विधेयक तथा ये दो प्रस्ताव सभा के विचारार्थ हैं। इनके लिये दो घण्टे की अवधि निश्चित है। सभा की भावनानुसार में इसमें वृद्धि भी कर दूंगा। अब हम चर्चा आरम्भ करें। श्री ज्योतिर्मय बसु !

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमन्, इस विधेयक के एक अनुच्छेद में लिखा है कि इस बल पर वर्ष 1967–68 में 18.21 करोड़ रुपया खर्च हुआ तथा आगे इस बल में और भरती करने से यह खर्च 2 करोड़ रुपये प्रति वर्ष और बढ़ जायेगा। फिर उद्देश्यों के बारे में कहा गया है कि यह भारत-पाक के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमान्त की रक्षा, सीमांत ब स्तियों के मध्य एकता और सुरक्षा की भावना का बनाए रखना, तस्करी को रोकना आदि उद्देश्यों के लिए यह बल केन्द्रीय आरक्षि पुलिस अधिनियम, 1949 के अधीन स्थापित किया गया है।

मेरा अनुमान है कि केन्द्रीय सरकार के अपने हितों और उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही यह सीमा सुरक्षा बल स्थापित किया जा रहा है। जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार को सत्ता प्राप्त नहीं हो सकी है उनमें हस्तक्षेप करने के लिये केन्द्र सरकार ने यह साधन ढूंढा है। केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की पुलिस पर विश्वास नहीं है ।

इस समय हमारे पास अनेक प्रकार के बल हैं। रक्षा सेना, सहायक और प्रादेशिक सेना, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय आरक्षि बल आदि अनेक हैं। रक्षा बजट पर हम प्राय: 1000 करोड़ से अधिक धन खर्च करते हैं। क्या इतने लोग और इतना धन देश की रक्षा के लिये पर्याप्त नहीं है ? केन्द्रीय पुलिस पर वर्ष 1955–56 में केवल $4\frac{1}{4}$ करोड़ रुपया खर्च हुआ परन्तु अब $62\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया खर्च होता है। उसके अतिरिक्त राज्यों में पुलिस बल हैं ।

आज भी हमारी वही सीमायें हैं जो वर्ष 1947 में थीं। क्या अब चीन और पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध और अधिक ख़राब हो गये हैं ? क्या इसी कारण सीमा सुरक्षा पर खर्च बढ़ाया जा रहा है ?

सत्य तो यह है कि कांग्रेस सरकार का जनता से कुछ सम्बन्ध विच्छेद सा होता जा रहा है क्योंकि यह सरमायदार सरकार है। इसलिये यह स्पेन के जैसी पुलिस राज्य स्थापित करना चाहती है। और इसीलिये लोगों से बचने हेतु उसे अधिक से अधिक पुलिस चाहिये। वे पुलिस वाले अब सचिवालयों में पहुंच कर नीतियां बनायेंगे ।

अभी हाल ही में यह देखा गया है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का विरोध करने वाली शक्तियों पर गोली चलाने और उनका पूर्णरूपेण दमन करने हेतु सेना के सहयोग से "हुगली अभियान" नामक कार्यवाही में सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों का प्रयोग किया गया। यह दो अक्तूबर, 1967 की बात है। वहां सीमा सुरक्षा बल को स्वतन्त्र रूप से कार्य करने का अधिकार दिया गया। वहां की स्थानीय पुलिस के कोई आदेश नहीं माने गये। वहां के पुलिस आयुक्त ने कहा था कि श्री चव्हाण यहां एक समानान्तर पुलिस बल स्थापित करना चाहते हैं। वह राज्य सरकार तथा राज्य पुलिस पर विश्वास करना नहीं चाहते ।

अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं तथा मेरा सुझाव है कि इसे संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाना चाहिये ।

श्री हिम्मत सिंहका (गोडा): श्री ज्योतिर्मय बसु ने यह सोचा है कि सीमा सुरक्षा बल कदाचित कांग्रेस विरोधी तत्वों के दमन के लिये स्थापित हुआ है। दुर्भाग्य से पाकिस्तानी सीमाएं पश्चिमी बंगाल के साथ हैं अत: बंगाल में सीमा सुरक्षा बल तैनात करना होता है ।

सब को पता ही है कि हमारी सीमायें बहुत लम्बी हैं और इसलिये घुसपैठिये तथा विध्वंसक व्यक्ति बड़ी ही सुगमता से हमारे देश में घुस आते हैं तथा जब भी चाहते हैं और विशेष रूप से जबकि पड़ौसी देशों के साथ हमारा युद्ध या विवाद होता है तब वे हमारे देश में आकर गड़बड़ी और कठिनाइयां उत्पन्न कर देते हैं। यही कारण हैं कि सीमा सुरक्षा बल का गठन उचित और अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त स्थानीय पुलिस पर यह भार नहीं डाला जा सकता तथा राज्य

सरकारें सीमा सुरक्षा बल का खर्च वहन नहीं कर सकतीं। इसीलिये केन्द्र सरकार को यह सब करना पड़ता है।

इस सम्बन्ध में, मैं एक विशेष महत्व की बात की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमाओं तथा इसी तरह असम और पश्चिम बंगाल में सीमांत के क्षेत्रों में ज्यादातर मुसलमान लोग रहते हैं तथा कठिनाईयों के समय वहां प्रायः ही गड़बड़ी उत्पन्न कर सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि वहां कुछ ऐसे विश्वस्त लोग तैनात किये जायें जो यह यह देखें कि हमारी सीमाओं का उल्लंघन तथा घुसपैठियों का देश में प्रवेश न होने पाये। और इस कारण वहां कोई कठिनाई उत्पन्न न कर सके।

राजस्थान की सीमाएं बड़ी ही असुरक्षित हैं तथा वहां समर्थ और सशक्त लोगों को तैनात किया जाना आवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये।

ऐसी ही कार्यवाही असम में भी आवश्यक है क्योंकि वहां अब भी घुसपैठ जारी है। वहां अनेक जिलों में घुसपैठ द्वारा मुसलमान लोग बहुसंख्यक होते जा रहे हैं। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि वहां न केवल सीमा सुरक्षा बल स्थापित किया जाये बल्कि अन्य और भी अन्य उपाय किये जायें।

अतः मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri George Fernandez : On a point of order, I want draw your attention to Direction 41(2)(iii)(b) which clearly says that when there is a motion to refer a Bill to the Select Committee. The motion already under consideration is superseded. So accordingly my motion should supersede the Home Minister's motion which should be postponed. There is no point in discussing my motion after the debates on the Bill is over.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य की बात शान्ति से सुनी है और मैं उनका ध्यान नियम 75(2) की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें कहा गया है कि इस स्थिति में विधेयक में किसी संशोधन का सुझाव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यहां बात मुख्य प्रस्ताव पर किसी अन्य को प्रधानता देने की नहीं है। विचारार्थ प्रस्ताव तथा प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव दोनों सभा के सामने है। चर्चा के पश्चात् मतगणना करते समय प्रवर समिति को सौंपने के बारे में उनके प्रस्ताव को प्रधानता दी जायेगी। हमारे यहां इस प्रक्रिया का अनुसरण होता रहा है कि यदि विधेयक के बारे में कोई संशोधन अथवा प्रवर समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव रखा जाता है, तो उस प्रस्ताव पर भी विधेयक पर चर्चा के दौरान चर्चा होती है और चर्चा के बाद उस संशोधन के प्रस्तावकर्त्ता को बोलने की प्रधानता दी जाती है।

अतः यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागपुर) : सीमा सुरक्षा बल की स्थापना में मुझे दो उद्देश्य दिखाई देते हैं। एक तो, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह कि यह हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करेगा तथा दूसरे यह कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वालों लोगों की यह भावना बनाये रखेगा कि वे सुरक्षित हैं। अतः इस विधेयक का स्वागत है क्योंकि यह सामियक तथा आवश्यक है कि एक ऐसी सेना गठित की जाये जो हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी रखने के लिये आवश्यक है।

जहां तक मैं समझता हूं सीमा सुरक्षा बल एक सहायक-सैनिक निकाय है तथा इस बल के सैनिकों का दर्जा और उनकी दक्षता विभिन्न राज्यों की सशस्त्र पुलिस और हमारी सेना के सशस्त्र विभाग के मध्य का सा है । अतएव, इस बल के लिये जिन व्यक्तियों को हम भर्ती करते हैं उनका चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिये तथा उन्हें एक लगातार क्रमबद्ध तथा कठोर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ।

मुझे सीमा सुरक्षा बल की प्रशिक्षण अकादमी की कार्यवाहियां देखने का अवसर मिला है । यह अकादमी देश के विभिन्न भागों से आकर भरती हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देती है । मैं समझता हूं कि ऐसे प्रशिक्षणों को सरकार अभी तक वांछित ढंग से नहीं कर पाई है । हमारी इस सेना को बड़ी असुविधा पूर्ण हालतों में अपना कार्य करना होता है । हमें उन्हें गुरिल्ला-युद्ध तथा अन्य कठिनाईयों में कार्य करने का प्रशिक्षण देना होता है । हमारी सीमाओं पर पशुओं को उठा ले जाने तथा लोगों को पकड़ ले जाने की वारदातें प्रायः होती रहती हैं । अतः ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमारी इस सेना को भी प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाना चाहिये। उन्हें गुप्त जानकारी प्राप्त करने के भी समर्थ बनाया जाना चाहिये। उनका काम हमारी सीमाओं पर हो रही अथवा होने वाली कार्यवाहियों का पूर्वानुमान करना होता है । इसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि यह बल सीमा क्षेत्रों की आबादी के लोगों के साथ मेल-जोल रखे। इस बल के लोग उन क्षेत्रों की भाषायें सीखें, उनके सामाजिक रीति-रिवाजों को जानें तथा इस प्रकार वहां फैलने वाली अफवाहों को रोकें तथा वहां के लोगों की कठिनाइयों को समझ कर उन्हें दूर करें।

सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण अकादमी, जो गवालियर के समीप है, उसकी हजारीबाग जोधपुर तथा इन्दोर तीन शाखायें हैं। आश्चर्य की बात है कि यहां का प्रशिक्षण हिमालय की सीमाओं अथवा असम नेफा तथा नागालैंड की स्थितियों के अनुरूप नहीं है । उन स्थानों के समीप प्रशिक्षण कैम्प लगाये जाने चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि सीमा सुरक्षा बल तथा स्थानीय पुलिस के मध्य पूरा तालमेल होना चाहिये तथा एक दूसरे को प्रत्येक के कार्यक्रम के बारे में समझ होनी चाहिये। हमारी सीमा सशस्त्र सेना की जब भी कोई आलोचना होती है तो साज व सामान की बात आगे आती है । यह नहीं कहा जाना चाहिये कि हमारी सेनाओं को उपयुक्त हथियार साज-सामान या समुचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। साज-सामान तो उनके पास भरपूर होना ही चाहिये ताकि वे अपना कर्त्तव्य समुचित ढंग से निभा सकें ।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न संचार व्यवस्था का है । इस व्यवस्था में बार बार त्रुटि नहीं उत्पन्न होनी चाहिये। सेना को त्रुटि-विहीन संचार सुविधायें देने में हमें व्यय की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सेना के व्यक्तियों के लिये निवास और मनोरंजन की भी यथेष्ट व्यवस्था होनी चाहिये ।

मैं समझता हूं कि सीम सुरक्षा संगठन में भर्ती में कमी आई है जो कि 10,000 के लगभग है। यह चिन्ता की बात है । यदि किसी देश में कार्य करने की शर्तें वेतन-मान की शर्तें उचित हो और वहां बेरोजगारी भी बहुत हो तो फिर वहां भर्ती में कमी नहीं आ सकती । अतः कार्य की शर्तों अथवा वेतन मानों आदि में मुझे कोई त्रुटि अनुभव होती है अन्यथा भर्ती का होने का कोई कारण नहीं है । इसके सरकार जवानों के भोजन स्वास्थ्य आदि के बारे में भी ध्यान रखे ।

इन सैनिकों की सेवा-निवृत्ति तथा पेन्शन आदि के बारे में इस विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं है । ये सैनिक आपत्ति के समय राष्ट्र के लिये जब अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं तो ये लोग यह भी आशा रखते हैं कि सेवा-निवृत्ति के पश्चात् उन्हें भी कोई पेन्शन, उपादान तथा अन्य सुरक्षण मिलना चाहिये । सरकार इस बात की व्यवस्था करे ।

इस विधेयक का अधिकतम भाग दण्ड सम्बन्धी उपबन्धों से भरा पड़ा है । कार्य करने की शर्तों के बारे में कम तथा दण्ड-विधान के बारे में अधिक नियम बने हैं । अब क्योंकि यहाँ मृत्य-दण्ड सम्बन्धी भी एक उपबन्ध है, तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ केवल अधिकारियों के ही न्यायालय बनाने की बजाय, अन्तिम निर्णय दिये जाने के पूर्व, अपीलें सुनने और दण्ड देने के लिये एक तरह की अर्ध-न्यायिक व्यवस्था की जानी चाहिये ।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए ।
Shri Thirumala Rao *in the Chair.*]

Shri Balraj Madhok (Delhi-South) : I welcome this Bill. Its main aim is to regulate Border Security Forces which have been formed for the Security of our border areas. But the work of Security of our borders cannot be left on these forces alone. We have to consider some other aspects in this matter.

The Security of the border is depended on several matters like attitude of the neighbouring countries, the historical situation of our borders, the character of the people living along the borders, the provision of Communication's there and the training given to the police force and army posted for their security.

Mention has been made with regard to Border Security Forces only in this Bill. But nothing has been mentioned with regard to other aspects.

Our land border is about 5 thousand miles long. Most of our borders are connected with Pakistan who is our enemy. Therefore, before making provisions for the security of borders, we should also consider regarding Pakistani aggression.

In the Pakistani border areas provision has been made for sufficient transport facilities. Unfortunately we are not able to do so. Pakistan can also depend upon the people residing on its borders because they are pure anti-Indians. But our position is exactly contrary to it. It is, therefore, necessary, that only those people should be sent to border areas on whom the Government have full confidence. It will be proper to rehabilitate ex-armymen there.

The number of Border Security Forces should be increased and they should be equipped with better arms and ammunitions and they should have proper training. Sufficient provision for transport should be made in the border areas.

Suspecious people should be removed from the border areas. More and more local people should be recruited in the Border Security Force, because those people have the full knowledge of those areas.

There are several shortcomings in the Bill and they should be removed. It is necessary to see that our Police Force may not become corrupt.

There is a provision of death penalty in this Bill. But there should be appropriate authority to appeal against death penalty.

The Bill should be referred to the select Committee because it is a very importan Bill. This Bill should be passed without further delay. Therefore, I suggest that a Committee of some experts should be constituted who may consider this Bill in detail and submit their report soon. In this matter the advice of the eminent people from army should also be taken.

श्री इन्द्र जीत गप्त (अलीपुर) : यद्यपि इस विधेयक के सामान्य सिद्धान्तों का मैं स्वागत करता हूं तथापि मैं इसको इसके वर्तमान रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि जब भी सरकार को किसी महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करनी होती है तो सरकार को उसके बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिये। इस विधेयक के परिरूप में बहुत सी कमियां रह गई हैं हैं जो बाद में विषमताएं पैदा कर सकती हैं।

जहां तक सरकार के दृष्टिकोण का प्रश्न है वह इस बारे में निश्चय नहीं कर पाई है कि वह पुलिस का भाग है अथवा सेना का । हम सामान्य रूप से विधेयक का स्वागत करते हैं परन्तु विधेयक के उपबन्धों, शब्दावली और वाक्यों को और स्पष्ट करने के लिये हमें इस बारे में जल्दबाजी से विचार नहीं करना चाहिये। विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाना चाहिये और इससे शीघ्र प्रतिवेदन देने का निदेश देना चाहिये।

ऐसे बहुत से अवसर आये हैं जब दल की इसके द्वारा किये गये कार्य के लिये उसकी तारीफ की गई । विधेयक में सब जगह यहां तक कि गृह मंत्रालय के 1967-68 के प्रतिवेदन में भी यह विचार व्यक्त किये गये हैं कि इस बल का काम हमारी सीमा की सुरक्षा करने का है । फिर भी आन्तरिक काम और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये भी इसका प्रयोग किया जा रहा है ? क्या यह सुरक्षा बल का कार्य है ? हमें उसके मनोबल को बहुत ऊंचा रखना पड़ता है । अन्यथा वह सुरक्षा सीमाओं पर काम नहीं कर सकते।

सीमा सुरक्षा बल का कार्य सीमाओं की सुरक्षा करना है । लेकिन खण्ड 7 में उपबन्ध है कि "भारत के किसी भाग में तथा भारत के बाहर सेवा करना इस बल के प्रत्येक सदस्य का दायित्व होगा"। यदि आप उनको भारत से बाहर भेजना चाहते हैं तो आपको उसको सेना का अंग बनाना चाहिये। उपबन्धों को ठीक बनाये बिना कोई कानून नहीं बनाना चाहिये। इस प्रकार के भ्रांमिक विचार से हमें भारी कठिनाई होगी। सरकार को इस बारे में स्पष्ट नीति अपनानी चाहिये।

सरकार, जब भी चाहे इन के साथ पुलिस बल जैसा व्यवहार नहीं कर सकती और उन्हें नियमित सेना का अंग नहीं मान सकती।

वास्तव में इस विधेयक का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में सुरक्षा की भावना जाग्रत करना है। यह विधेयक उनको परेशान करने के उद्देश्य से नहीं लाया जा रहा है । पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान के बीच बनगांव में हमारी सीमा पर रहने वाले लोगों का विचार है कि यह सुरक्षा बल किसी तरह की भावना जाग्रत नहीं करता बल्कि स्थानीय लोगों के मन में भय तथा संदेह उत्पन्न करता है क्योंकि जो दोनों ओर बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है उसको तब तक रोकना असंभव है जब तक कि सीमा सुरक्षा बल की इसमें सांठ-गांठ है। सीमा पुलिसबल का ऐसे बहुत से मामलों में हाथ रहा है जिनमें साधारण निर्धन ग्रामीणों को परेशान किया गया है। बलगांव में हाल ही में महिलाओं के साथ बलात्कार करने का भी प्रयास किया गया है । अतः इस प्रकार की सेना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि इसे स्थानीय लोगों का पूरा सहयोग प्राप्त न हो । इसको ग्रामीणों के साथ पूरे सहयोग से काम करना चाहिये। इस विधेयक में तानाशाही ढंग से समन्वय समितियों के गठन की व्यवस्था की गई है । परन्तु,

किसी का ध्यान भी इस ओर नहीं गया कि इसके लिये जनता और सीमा क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के सहयोग की आवश्यकता है । अतः मेरा यह सुझाव है कि सार्वजनिक या सलाहकार समितियों के लिये कुछ उपबन्ध किये जाने चाहियें और उन क्षेत्रों के जनसाधारण के कुछ प्रतिनिधि सीमा सुरक्षा बल से सम्बद्ध किये जाने चाहिये ताकि वहां पर उचित प्रबन्ध की भी व्यवस्था की जा सके ।

सीमा सुरक्षा बल को किसी प्रकार की संस्था एवं संगठन बनाने की अनुमति नहीं दी गई है । जहां तक कि सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं के मामले में भी केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी । यदि उनको सेना को मिलने वाली सुविधायें उपलब्ध की जाएं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु संस्था आदि बनाने के मामले में तो उन्हें सेना की तरह व्यवहार किया जाता है परन्तु जब सुविधा देने की बात आती है तो उन्हें पुलिस समझा जाता है । परन्तु पुलिस को भी अधिकारियों की अनुमति से एक विशेष प्रकार की संस्था बनाने की अनुमति है ।

यह ठीक है कि नियम बनाने का अधिकार सरकार में विहित है । मेरा निवेदन यह है कि नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि सीमा सुरक्षा बल के अभियुक्तों को अपनी रक्षा का अधिकार मिल सके । ऐसा अधिकार सेना के कर्मचारियों को भी प्राप्त है । कोर्ट मार्शल की व्यवस्था के अनुसार सेना के कर्मचारियों को अपनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है

यह स्पष्ट है कि सीमा सुरक्षा बल बिना उचित गुप्तचर विभाग के काम नहीं कर सकता । अतः सीमा सुरक्षा बल के लिए पूर्व रूप से सुव्यवस्थित और आधुनिक गुप्तचर विभाग आवश्यक है ।

एक अत्यावश्यक बात यह है कि राज्य सरकार की पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल में किसी समय क्षेत्राधिकार के बारे में विवाद खड़ा हो सकता है । इन दोनों का समन्वय किस प्रकार किया जायेगा । क्या इस इस बल को सुरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में प्रयोग किया जायेगा । यदि ऐसी बात है तो इस विधेयक के अनेक उपबन्धों पर पुनः विचार किया जाना चाहिए । यह बात भी स्पष्ट नहीं है कि यह बल केवल भारत में ही काम करेगा अथवा भारत से बाहर जा कर भी काम करेगा ।

जहां तक उपकरणों का सम्बन्ध है मेरे विचार में इनको सेना जैसे ही उपकरण दिये जायेंगे । भारत-पाकिस्तान सीमा पर ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां सेना ठीक सीमा तक नहीं जाती । वे सीमा से कुछ पीछे हैं । जब तक सेना वहां नहीं जाती तब तक वहां पर सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों को ही तैनात किया जाना चाहिये ।

हमें इस बात की भी जानकारी रखनी चाहिये कि सीमा की दूसरी ओर क्या हो रहा है । क्या वहां भी इसी प्रकार की व्यवस्था है । अन्यथा हमें पूरी जिम्मेवारी सशस्त्र सेनाओं पर ही सौंपनी चाहिए ।

इस विधेयक के अनेक ऐसे सामान्य तथा विशेष उपबन्ध हैं जिन पर तनिक अधिक सावधानी से विचार किया जाना चाहिए । यदि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये तो कुछ हानि नहीं होगी ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : सीमा सुरक्षा बल ने देश की रक्षा में विशेषकर पाकिस्तान के आक्रमण के समय जो शानदार काम किया है उसके लिए हमें गर्व करना चाहिए। हमारे जवानों को बड़ी कठिन परिस्थितियों तथा ऊंचे पहाड़ों पर जो काम करना पड़ता है वह सराहनीय है। इस बल के लिए जो कि सशस्त्र सेना का एक अभिन्न भाग है, जो यह विधेयक लाया गया है उसके लिए गृह-कार्य मंत्री बधाई के पात्र हैं। इस बल को जो कार्य सौंपे गये हैं उसको देखते हुए इस विधेयक को सभा द्वारा एक मत से पास किया जाना चाहिये।

इस विधेयक में न्यायालय सम्बन्धी जो व्यवस्था है वह बहुत उदार है और सेना के कोर्ट मार्शल के समान है। खण्ड 83 में विधि अधिकारी द्वारा न्यायालय की चाहे वह छोटी न्यायालय हो अथवा बड़ी अथवा प्रारम्भिक, सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। यह बात बहुत सराहनीय है। विधि अधिकारी के स्वविवेक पर कोई बात नहीं छोड़ी जानी चाहिए बल्कि विधि अधिकारी को प्रत्येक छोटे न्यायालय की सहायता करनी चाहिए।

खण्ड 89 बहुत ही उदार एवं अभूतपूर्व है। दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम में भी इतना उदार कोई खण्ड नहीं है। न्यायालय के लिए अभियुक्त स्वयं व्यक्तियों का चयन कर सकता है।

खण्ड 87 के अन्तर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम को न्यायालय समक्ष कार्यवाही पर लागू किया गया है। कोर्ट मार्शल के सम्बन्ध में भी साक्ष्य अधिनियम को लागू करने की व्यवस्था सराहनीय है।

खण्ड 89 में साक्ष्यों को बुलाने की जो प्रक्रिया दी गई है वह दण्ड प्रक्रिया संहिता आदि में की गई व्यवस्था के समान है। जहां तक खण्ड 94, 95 और 96 का सम्बन्ध है उनमें अनेक पूर्वानुमान लगाये गये हैं। यह बात देश के सामान्य कानून से भिन्न है। इस बारे में कानून के गलत प्रयोग की शंका है। अतः इस मामले पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है।

यदि गृह-कार्य मंत्री में पुनर्विलोकन आदि की शक्ति निहित है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या अभियुक्त को संरक्षण देने के लिए यह शक्ति पर्याप्त है। ऐसे मामलों में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक को अतिरिक्त शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। इस विधेयक में एक उपबन्ध होना चाहिए जिसके अन्तर्गत गृह-कार्य मंत्री मृत्यु दण्ड के मामलों में कानूनी परामर्श ले सकें। यह एक विशेष अधिनियम है अतः अभियुक्त को उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के पद पर सेना के सेवा-निवृत्त अथवा सेना में काम कर रहे जनरलों को नियुक्त किया जाना चाहिए। यदि सदा ऐसा नहीं किया जा सकता तो कभी कभी ऐसा किया जा सकता। महानिदेशक का रुतबा भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल तथा इन्सपेक्टर जनरल पुलिस का रुतबा मेजर जनरल के समान है। मैं महसूस करता हूं कि सीमा सुरक्षा बल तथा भारतीय सेना के बीच समन्वय होना चाहिए।

केवल इतना ही नहीं, हमें इस बात का गर्व है कि जहां सेना काम नहीं कर रही वहां सीमा सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं।

भारतीय सेना की चार कमानों की तरह सीमा सुरक्षा बल के भी चार क्षेत्र होने चाहिए। तीन क्षेत्र पर्याप्त नहीं हैं। इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जाना चाहिए।

सीमा सुरक्षा बल के जवान किसी प्रकार भी भारतीय सेना के जवानों से कम काम नहीं कर रहे हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair.*]

सीमा सुरक्षा बल के जवानों को खाने तथा कपड़े के मामले में वही सुविधायें मिलनी चाहिए जो कि सेना के जवानों को उपलब्ध हैं। भारतीय सेना के जवानों को गर्म कपड़ दिये जाते हैं जब कि यह सुविधा सीमा सुरक्षा बल के जवानों को उपलब्ध नहीं है।

भारतीय सेना के जवानों के लिए शान्ति के समय विभिन्न छावनियों में आवास की व्यवस्था है परन्तु सीमा सुरक्षा बल के जवानों तथा अधिकारियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बच्चों की शिक्षा के बारे में विशिष्ट कार्यक्रम होना चाहिए। भारतीय सेना के जवानों तथा परिवारों के लाभ के लिए जो कानून हैं वह सभी कानून सीमा सुरक्षा बल के परिवारों पर लागू किए जाने चाहिए।

मैं महसूस करता हूं कि भारतीय सेना के जवानों को मिलने वाले वेतन तथा भत्ते सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भी दिये जाने चाहिए। उनके रैंक भी समान किये जाने चाहिए। भारतीय सेना से निकाले गये अधिकारियों को सीमा सुरक्षा बल में इन्सपैक्टर के रूप में भर्ती कर लिया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह बल भारतीय सेना से घटिया है। जवानों की स्थिति में भी सुधार किया जाना चाहिए। इन जवानों को पर्वतीय क्षेत्रों में काम करना पड़ता है अतः सभ्य संसार से इनका सम्पर्क बनाये रखना भी बहुत आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को पास कर दे।

Shri George Fernandes (Bombay South) : The Jawan of the Border Security Force has also to face the difficulties being faced by the ordinary police as well as by the Jawans of Indian Army. But they are deprived of the facilities and amenities available to both of them.

We should be absolutely clear in the mind as to what role Border Security Force has to play. Their jurisdiction should be clearly marked. If they are to defend on borders they have to consider what equipment should be provided to them. To-day they are posted on Indo-Pak border but to-morrow they can be posted on Sino-Indo and Indo-Burma Borders. So we have to keep in mind the equipment being used by the forces posted in the other s ide of the border. The Border Security Force should be equipped with modern armament including tanks and armour to enable them to face the enemy at the time of being attacked. Helicopter should also be kept at the disposal of the Border Security Forces. They should also be provided Jeeps and other motors for patrolling.

So far as the question of pay and allowances is concerned there is vast difference in pay and allowances of the army personal and men of the B. S. F. Pay and allowances of the men of the Border Security Force should be brought at par with those of the army personnel because ultimately they have to take the job of the army men.

Even in the case of leaves men of Border Security Force are not treated at par with the army personnel. I would request the hon. Home Minister to reconsider this aspect.

I have also come to know that Border Security Force personal posted in Gujarat are not supplied wine. Whereas in other States there is no such restriction.

I do not think that there is any difference between the Army Act, 1950 and this Bill. Almost all the provisions of the Army Act are included in it.

I am not in favour of appointing retired or serving army officers in the Border Security Force as suggested by an hon' Member because it will retard the promotion opportunities of the Junior officers of the Force.

I hope that the hon. Home Minister will agree that it is not possible to give close consideration to this Bill in just two hours. So I would request that the Bill be referred to Select Committee.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

उन्नीसवां प्रतिवेदन

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं कार्य सलाहकार समिति का 19वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार 24 जुलाई, 1968/2 श्रावण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, July 24, 1968/ Sravana 2, 1890 (Saka).

GMGIPND—LS II—1744 (Ai) LS—30-1-69—600